राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इक्तीसवां दिवस [संख्या : 18

बुधवार,

21 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य : नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हम भी ढोक दे रहे हैं, आप इधर देखिये।

श्री अध्यक्ष : क्षमा चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : हमारी तो ट्यूब लाइट ही बैरन हो रही है साहब, यह दर्शन ही नहीं करने देती आपके।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जीतमल।

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में दर्ज प्रकरण

493. **श्री जीतमल (बागीदोरा) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :— विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में कितनी हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट, चोरी के प्रकरण कहां-कहां दर्ज हुए; इनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में जिला बांसवाड़ा के कलिंजरा, आनन्दपुरी, थानागढ़ी, सल्लोपाट, चार थानों का क्षेत्रफल आता है। इस विधान सभा क्षेत्र के चारों थानों में एक अप्रेल, 1997 से 28 फरवरी, 1999 तक हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, चोरी के सम्बन्ध में दर्ज अभियोगों का शीर्षकवाइज निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट "अ" और "ब" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जीतमल : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सबसे पहला, मंत्री महोदय ने जो सूचना रखी है, वह अपूर्ण है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि 20.10.98 को प्रार्थिनी रमतू पत्नी श्री खुरमा निवासी चिकली तेजां पुलिस थाना आनन्दपुरी की स्वयं के पति और श्वसुर ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के घर से आस-पड़ौसी के 15 लोगों के नाम पुलिस ने एक कच्ची चिट्ठी बनाकर, उन 15 लोगों को यह कहा कि प्रति व्यक्ति 5000 रुपये दे जाये वरना आप लोगों को भी जेल के अन्दर ठूंस दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि 15 लोगों ने इस हत्याकांड में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की, तत्पश्चात् पुलिस यह

(श्री जीतमल)

कहती है कि प्रति व्यक्ति यह मांगी गई रकम अगर नहीं दी जाती है तो निश्चित रूप से जेलों की उन कड़ियों में सड़ना पड़ेगा, फिर भी लोगों ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने अपना अनुनय-विनय किया, फिर भी पुलिस ने सुनवाई नहीं की। होता यह है कि वहां पर थाना प्रभारी और दो सिपाही मौके पर पहुंचे और वहां पर कवेली तोड़ दिये गये, खड़ी फसल के खेतों के अन्दर मवेशियों को हांक दिया गया, फसल बरबाद हो गई और 15 ही लोगों के माध्यम से 75,000 रुपये की मांग की। और उन लोगों ने जब तक मांग पूरी नहीं की, तब तक उनको राहत की सांस नहीं लेने दी। यह हालत करके, अंत में पुलिस को 75,000 रुपये एक साथ बटोरकर, उन गरीब लोगों ने दिये। इनमें से कुछ तो ऐसे लोग थे जो गुजरात में मजदूरी करने के लिए, रोजी-रोटी के लिए गये हुए थे। उन लोगों के भी नाम इसमें दर्ज करके, इन लोगों के साथ में ज्यादती करके, उनका पैसा लूटा गया।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आनन्दपुरी थाने में थाना प्रभारी है, स्वयं सी.आई. और केसरी सिंह और भारत सिंह नाम के दो सिपाही हैं, इन्होंने जबरदस्त वहां पर आतंक पैदा कर रखा है और आये दिन इस तरीके से जो फरियादी हैं और मुलजिमान हैं, इन दोनों पक्षों से इस तरह से भारी रकम लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण भी मैं कहना चाहूंगा। 13.3.98 की शाम के छह बजे आनन्दपुरी के पास गांव ढाबड़वा का रहने वाला हलिया पिता बागजी की छह लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। फरियादी ने जाकर इन छह लोगों के नाम एफ.आई.आर. दर्ज कराई। एफ.आई.आर. में सारा, बताया गया कि इन-इन लोगों के द्वारा यह मारपीट की गई और हत्या की गई है, फिर भी पुलिस ने एफ.आर. दी और उसको झूठा साबित करके छोड़ दिया और सारा पैसा खा-खा कर रफा-दफा कर दिया...

श्री अध्यक्ष : अब डिटेल में कैसे एफ.आर. दी, क्या इंवेस्टिगेशन हुआ वहां, क्या रिश्वत लेने की बात कहीं, यह तो डिटेल में, यह तो अलग प्रश्न है। आपने पूछा है कितने मामले दर्ज हुए, उसकी इसमें सूची दे दी।

श्री जीतमल : मैं तो यह सिर्फ, मेरा तो यह पहला ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें एक-एक केस की बात कहें, उसको तो आप अलग से उठाइये।

श्री जीतमल : आनन्दपुरी के अन्दर 20.10.98 को जो वारदात हुई है, उसी के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना अपूर्ण है, आप कह रहे हैं, वह कैसे है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो आनन्दपुरी थाने के बारे में बात कही है, मैं इसको काफी गम्भीरता से लेता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अगर यह मुझे लिखकर दे दें तो इसकी उच्च स्तरीय जांच विजिलेंस करा दूंगा क्योंकि इनका प्रश्न दूसरे प्रकार का था, केसेज के सम्बन्ध में था, टोटल केसेज के नम्बर में पूछे थे विस्तार से, अगर आपने इंडिविजुअल केस के बारे में तो कहा नहीं था। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अध्यक्षजी के माध्यम से, आज ही दे दीजिये, मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दूंगा, आपने जो शिकायत की है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इंडिविजुअल केस के बारे में आप फैक्ट्स दे दें।

श्री जीतमल : माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप द्वारा हत्या की जहां कहीं भी, 20.10.98 के बीच में कहीं कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक हत्या जैसा कांड हुआ है, और उसमें आप द्वारा सूचना की प्रति सदन के बीच में रखी है, उसमें ऐसा कोई हवाला ही नहीं है। आखिर यह 20.10.98 को जो कत्ल हुआ है, उसकी सूचना कहां है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, थाना आनन्दपुरी के अन्तर्गत 1997 में दो कत्ल हुए, 1998 में तीन कत्ल और एक जनवरी से लेकर मार्च तक दो कत्ल हुए हैं। इसके अन्दर यह मैंने इंगित किया है, जो मैंने सप्लीमेंट्री सूचना आपको दी है। तो यह मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। पूरे विस्तार से दिया है प्रश्न के साथ में यह जो परिशिष्ट लगा हुआ है, अगर आप उसमें गौर करेंगे तो यह आपको मिल जायेगा। लेकिन फिर भी चूंकि माननीय सदस्य ने यहां पर आनन्दपुरी के मामले में, उनके बहुत गंभीर आब्जर्वेशन्स हैं, तो अध्यक्ष जी, मैंने आपसे निवेदन किया और पुनः दोहरा रहा हूं कि आप मुझे दे दें, मैं उसकी निश्चित रूप से जांच करा लूंगा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, सूचना मांगी गई थी हत्या, डकैती की, और माननीय सदस्य ने कहा कि 20.10.98 को हत्या हुई और जो गृह मंत्रीजी को सूचना भिजवाई है, उसमें 20.10.98 की हत्या का कहीं हवाला पुलिस ने भेजा ही नहीं, जिसको विशेष रूप से माननीय सदस्य स्ट्रेस कर रहे हैं और उसमें नामजद दो मुलजिम थे, दोनों मुलजिमों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 15 लोगों को आखिर पुलिस थाने में क्यों लाई, और केवल इसलिए कि 75,000 रुपये लेकर छोड़ेंगे, यह माननीय सदस्य का आरोप है, तो गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उसमें तथ्य छिपाये हैं। 20.10.98 को जो सूचना आपको पुलिस ने नहीं दी, उसमें आप समुचित कार्यवाही करेंगे, ऐसा हमारा सब का निवेदन है। नहीं दी, उसमें आप समुचित कार्यवाही करेंगे, ऐसा हमारा सब का निवेदन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जवाब दो गृह मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : कत्ल की तो इसमें इन्फोर्मेशन दी है।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं साहब, 20.10.98 को कत्ल की सूचना...

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, अगर आप प्रश्न को गौर से देखेंगे...

श्री अध्यक्ष : वह है कि नहीं है; 20.10.98 को किया है क्योंकि इनके पास में जो इन्फोर्मेशन आई है, आप सब जानते हैं कि...

डा. किरोड़ी लाल : हत्या तो हुई है साहब।

श्री अध्यक्ष : हमेशा गवर्नमेंट के पास में सूचना आती है, वह गवर्नमेंट मशीनरी से आती है, उन्होंने यहां पर दो कत्ल की बात कही है। सदस्य ने...

श्री जीतमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि...

डा. किरोड़ी लाल : 20.10.98 को हत्या तो हुई है।

श्री अध्यक्ष : अब यह कह रहे हैं कि तीसरा भी कत्ल हुआ था तो इसकी भी जांच कर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रश्न को गौर से पढ़ लें...

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, 20.10.98 को आनन्दपुरी थाने में हत्या हुई है साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : सवाल यह था कि 20.10.98 को आनंदपुरी थाने में हत्या हुई है और उसका हवाला गृह मंत्रीजी ने, यहां इसमें प्रश्न में नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरा निवेदन सुन लें तो सारी स्थिति साफ हो जायेगी। क्योंकि आप प्रश्न को गौर से देखें और मैंने जो परिशिष्ट संलग्न किया है, सप्लीमेंट्री इन्फोर्मेशन के अन्दर जो दिया है, उसमें पूरा थानेवार ब्यौरा, ईयरवाइज ब्यौरा मैंने दिया है उसके अन्दर।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : हाउस को तो पता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो अब नहीं पता है तो मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने नम्बर्स दिये हैं कि किस साल में कितने हुए हैं, उसके बावजूद भी सम्मानीय सदस्य यह कहते हैं तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मुझे दे दें, इसकी विस्तृत जानकारी दे दें, उतनी ही विस्तृत जांच मैं करा दूंगा इस मामले में पूरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसीलिए सदन में आया कि 1997-98 और 1998-99 में इस पूरे प्रकरण में इस विधान सभा क्षेत्र में असंख्य ऐसी हत्याएं हुई हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : असंख्य?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन हत्याएं हुई हैं, उसमें हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब जो सूचना आपको दी है उसके अन्दर आप स्पेसिफिक बता दें कि ये तीन हत्याएं हुई हैं या चार हत्याएं हुई हैं। इस महीने में ये-ये प्रकरण दर्ज हुए हैं, इसमें से इन-इन को गिरफ्तार किया गया है, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और माननीय सदस्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस बात को पूछ रहे हैं, उसके लिए आप कहें कि आप उच्च स्तरीय जांच करवा देंगे, कोई लैप्सेज रहेंगे तो वे ठीक करवा देंगे, इतनी सी तो बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको निवेदन करूं कि आनंदपुरी थाने के अन्दर 1999 में जनवरी टू मार्च, दो कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक में इसकी तफ्तीश चल रही है, एक में चालान पेश हो चुका है। यह मेरे पास जो है...

डा. किरोड़ी लाल : 20.10.98 को हत्या हुई है या नहीं, इतना सा पूछना चाहते हैं, आपके पास इसकी सूचना है कि नहीं है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, 20.10.98 के मेरे पास फिगर्स नहीं है। (व्यवधान) फिर आप यह सवाल पूछ लेते। आप यह सवाल पूछ लेते कि किस तारीख का ब्यौरा...

डा. किरोड़ी लाल : नहीं साहब, वर्ष आ गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वर्ष आ गया है साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो वर्ष बता रहा हूं ना।

डा. किरोड़ी लाल : उस वर्ष का हवाला गृह मंत्रीजी, और उसकी सूचना आपके पास नहीं है, और इसी के बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 20.10.98 का बता दीजिये कि मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां हां, मैं बता रहा हूं ना, आप बैठिये ना।

डा. किरोड़ी लाल : हत्या तो हुई है उसमें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तारीखवार देने में असमर्थ हूं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं साहब, हत्या तो हुई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप मेरी बात तो सुन लीजिये। 1997 में आनंदपुरी में दो कत्ल के केस दायर हुए, दोनों में चालान हो गया। 1998 के अन्दर तीन दर्ज हुए इन तीन के अन्दर एक में अदम पते में एफ.आर. इन्होंने दी और दो में चालान पेश हो गया। यह पोजीशन है। जो इन्होंने 97-98 का और 99 का पूछा है, जितनी सूचना मेरे पास उपलब्ध है, वह मैंने आपको उपलब्ध करा दी यहां पर।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी, आपके पास मार्च, 98 तक के हत्या के मामले की सूचना है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, 99 मार्च तक की है।

डा. किरोड़ी लाल : आपके पास जो 20 अप्रेल को हत्या हुई है, 20.10 को, उसकी सूचना आपके पास नहीं है, जिसमें यह कह रहे हैं कि पन्द्रह लोगों से पिचहत्तर हजार रुपये ले लिये गये। उसके ऊपर आप जांच करवायें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 97-98 एवं 98-99 में कितनी हत्या हुई, यह सवाल है। 97-98, 98-99 वह मैंने आपको विस्तृत ब्यौरा दे दिया, आप प्रश्न देख लें।

श्री जीतमल : माननीय मंत्री महोदय, मैं इतना आश्वासन और चाहूंगा, आपने इसमें जो 20:10 का कहीं कोई हवाला नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वह लोग दोषी पाये जाते हैं तो उन पर आप क्या कार्यवाही करेंगे। यह मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया माननीय सदस्य, मैंने अध्यक्ष महोदय के मार्फत आपसे निवेदन किया, वैसे तो मैं प्रोसीडिंग्स में से ले लूंगा, लेकिन अगर आज मुझे उपलब्ध करा दें तो मैं आपका आभारी होउंगा, मुझे जांच कराने में और सहूलियत होगी इसके अन्दर, मैं इसकी विस्तृत जांच करा दूंगा। इसको मैंने पूर्व में ही कह दिया आपसे।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

जिला दौसा के मिडवे पर ऐतिहासिक स्थलों के मानचित्र

494. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा में कहां-कहां एवं कितनी-कितनी दूरी पर मिडवे बने हुए हैं?

(2) क्या उक्त मिडवे स्थलों पर जिला दौसा के ऐतिहासिक स्थलों के मानचित्र एवं जानकारी उक्त मिडवे के आस-पास सड़क पर दर्शायी हुई है? यदि हां, तो किस-किस पर्यटन स्थल की एवं नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त जानकारी मिडवे के पास बोर्ड के रूप में लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला) (पर्यटन राज्य मंत्री के स्थान पर): (1) दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर दौसा व महुआ में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा संचालित मिडवे बने हुए हैं जिनकी दूरी दौसा शहर से क्रमशः 3 व 60 किलोमीटर है।

(2) उक्त मिडवे स्थलों पर जिला दौसा के ऐतिहासिक स्थलों के मानचित्र एवं जानकारी उक्त मिडवे स्थलों के आस-पास सड़क पर दर्शाई हुई नहीं है तथापि जयपुर की ओर से जाने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर से तथा भरतपुर की ओर से आने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर, एवं उक्त मिडवे केन्द्रों पर भी पर्यटन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करवा दी जाती है। राज्य सरकार उक्त मिडवे के आस-पास दौसा के पर्यटन स्थलों के मानचित्र इस वित्तीय वर्ष में लगाने का विचार रखती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन है कि पर्यटन विभाग राजस्थान दौसा जिले में पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए संवेदनहीन रहा है क्योंकि हमारे दौसा में मिडवे, दौसा और मिडवे, महुआ, इन दोनों जगह ही जो आर्कियोलोजिकल [illegible] सर्वे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आफ इण्डिया के द्वारा प्रोटेक्टेड मोनुमेन्ट्स आभानेरी हैं, उसके न तो पोस्टर ही एफिक्स किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सड़क पर मिडवे के आस-पास कोई भी चित्ताकर्षक ढंग से कोई मानचित्र भी नहीं लगाये गये हैं जिससे कि यह मालूम पड़े कि पर्यटन स्थल इतनी दूर है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन पर्यटक स्थलों पर किसी भी तरह की एसेंशियल एमीनिटीज की जो फेसेलिटीज डिपार्टमेंट को रेण्डर करनी चाहिए, वह भी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में राजस्थान का पर्यटन विभाग मिडवे में कोई लिटरेचर भी उपलब्ध करे, वहां पर प्रोटेक्टेड मोनुमेंट्स हैं और जो भी दर्शनीय स्थल है, उनके बारे में इसके आस-पास, पांच किलोमीटर पहले, पांच किलोमीटर बाद, आगरा-भरतपुर की तरफ और जयपुर-दौसा की तरफ, दोनों तरफ ही इस तरह विज्ञापित करे ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो सकें। माननीय मंत्री महोदय, यह जो एसेंशियल एमीनिटीज का कार्य है यह कब तक हो जायेगा। इसके लिए क्या कोई सर्वे करवाया जायेगा या क्या नीति है विभाग की, इसके बारे में आप बतायें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आभानेरी बावड़ी जो आठवीं और नौवीं शताब्दी की वहां पर बनी हुई है, उसके लिए वास्तव में पिछले वर्षों में बहुत कम ध्यान दिया गया है। परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मिडवे के आस-पास चित्ताकर्षक मानचित्र और नक्शे वगैरह बनवाने के बारे में विभाग विचार रखता है और जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करेगा। जहां तक आगरा-भरतपुर और जयपुर-दौसा राजमार्ग पर इन्होंने मानचित्र वगैरह लगाने की बात कही है, इसके बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग से विभाग विचार करके उनके विचार के अनुसार उनके सहयोग से उनको लगाने का प्रयत्न करेगा। एसेंशियल सर्विसेज के बारे में जो आपने प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सपर्टस की टीम वहां भेजकर वहां ग्राम पंचायत और वहां के स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श कर जो राय-मशविरा देंगे, उसके ऊपर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि हमारे दौसा में भी मिडवे पड़ता है एक। उस मिडवे के अंदर, बना है तब से अब तक मात्र 90 पर्यटक ठहरे हैं...

श्री अध्यक्ष : वह तो आप कह चुके हैं।

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, इस प्रकार से जब इसमें यात्री ठहरते नहीं है और इतना खर्चा इस पर आया आपका, चालीस लाख रुपये का खर्चा आपका इसके ऊपर आया है, क्या आप ऐसे मिडवे को दूसरे को देने का विचार रखते हैं? क्या इसको खतम करने

(श्री रामस्वरूप)

का इरादा रखते हैं या इसमें कुछ गुणात्मक सुधार करने का इरादा आप रखते हैं ताकि यह मिडवे आगे अच्छी तरह चल सकें और सरकार की आय का स्रोत बन सके।

श्री अध्यक्ष : शार्ट में क्वेश्चन कीजिये। यह सब बात आप कह चुके हैं।

श्री रामस्वरूप : दूसरा मेरा निवेदन है, प्राइवेट को आप इस प्रकार से बढ़ावे हुए चले जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर कम से कम दस मिडवे बन चुके, उनकी संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है जबकि हमारे सरकारी की संख्या घट रही है और उनकी गुणवत्ता घट रही है और इनकी आय भी घट रही है। क्या आप उन पर रोक लगाने का इरादा रखते हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई, वह बात बिलकुल सही है। पहले मिडवे जितने भी राजस्थान में बने हुए थे वह पर्यटन विकास निगम के माध्यम से बने हुए थे। लेकिन पिछले वर्षों में राजस्थान मोटल, प्रथम, राजस्थान मोटल-द्वितीय, राजस्थानी मिडवे, राजपूताना मिडवे, गणगौर मिडवे, बालाजी मिडवे, यह दौसा शहर के 43 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर की दूरी पर प्रायः प्रायः स्थानों पर प्राइवेट मिडवे बन गये। उससे राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का जो मिडवे है उस पर जो यात्री आते थे, उन पर काफी असर पड़ा है और उसकी इनकम का जो स्रोत था उस पर भी काफी फर्क पड़ा है। क्योंकि जो पर्यटक एक स्थान पर आते थे वह अब छह स्थान दूसरे प्राइवेट हैं, उनके ऊपर उसका लोड वितरित हो गया, तो इस कारण से पर्यटन विकास निगम इसको लीज पर देने के बारे में भी विचार कर रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पर्यटन विकास निगम ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चल रहा है, उसको मध्यनजर रखते हुए इन विचारों के ऊपर गौर करेगा और गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही करेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, दौसा मिडवे, 44 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ है और अभी तक मात्र 97 पर्यटक वहां पर ठहरे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार पर यह बोझ है और यह अनइकोनोमिक चल रहा है। इसके बारे में क्या सोच है विभाग का, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि लीज पर देने के प्रस्ताव, विचार चल रहे हैं, जो भी वायबल प्रपोजल होगा उसके ऊपर हम विचार कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : नादौती में स्थानान्तरित करने का विचार रखते हैं क्या?

प्रश्न संख्या 495

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन। श्री ललित भाटी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-496

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मोहन लाल चौहान।

श्री वीर तेजाजी मंदिर, परबतसर का निर्माण कार्य

497. **श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) :** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री वीर तेजा पशु मेला परबतसर में प्रति वर्ष प्रसाद बेचने का ठेका होता है? यदि हां, तो आज तक ठेके से कुछ कितनी राशि जमा हुई है?

(2) क्या श्री वीर तेजा मंदिर के निर्माण हेतु कोई कमेटी गठित है? यदि हां, तो इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं? उक्त कमेटी कब से गठित है? अब तक उक्त कमेटी ने मंदिर में निर्माण हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार उक्त मन्दिर में निमार्ण कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) जी हां। वर्ष 1998 तक प्रसाद के ठेके से कुल राशि रुपये 3,88,050/- प्राप्त हुई है।

(2) जी हां। कमेटी के सदस्य निम्न है :—

1. जिला कलक्टर, नागौर — अध्यक्ष
2. संबंधित उप निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन — उपाध्यक्ष
3. सदस्य राजस्थान विधान सभा, परबतसर — सदस्य
4. प्रधान, पंचायत समिति, परबतसर — सदस्य
5. अध्यक्ष, नगरपालिका, परबतसर — सदस्य
6. जिला पशुपालन अधिकारी, कुचामन सिटी — सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष

उक्त कमेटी का गठन दिनांक 5.7.91 को किया गया था। गठित कमेटी ने मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु मंदिर का नक्शा एवं अनुमानित व्यय का तकमीना तैयार करा लिया है। मंदिर का निर्माण कार्य न्यास गठित कर करवाया जाना है। न्यास के गठन के प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री मोहन लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पशुपालन मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, यह शिया महाद्वीप का वीर तेजा पशु मेला प्रसिद्ध है। यह पाचं सौ वर्ष पुराना मेला है। इस मेले से पशुपालन विभाग में आज तक 3 लाख 88 हजार रुपये प्रसाद के ठेके जमा हुए हैं। यह जो पांच सौ वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है, उसके जीर्णोद्धार में एक भी पैसा आज तक इस विभाग ने नहीं लगाया और न ही उसका कोई विस्तार किया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दस साल पहले आपने एक कमेटी गठित की। 1991 में कमेटी गठित की और इस कमेटी का क्या रोल रहा ? कुछ नहीं रहा। दस साल में कमेटी गठित करने के बाद भी आपने इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, जबकि आपके पास पैसे पड़े हैं ? अब आप कह रहे हैं कि हम ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं, न्यास गठित कर रहे हैं। मंत्री महोदय में यह पूछना चाहूंगा कि न्यास का गठन कब तक कर दिया जायेगा ? दूसरा मेरा सवाल है कि इस न्यास में

(श्री मोहन लाल चौहान)

कौन-कौन सदस्य होंगे? मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? आर्चीटेक्ट ने जो नक्शा बनाया उसकी कितनी अनुमानित लागत है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो चिंता है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। बहुत ही पुराना मंदिर है। और इसमें आप सही फरमा रहे हैं कि प्रसाद का ठेका होता है और प्रसाद के ठेके से मंदिर का जीर्णोद्धार हो उसके संबंध में सदन मे भी आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन के फलस्वरूप ही एक समिति का गठन किया गया कलक्टर की अध्यक्षता में और जो पैसा प्रसाद का जमा था, उस पैसे से उस कमेटी को गठित करने के प्रस्ताव भी चले। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय इसमें यह हुई कि कमेटी के माध्यम से पैसा देना उचित नहीं है। इसके लिये वाया-मीडिया निकाला जाये, एक ट्रस्ट गठित की जाये, ट्रस्ट रजिस्टर्ड की जाये और उस ट्रस्ट के माध्यम से यह पैसा खर्च हो। ट्रस्ट के गठन के संबंध में कार्यवाही चल रही है। मैं यह मानता हूं कि ट्रस्ट के गठन में विलम्ब हुआ। लेकिन जैसे ही यह सरकार बनी, सरकार के बनते ही मैंने इस पत्रावली को मंगा कर, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जहां तक ट्रस्ट के गठन का प्रश्न है उस ट्रस्ट के गठन की मैंने स्वीकृति दे दी है, लॉ डिपार्टमेंट से उसका वेट होना बाकी है। और जैसे ही लॉ डिपार्टमेंट से वेट हो जायेगी, वैसे ही इसके गठन का काम शुरू हो जायेगा। आपने पूछा कि ट्रस्ट में कौन-कौन सदस्य हैं, उसके संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : ट्रस्ट के ट्रस्टीज कौन हैं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जी हां, अध्यक्ष महोदय, इस ट्रस्ट में न्यास का मुख्यालय परबतसर में होगा। इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे और इसमें जिला कलक्टर, नागौर समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। उप निदेशक, क्षेत्र पशु पालन विभाग, अजमेर, समिति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। सचिव जिला पशुपालन अधिकारी, कुचामनसिटी, समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। उप कोषाधिकारी, परबतसर समिति के मनोनीत कोषाध्यक्ष होंगे। समिति के निम्नांकित मनोनीत सदस्य होंगे :—

राजकीय सदस्य

1. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना पदेन सदस्य।

2. उप खण्ड अधिकारी, परबतसर, पदेन सदस्य।

3. जिला पशुपालन अधिकारी, कुचामनसिटी, पदेन सदस्य।

4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर पदेन सदस्य।

5. तहसीलदार, परबतसर, पदेन सदस्य।

अराजकीय सदस्य

1. राजस्थान विधान सभा परबतसर क्षेत्र विधायक।

(श्री हरिसिंह)

2. अध्यक्ष, नगरपालिका, परबतसर।

3. प्रधान, पंचायत समिति, परबतसर।

जैसे ही इस समिति का गठन हो जायेगा गठन होने के बाद ट्रस्ट को यह पैसे दिलवा कर मंदिर के जीर्णोद्धार का जो काम है, वह करवाने का पूरा-पूरा प्रयास सरकार करेगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पूछना चाहूंगा कि आर्किटेक्ट ने जो नक्शा बनाया है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये, वह कितने रुपये की लागत का एस्टीमेट है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उसमें जब प्रारम्भिक ट्रस्ट गठित हो जायेगा, उसके बाद सब बातों पर विचार किया जायेगा। उसमें सदस्य जो भी सुझाव देंगे उनको भी हम कारपोरेट कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ट्रस्ट में यह अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे। मेरी जानकारी के अनुसार ट्रस्ट एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रस्ट में या तो मुख्य ट्रस्टी होता है और बाकी ट्रस्टी होते हैं। दूसरा, ट्रस्ट के गठन में इतना लम्बा समय लगाने की कहां जरूरत है? तहसीलदार के रजिस्ट्रेशन होता है वह पांच मिनट में हो जाता है; इतने लंबे समय तक आप रिहर्सल कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। और अब आपके पास चार लाख के करीब पैसे वर्षों से पड़े है और उनको आप खर्च नहीं कर रहे हैं, आपके विभाग को कुछ देना नहीं है। यह ऐतिहासिक मेला है, ऐतिहासिक मंदिर है, लोगों की भावना इसमें जुड़ी हुई है, आपको इसमें तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिये, कोई समय सीमा आप निर्धारित करें कि इतने दिनों में कार्य शुरू हो जायेगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जहां तक ट्रस्ट में कौन सदस्य हो सकते हैं, कौन सदस्य नहीं हो सकते हैं इसके लिये मैंने निवेदन किया कि ट्रस्ट का जो फोरमेशन है यह लॉ डिपार्टमेंट में वेट होने के लिये जा रहा है और जैसे ही कानूनन राय होगी, उसके हिसाब से इसमें संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा। अब प्रश्न रहा डिले करने का। तो यह तो गत सरकार के जमाने में 1994 से 1998 तक ट्रस्ट के फोरमेशन में विलम्ब होता हुआ चला आ रहा है। मैंने आते ही इसमें ट्रस्ट के गठन की स्वीकृति दे दी और अधिक से अधिक तत्परता के साथ इसमें जो काम आप बतायेंगे, वह मैं करने का प्रयास करूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि 3 लाख 88 हजार रुपये प्रसाद के ठेके से मिले हैं। इस रकम को यह इतने लंबे टाइम तक लिये हुए क्यों बैठे रहें? इन्होंने उसका ब्याज नहीं दिया और उसमें न्यास के गठन के लिये और विलम्ब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं तेजाजी लोक देवता, इनकी ख्याति राजस्थान में ही नहीं गुजरात,

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

महाराष्ट्र और कई प्रदेशों के लोग इनको मानते हैं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में माना जाता है। क्या आप तेजाजी का स्टेच्यु वहां लगाकर इस राशि से ज्यादा जो खर्च होगी वह रकम आप राज्य सरकार से दिलवा कर वहां उनका मंदिर बनवाने की मंशा रखते हैं? यदि हां तो कब तक और नहीं हो क्यों?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राशि लेकर बैठे रहे, ऐसा कोई सवाल नहीं है। जो राशि वहां से आयी है, मेले की इनकम जो होती है, प्रसाद से जो आमदनी होती है...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आयी तो वहीं की है, वह तो प्रसाद के ठेके से आयी है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस मेले में दो तरह की आमदनी होती है। एक तो मवेशियों के संबंध में जो फीस आती है, उससे होती है। एक प्रसाद का जो ठेका होता है उससे आमदनी होती है। दोनों प्रकार की राशि राजकीय कोष में जमा होती है। उसको लेकर बैठने का प्रश्न नहीं है। राजकीय कोष में वह राशि जमा है। सरकार का इस संबंध में आश्वासन है कि प्रसाद से जो आमदनी हुई है उसको हम मंदिर के जीर्णोद्धार में ही खर्च करेंगे। ट्रस्ट के गठन के बाद में आप जो बता रहे हैं कि तेजाजी की मूर्ति स्थापित की जायेगी, नहीं की जायेगी, इन सब प्रश्नों पर ट्रस्ट के माध्यम से सरकार विचार करेगी और जो भी मुनासिब होगा उस समय और किसानों के हित की जो बात होगी, क्षेत्र के हित की जो बात होगी, जैसी लोगों की भावनाएं होंगी, उसके अनुकूल काम किया जायेगा।

श्री मोहन लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह पशु पालकों से जुड़ा हुआ मसला है, हिन्दुस्तान के पूरे पशु पालकों से जुड़ा हुआ मसला है, धार्मिक भावना है। मंदिर के निर्माण के बारे में मंत्री जी आप एक बात निश्चित कर दें कि इस वर्ष में आप यह काम पूरा कर देंगे क्या? दूसरा मेरा यह निवेदन है कि यह मंदिर बनाने के लिये हमारे नागौर जिले के तमाम लोग लाखों रुपये देने के लिये तैयार हैं। क्या दानदाताओं को भी शामिल कर के इस मंदिर का स्वरूप ऐतिहासिक, प्रसिद्ध और अच्छा मंदिर बनाने के लिये आप विचार रखते हैं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने निवेदन किया कि ट्रस्ट का परपज ही यह है और जब ट्रस्ट बन जायेगा तो लोगों से उसमें दान भी लिया जा सकेगा और उसके हिसाब से जैसा भी स्वरूप ट्रस्ट मुनासिब समझेगी और जो किसानों के हित में होगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। उसमें अधिक विलम्ब करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महादेय, एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन। अब बहुत पूछ लिये।

श्री सांवर लाल : एक सवाल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि यह पैसा प्रसाद का और मेले की आमदनी का है। सरकार से अगर दो रुपये हम लेते

(श्री सांवर लाल)

हैं तो ब्याज लेती है। यह धार्मिक आस्था का केन्द्र है। यह पैसा राजकोष में रहा और राजकोष में इसका उपयोग हुआ है। तो क्या इसके ब्याज का भी भुगतान करके, इस मन्दिर के पुनर्निर्माण में आप लगवाने की मंशा रखते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग देने की आपकी मंशा है? इन दो सवालों का जवाब आप दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राजकोष में जो रकम जमा है, उस पर ब्याज दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस सम्बन्ध में फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम चर्चा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, नैक्स्ट क्वेश्चन।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, उदयपुर वाटी (झुंझुनूं) में कार्यरत शिक्षक

498. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनूं की उदयपुरवाटी अनौपचारिक शिक्षा इकाई में कार्यरत किन-किन अनुदेशकों को वर्ष 1997 तथा 1998 में परियोजना अधिकारी/अन्य किसी अधिकारी द्वारा कब-कब हटाया गया?

(2) उक्त अनुदेशकों को हटाने के क्या कारण थे? क्या हटाने से पूर्व जांच की गई तथा क्या उनके विरुद्ध कोई आरोप साबित हुए? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुदेशकों को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार किसको था? हटाने सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जिला झुंझुनूं की उदयपुरवाटी अनौपचारिक शिक्षा इकाई में वर्ष 1997 एवं 1998 में क्रमशः 31 एवं 23 अनुदेशकों को परियोजना अधिकारी द्वारा हटाया गया। हटाये गये अनुदेशकों के नाम एवं हटाने की तिथि परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन अनुदेशकों को हटाये जाने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व कोई जांच नहीं की जाती अपितु निरीक्षण के दौरान उनका कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण उन्हें हटाया गया है। यह स्वैच्छिक सेवा का कार्य है, इस पर कोई राज्य सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। परियोजना अधिकारी, उदयपुरवाटी के द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अनुदेशकों को रखने तथा हटाने का अधिकार परियोजना अधिकारी को था। परियोजना अधिकारी द्वारा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण सम्बन्धित अनुदेशकों को हटाया गया। ऐसे मामलों में निरीक्षण प्रक्रिया ही अपनायी जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गई हैं। अनुदेशकों के चयन सम्बन्धी नये निर्देश परिशिष्ट "घ" सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(विवरण एवं प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो 31 और 23 हटाये गये हैं, क्या इनकी नियुक्ति करते वक्त पंचायत समिति का प्रधान, आपका जिला अधिकारी और ये परियोजना अधिकारी, इन तीनों की कमेटी ने इनका सलेक्शन किया था? आपने जवाब में कहा है कि नियुक्ति करने का अधिकार और हटाने का अधिकार परियोजना अधिकारी को है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह जो 101 अपोइण्ट किये गये थे वे उस कमेटी के द्वारा चयनित थे, और उस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में यह आता है कि उनको जब हटाया जाए, उस कमेटी में जाकर उनको हटाया जाए। मैं आपसे पहले यह जानना चाहता हूं, दूसरा मैं बाद में पूछूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अधिकतर लोग, जिनको हटाया गया है उनका अलग-अलग कारण जैसा मैंने बताया है। गोरुराय जो हैं... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं कारण नहीं जानना चाहता हूं। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इनकी जो नियुक्ति की गयी थी उसमें विकास अधिकारी, पचांयत समिति का प्रधान, आपका जिला अधिकारी और परियोजना निदेशक, इन चारों आदमियों की कमेटी ने उनका सलेक्शन किया था। आपने कहा कि नहीं, परियोजना अधिकारी, इसलिये मैं जानना चाह रहा हूं कि चारों आदमियों की कमेटी ने सलेक्शन किया था उसके बाद में अकेले उसको अधिकार क्या हुआ कि वे हटा लिये। यही पूछना चाहता हूं, और कुछ नहीं पूछना चाहता हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष : चयन कमेटी एक बात, और परियोजना अधिकारी द्वारा हटाने की दूसरी बात। आप यही पूछ रहे हैं कि उसको हटाने का, संतोषप्रद कार्य नहीं था, तो सभी का अधिकार है या चयन कमेटी को अधिकार है। यही प्रश्न है ना आपका?

श्री शिवनाथ सिंह : जी, हां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों को हटाया गया वे वहां पर पहले तो अनुपस्थित, नहीं थे कई लोग, कई बाहर चले गये, कई लोग जिनकी शादी हो गयी वे अपने ससुराल चली गयीं, ऐसे अनेक कारणों से निरीक्षण के दौरान...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मेरा सवाल दूसरा है, मेरा दूसरा सवाल है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मैं वह बता रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे अर्ज करूं कि उसको डाइल्यूट मत कीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है कि जब चयन कमेटी ने उनका सलेक्शन किया था तो उसको अधिकार कैसे मिला। मैं तो इतना जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, उनको सुनें आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा है, परियोजना अधिकारी को निरीक्षण के दौरान पूरा अधिकार है कि जो व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं है, और जो हटे हैं उसमें से किसी ने भी यह पुनः प्रार्थना नहीं दी है कि वह लगना चाहते हैं। यदि वे भी आ जाएं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तो उनको कमेटी में रखा जा सकता है। जितने लोग हटे हैं उसमें किसी भी व्यक्ति ने आज तक यह प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है कि मुझे गलत हटाया गया है, मुझे वापस रखा जाए।

पचांयत समिति ने जब चयन किया था उस समय परियोजना अधिकारी वहां पद-स्थापित नहीं था। और परियोजना अधिकारी को यह पूरा अधिकार है कि निरीक्षण के दौरान, 200-200 रुपये के महीने के आधार पर उनको एक स्वैच्छिक सेवा कार्य के लिये रखा जाता है। यदि किसी अनुदेशक की कोई यह अर्जी हो कि मैं वापस लगना चाहता हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मैं उसकी जांच करवाकर उसको दिखवा लूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब से सवाल पैदा कर दिया। आपने कहा कि इनकी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी। मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इन हटाये गये लोगों की ओर उनके स्थान पर नये नियुक्त किये गये लोगों की शिकायतें आपके यहां आयीं, विभाग में आयीं, निदेशालय में आयीं कि हमें पूरे रुपये नहीं देते हैं और हमको अपोइंटमेंट देने में इस परियोजना अधिकारी ने एक-एक हजार रुपये रिश्वत ली है। इसकी जांच करने के लिये आपके संयुक्त निदेशक पंचायत समिति, उदयपुरवाटी में आये हैं, लोगों से बयान लिये हैं, एम.एल.ए. से पूछा है, प्रधान से पूछा है, विकास अधिकारी से पूछा है। इसलिये आप जो कह रहे हैं कि इनकी शिकायत नहीं है, यह गलत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि वहां का सरपंच होता है, सरपंच का सर्टिफिकेट देने के बाद में उसको मानदेय दिया जाता है। वहां की एक लोकल कमेटी होती है जो उस केन्द्र की देखरेख करती है। आपने जो कारण दिये हैं, वह एक ही कारण दिया है सबके लिये कि केन्द्र बन्द मिला। और एक में तो आपने बड़ा हास्यास्पद जवाब दिया है, आपके पेज 8 पर कि वह अपने खेत पर काम करता हुआ मिला है। माननीय अध्यक्षजी, दिसम्बर, जनवरी का महीना है, रात 7 से 9 बजे तक उनका कार्य चलता है और वह 9 बजे अपने खेत में काम करता हुआ मिलता है। इससे बड़ा असत्य हो नहीं सकता है। इसलिये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संयुक्त निदेशक, जो जांच करने के लिये आये थे, उस परियोजना अधिकारी के खिलाफ उस जांच में क्या पाया गया? जो आप कह रहे हैं, वह सत्य है या जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अनुदेशकों को हटाने का मुख्य कारण निम्न प्रकार रहे :—

1. प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना,
2. गांव से बाहर जाकर बस जाना,
3. कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करना,
4. केन्द्र लगातार बन्द रहना,
5. पर्याप्त संख्या में बालक नहीं होने से केन्द्र बन्द करना। (व्यवधान) एक सैकण्ड...

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने कि आप कहते हैं कि शिकायत नहीं आयी। मैं कहता हूं कि शिकायत आयी। आपका ज्वाइंट डाइरेक्टर जांच करने के लिये गया, मेरे बयान उसने लिये, प्रधान के बयान उसने लिये, विकास अधिकारी के बयान लिये और जिन लोगों से इस परियोजना अधिकारी ने रिश्वत ली उनके एफिडेविट उनको दिये गये। आप क्या कर रहे हैं? इसलिये उस जांच का क्या हुआ, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अतिरिक्त निदेशक ने जांच में शिकायत को सही नहीं माना। फिर भी परियोजना अधिकारी को हमने हटा दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : फिर क्यों हटा दिया?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 3-4-99 को परियोजना अधिकारी को वहां से हटा दिया। 21.3.99 तक, अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की भी इससे पहले कोई शिकायत नहीं थी।

श्री शिवनाथ सिंह : यह गलत बात कह रहे हैं। मेरी लिखित में शिकायत है, प्रधान की लिखित में शिकायत है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बता चुका हूं कि जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक हटे हैं उन्होंने पुनः लगने के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र हमें नहीं दिया है। मैं आपको फिर कहता हूं कि यदि किसी को गलत हटाया गया है, जो कारण मैंने दिये हैं, और वे पुनः लगना चाहते हैं तो मैं उनकी प्रार्थना पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर लूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : एक आखिरी सवाल।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इस अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुए हैं। पंचायत समिति की मीटिंग्स में इसकी शिकायतें आयी हैं। उन मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स आपके ज्वाइंट डाइरेक्टर जो आये थे, उनको पेश की गयी हैं। इसलिये आप यह जो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ शिकायतें नहीं थीं और वह असत्य पाई गयीं। यह पंचायत समिति का पूरा रिकार्ड असत्य है, वहां का विधायक असत्य है, वहां का प्रधान असत्य है, वहां का विकास अधिकारी असत्य है और पंचायत समिति के सभी सदस्य असत्य हैं तो फिर आपके ज्वाइंट डाइरेक्टर सही हैं और हम सब असत्य हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस आदमी ने जितना करप्शन किया है उसकी आप खुले रूप से जांच कराएं और उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए।

आपने बदल दिया, यह तो कोई बहुत बड़ा आपने अहसान नहीं किया। बदलता वह, क्योंकि वह जेल में जा रहा था इसलिये बदल दिया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन अनुदेशकों को रखने के लिए जो चयन

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कमेटी बनी हुई है, जिसके प्रधान, बी.डी.ओ., जिले का एक अधिकारी, वह परियोजना अधिकारी है। क्या आप इसको उचित मानते हैं कि चार जनों की कमेटी है, उस अनुदेशक का चयन करती है और सिर्फ परियोजना अधिकार को आपने अधिकार दे दिया कि वह चाहे जब जिसको हटा दें। क्या आप इसको सही मानते हैं? अगर सही मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो क्या इस प्रावधान को आप चेंज करने के लिए कुछ विचार रखते हैं? क्योंकि पूरे राजस्थान में ऐसे कई मामले हैं, जहां परियोजना अधिकारी अपनी मनमर्जी के हिसाब से अनुदेशकों को हटा देते हैं। न तो प्रधान से पूछते हैं, न विधायक से पूछते हैं। बिना किसी को पूछे परियोजना अधिकारी उसका दुरूपयोग कर रहे हैं। क्या इस नियम को चेंज करने का आप विचार रखते हैं? यह हम आपसे उम्मीद करते हैं।

श्री सांवर लाल : सुनिये, अध्यक्ष महोदय, मैं,..

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, जब बी.जे.पी. का टाइम था तो उनके समय में जिस अधिकारी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते? ऐसे भ्रष्ट आदमी के खिलाफ आप कार्यवाही करिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, जिस अधिकारी ने..

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य हैं, प्रधानजी भी उसके साथ हैं, सारे लोग जब यह चाहते हैं तो माननीय मंत्रीजी आप तो बहुत स्वच्छ छवि के मंत्री हैं, आप उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करिये। माननीय मंत्रीजी उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने की मेहरबानी करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। माननीय सदस्य बैठिये। भाषण नहीं, भाषण नहीं।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय लगभग आज के (व्यवधान) एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। आपके परियोजना अधिकारी ने, आपके निर्देशक ने..

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

राजकीय महाविद्यालय विहीन जिला मुख्यालय

499. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)** : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जहां एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला मुख्यालय पर एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं होने को उचित समझती है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. जितेन्द्र सिंह) : (1) राज्य में केवल एक झुन्झुनूं जिला ऐसा है

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जहां पर एक भी सरकारी महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(2) राज्य में चार जिला मुख्यालय हनुमानगढ़, जयपुर, झुन्झुनूं व जोधपुर ऐसे हैं, जहां पर राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। इन जिला मुख्यालयों पर पर्याप्त संख्या में महाविद्यालय संचालित हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह तो दे रहे हैं गलत जवाब। जयपुर और जोधपुर में तो हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं है। जो सरकार का पैसा है, यहां तो चार कालेज हैं जयपुर में। जोधपुर में भी हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान दिला रही हूं आपके चुनाव घोषणा-पत्र की तरफ, जिसमें आपने लिखा है कि जिला स्तर पर सभी संकायों का एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। क्या करेंगे इस बाइबल का, इस कुरान का और इस गीता का? इस गीता का क्या होगा? इस गीता का क्या होगा?

श्री चन्दनमल बैद : यह पांच साल के लिए है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और क्या होगा? मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था, अध्यक्ष महोदय, क्या इसे आप उचित समझते हैं, इसका भी जवाब नहीं दिया माननीय मंत्रीजी ने। दोनों प्रश्नों का जवाब नहीं आया।

श्री चन्दनमल बैद : घोषणा-पत्र पांच साल के लिए है पांच साल के लिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं से पधारने वाली माननीय सदस्य ने जो अपनी शंका प्रकट की है तो जोधपुर और जयपुर के विषय में तो यह है कि जोधपुर और जयपुर से एफिलिएटेड कालेज हैं वे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यूनिवर्सिटी इज एन आटोनोमस बॉडी, तो वे कालेज..

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पैसा एफिलिएटेड नहीं है, मतलब पैसा सरकार का है। राज का पैसा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्राइवेट नहीं है, किसी आदमी का नहीं है। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : प्राइवेट तो नहीं है। यूनिवर्सिटी इज एन आटोनोमस बॉडी, उससे अटेच कालेजेज हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या हुआ? आटोनोमस बॉडी से क्या हुआ?

डा. जितेन्द्र सिंह : लेकिन उसका अपना, आप तो उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हो, आप जानते हो वे विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आते हैं। कैम्पस में आते हैं।

श्री सांवर लाल : जयपुर में यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं और एफिलिएटेड भी हैं। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : विश्वविद्यालय कैम्पस में है। दे आर, जो एफिलिएटेड कालेजेज हैं, वह तो 101 हैं जो गवर्नमेंट कालेजेज हैं, आप तो स्वयं भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने जो चिन्ता झुन्झुनूं के विषय में प्रकट की है, अध्यक्ष महोदय, निःसन्देह यह चिन्ता का विषय है कि झुन्झुनूं जिला एक मात्र ऐसा जिला है जिसके अन्दर सरकारी कालेज नहीं है। झुन्झुनूं में जो 19 कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कालेजेज हैं। अध्यक्ष महोदय, वह सब दानदाताओं द्वारा निर्मित हैं और इस वजह से हमारे जिला हैडक्वार्टर पर भी दो कालेजेज हैं? झुन्झुनूं के सेठ मोतीलाल कालेज और जेविसा गर्ल्स कालेज। दोनों पीजी. कालेजेज हैं तो झुन्झुनूं में 90 परसेंट एड है। जेविसा की 70 परसेंट है और सेठ मोतीलाल की 90 परसेंट एड है और 19 कालेजेज दानदाताओं के माध्यम से बनाये गये हैं और पचास वर्ष से अधिकतर वहां यह कंसेप्ट रहा, झुन्झुनूं जिले में कि दानदाता ही कालेज बनाते हैं। अब माननीय सदस्या ने जो उनके बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है, तो निःसन्देह उसकी परिस्थितियों को देखते हुए, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए मैं वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि जो इस तरह का जिला है और जो इस तरह...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे तो तारानगर ले गये। यहां काहे को देंगे। वे तो ले गये तारानगर। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : तो मैं निवेदन करूं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार करो। इसलिए नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं स्वयं इस जिले से आता हूं। 32 में से मात्र एक जिला यह बचा हुआ है। तो वित्तीय संसाधन...

एक माननीय सदस्य : आप भी मांग करने लग गये।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं मांग नहीं कर रहा हूं। मैं मांग नहीं कर रहा, यह मांग नहीं है, यह उनकी ही भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इस तरह के जो कॉलेजेज हैं, उनके ऊपर प्राथमिकता से खोलने पर विचार करेगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले प्रश्न का उत्तर दिलाइये।

श्री सांवर लाल : महाविद्यालय खोलने की प्राथमिकताएं आप तय करेंगे या वित्त मंत्रीजी तय करेंगे। राजस्थान में दस महाविद्यालय खोलने हैं या पन्द्रह महाविद्यालय खोलने हैं, इसका निर्धारण आप करेंगे या वित्त मंत्रीजी करेंगे। आप यह बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। ठहरिये आप। प्रश्नकर्ता। आप सप्लीमैंट्री पूछिये। प्रश्नकर्ता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप इसे उचित समझते हैं कि एक भी बात का जवाब नहीं दिया मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे टोडाभीम में कालेज खोलें। आप खुद घोषणा करके आये थे, गये थे जब। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह झुन्झुनूं का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। झुन्झुनूं में राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? कब करेंगे, यह तो आप जानें।

दूसरा, मेरा सवाल यह है कि जब आप वहां पर जो सेठ मोतीलाल कालेज है और जेविसा गर्ल्स कालेज है, आप इनको 90 परसेंट तो एड दे ही रहे हैं, दस परसेंट ही घटा है। तो क्या आप इनको अधिग्रहित करने का विचार रखते हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं पूछ लूं। इसी में कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब देने दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : जैसा कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि हर जिले के ऊपर राजकीय कालेज होने की जो मांग आपकी है, यह तो सरकार के वित्तीय संसाधन पर निर्भर करता है कि सरकार हर जिले के हैडक्वार्टर पर कालेज दे या नहीं। अगर आलरेडी 90 परसेंट एडेड हमारे कालेज चल रहे हैं, 90 per cent is of the Government, वे चल रहे हैं तो सरकार उसके बारे में विचार कर सकती है। नम्बर दो आपने पूछा...

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या विचार कर सकती है, तहसील हैडक्वार्टर पर खोल रहे हो क्या ?

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम में कालेज खोलने के लिए कहा है। टोडाभीम में कालेज खोलिये। तहसील हैडक्वार्टर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तहसील हैडक्वार्टर पर खोल रहे हो और जिला हैडक्वार्टर पर आप आवश्यकता ही महसूस नहीं कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए जिला हैडक्वार्टर पर...

डा. जितेन्द्र सिंह : महसूस कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम में खोलिये कालेज। टोडाभीम में कालेज खोलने के लिए, तहसील हैडक्वार्टर पर खोल रहे हैं। आप खोलिये तहसील हैडक्वार्टर पर। टोडाभीम में तहसील हैडक्वार्टर है। पंचायत समिति हैडक्वार्टर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जो कहते हो कि पंचायत समिति है, जिला हैडक्वार्टर को पहले आप प्रायोरिटी देते हो या नहीं? आप अगर 90 परसेंट एड दे रहे हैं तो उसको एक्वायर कर लीजिए, अधिग्रहित कर लीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : वे 90 परसेंट एडेड कालेज हैं, वे ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं।

श्री सांवर लाल : हमारे सवाल का जवाब दें। उसका उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसाद। बैठिये, उसके बाद।

श्री हनुमान प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री सांवर लाल : मैंने जो बोला, उसका जवाब तो दे दो।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये। श्री हनुमान प्रसाद जी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सरकार खोलेगी। सरकार निर्णय करेगी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार निर्णय करती है और सरकार निर्णय करेगी।

श्री सांवर लाल : यह आपसे पहले हम राज कर चुके हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। महकमा आपके पास है, आप करेंगे या आप करेंगे, यह पूछ रहा हूं मैं। आप तो अभी सरकार में आये ही नहीं, बाहर बैठा दिया आपको। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : वित्त मंत्री हो, चाहे यह हो, दोनों ने अलग-अलग बातें कही हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार खोलेगी। यह मेरा अधिकार है। यह मैंने जवाब दे दिया, आपको शायद पता नहीं है। नहीं-नहीं, मैं दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार की स्पष्ट नीति यदि नहीं है, कि हर जिला मुख्यालय को जहां पहले कालेज है, वहां कोई खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करें, तो इसका एक समाधान हो सकता है। झुन्झुनूं जिले का गुहाना क्षेत्र जिससे मैं आता हूं, सूरजगढ़ पूरी कांस्टीट्यूएंसी, उसमें कोई कालेज नहीं है और 35-35 किलोमीटर एरिये में कोई कालेज नहीं है। तो मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गुहाना में राजकीय कालेज खोला जाए ताकि झुन्झुनूं जिले में राजकीय कालेज होने की एक अवस्था बैठ सकती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यहां पर तो नहीं खोला गया और वहां खोलेंगे। जिला हैडक्वार्टर पर नहीं है। यह क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आपने पूछ लिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को कहा है।

श्री श्रवण कुमार : उस क्षेत्र में कोई कालेज नहीं है। वास्तव में यह सही कह रहे हैं और सूरजगढ़ कांस्टीट्यूएंसी हरिजन क्षेत्र है। और जैसे हरिजनों के लिए आप कहते हो कि हरिजनों को पहले हम देंगे और गुहाना के अन्दर पंचायत समिति में, वह हरिजन क्षेत्र हैं...

श्री हनुमान प्रसाद : और वह सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

श्री श्रवण कुमार : और वहां बीस-बीस किलोमीटर में कोई कालेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये।

श्री हनुमान प्रसाद : और वहां कालेज खोला जाए, उनके प्रस्ताव...(व्यवधान)

(श्री चन्दन मल बैद)

द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार गृह जिले से बाहर किये गये हैं। स्थानान्तरण नीति के आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(4) दिसम्बर, 1998 से 15 मार्च, 1999 तक किये गये स्थानान्तरणों के आदेशों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-स)

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह कस्वां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लेखा सेवा कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये पिछले पांच वर्ष से डी.पी.सी. नहीं की गयी है। पिछले पांच वर्ष से डी.पी.सी. नहीं बैठायी गयी है। क्या अभी डी.पी.सी. बैठा रहे हैं। यदि हां, तो कब तक? दूसरा यह है कि...(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : पहला सवाल ही मैं तो समझा नहीं। बता दीजिये जरा फिर।

श्री रामसिंह कस्वां : पिछले पांच वर्षों से डी.पी.सी. नहीं की आपने। मतलब पदोन्नति के लिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डी.पी.सी. का कह रहे हैं। पूछिये आप।

श्री रामसिंह कस्वां : हां। दूसरा यह है कि आपने जिस समिति का गठन किया है उसकी क्या मियाद है रिपोर्ट देने की? रिपोर्ट कब तक दे दी जाएगी। तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो नियम बनाये हैं ट्रांसफर के लिये, आपने मात्र तीन माह के अंदर 86 कनिष्ठ लेखाकारों के स्थानान्तरण किये हैं। राजगढ़ से नाथद्वारा, बांसवाड़ा, जैसलमेर और बाड़मेर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह साधारण कर्मचारी हैं और आपने जो नीति बनायी है, उसमें आपने लिखा है कि 'सामान्यतः' कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण जिले से बाहर नहीं होगा। सामान्यतः लिखा है आपने, और यह लिखा है कि जिस कर्मचारी के दो वर्ष बाकी हैं रिटायरमेंट में, उसका स्थानान्तरण नहीं होगा। उसके बाद भी स्थानान्तरण किये गये हैं। ये क्या स्थानान्तरण नीति से सम्बद्ध हैं और जो स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये गये हैं, क्या सरकार उसे कैंसिल करने जा रही है? स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं? मेरी एक बात और है...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, एक-एक करके पूछेंगे तो याद रहेगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड : इतना ही बता दें। पूछ लिया इन्होंने।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः जिले से बाहर भेजने की नीति बनायी हुई है। लेकिन यह देखा गया है कि कुछ जिलों के कनिष्ठ लेखाकार इतने ज्यादा हैं कि उनको उस जिले में रखा ही नहीं जा सकता है। आप कहेंगे तो मैं लिस्ट पढ़कर सुना दूंगा। अब इस वास्ते यह जरूरी हो जाता है कि उस जिले के कनिष्ठ लेखाकारों को बाहर भेजा जाए और जो बाहर बैठे हुए कनिष्ठ लेखाकार हैं और उस जिले के हैं और जिले में जितनी पोस्ट है, उतनी भरी हुई है। वह चाहते हैं कि हमको अपने

(श्री चन्दनमल बैद)

जिले में भेजा जाए तो जो ज्यादा अपने जिले में है। ज्यादा समय में अपने जिले में बैठे हुए हैं। उनका ट्रांसफर करके जो जिले से बाहर बहुत दिनों से हैं, उनको जिले में भेजे जाने की कोशिश की जाती है। इस वास्ते प्रशासनिक कारणों से यह कुछ स्थानान्तरण किये गये हैं और इसमें कोई भी भेदभाव की बात नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजनैतिक आधार पर ट्रांसफर किये गये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजनैतिक आधार पर ट्रांसफर किये जा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बोलते ही रहेंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। नहीं, कृपलानी जी बैठिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब तो दे दूं पूरा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अजमेर में 274 स्थान है उसमें से 274 तो वहां बैठे हुए हैं। 31 अजमेर के आदमी बाहर हैं, जो अंदर आना चाहते हैं। अलवर के 190 स्थान हैं, 190 वहां हैं कार्यरत, 34 आदमी अलवर के ऐसे हैं जो बाहर से अंदर आना चाहते हैं, अलवर जिले के हैं। भरतपुर के 175 स्थान हैं, 175 ही वहां बैठे हुए हैं, 18 भरतपुर जिले के बाहर बैठे हुए हैं, वह आना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की 278 पोस्ट हैं, 278 वहां पर आलरेडी कार्यरत हैं। 77 आदमी बीकानेर जिले के ऐसे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और बीकानेर में आना चाहते हैं। चूरू के 116 आदमी हैं, 116 आदमी ही वहां बैठे हुए हैं, 19 आदमी बाहर बैठे हुए हैं जो चूरू जिले में आना चाहते हैं। दौसा के 74 हैं, 74 ही वहां हैं और 30 आदमी बाहर हैं जो अंदर आना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से यह 19 जिले हैं जिनके आदमी जितनी जरूरत है जिले में वह तो वहां है ही, लेकिन उससे ज्यादा आदमी बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे ही जयपुर में 1101 पोस्टें हैं 1098 वहां कार्यरत हैं और 250 आदमी ऐसे हैं, जो जयपुर जिले के हैं और बाहर बैठे हुए हैं और जयपुर में आना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब कई जिले ऐसे हैं जैसे बूंदी में 74 स्थान हैं, 65 आदमी हैं वहां, 9 स्थान वहां रिक्त हैं। अब अगर हमको काम करना है तो दूसरे जिले के लोगों को बूंदी, बारां, धौलपुर, बांसवाड़ा जहां पर कि पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, कहीं 30 पोस्टें खाली हैं, कहीं 25 पोस्टें खाली हैं। बांसवाड़ा में 61 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अब 61 पोस्ट खाली पड़ी हुई है तो बांसवाड़ा में पोस्ट तो है 120 आदमी की जबकि वहां पर आदमी हैं 59, 61 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो कहीं से तो भेजना ही पड़ेगा। इस वास्ते मैं बहुत गंभीरता से इस बात को सोच रहा हूं कि यह जिले से बाहर नहीं भेजने का जो नियम है, उसको मैं बहुत जल्दी चेंज करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री रामसिंह कस्वां : राधेश्याम नाम का कनिष्ठ लेखाकार है। इसका स्थानान्तरण पंचायत समिति राजगढ़ से आपने नाथद्वारा किया। वह व्यक्ति ट्रेनिंग में गया तो फिर आदेश किया कि इसका स्थानान्तरण चूरू में किया जाए। आदेश चूरू में कर दिया गया। आपने पुनः एक महीने के बाद उसका स्थानान्तरण करके सुजानगढ़ कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि वह मात्र आपने राजनैतिक आधार पर किये हैं न कि वहां कम की पूर्ति करने के लिये। इतनी दूर क्यों किया गया, और ऐसे स्थानान्तरण को आप निरस्त करने की कोशिश करेंगे क्या? करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो सवाल पूछना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं इनकी 24.12.92 की नीति के अनुसार तीन वर्ष की अवधि तक एक विभाग में रहने की इनकी सामान्यतः नीति है...

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, साधारणतया। सामान्यतया।

श्री हीरासिंह चौहान : साधारणतया मान लीजिये। तीन वर्ष की अवधि के यह जो 86 की लिस्ट है कनिष्ठ लेखाकार की, उसमें उनके कितने स्थानान्तरण किये गये। और इनमें से कौन-कौन से ऐसे लेखाकार हैं जिनको गृह जिले से दो साल की अवधि के पहले-पहले आपने स्थानान्तरण किये हैं? उनके लिए आपने कौनसा आधार लिया जिसके कारण से उन लोगों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजा जाना जरूरी था? और कितने ऐसे लेखाकार हैं जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि अपने एक डिपार्टमेंट में पूरी नहीं की? और दो वर्ष की अवधि अपने जिले में भी पूरी नहीं की? यह बता दीजिये आप।

(12.00 बजे)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, जैसे बांसवाड़ा की बात बतायी आपको कि वहां पर 59 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, अब 59 पोस्ट बांसवाड़ा में जब खाली पड़ी हुई हैं तो किसी न किसी जिले के कनिष्ठ लेखाकार तो वहां भेजने पड़ेंगे। तो इस वास्ते यह जो नियम आप कह रहे हैं, सामान्यतया प्रशासनिक कारणों से हम को तो सब जगह का काम करने के लिए...

श्री जीतमल : मंत्री महोदय, यह बांसवाड़ा के रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने सारे स्थानान्तरण राजनीतिक कारणों से किये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने जो आधारभूत नीति है उसकी कोई पालना नहीं की है। राजनीतिक कारणों से स्थानान्तरण किये हैं। (भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : किस तरह से उसको आपने किया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसी प्रकार इन लोगों ने भरे थे। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं और किसी कारण से नहीं किये गये हैं। (भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अकेले पाली जिले में 25 लोगों को लगाया। सी.डी. देवल के कहने से अकेले पाली जिले में...(भारी व्यवधान)...

श्री मोहन लाल मोदी : राजनीतिक कारणों से बी.जे.पी....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : टिट फोर टैट, जैसे को तैसा।

श्री अशोक (खण्डार) : मंत्री महोदय इतना तो मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगे कि जो कनिष्ठ लेखाकार गृह जिले से बाहर हैं, उनको गृह जिले के नजदीक तो लाने का प्रयास यह कर सकते हैं? (भारी व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जैसा बीज बोया वो काटो। जैसा किया, वैसा भर रहे हो।

श्री अशोक : क्या मंत्री महोदय, जो कनिष्ठ लेखाकार या लेखा संवर्ग के अधिकारी, कर्मचारी बाहर हैं, क्या उनको गृह जिले के समीप ला सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (भारी व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सी.डी. देवल के कहने से 25 लोगों को लगाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। (भारी व्यवधान) आसन पैरों पर...

श्री हीरासिंह चौहान : एक ही जाति के। पाली जिले में लगाये एक ही जाति के...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पिछली सरकार ने भीलवाड़ा जिले के बाड़मेर, जैसलमेर भेजे। (व्यवधान) बाड़मेर, जैसलमेर भेजा आपके लोगों ने। (व्यवधान)

श्री अशोक : क्या एक जिले के समीप के जिले में जहां रिक्त पद हैं वहां पद स्थापित करने का प्रयास करेंगे? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 25 एक ही जाति के...(भारी व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से भीलवाड़ा जिले के लोगों को बाड़मेर, जैसलमेर भेजा। राजनीतिक दुर्भावना हमेशा आप करते रहे हो और अब वो भीलवाड़ा जिले में आयेंगे तो एतराज करोगे इस बात का। (व्यवधान)

श्री अशोक : नजदीक के जिले में पद-स्थापित करने के प्रयास करेंगे क्या, उनको राहत प्रदान करेंगे? (व्यवधान) उनको अपने गृह जिले के पास में जहां रिक्त पद हैं (भारी व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर आपने बहुत भेजा था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

ग्राम कुशलपुरा (चौमूं) की श्मशान भूमि पर अतिक्रमण

495. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कुशलपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर के खसरा नम्बर 646 पुराना खसरा नम्बर 489 एवं ठिकाना सामोद के समय के खसरा नम्बर 2145 रकबा 68 एयर (2 बीघा 14 बिस्वा) गैरमुमकिन श्मशान जोगियान था? क्या उक्त शमशान भूमि पर सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधियां बनी हुई है एवं वृक्ष लगे हुए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जोगियान समाज द्वारा उक्त भूमि पर तारबंदी एवं पुख्ता दीवार की वर्ष 1994 में ग्राम पंचायत कुशलपुरा एवं ग्राम सभा से स्वीकृति प्राप्त कर तारबन्दी करवाई थी?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 18-7-98 को तहसीलदार चौमूं ने उक्त तारबन्दी को तुड़वादी है? यदि हां, तो किस आदेश/नियमों के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि के रिकार्ड में तरमीम कर शमशान/कब्रिस्तान दर्ज कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या अब इसकी रिकार्ड दुरुस्ती कर शमशान जोगियान दर्ज करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर श्री केदानमल पुत्र बंशीधर सुनार को अन्य ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा दिये गये पट्टे को जोगियान समाज ने न्यायालय से रद्द करवा दिया है?. क्या पट्टा निरस्ती के आदेश के बाद भी सुनार का कब्जा सरकार द्वारा नहीं हटाया जा रहा है? यदि हां, तो अब उक्त कब्जा कब तक हटा दिया जावेगा?

(6) क्या उक्त भूमि पर अब भी किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है? उक्त भूमि पर किन-किन का अवैध कब्जा है तथा उसको हटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

(7) क्या सरकार तहसीलदार द्वारा तोड़ी गई तारबन्दी में हुए नुकसान का मुआवजा जोगियान समाज को दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील चौमूं के ग्राम कुशलपुरा का खं. नं. 646 पुराना खं. नं. 489 का रकबा 0.68 हैक्टेयर गैमु. शमशान सिवाय चक दर्ज है एवं ठिकाना सामोद के समय की खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2017 के अनुसार ख.नं. 2145 गैमु. श्मशान दर्ज है। उक्त श्मशान भूमि पर मौके पर एक धूणी व एक समाधि है तथा एक वृक्ष है। उक्त समाधि कितनी पुरानी है इस का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। रेकार्ड के अनुसार श्मशान किसी जाति विशेष के नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

जोगी समाज के लोगों द्वारा उक्त स्थल का शमशान के रूप में उपयोग लिया जाता रहा है। जोगी समाज द्वारा एक वाद सं. 1474 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहां दिनांक 5.9.74 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद के निर्णय दिनांक 28.12.76 में उक्त न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि उक्त श्मशान सार्वजनिक श्मशान है इसलिये दावा खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय में यह भी अंकित है कि उक्त ख. नं. में 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर आबादी बस चुकी है।

(2) जी हां। जोगियान समाज द्वारा उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाने की स्वीकृति वर्ष 1994 में ग्राम पंचायत कुशलपुरा एवं ग्राम सभा से प्राप्त की थी। लेकिन उक्त जोगियान समाज द्वारा उक्त भूमि पर केवल वर्ष 1998 में तारबन्दी ही कराई थी।

(3) जी नहीं। इतना सही है कि दि. 18.7.98 को तहसीलदार चौमूं द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कुशलपुरा के एक पत्र दि. 16.7.98 के क्रम में उनके सहयोग से जनहित में रास्ते एवं सार्वजनिक चबूतरों की तारबन्दी जोगियान समाज की प्रतिनिधि श्री हेतराम की सहमति से उन्हीं के द्वारा ही हटवाई गई है।

(4) जी नहीं। पूर्व रेकार्ड में भी उक्त भूमि श्मशान दर्ज है तथा वर्तमान रेकार्ड में भी श्मशान दर्ज है। जिसमें कोई तरमीम नहीं की गई है। एक जाति विशेष के नाम श्मशान दर्ज कराने की कार्यवाही पीड़ित व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय के कार्यवाही कराने पर ही सम्भव हो सकता है।

(5) जी हां। उक्त भूमि पर श्री केदारमल पुत्र बंशीधर सुनार को दि. 13.9.66 को ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा दिये गये आदेश को न्यायालय अति. कलक्टर, द्वितीय, जयपुर द्वारा दि. 13.6.90 को निरस्त कर दिया गया ग्राम पंचायत को प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर यह निर्देश दिये गये कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत में नीहित है या नहीं। इस तथ्य की पूरी जांच कर नियमानुसार भूमि विक्रय के संबंध में आदेश पारित करें। ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही कर दिनांक 19.6.92 को निर्णय पारित कर दिया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय दि. 28.12.96 अनुसार उक्त ख. नं. में 1 बीघा 02 बिस्वा पर आबादी बसी हुई है। उक्त आबादी दो ग्रामों के मध्य अर्थात् कुशलपुरा व फतेहपुरा के मध्य से सटते हुए स्थित है।

(6) इस प्रकार उक्त भूमि पर नीचे अंकित विवरणानुसार पुराने कब्जे हैं : —

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	रकबा	अतिक्रमण की स्थिति
1.	खादी आश्रम	0.15	पुख्ता भवन
2.	कैलाश पुत्र केदारमल	0.01	पुख्ता कमरे
3.	रामेश्वर पुत्र भूरामल महाजन	0.01	कम्पाउण्डवाल
4.	हेतुराम, गोपाल पि. कल्ला जोगी	0.01	पुख्ता कमरा
5.	चीमाराम, मुरलीधर किशनलाल, पि. झांझू वगैरह	0.04	पुख्ता निर्माण
		0.22 हैक्टेयर	

(राजस्व मंत्री)

(7) जी नहीं। तहसीलदार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके संबंध में जोगियान समाज को कोई मुआवजा दिया जावे।

उदयपुर शहर को शुद्ध पेयजल

496. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मानक संस्थान ने उदयपुर शहर में रासायनिक अवयवों के मिश्रण के कारण भूजल स्रोत पेयजल के लिये असुरक्षित बताया है?

(2) क्या उदयपुर शहर के आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उक्त दूषित पेयजल का उपयोग किया जा रहा है?

(3) क्या सरकार उदयपुर शहर के वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार अब कब तक उक्त शहर के वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी?

उत्तर

(1) विभाग को इन संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणी की जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में उदयपुर शहर को एकान्तर प्रणाली से प्रतिदिन 55 एम.एल.डी. शुद्ध जल वितरित किया जा रहा है। 55 एम.एल.डी. में 43 एम.एल.डी. झीलों का पानी है जिसे उदयपुर में ही स्थापित जल संशोधन संयंत्रों से शुद्ध कर वितरित किया जाता है, शेष 12 एम.एल.डी. जल नलकूपों व खुले कुओं से निकालकर वितरित किया जाता है जिसकी भी गुणवत्ता की जांच की जाती है। तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही जल वितरित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जीवित पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण

617. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सितम्बर, 1996 के पूर्व के जीवित पेंशनरों के परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही भी सम्पन्न हो गई है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक पारिवारिक पेन्शन पुनरीक्षण की कार्रवाई सम्पन्न करेगी?

(2) वर्तमान में कितने राज्य कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है?

उत्तर

(1) 1 सितंबर, 1988 से 31 अगस्त 1996 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन संशोधित करने के लिये संबंधित कोषाधिकारियों को ही अधिकृत कर दिया गया है, अतः ये प्रकरण अब पेंशन विभाग में आने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य हेतु कोषाधिकारियों को 'रेडी रेकनर' भी राज्य सरकार द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया गया

(वित्त मंत्री)

है जिससे पारिवारिक पेंशन संशोधन का कार्य सुविधा से हो जायेगा। सितंबर, 1988 से पूर्व के जीवित पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है, व पेंशन विभाग द्वारा पेंशन संशोधन के साथ ही पारिवारिक पेंशन संशोधन का कार्य किया जा रहा है।

(2) वर्तमान में पारिवारिक पेशनरों की संख्या लगभग 55 हजार है।

निगमों/मण्डलों में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति

618. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)** : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार के गठन के समय कई निगमों/मण्डलों आदि में पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य थे? यदि हां, तो किस-किस निगम व मण्डल आदि में कौन-कौन नियुक्त थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यक्षों/सदस्यों के स्थान वर्तमान सरकार के गठन के बाद रिक्त हुये हैं? यदि हां, तो किन-किन का कब-कब किस-किस प्रकार से?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में नियुक्त कई अध्यक्ष/सदस्य अभी भी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन और क्यों तथा इनको अब कब तक किस प्रकार से हटाया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	बिन्दु सं.1	बिन्दु सं.2	बिन्दु सं.3
1	2	3	4	5
1.	राज. वित्त निगम	जी हां, 1. श्री सुरेन्द्र कुमार, IAS दि. 23.9.98 से 16.3.99 (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) 2. श्री पी.एन. भंडारी, IAS दि. 17.10.98 से 16.12.98 (निदेशक)	सरकार के गठन के बाद निगम में संचालक मंडल के एक निदेशक का पद रिक्त हुआ है जो दि. 30.3.99 के राज्य सरकार के आदेश सं. 10(34) उद्योग/1/74 दि. 30.3.99 के तहत श्री कैलाश भंसाली को हटाये जाने के आदेश द्वारा हुआ है।	जी हां, पूर्व में नियुक्त निम्नांकित सदस्य अभी भी कार्यरत हैं :— 1. श्री आदर्श किशोर, IAS 2. श्री जी. एस. सन्धू IAS उपरोक्त सदस्य राज्य सरकार, राज्य वित्त निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त करती एवं हटाती है।

1	2	3	4	5
		3. श्री आदर्श किशोर, IAS दि. 25.11.93 से लगातार (निदेशक) 4. श्री जी. एस.. सन्धू, IAS दि. 9.8.95 से लगातार (निदेशक) 5. श्री कैलाश भंसाली दि. 28.7.95 से 30.3.99 (निदेशक)	वर्तमान में सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य कार्यरत है : — 1. श्रीमती कुशलसिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक IAS 2. श्री अरविन्द मायाराम, निदेशक IAS 3. श्री आदर्श किशोर, निदेशक IAS 4. श्री जी. एस. सन्धू, निदेशक IAS	श्री आदर्श किशोर, प्रमुख वित्त सचिव होने के कारण तथा श्री जी. एस. संधू, प्रबन्ध निदेशक, रीको होने के कारण सदस्य बनाए गए हैं।
2.	राज. राज्य खान एवं खनिज निगम लि.	जी हां, वर्तमान सरकार के गठन के पूर्व एवं पश्चात् जो अध्यक्ष/सदस्य थे वे ही अध्यक्ष/सदस्य वर्तमान में भी कार्यरत हैं।	नहीं, कोई पद रिक्त नहीं हुए हैं।	जी हां, 1. श्री अरूण कुमार, मुख्य सचिव (राजस्थान सरकार) IAS अध्यक्ष 2. श्री के.एस. मणी, IAS प्रबन्ध निदेशक 3. श्री राजीव शर्मा, IAS निदेशक इनकी नियुक्ति व पदावधि राज्यपाल महोदय के सहर्षानुसार होती है।
3.	राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	संस्थान में वर्तमान सरकार के गठन के समय अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के	जी हां, वर्तमान सरकार के गठन के बाद इस संस्थान के प्रभारी संचालक जो कि संचालन	जी हां। पूर्व में नियुक्त संचालक मंडल के वर्तमान में कार्यरत सदस्य

1	2	3	4	5
		सभी सदस्य राजकीय सेवारत अधिकारी थे।	मंडल के अध्यक्ष भी हैं, का स्थानान्तरण हो जाए पर विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (राजस्व) को पदेन प्रभारी संचालत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।	निम्नानुसार हैं : — 1. श्री पी.के. देव, सचिव, सिंचाई विभाग IAS सदस्य 2. श्री बी.एल. आर्य, IAS आबकारी आयुक्त सदस्य 3. श्री आर.के. अग्रवाल, राज. राज्य विद्युत मंडल (Ex-IAS) सदस्य 4. श्रीमती सीमा बहुगुणा, निदेशक, उद्योग विभाग IAS सदस्य 5. श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल तकनिकी निदेशक, कृषि IAS सदस्य 6. श्री विनोद कपूर, तत्कालीन ज़िलाधीश, IAS श्रीगंगानगर सदस्य क्र.सं. 5 व 6 के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदस्थापित अधिकारीगण को नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
4.	राज. लघु उद्योग निगम लि.	जी हां, निगम के संचालक मंडल में निगम की साधारण सभा दि. 3.1.98 में निम्न 5 व्यक्तियों को अशासकीय संचालक नियुक्त किया गया : — 1. श्री अरविन्द कालिया, जयपुर 2. श्री चम्पालाल सलेचा, जोधपुर 3. श्री रघुनाथ प्रसाद गोयल, कोटा 4. श्री सोहनलाल बैद, बीकानेर 5. श्री अनिल गोधा, उदयपुर	जी हां, 5 सदस्यों में से 3 सदस्यों यथा सर्व श्री चम्पालाल सलेचा, रघुनाथ प्रसाद गोयल एवं अरविन्द कालिया ने राज्य सरकार में परिवर्तन के फलस्वरूप निगम के संचालक मंडल की सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार तीन पद रिक्त हुए हैं।	शेष दो व्यक्ति सर्व श्री सोहनलाल बैद, बीकानेर एवं अनिल गोधा, उदयपुर संचालक मंडल में सदस्य के रूप में अभी भी कार्यरत हैं क्योंकि इन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। इन दोनों सदस्यों के मनोनयन की अभिशंषा राज्य सरकार द्वारा वापिस ले ली है। फलस्वरूप निगम द्वारा कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर इन्हें निगम के संचालक मंडल से हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
5.	राज. पर्यटन विकास निगम लि.	वर्तमान सरकार के गठन के समय राज. पर्यटन विकास निगम में अध्यक्ष सदस्य पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त थे : — 1. श्री गजसिंह, भूतपूर्व नरेश जोधपुर, अध्यक्ष 2. श्री ज्योतिन्द्र,	राज. पर्यटन विकास निगम में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति दि. 31.12.98 तक की गई थी। दि. 1.1.99 से अध्यक्ष/सदस्यों के स्थान रिक्त हैं।	अध्यक्ष/सदस्य का स्थान दि. 1.1.99 से रिक्त है।

संचालक

1	2	3	4	5
		3. श्री हनुमान सिंह, संचालक 4. श्री वी.के. गोस्वामी भू.पू. महानिदेशक, पर्यटन विभाग-भारत सरकार, संचालक 5. श्री केसरीसिंह मण्डावा, संचालक 6. श्री प्रभू मंधाना, अध्यक्ष, (होटल एसोसियेशन, राज), संचालक 7. श्री सुनील अरोड़ा, IAS शासन सचिव, पर्यटन, संचालक 8. श्री आर.सी. सोनी, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, संचालक 9. श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, IAS निदेशक, पर्यटन विभाग, संचालक 10. श्री गोविन्द शर्मा, IAS विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग, संचालक 11. श्री आशीष बहुगुणा, IAS प्रबन्ध निदेशक, राज. पर्यटन विकास निगम, संचालक		
6.	राज. राज्य हाथकर्घा विकास निगम लि.	निगम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक है, जो आई.ए.एस. है।	संचालक मंडल में तीन गैर सरकारी सदस्य थे, जिनको राज्य सरकार के आदेश दि. 27.3.99 के द्वारा संचालक मंडल से हटाया जा चुका है व	निगम में वर्तमान में कोई गैर सरकारी सदस्य कार्यरत नहीं है।

1	2	3	4	5
			इन तीनों सदस्यों के स्थान पर नई नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई है।	
7.	रीको	जी हां, वर्तमान सरकार के गठन के समय निगम के संचालक मंडल पर सर्व श्री लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, सुनील भार्गव, गौतम चन्द कोठारी, सतीश अजमेरा, नरपतमल लोढा एवं श्रीमती कांता आहूजा, गैर सरकारी संचालक नियुक्त थे। अध्यक्ष पद पर कभी भी गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया।	जी हां, 6 गैर सरकारी संचालकों को पद से हटा दिया है। 6 पद संचालक मण्डल में रिक्त हुए हैं।	जी नहीं।
8.	राज. राज्य भंडार व्यवस्था निगम लि.	जी हां, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, टी.टी. कार्यरत थे। वर्तमान सरकार के आदेशानुसार श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, टी.टी. के स्थान पर श्री एन.आर. भसीन, IAS शासन प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को भंडार व्यवस्था निगम का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक नियुक्त किया गया है।	बिन्दु सं. 1 पैरा (1) के अनुसार है।	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, टी.टी. द्वारा निगम के अध्यक्ष पद से हटाने के विरुद्ध राज. उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 11/98 दायर कर रखी है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश के द्वारा स्थगन आदेश

1	2	3	4	5
		दी वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 के अन्तर्गत संचालक मण्डल में 5 सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा एवं 5 सदस्यों का मनोनयन केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 5 संचालकों में से एक संचालक श्री महेश पेडीवाल गैर शासकीय सदस्य हैं एवं शेष शासकीय अधिकारीगण हैं।		जारी कर रखा है कि याचिकाकर्ता कार्यालय अटेन्ड नहीं करेंगे, परन्तु उन्हें देय सुविधाएं चालू रहेगी। उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।
9.	राज. भूमि विकास निगम लि.	राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा 8(क) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित राज्य सरकार का सचिव निगम का अध्यक्ष होगा।	जी नहीं।	जी नहीं।

1	2	3	4	5
		वर्तमान में शासन सचिव, सिंचित क्षेत्रीय विकास निगम के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सदस्य नियुक्त नहीं है।		
10.	राज. राज्य होटल निगम लि.	संचालक मंडल एवं उसके सदस्यों का कार्यकाल दि. 30.11.98 को समाप्त हो गया था।	जी हां, संचालक मंडल के अध्यक्ष/सदस्यों के स्थान दि. 1.12.98 से रिक्त हैं।	वर्तमान संचालक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास दि. 1.12.98 को प्रेषित किये हुए हैं।
11.	राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।
12.	राज. राज्य खनिज विकास निगम लि.	निगम की स्थापना से ही अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही प्रतिनियुक्ति पर आते रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक दि. 28.9.1998 से इस पद पर कार्यरत हैं।	जी नहीं।	जी हां। प्रश्न एक के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं होता है।
13.	राज. राज्य विद्युत मंडल	कोई गैर सरकारी सदस्य नियुक्त नहीं है।	सदस्य (प्रसार एवं वितरण) राज. राज्य विद्युत मंडल का पद	प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राज. राज्य विद्युत मंडल में केवल

1	2	3	4	5
			दि. 31.3.99 से श्री के.वी. सोलंकी सदस्य (प्रसारण एवं वितरण) की नियुक्ति समाप्त कर देने के कारण रिक्त हुआ है।	सरकारी अधिकारियों को पद नाम से नियुक्त किया हुआ है।
14.	राज. राज्य पावर कार्पोरेशन लि.	कोई गैर सरकारी सदस्य नियुक्त नहीं है।	कोई पद रिक्त नहीं है	निगम में केवल सरकारी अधिकारियों को पद नाम से नियुक्त किया हुआ है।
15.	राज. राज्य पथ परिवहन निगम लि.	जी नहीं। निगम संचालक मंडल में तीन अशासकीय संचालकों के पद दि. 31.3.97 से रिक्त चल रहे थे। राज्य शासन की अधिसूचना दि. 6.4.99 को तीन अशासकीय संचालकों की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए कर दी गई है।	जी नहीं। बिन्दु सं. 1 के अनुसार।	जी नहीं।
16.	राज. राज्य कृषि उद्योग निगम लि.	विभाग से जानकारी प्राप्त होना शेष है।		
17.	राज. राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि.	वर्तमान सरकार के गठन के समय इस निगम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक थे जो कि	दि. 31.3.99 को पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक का स्थानान्तरण हो गया है	प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के अनुरूप।

1	2	3	4	5
		सरकार के अधिकारी हैं।	व उनके स्थान पर दूसरे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक ने कार्यभार संभाल लिया है एवं वे भी राज्य सरकार के अधिकारी हैं।	
18.	राज. बीज निगम लि.	राज्य निगम के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल राजस्थान व नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि. को निगम के कुल निदेशकों के एक तिहाई निर्देशकों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदत्त है। इसके तहत राज्यपाल द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं जिनमें एक सदस्य कृषि उत्पादन सचिव होंगे जो निगम के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे सदस्य के रूप में निदेशक कृषि को प्रबन्ध निदेशक के पद पर मनोनीत किया जाता है।	वर्तमान में सरकार के गठन के समय राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष/सदस्य निम्न प्रकार थे/हैं : — 1. श्री सी.एस. राजन, अध्यक्ष IAS (पूर्व कृषि सचिव) 14.12.98 तक 2. श्री एन.आर. भसीन, अध्यक्ष IAS (पूर्व प्रमुख कृषि सचिव) 14.12.98 से 22.3.99 3. श्री अतुल कुमार गर्ग, अध्यक्ष IAS (वर्तमान कृषि सचिव) 22.3.99 से लगातार सदस्य (प्रबन्ध निदेशक) 1. श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक IAS (पूर्व कृषि निदेशक) 24.3.99 तक 2. श्री खेमराज चौधरी, प्रबन्ध निदेशक IAS में (वर्तमान कृषि निदेशक) 24.3.99 से लगातार	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष व सदस्य निम्न हैं : — 1. श्री अतुल कुमार गर्ग, अध्यक्ष IAS (कृषि उत्पादन सचिव) 2. श्री खेमराज चौधरी, IAS प्रबन्ध निदेशक (कृषि निदेशक) निगम के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल को उक्त को हटाने व मनोनीत करने का एकाधिकार है नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि. द्वारा वर्तमान में एक सदस्य निदेशक मण्डल में मनोनीत है। निगम के शेष सदस्य निगम की साधारण सभा

1	2	3	4	5
				में निगम के अंशधारी सदस्यों द्वारा चक्रक्रम के आधार पर निगम कम्पनी अधिनियम 1956 एवं निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिऐशन के प्रावधानों के अन्तर्गत चयन किया जाता है। इन सदस्यों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति एवं हटाने की कार्यवाही निगम की साधारण सभा में अंशधारी सदस्यों के पारित प्रस्तावानुसार की जाती है। यह सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की श्रेणी में नहीं आते। वर्तमान में संचालक मंडल का गठन निम्न प्रकार से है : — 1. श्री अतुल कमार गर्ग, अध्यक्ष IAS (कृषि उत्पादन सचिव) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। 2. श्री खेराज चौधरी, प्रबन्ध निदेशक (कृषि निदेशक) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत।

1	2	3	4	5
				3. श्री विनय कुमार चौहान, निदेशक नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि. द्वारा मनोनीत।
				4. डा. ए.के. सिंह, निदेशक, IAS साधारण सभा द्वारा चयनित
				5. श्री आर.के. कौल, कैजुवल निदेशक (आकस्मिक नियुक्ति) संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति
				6. श्री नारायण सिंह राठौड़, निदेशक साधारण सभा द्वारा चयनित
				7. श्री बगदीराम रायका, निदेशक साधारण सभा द्वारा चयनित
				8. श्री आशाराम डागा, निदेशक साधारण सभा द्वारा चयनित
				9. श्री मुकुट बिहारी खण्डेलवाल, निदेशक साधारण सभा द्वारा चयनित

1	2	3	4	5
				10. श्री अंग्रेजसिंह, निदेशक साधारण सभा द्वारा चयनित
19.	राजस्थान आवासन मंडल	जी हां।	जी हां। 1. अधिसूचना क्रमांक प. 8(6)नविआ/ 11/72, दि. 11.12.98 के द्वारा श्री सत्यनारायण गुप्ता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा राज्य सरकार को दि. 30.11.98 को प्रस्तुत त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया। 2. अधिसूचना क्रमांक प8(6) नविआ/11/72, दि. 15.1.99 के द्वारा श्री पुष्प जैन, एडवोकेट पाली, सदस्य, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा दि. 4.12.98 को प्रस्तुत त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। 3. अधिसूचना क्रमांक प8(16) नविआ/ 11/72	जी हां। राजस्थान आवासन मंडल में अधिसूचना दि. 12.12.97 (प8)(6) नविआ/ 11/72 के द्वारा श्री बलदेव सिंह सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख आवासन एवं नगर विकास निगम (हुडको) के मंडल में गैर सरकारी सदस्य के रूप में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। वह हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख हैं इन्हें कार्यकाल से पूर्व हटाने का कोई विचार नहीं है।

1	2	3	4	5
			दि. 25.1.99 के द्वारा श्री भवानी सिंह, राजावत कोटा, सदस्य, राज. आवासन मंडल द्वारा दिनांक 22.12.98 को प्रस्तुत त्याग पत्र तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। 4. अधिसूचना क्रमांक प. 8(6)रविआ/ 11/72 दिनांक 26.2.99 के द्वारा राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 6(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मंडल में नियुक्त गैर सरकारी सदस्यों सर्व श्री चुन्नीलाल रतवाया, श्रीगंगानगर, गुल मोहम्मद, जयपुर एवं बनवारी लाल दुसाद, जयपुर को हटाया गया।	
20.	राजस्थान जल विकास निगम लि.	वर्तमान सरकार के गठन के समय इस निगम में केवल राजकीय अधिकारी ही पदेन रूप से अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त थे।	नहीं।	बिन्दु संख्या 1 में दिये गये प्रत्युत्तर के अनुसार केवल राजकीय अधिकारी ही अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त है।

केसर कस्तूरी का बन्द उत्पादन

619. **श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शूगर मिल्स लि. में "केसर कस्तूरी" के नाम से विख्यात शराब का उत्पादन बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? उत्पादन बन्द होने से प्रतिमाह आय में कितनी कमी हुई है ?

(2) क्या इसके पीछे पत्ती आपूर्ति वाली फर्मों व अधिकारियों का षड़यन्त्र है ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड की केसर पत्ती आपूर्ति न होने के कारण केसर कस्तुरी मदिरा का निर्माण जी.एस.एम. द्वारा नहीं किया जा रहा है। जहां तक आय की कमी का प्रश्न है कोई राजस्व हानि नहीं हुई है क्योंकि अनुज्ञाधारी को नियमानुसार मासिक राशि की पूर्ति करनी होती है एवं वह किसी किस्म विशेष की मदिरा की आपूर्ति हेतु मांग नहीं कर सकता।

(2) जी नहीं।

मदिरालय कोटा की देशी मदिरा की पैकिंग में अनियमितताएं

620. **श्री नाथूराम (डूंगरपुर) एवं श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शूगर मिल्स लि. के कोटा स्थिर मदिरालय से तैयार पाउचों में कम शराब भर कर शेष बची शराब को अवैध रूप से ब्लैक में बेची जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. में पाउच में कम शराब भरने, स्प्रिट की छीजत अधिक बताने, कार्क सही नहीं लगाने, बोतल पर लेबल नहीं लगाने व खुदरा मूल्य अंकित नहीं करने व परिवहन में भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें सरकार की जानकारी में लाई जा रही हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नहीं।

(2) शिकायतों की जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। राजकीय राजस्व को सुरक्षित करने के लिए मदिरा ठेकों के लिए एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली लागू की हुई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत मदिरा का खुदरा विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रावधान नहीं किया जा सकता एवं न ही नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है। अतः देशी मदिरा बोतलों व पाउचों पर खुदरा विक्रय मूल्य अंकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। परिवहन में भ्रष्टाचार की शिकायत के निराकरण हेतु परिवहन कार्य 1.4.98 से संस्थान के ट्रकों से ही किया जा रहा है। कार्क सही नहीं लगने की शिकायतें दूर करने हेतु एल. एण्ड टी. कैप्स का प्रयोग शुरू किया गया है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स

(श्री ललित भाटी)

(6) क्या सरकार उक्त ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) अब उक्त लाइन को कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कानरपुरा एवं धिनोई ग्राम पंप एवं टैंक योजना से लाभान्वित है।

(2) पाइप लाइन टेस्टिंग के समय तीन जगह से लीक थी जो ठेकेदार द्वारा ठीक कर दी गई है।

(3) जी नहीं। ठेकेदार द्वारा लाइन की टेस्टिंग करवाकर ही लाइन डालने का भुगतान किया गया था।

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

(5) जी नहीं। जलप्रदाय योजना कानरपुरा ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी गयी है एवं संधारण के अंतर्गत इसका संधारण ग्राम पंचायत के अधीन है।

(6) जी नहीं।

(7) लाइन ठीक कर दी गई है।

जिला जालौर के वर्क चार्ज कर्मियों की पदोन्नति

625. श्री गणेशी राम मेघवाल (जलोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जालौर में कितने वर्क चार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या वर्क चार्ज कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति का प्रावधान है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(2) उक्त जिले में गत तीन वर्षों में कितने वर्क चार्ज कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत हुए ?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मियों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की पक्षधर है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में लगभग 894 वर्क चार्ज\ नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्कचार्ज कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान सेवा नियमों में नहीं है।

(2) उक्त जिले में पिछले तीन वर्षों में वर्कचार्ज कर्मचारियों से कोई पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर नहीं की गई है।

(3) जी नहीं।

महेश नगर जयपुर की पेयजल योजना

626. श्री यशवन्त सिंह (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बैंक कालोनी एवं महेश नगर जयपुर में जलदाय विभाग द्वारा पीने का पानी सप्लाई नहीं किया जाता है ?

(श्री यशवन्त सिंह)

(2) क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्र के लिए कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कृषि भूमि में पेयजल योजना हेतु सहभागिता योजना की शर्तें पूर्ण करने पर योजना क्रियान्वित की जाती है। जिसके तहत भूखण्ड मालिकों द्वारा रु. 15 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से राशि विभाग में जमा कराने पर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

नारू उन्मूलन परियोजना के वाहन चालक

627. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997 से मार्च, 1999 तक नारू उन्मूलन परियोजना जयपुर में किन-किन वाहन चालकों ने अनुबन्ध पर कार्य किया? अब उन्हें किन कारण से सेवा से पृथक किया गया? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वाहन चालकों को सीजन भत्ता दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कितना?

(3) उक्त विभाग में कितने वाहन चालकों के पद स्वीकृत और उनमें से कितने रिक्त हैं? उक्त विभाग में वाहन चालकों की नियुक्ति के क्या मानदण्ड हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1997 से मार्च 1999 तक जिन वाहन चालकों ने राजस्थान एकीकृत नारू उन्मूलन परियोजना के जयपुर स्थित कार्यालय में अनुबन्ध पर कार्य किया है उनकी सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शायी है।

(2) जी नहीं। परियोजना में अनुबन्ध पर रखे गये वाहन चालकों को सीजन भत्ता देने का प्रावधान नहीं है।

(3) नारू उन्मूलन परियोजना में इस समय वाहन चालक के दो पद स्वीकृत हैं व दोनों ही भरे हुए हैं। वाहन चालक की नियुक्ति के लिये आवेदक के पास वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स व 7 वर्ष का अनुभव अथवा आई.टी.आई. संस्थान से आटोमोबाईल ट्रेड युक्त मय वैद्य ड्राइविंग लाईसेन्स व 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

बाढ़ बचाव कार्य मोरीजा (जयपुर) की जांच

628. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सिंचाई खण्ड जयपुर द्वारा कराये गये बाढ़ बचाव कार्य मोरीजा की कोई जांच की थी?

(श्री कालूलाल खटीक)

(3) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में इस आदेश की पालना नहीं की जाकर इस प्रकरण को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति वर्षवार डी.पी.सी. द्वारा दी गई/रिन्यू की गई? यदि हां, तो इस आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के कितने पद रिक्त हुए?

(5) राजस्थान पुलिस में हिन्दी प्रथमा पास कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या हिन्दी प्रथमा पास किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों एवं इन्हें अब तक पदोन्नति दे दी जायेगी?

(6) क्या उक्त विभाग में हिन्दी प्रथमा पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति देने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां पुलिस विभाग में अन्य विभाग की भांति वर्ष 1985 से पूर्व हिन्दी प्रथमा पास से सैकण्डरी के समकक्ष मान कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1957 के नियम-12 के उप नियम (2) के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार के आदेश एफ 4(17)सा.प्र.ख/60/जयपुर दिनांक 13.5.74 के अनुसार योग्य माना जाकर दी गई है। जो दिनांक 1.4.85 तक मान्य रही। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.12.87 द्वारा उक्त अभिव्यक्ति जो पूर्व में दिनांक 1.4.85 तक विलोपित थी, के स्थान पर दिनांक 28.6.85 तक विलोपित करने का संशोधन जारी किया गया।

(2) जी हां। राज्य सरकार के उक्त परिपत्र/आदेश दिनांक 13.5.74 से दिनांक 28.6.85 की मध्य अवधि में मंत्रालयिक सेवा नियम-1957 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1963 के प्रावधानुसार पदोन्नति दी जाती थी।

(3) यह सही नहीं है। विभाग में उक्त आदेश की पालना में दिनांक 28.6.85 से पूर्व योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित 15 प्रतिशत अभ्यांश की रिक्तियां उपलब्ध होने पर पदोन्नति दी गई है एवं आदेश की पालना की है। तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.12.87 से बन्द किया जा चुका है।

(4) जी हां। विभाग ने कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति वर्षवार डी.पी.सी. आयोजित की गई, जिसमें कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार 15 प्रतिशत अभ्यांश के अन्तर्गत पदोन्नति दी जा चुकी है। वर्ष 82-83 से 92-93 तक की रिव्यू डी.पी.सी. दिनांक 15.3.93 को आयोजित किये जाने पर कनिष्ठ लिपिकों की रिक्तियों में कोई अन्तर नहीं आया है। वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक

(गृह मंत्री)

पद की डी.पी.सी. दिनांक 16.3.99 को आयोजित की जा चुकी है, पदोन्नति आदेश जारी होने पर रिक्तियों का निर्धारण संभव है।

(5) विभाग में हिन्दी प्रथमा पास कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्ष 1985 के पश्चात् किसी भी हिन्दी प्रथमा पास कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी गई है। सूची संलग्न है।

(6) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.12.87 एवं परिपत्र एफ-3(45) कार्मिक (क-2)84 दिनांक 9.7.98 के दिशा/निर्देशानुसार कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

कोतवाली चूरू में दर्ज हत्या प्रकरण

632. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय चूरू पर एक युवक की दिन दहाड़े हत्या की गई? क्या इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 345/98 कोतवाली में दर्ज है? यदि हां, तो नामजद अभियुक्तों को पकड़ने हेतु पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की? क्या अभियुक्त पकड़ लिये गये हैं यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि हत्या के चश्मदीद गवाह श्री जगदीश यादव पुत्र तनसुख यादव, निवासी चूरू को बयान दिये जाने के नाम पर पुलिस उप अधीक्षक (सी.आई.डी.सी.बी.) बीकानेर में कई बार बुलाया गया तथा वहां उसे नामजद हत्या के अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी? क्या श्री जगदीश यादव ने जान माल की रक्षा व चूरू आकर बयान लेने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र उप अधीक्षक सी.आई.डी.सी.बी. बीकानेर को दिया? यदि हां, तो पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि हत्या के चश्मदीद गवाहों के न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू के समक्ष बयान दर्ज हुए? यदि हां, तो क्या? क्या पुलिस उक्त बयानों को आधार मानती है या नहीं?

(4) क्या यह भी सही है कि बनवारी हत्याकाण्ड के विरोध में चूरू शहर में कई धरने व प्रदर्शन हुए? यदि हां, तो क्या सरकार हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु कोई विशेष पुलिस दल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि जिला मुख्यालय चूरू पर दिन दहाड़े युवक की हत्या की गई बल्कि दिनांक 24.10.98 को रात्रि 12.40 ए.एम. पर श्री दीन दयाल ब्राह्मण ने सदर कोतवाली चूरू में अपने भाई बनवारी व जगमोहन को मुलजिमान रामलाल वगैरा द्वारा जबरदस्ती जीप में डालकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पर अभियोग संख्या-345/98 द्वारा 365 भा.दं.सं. में दर्ज किया गया तथा

(गृह मंत्री)

अभियुक्तों की तत्परता से तलाशी के दौरान रात्रि 3 बजे जगमोहन उर्फ जगदीश ने कोतवाली चूरू में आकर बताया कि रामगढ़ के पास बनवारी लाल की हत्या करके उसकी लाश धानुका अस्पताल फतेहपुर में डाल दी है जिस पर अभियोग में धारा 302 भा.दं.सं. जोड़ी गई। अनुसंधान के दौरान अब तक अभियुक्तगण किशोरदान, कल्याणसिंह, मदन सिंह, रजनीश उर्फ रोबर्ट व इलियास को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध दिनांक 22.1.99 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की तत्परता से तलाश की जा रही है तथा अनुसंधान 173(8) जा.फो. के अन्तर्गत लम्बित है।

(2) उक्त अभियोग के चश्मदीद गवाह जगदीश यादव को अनुसंधान हेतु दिनांक 22.3.99, 30.3.99, 9.4.99 को बीकानेर रेंज कार्यालय में अनुसंधान हेतु थानाधिकारी कोतवाली चूरू के माध्यम से बुलाया गया था, परन्तु उक्त गवाह उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 23.3.99 को श्री जगदीश यादव ने एक प्रार्थना-पत्र पुलिस उप अधीक्षक, क्राईम ब्रान्च सी.आई.डी. (सी.बी.) बीकानेर को सम्बोधित करते हुए लिखा गया था जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी के पूर्व में धारा 164 जा.फो. के बयान न्यायालय में हो चुके हैं, उन्हें सही माना जावे, यदि फिर भी आवश्यक हो तो मेरे बयान चूरू में आकर लेने का कष्ट करें। बीकानेर जाने पर जान से मारने का खतरा है। अनुसंधानकर्ता अति. पुलिस अधीक्षक अनुसंधान हेतु चूरू गये परन्तु गवाहान उपस्थित नहीं हुए। अब इस अभियोग के अनुसंधानकर्ता अधिकारी को अभियोग का अनुसंधान चूरू जाकर शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

पुलिस थाना चौमूं में दर्ज प्रकरण की जांच

633. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1996 में पुलिस थाना चौमूं में 498-ए के कितने मुकदमे दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमों में से किसी एक मुकदमें में राज्यादेश/पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच के आदेश दिये गये थे यदि हां, तो कब-कब? क्या आदेशों की पालना हुई? यदि हां, तो की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की मिली भगत के सम्बन्ध में भी शिकायत दर्ज थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि मिली भगत से एक वरिष्ठ नागरिक पीड़ित रहा?

(5) क्या यह भी सही है कि वरिष्ठ नागरिक ने तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं

(श्री बाबूलाल नागर)

महानिदेशक से इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की जांच के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो वरिष्ठ नागरिक को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 में थाना चौमूं में 498 ए. ता. हि. के अन्तर्गत कुल 7 अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं। उक्त प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सूची में वर्णित अभियोग संख्या 479/96 धारा 498 ए, 406, 363, 344 ताहि. थाना चौमूं में पीड़िता श्रीमती अनिता जैन के प्रति राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा एक परिवाद दिनांक 17.9.96 को महानिदेशक पुलिस महो. के कार्यालय में पेश किया। उक्त प्रकरण का अनुसंधान उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज (प्रथम) के कार्यालय के अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.96 से 31.5.97 तक करवाया गया। अनुसंधान से पीड़िता अनिता जैन के ससुर गंगाबक्श, पति राजेन्द्र कुमार, जेठ प्रदीप कुमार, जेठानी श्रीमती चन्दा, देवर रविन्द्र कुमार जैन, देवरानी श्रीमती लक्ष्मी जैन के खिलाफ धारा 498 ए, 406 ताहि. का जुर्म प्रमाणित मानते हुये चालान पेश करने के निर्देश दिये एवं दिनांक 14.10.97 को महानिरीक्षक पुलिस (सतर्कता) द्वारा भी उक्त अपराध प्रमाणित पाये जाने पर शीघ्र चालान पेश करने के आदेश दिये।

(3) यह सही है कि तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गंगाबक्श द्वारा शिकायत की गई थी किन्तु उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज (प्रथम) के अधिकारी द्वारा अनुसंधान करने पर तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी की मिलीभगत होना नहीं पाया गया। पीड़िता अनिता जैन के ससुर श्री गंगाबक्श ने एक परिवाद दिनांक 4.3.97 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पेश किया था। जो जांच से असत्य होना पाया गया।

(4) यह सही नहीं है। वरिष्ठ नागरिक स्वयं श्री गंगाबक्श जैन व उसके परिवार वाले श्री राजेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, श्रीमति चन्दा, श्री रविन्द्र कुमार, श्रीमती लक्ष्मी, द्वारा श्रीमती अनिता जैन को दहेज के लिये यातनायें देना प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त सभी मुलजिमानों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

(5) वरिष्ठ नागरिक गंगाबक्श जैन ने एक परिवाद दिनांक 4.3.97 को तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय को थानाधिकारी चौमूं के विरुद्ध भ्रष्टाचार व मिली भगत होने का पेश किया था जिसकी जांच वृत्ताधिकारी चौमूं से करवाने पर परिवाद में अंकित तथ्य सत्य नहीं पाये गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पुलिस थाना सदर धौलपुर में दर्ज अपहरण प्रकरण

634. **श्रीमती कमला बृजलाल** (सपोटरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना सदर, धौलपुर में गत वर्ष अपहरण एवं डकैती के कितने मुकदमे दर्ज हुए?

(श्रीमती कमला बृजलाल)

(2) उक्त में से कितने मुकदमों का निस्तारण हो चुका है व कितने शेष हैं? शेष प्रकरणों का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सिघावली के प्रार्थी द्वारा थाना सदर धौलपुर में दर्ज अपहरण के मुकदमें में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो अब कब तक इस अपहरण का पता लगा लिया जायेगा?

उत्तर

(1) पुलिस थाना सदर जिला धौलपुर में गत वर्ष (1998) में डकैती का कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ। अपहरण के केवल दो अभियोग अ.सं. 57/98 व 111/98 दर्ज हुए थे।

(2) अभियोग सं. 57/98 धारा 365 भा.द.सं. थाना सदर में अभियुक्त जब्बार पुत्र शम्भू मुसलमान नि. होद कस्बा बाडी का दिनांक 23.10.98 को न्यायालय में चालान किया गया व अभियोग सं. 111/98 धारा 365 भा.द.सं. थाना सदर में नतीजा आखिरी एफ.आर. नं. 32 दिनांक 1.7.98 का अदम पता अपहृत बालक दिया गया जो न्यायालय एसीजेएम. धौलपुर से दिनांक 1.2.99 को स्वीकृत हो चुकी है। अब कोई प्रकरण निस्तारण हेतु शेष नहीं है।

(3) दिनांक 7.4.98 को श्री मोहन सिंह पुत्र श्री बाबूलाल जाति लोधा निवासी सिघावली ने लिखित रिपोर्ट दी कि उसका भाई महेश उम्र 15 साल दिनांक 15.3.98 की शाम के 8.30 बजे से लापता है। जिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट अंकित कर महेश की पुलिस द्वारा तलाश करवाई गई। उसके भाई महेश के गायब होने के बाद दिनांक 8.4.98 को एक बैरंग पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा 2 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई आदि पर अभियोग सं. 111/98 धारा 365 भा. दं.सं. थाना सदर धौलपुर में पंजिबद्ध किया गया अनुसंधान पुलिस से महेश द्वारा घर से स्वयं का जाना पाया गया। अनुसंधान के बाद अभियोग में एफ.आर. अदम पता में दिनांक 1.7.98 को दी जाकर न्यायालय में पेश की गई संबंधित न्यायालय द्वारा एफ.आर. स्वीकृत की गई महेश की पतारसी के लिये थानाधिकारी थाना सदर धौलपुर द्वारा इस्तीहार मय फोटो के प्रसारित की गई। महेश की अभी तक पुलिस द्वारा समय-समय पर पतारसी जारी है।

आर्म्स/सिविल पुलिस में पदस्थापन के नियम

635. **श्री अशोक तंवर** (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर्म्स पुलिस एवं सिविल पुलिस कर्मियों को थानों में पदस्थापित किया जाता है?

(2) क्या सरकार द्वारा इसके लिये कोई नीति बनाई हुई है? यदि हां, तो नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों सेवाओं के कर्मियों को बिल्कुल अलग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस थानों पर सिविल पुलिस कर्मियों का ही पदस्थापन किया जाता है। पुलिस थानों पर सी.पी. के ही पद स्वीकृत होते हैं। ए. पी. का पद स्वीकृत नहीं होता है।

(2) पुलिस थानों पर ए. पी. के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई नीति होने या न होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी नहीं।

टाटियावास (आमेर) की चरागाह भूमि

636. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) ग्राम टाटियावास, ग्राम पंचायत रामपुरा-डाबड़ी तहसील आमेर के खाते में कुल कितने बीघा चरागाह भूमि है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम टाटियावास की चरागाह भूमि के खसरा नं.-663 व 664 पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो क्या अतिक्रमी को बेदखल कर दिया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि एक अतिक्रमी का अतिक्रमण हटाकर मौके पर पत्थरगढ़ी की गयी जिसे अतिक्रमी द्वारा उठाकर फेंक दिया गया? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में रिपोर्ट पुलिस थाना चौमूं में दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 13.2.99 को ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त खसरा नं. में किसी प्रकार का आवंटन नहीं करने के लिए ग्राम पंचायत रामपुरा डाबड़ी द्वारा प्रस्ताव लिया गया था? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरुद्ध इस जमीन का आवंटन करना चाहती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम टाटियावास ग्राम पंचायत रामपुरा डाबड़ी तहसील आमेर मे कुल किता 65 रकबा 33.39 हैक्टेयर चरागाह भूमि है। जिसकी सूची परिशिष्ट-2 सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। ग्राम टाटियावास की चरागाह भूमि ख.नं.-663, 664 किता 2 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि में श्री अरुण कुमार सिंघवी, जयपुर द्वारा संवत् 2055 खरीफ में अतिक्रमण किया गया था। उक्त भूमि के पुराने नम्बर 266/2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा हैं। अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण को भू.अ. निरीक्षक जाहोता द्वारा दिनांक 28.1.99 को बेदखल कर दिया गया है।

(3) जी हां। अतिक्रमी श्री अरुण कमार सिंघवी का अतिक्रमण ख.नं.-663, 664 चारागाह से दिनांक 28.1.99 को हटवाकर उक्त भमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी

(राजस्व मंत्री)

की गई थी। उक्त पत्थरगढ़ी को अतिक्रमी द्वारा नहीं हटाया गया। इसलिये पुलिस थाना चौमूं में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।

(4) जी हां। दि. 13.2.99 को ग्राम पंचायत रामपुरा डाबड़ी द्वारा प्रस्ताव नं.8 दि. 13.2.99 के द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया है कि उक्त ख. नं. में किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया जावे। प्रस्ताव की नकल परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है एवं प्राधिकरण ने उक्त भूमि आवंटन करने से मना कर दिया है।

(सूची/प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

देवली खुर्द (परबतसर) में महाविद्यालय हेतु भूमि पर अतिक्रमण

637. **श्री हरीश चन्द (नावां) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम देवली खुर्द (परबतसर) में स्थित खसरा नं.3 में महाविद्यालय निर्माण हेतु जिला कलक्टर नागौर द्वारा 75 बीघा गोचर भूमि के आवंटन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 1999 के अन्तिम सप्ताह में इस भूमि पर महाविद्यालय के नाम से जबरन अतिक्रमण प्रशासन की मदद से करने की चेष्टा की गई?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम देवली खुर्द के ग्रामवासियों ने गोचर भूमि पर जबरन कब्जा करने से रोका व इस सम्बन्ध में लिखित आवेदन द्वारा एतराज प्रस्तुत किया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) महाविद्यालय जैसे मुद्दे पर गांव वालों को विश्वास में लेने के बजाय महाविद्यालय खोलने की राज्य सरकार की स्वीकृति बगैर किन परिस्थितियों में इस भूमि पर अतिक्रमण करने की चेष्टा किन लोगों ने की है? क्या स्थानीय प्रशासन इसमें मददगार रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम देवली खुर्द में स्थित खसरा नं.3 में महाविद्यालय निर्माण हेतु 30 एकड़ गोचर भूमि के आवंटन के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी परबतसर से प्राप्त होने पर जिला कार्यालय के पत्रांक प. 12(ब) राज/99/644 दिनांक 11.2.99 के द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुऐ हैं, प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी, हां। उक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खोखर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 5.9.98 एवं पारित प्रस्ताव संख्या-13 दिनांक 29.8.98

(राजस्व मंत्री)

की प्रति परिशिष्ट "ख" एवं "ग" संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) ग्राम देवली खुर्द के ग्रामवासियों द्वारा ग्राम देवली खुर्द के खसरा नम्बर-3 रकबा 209.14 बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत् एक शिकायत दिनांक 3-3-99 को उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष प्रस्तुत की जिसकी प्रति परिशिष्ट "घ" संलग्न है। उक्त शिकायत की जांच तहसीलदार परबतसर से करवाई गई। तहसीलदार परबतसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देवली खुर्द के ख.नं.-3 रकबा 209.14 बीघा भूमि पर किसी व्यक्ति का मौके पर अतिक्रमण नहीं है। शिकायत पत्र में 75 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है। मगर अतिक्रमण नहीं है। सम्पूर्ण 209.14 बीघा गोचर भूमि रिक्त पड़ी है। शिकायत एवं जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "घ" एवं "ङ" संलग्न है।

(5) ग्राम पंचायत खोखर ने ग्राम देवली खुर्द के ख.नं.-3 रकबा 209.14 बीघा गोचर भूमि में से 75 बीघा भूमि राजकीय महाविद्यालय को आवंटन करने में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 5.9.98 को जारी किया है एवं प्रस्ताव संख्या-13 दिनांक 29.8.98 राजकीय महाविद्यालय को भूमि आवंटन करने का पारित किया गया है। यह प्रस्ताव ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा पारित किया गया है। राज्य सरकार ने महाविद्यालय खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु जिला कलेक्टर को पत्र क्रमांक प. 6(67) राज/3/99 दिनांक 7-4-99 द्वारा निर्देशित किया है। उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने की चेष्टा नहीं की गई है और ना ही इसमें स्थानीय प्रशासन मददगार है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सीकर के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

638. **श्री अमराराम (धोद) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत पांच वर्षों में जिला सीकर में नये राजस्व घोषित करने के प्रस्ताव कहां-कहां से प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या सरकार को ग्राम बाजोर में नया राजस्व ग्राम महरामपुरा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया?

(3) क्या राजस्व ग्राम भोगी की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के ग्राम वासियों एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ग्राम का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला सीकर में नये राजस्व ग्राम घोषित किए जाने हेतु कुल 45 प्रस्ताव प्राप्त हुए। वर्ष 1994 में श्री नारायण सिंहजी (विधायक) द्वारा तहसील

(राजस्व मंत्री)

दांतारामगढ़ के 16 मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। तहसील दांतारामगढ़ से उक्त प्रस्ताव पर टिप्पणी तथा जिले के अन्य तहसीलदारों से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव चाहे जाने पर वर्ष, 1995 में तहसीलदारों के माध्यम से तहसील फतेहपुर का एक, लक्ष्मणगढ़ के चार, सीकर के दो, श्रीमाधोपुर के छः, नीम का थाना के चार, दांतारामगढ़ के 23 कुल 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए। वर्ष 1996 में तीन और प्रस्ताव तहसीलदारों के माध्यम से प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अधिसूचना दिनांक 9.5.96 द्वारा 43 राजस्व ग्राम घोषित किए गये। इसके पश्चात् तहसील फतेहपुर की सींगड़ों की ढाणी तथा तहसील नीम का थाना की ढाणी रतनावली को रतननगर राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिसूचना दिनांक 23.9.98 को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए जा चुके हैं।

(2) वर्ष 1998-99 में राजस्व ग्राम घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जी नहीं। जिला सीकर की तहसील सीकर के ग्राम बाजोर में नया राजस्व ग्राम महरामपुरा का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) सीकर जिले की तहसील श्रीमाधोपुर में भोगी की ढाणी नाम से कोई राजस्व ग्राम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, तथा इस संबंध में नाम परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की सिवायचक भूमि का नियमन

639. श्री अमीन खान (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्र में ऐसे कितने भूमिहीन कृषक हैं जिन्हें 10 वर्षों से ज्यादा समय सिवायचक भूमि पर काश्त करते हो गया? तहसीलदार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त जिलों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने गोचर/ओरणों पर अतिक्रमण कर रखे हैं? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सिवायचक भूमि को कुछ व्यक्ति राजस्व कर्मचारी मिलकर पड़त भूमि नहीं रहने देते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सिवायचक भूमि को भूमिहीन नियम के तहत आवंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में से 931 भूमिहीन काश्तकार हैं, जिन्हें 10 वर्षों से ज्यादा सिवाय चक भूमि पर काश्त करते हो गये हैं। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम तहसील	संख्या भूमिहीन काश्तकार
1.	बाड़मेर	101
2.	शिव	534
3.	रामसर	236
4.	चौहटन	54
5.	सिवाना	6
	योग :	931

(राजस्व मंत्री)

(2) जैसलमेर जिले में ऐसे भूमिहीन कृषक नहीं है जिन्हें 10 वर्ष से ज्यादा समय सिवाय चक भूमि पर लगातार काश्त करते हो गया हो।

1. बाड़मेर जिले में ऐसे 1888 व्यक्ति है, जिन्होंने गोचर/ओरण भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है : —

क्र.सं.	नाम तहसील	संख्या अतिक्रमी
1.	बाड़मेर	21
2.	शिव	183
3.	रामसर	322
4.	बायतू	138
5.	चौहटन	6
6.	पचपदरा	264
7.	सिवाना	954
	योग :	1888

2. जैसलमेर जिले की तहसील पोकरण में 253 व्यक्ति ऐसे है, जिन्होंने गोचर/ओरण भमि पर अतिक्रमण कर रखे हैं, उक्त अतिक्रमण आवासीय प्रयोजनार्थ हैं। जिले की अन्य दो तहसीलों जैसलमेर एवं फतेहगढ़ में गोचर/ओरण भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

(3) इस प्रकार का कोई मामला ज़िला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर, जैसलमेर व राज्य सरकार को प्रतिवेदित नहीं हुआ है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.4.76 के द्वारा मरूस्थलीय क्षेत्रों मे भूमि आवंटन/ नियमितकरण पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

ग्राम खवारानीजी (जयपुर) में गैर मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण

640. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ज़िला जयपुर, तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम खवारानीजी की भूमि खसरा नं.-112 गैर मुमकिन नहर पर पुख्ता निर्माण कार्य को रोकने के लिए दिनांक 30 मई, 1996 को नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ मौके पर गये थे? यदि हां, तो उन्होंने मौके पर पहुंच कर क्या कार्यवाही की? संबंधित पत्रावली के सभी संदर्भित दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसीलदार जमवा रामगढ़ के कार्यालय की मिसल नं.-359/96 के एक आदेशानुसार खसरा नं.-112 पर अतिक्रमणकर्ता को पाबंद किया गया था कि वह निर्माण तुरंत बंद करे? यदि हां, तो क्या निर्माण रोक लिया था? यदि हां, तो क्या आज की तिथि में विवादित भूमि पर कोई निर्माण नहीं है?

(3) क्या निर्माण को रोका जाकर यथा-स्थिति के आदेश किसी माननीय न्यायालय द्वारा भी दिये गये हैं? यदि हां, तो जिला कलक्टर एवं तहसीलदार कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दिनांक 2 दिसम्बर, 1997 को आम जनता खवारानीजी ने अतिक्रमी के

(श्री रामचन्द्र सराधना)

विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण मय प्रार्थना-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ ने मौके पर पहुंच कर निर्माण कार्य को रूकवाया तथा अतिक्रमणकर्ता को पाबन्द किया गया। इसके अलावा मौके की फर्द कार्यवाही तैयार कर निर्माण कार्य से संबंधित औजारों को जप्त सरकार किया गया। फर्द कार्यवाही मौका एंव जप्ती कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति (परिशिष्ट-1 व 2) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) मौके पर निर्माण कार्य को रोका जाकर निर्माण कार्य से संबंधित सामान को जप्त सरकार किया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर पूर्ण दुकानें बनी हुई है।

(3) निर्माण कार्य को रोका जाकर यथा स्थिति के आदेश माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जयपुर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 19.4.96 को दिये गये थे। अतिक्रमी ने दिनांक 1.6.96 को तहसील में उपस्थित होकर उक्त यथास्थिति रखने के आदेश की छायाप्रति न्यायालय तहसील में प्रस्तुत की थी। उक्त यथास्थिति आदेश की छायाप्रति प्राप्त होने के उपरान्त तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा प्रकरण में सरकार की ओर से पैरोकारी करने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाये। इस पर जिला कार्यालय से प्रकरण में सरकारी पैरोकार नियुक्त किया गया। सरकारी पैरोकार से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण में लगातार यथास्थिति बनाये रखनें के आदेश उक्त न्यायालय द्वारा पारित किये जाते रहें। प्रकरण में दिनांक 20.4.99 नियत है। प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन होने से उक्त न्यायालय से संबंधित दस्तावेंजों की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

(4) प्रकरण सिविल कोर्ट में (यथास्थिति में) विचाराधीन होनें के कारण मूल प्रार्थना-पत्र सरकारी पैरोकार को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित कर दिया गया था। उक्त प्रार्थना-पत्र की छायाप्रति (परिशिष्ट-2-3) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला अजमेर के उपखण्डन प्रकरण

641. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि के उपखण्डन की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 31.12.98 थी?

(2) तहसीलदार अजमेर के पास दिनांक 31.12.1998 तक प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर उपखण्डन की स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा उपखण्डन की स्वीकृति नहीं देने के कारण तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब है?

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(4) उक्त जिले में जिन व्यक्तियों ने निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं? उनके मामलों में उपखण्डन की स्वीकृति अब कब दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 31.12.98 तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की जांच कर उन्हें अभिशंसा सहित उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। 6 प्रार्थना-पत्रों पर अन्तरणकर्ता के हस्ताक्षर न होने के कारण तहसीलदार द्वारा आवेदकों को समय-समय पर उक्त आवेदन पूर्ण करने हेतु सूचित किया जाता रहा है। प्रार्थना-पत्रों की पूर्ति आवेदकों द्वारा की जानी आवश्यक है।

(3) जी, नहीं।

(4) अजमेर जिले के अजमेर उपखण्ड में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। जिले के शेष उपखण्डों ब्यावर, किशनगढ़ एवं केकड़ी में कुछ लम्बित प्रकरणों में आवश्यक जांच के पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम खींवास की गैर मुमकिन भूमि खसरा नं.-71 के विद्युत कनेक्शन की जांच

642. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खींवास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में गैरमुमकिन खसरा नं.-71 तलाई भूमि पर विद्युत कनेक्शन हेतु फर्जी हक प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र फर्जी व्यक्ति ने सरपंच, ग्राम पंचायत नेवर के नाम से जारी किये जाने के संबंध में जांच हेतु कोई पत्र जिला कलक्टर जयपुर एवं तहसीलदार, जमवारामगढ़ को मामले की जांच पर रिपोर्ट विद्युत बोर्ड को भेजने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्राप्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला कलक्टर जयपुर व तहसीलदार जमवारामगढ़ ने उक्त मामले की जांच किसी अधिकारी से करवाली है? क्या इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है? यदि हां, तो किसे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण की शीघ्र जांच कराकर रिपोर्ट विद्युत मंडल को भिजवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) अब उक्त प्रकरण की कब तक जांच करा ली जावेगी?

उत्तर

(1) प्राप्त पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) इस संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति जमवारामगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच करवाई

(राजस्व मंत्री)

गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ़ से प्राप्त जांच रिपोर्ट तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा पत्र संख्या आरएनटी/99/174 दिनांक 19.4.99 से अधिशासी अभियन्ता रा. रा. वि. मण्डल, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है।

(4) उक्त प्रकरण की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ़ द्वारा करवाई जा चुकी है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सेम प्रभावित क्षेत्र में नाले निर्माण

643. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नगर परियोजना स्टेज प्रथम में सेम के कुप्रभाव से कितना सिंचित क्षेत्र जलमग्न हो रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज प्रथम में प्रतिवर्ष कितने फुट भू-जल स्तर ऊपर आता जा रहा है, जिससे भूमि सेम से प्रभावित हो रही है?

(3) क्या इस संबंध में सरकार को विभाग द्वारा ड्रेन (सेम नाले) बनाने की कोई स्कीम प्रस्तुत की गई है? यदि हां, तो कब और इसे अन्तिम रूप कब तक दिया जावेगा?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज प्रथम में सैम के कुप्रभाव से 17,476 हैक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हुआ है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त परियोजना में स्टेज प्रथम में अधिक नहर पानी के उपयोग के कारण प्रतिवर्ष औसतन 0.03 मीटर से 0.07 मीटर की दर से भू-जल स्तर बढ़ना पाया गया है।

(3) जी हां। मार्च, 1998 में मुख्य अभियन्ता (उत्तर), सिंचाई, हनुमानगढ़ द्वारा राज्य सरकार (सिंचाई विभाग) की लागत 139.15 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। वर्तमान में इस प्रकार की एक पायलेट प्रोजेक्ट बड़ीयल में चल रही है। उसके प्रारम्भिक परिणाम में आंशिक सफलता पायी गयी है। पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता का आंकलन कराया जा रहा इस प्रयोग को सफल पाये जाने पर ही प्रस्तावित स्कीम को स्वीकृति दिया जाना समीचीन होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला बाड़मेर के विद्यालयों में गणित/विज्ञान विषय का अध्यापन

644. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के जोधपुर डिवीजन के विभिन्न जिलों में विशेषतः

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जिला बाड़मेर में निर्धारित मानदंडों से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम छात्र संख्या होने के कारण गणित और विज्ञान विषय हटा दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त विषयों में व्याख्याताओं को न भेजे जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पुनः गणित एवं विज्ञान विषय चालू कराने हेतु आवश्यक संख्या में व्याख्याता लगायेगी? यदि हां, तो कब से और किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी हां। छात्र संख्या न्यून होने के कारण जोधपुर मंडल के 12 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषय बंद कर दिये गये हैं, जिनमें से 5 बाड़मेर जिले के हैं। उक्त 12 विद्यालयों में से गणित एवं विज्ञान विषयों को 4 अन्य सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया गया। मात्र व्याख्याताओं के पद रिक्त रहने के कारण छात्रों की संख्या में कमी नहीं आई अपितु छात्रों का विज्ञान विषय के प्रति रूझान कम होने के कारण भी छात्र संख्या में कमी आई है। माध्यमिक विद्यालयों में सभी विषय अनिवार्य होते हैं, इसलिए विज्ञान एवं गणित विषय बंद नहीं किए गये।

(2) निर्धारित संख्या में इन विषयों के अध्ययन करने वाले छात्र उपलब्ध होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर विषय/संकाय प्रारंभ किया जाना संभव हो सकेगा।

राजकीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में महान् नेताओं के जीवन दर्शन का उल्लेख

645. **श्री हफीज मोहम्मद** (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में देश की आजादी दिलाने वाले महान् नेता जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना आजाद, डा. अम्बेडकर, रफी अहमद किदवई, सरदार पटेल की जानकारी प्रदान की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त नेताओं द्वारा देश को आजादी दिलाने हेतु किये गये बलिदानों की जानकारी पाठ्यक्रमों के माध्यम से सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आजादी दिलाने वाले महान् नेता पं. जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना आजाद, डा. अम्बेडकर, सरदार पटेल की जानकारी राज्य के विद्यालयों में विभिन्न विषयों के माध्यम से दी जा रही है।

(2) महान नेताओं द्वारा आजादी प्राप्त करने हेतु किये गये बलिदानों की जानकारी पूर्व से ही दी जा रही है।

राज्य में समेकित शिक्षा के विद्यालय

646. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) समेक्रित शिक्षा योजना के तहत् राज्य में कुल कितने विद्यालय कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालयों की कमी के अभाव में सैंकड़ों मंद बुद्धि एवं विकलांग बालकों को प्रवेश नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालय और खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और कहां, विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विकलांग एकीकृत योजना के तहत् 17 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 01 माध्यमिक विद्यालय, 23 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बारां जिले के छबड़ा ब्लॉक के समस्त 169 विद्यालय संचालित हैं।

(2) जी नहीं। राज्य के 24 जिलों में समेकित योजना के तहत् 41 विद्यालयों तथा छबड़ा ब्लॉक के समस्त 169 विद्यालयों में मंदबुद्धि एवं विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। 09 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त योजना लागू करने के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में रिक्त पद

647. श्री रघुवीर सिंह (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं?

(3) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली में 15 माध्यमिक तथा 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न संवर्गों में जो पद रिक्त हैं, विद्यालयवार, संवर्गवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राज्य में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति

648. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति में वरीयता सूची बनाने में खेल प्रमाण-पत्र के बोनस अंक के क्या आधार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अन्तर महाविद्यालय खेल प्रमाण-पत्र के 10 अंक देते हैं? यदि हां, तो जिला शिक्षा अधिकारी दौसा ने श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को बोनस अंक क्यों नहीं दिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बोनस अंक नहीं देने के कारण प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि न्यायालय सिकराय ने प्रार्थी के पक्ष में बोनस अंक देने हेतु नियुक्ति के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो क्या आदेश है?

(5) क्या सरकार उक्त शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में शारीरिक शिक्षकों की वरीयता सूची के निर्माण में आशार्थियों के खेल प्रमाण-पत्रों पर बोनस अंक इस प्रकार से देय है :—

1.	जिला स्तर	05
2.	राज्य स्तर	10
3.	राष्ट्रीय स्तर	15

(2) जी नहीं। वर्तमान में अन्तर महाविद्यालय खेल प्रमाण-पत्रों को जिला स्तरीय मानते हुये 05 बोनस अंक देय है। श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने वर्ष 1995-96 में शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। वर्ष 95-96 में नियुक्ति निर्देश दिनांक 26.4.95 के पैरा-14 (ii) के तहत अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्रों पर बोनस अंक देय नहीं था, केवल विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्रों पर ही बोनस अंक देय था। अतः जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) दौसा ने श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्रों के बोनस अंक नहीं दिये गये।

(3) जी हां।

(4) जी हां। मा. सिविल न्यायाधीश (क, ख) सिकराय के निर्णय दिनांक 22.3.99 की छाया प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) राज्य सरकार मा. न्यायाधीश (क, ख) सिकराय के निर्णय दिनांक 22.3.99 के विरुद्ध मा. जिला न्यायालय, दौसा में अपील दायर करने का निर्णय लिया है। अपील दायर करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मा. जिला न्यायालय, दौसा द्वारा विभाग द्वारा दायर अपील पर निर्णय दिये जाने पर ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला दौसा के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद

649. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में शारीरिक शिक्षकों के पद पर सामान्य शिक्षक कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कितने व किस-किस विद्यालय में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त शारीरिक शिक्षकों के पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। दौसा जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 241 शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 14 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। उक्त शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध 08 सामान्य अध्यापक कार्यरत है। जिनका विद्यालयवार विवरण इस प्रकार है : —

1. राउप्रावि, कालीपहाड़ी (दौसा)
2. राउप्रावि, डोब (लालसोट)
3. राबाउप्रावि, गुढाकटला (बांदीकुई)
4. राबाउप्रावि, आलूदा (दौसा)
5. राबाउप्रावि, राहूवास (लालसोट)
6. राबाउप्रावि, बगडी (लालसोट)
7. राबाउप्रावि, पावटा (महुवा)
8. राबाउप्रावि, गाजीपुर (महुवा)

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जैसलमेर नगर के पुरातात्विक भवनों का संरक्षण

650. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जैसलमेर नगर में केन्द्रीय एवं राज्य पुरातत्व के कितने भवन एवं हवेलियां संरक्षण हेतु घोषित हैं?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर दुर्ग के बाद मन्दिर पैलेस तथा उसमें बना बादल विलास पुरातत्व की अनूठी कृति है?

(3) क्या सरकार बादल विलास तथा मन्दिर पैलेस के संरक्षण हेतु पुरातत्व नियमों में घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर नगर में निम्नलिखित भवन व हवेलियां केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है : —

राज्य सरकार

1. प्राचीन पटवों की हवेली

नगरपालिका

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

2. प्राचीन पटवों की हवेली
   नगर पालिका नं. 3128
3. प्राचीन पटवों की हवेली
   नगर पालिका नं. 3017
4. प्राचीन पटवों की हवेली
   नगर पालिका नं. 3126
5. प्राचीन पटवों की हवेली
   नगर पालिका नं. 3127
6. प्राचीन पटवों की हवेली
   नगर पालिका नं. 3127 (बी)
7. प्राचीन पटवों की हवेली
   नगर पालिका नं. 3013
8. जैसलमेर नगर में आसनी रोड़ पर स्थित सालम सिंह जी की हवेली,
   नगर पालिका नं. 2521
9. जैसलमेर नगर में गोयदानी पाड़ा स्थित नथमल जी की हवेली
   नगर पालिका नं. 4434
10. गड़ीसर तालाब का मुख्य प्रवेश द्वार "टीलों की पोल" (खसरा नं.-490)

केन्द्रीय सरकार

1. जैसलमेर किले सहित प्राचीन मंदिर।

(2) जी हां, मन्दिर पैलेस तथा उसमें बना बादल विलास जैसलमेर नगर में निर्मित अन्य भवन एवं हवेलियों के समान ही हैं।

(3) जी नहीं। मन्दिर पैलेस तथा बादल विलास राज परिवार की निजी सम्पत्ति हैं। जिसमें राज परिवार के निवास के साथ होटल व्यवसाय चल रहा है।

पाली जिले के गजनाई बांध के काश्तकारों को मुआवजा

651. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में पाली जिले के गिरी नंदा बांध, रायपुर, दीपावास बांध तथा नवनिर्मित गजनाई बांध की नहर जो जगदम्बा मंदिर से जुड़ती गिली रणस्थली के स्थान पर खुली बह रही है, को ढकने पर विचार हो रहा है? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार गजनाई बांध के काश्तकारों के डूब में आये कुओं के मुआवजे देने पर पुनः जांच कर गरीब काश्तकारों की खातेदारी की भूमि व कुओं का पुनः उचित मुआवजा देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पाली जिले के गिरनन्दा बांध की नहर जो कि जगदम्बा मन्दिर से जुड़ती गिरी रणस्थली के पास से निकलती है सम्पूर्ण लम्बाई में खुली बह रही है। चूंकि मन्दिर व रणस्थली के पास कोई आबादी स्थित नहीं है तथा मन्दिर एवं रणस्थली जाने हेतु नहर को लांघना भी नहीं पड़ता है एवं उपरोक्त स्थल पर आवागमन पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इसे ढकना आवश्यक नहीं है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(2) क्या उक्त स्थानान्तरण नीति के अनुरूप हुए?

उत्तर

(1) गत तीन मांह में चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 93 स्थानान्तरण हुए।

(2) जी हां। स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों/जनप्रतिनिधियों की मांग पर तथा प्रार्थियों की स्वयं की प्रार्थना-पत्र पर किये गये हैं।

ग्राम कानूजा (रायपुर) के एनीकट की मरम्मत

656. **श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम कानूजा में कितने एनीकट्स कब-कब बनाये गये हैं? वर्ष एवं नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त में से कितने एनीकट कब से क्षतिग्रस्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि गूजरों वाली नाम की एनीकट का पुनर्निर्माण करवाने हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव भेजे थे? यदि हां, तो कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त एनीकट की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम कानूजा में डी.आर.डी.ए. द्वारा स्वीकृत 10 एनिकट सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों में बनाये गये। संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित 10 एनिकटों में से 8 एनिकट वर्ष 1990 में आई अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये एवं अभी तक क्षतिग्रस्त हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, एनीकटों की रख-रखाव का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित नहीं किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्रामों में पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्रों की स्थापना

657. **श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) :** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र खोलने के मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डो की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वर्तमान में कहां-कहां पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र हैं और कब-कब खोले गए थे? ग्रामवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखे।

(श्री रामसिंह कस्वां)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1999-2000 में ग्राम कालरी, नूहन्द, गालड़ राधाबड़ी, बीजावास में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नई संस्था स्थापित करते समय मुख्यतः निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

1. जिले व तहसील में उपलब्ध पशु संख्या (गौवंश, इकाई)

2. पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की आपस में कम से कम आठ से दस किलोमीटर की दूरी।

3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थान चयन करते समय भवन, डाक, आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाओं एवं जनसंख्या।

4. वित्तीय प्रावधान एवं संसाधनों की उपलब्धता।

(2) तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वर्तमान में निम्नांकित पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र कार्यरत हैं :—

पंशु चिकित्सालय/औषधालय	स्वीकृत वर्ष
1. राजगढ़ (सादुलपुर)	1959
2. साखूफोर्ट	1978-79
3. रामपुरा बैरी	1979-80
4. नांगलकलां	1981-82
5. चांदगोठी	1987-88
6. सिधमुख	1988-89
7. गालड़ (औषधालय)	1989-90
8. ददरेवा (औषधालय)	1989-90
उपकेन्द्र	
1. लम्बोदर	25-4-1991
2. दन्देउमोहनसिंह	25-4-1991

(3) ग्राम गालड़ में पशु औषधालय वर्ष 1989-90 से कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में राज्य में 100 नये पशु चिकित्सालय एवं 400 उपकेन्द्र खोले जावेंगे। जिला पशु पालन अधिकारी की अनुशंसा एवं प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रचलित विभागीय मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये ग्राम कालड़ी, नूहन्द, गालड़, राधाबाड़ी, बीजावास में पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

658. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कहां-कहां पर पशुओं के इलाज की क्या-क्या व्यवस्था है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के सभी चिकित्सालय में पर्याप्त कर्मी लगाये हुए हैं?. यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं और इन्हें कब भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पशुओं के इलाज हेतु निम्नांकित स्थानों पर पशु चिकित्सा संस्थायें स्थापित है जो इस क्षेत्र में बीमार पशुओं का इलाज एवं पशु संवर्द्धन का कार्य करती है : —

1. पचि.,छबड़ा	1. उपकेन्द्र,दिगोद जोगी
2. पचि.,छीपाबड़ौद	2. उपकेन्द्र,टांचा
3. पचि.,सारथल	3. उपकेन्द्र,सुखनेरी
4. पचि.,हरनावदाशाहजी	4. उपकेन्द्र,राई
5. पचि.,जेपला	5. उपकेन्द्र,डोबड़ा
6. पचि.,चिकित्सालय, बन्जारी	6. उपकेन्द्र,पाली

(2) उक्त क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ कर्मी कार्यरत हैं। वर्तमान में छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के उक्त पशु चिकित्सालयों में निम्न पद रिक्त है : —

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	—	1
पशु चिकित्सा अधिकारी	—	1
पशु चिकित्सा सहायक	—	1
जलधारी	—	1
सईस	—	1
सफाईकर्ता	—	1

इन पदों को नियमानुसार शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

पाली जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड में रिक्त पद

659. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पाली में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों में से कितने पद कौन-कौन से वार्ड व क्षेत्र के रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों के कारण जिला दुग्ध उत्पादक संचालक मण्डल में उसकी गणपूर्ति किस प्रकार की जाती है?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों के पुनः चुनाव करके या सहवरण करके संचालक मण्डल को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) संचालक मण्डल के वर्तमान में वार्ड संख्या-2, 3, 6, 7 व 9 के पद रिक्त हैं।

(2) संचालक मण्डल के 14 सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों सहित 9 सदस्य वर्तमान में है जो गणपूर्ति के लिए पर्याप्त है।

(3) पाली दुग्ध संघ के उपनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इस सम्बन्ध में संचालक मण्डल की आगामी बैठक में कार्यवाही की जा रही है।

जिला भरतपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कर्मचारियों का समायोजन

660. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भरतपुर से दिनांक 20.8.96

(श्री सांवर लाल)

को हटाये गये 37 कर्मचारी/अधिकारियों को राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने भिन्न-भिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में पुनः सेवा में ले लिया है? यदि हो तो किस समझौते के तहत् और नहीं तो क्यों? सेवा में लिए गये कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पद एवं स्थान (डेयरी संघ) जिसमें लिया गया तथा सेवा में नहीं लिये गये अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिट्रेचमेंट के बाद आज तक भरतपुर डेयरी संघ में अधिकारी स्तर के कितने व्यक्तियों को मूल पद वेतन श्रृंखला में नियुक्त किया गया है?

(3) क्या भरतपुर डेयरी संघ के परियोजना अधिकारी (उप प्रबन्धक) का पद दिनांक 20.8.96 को समाप्त कर दिया गया था? क्या पुनः उक्त पद सृजित किया गया है? पद समाप्त और नया पद सृजित करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) हटाये गये 37 कर्मचारियों/अधिकारियों में से दो अधिकारियों को छोड़कर शेष 35 कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 7.10.96 को डेयरी फेडरेशन प्रबन्धन एवं राजस्थान राज्य डेयरी कर्मचारी महासंघ के मध्य हुए समझौते के तहत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के विभिन्न जिला दुग्ध संघों में पुनः सेवा में ले लिया गया है। सेवा में पुनः लिये गये एवं नहीं लिये गये कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची नाम, पद एवं स्थान सहित परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है। जिन दो अधिकारियों की सेवा में नहीं लिया गया उसके कारणों का उल्लेख उक्त परिशिष्ट में अंकित है।

(2) रिट्रेचमेन्ट के बाद में आज तक भरतपुर दुग्ध संघ द्वारा अधिकारी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है।

(3) जी हां। जी नहीं। उसके बाद आज तक दुग्ध संघ में उक्त पद सृजित नहीं किया गया है। भरतपुर दुग्ध संघ में परियोजना अधिकारी (उपप्रबन्धक) का पद रिट्रेचमेन्ट के समय से ही समाप्त कर दिया गया था।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियां

661. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियां बनी हुई हैं? यदि हां, तो कब से नागौर जिले के डीडवाना उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठकें दिनांक 1 जनवरी, 1997 से फरवरी, 1999 तक कब-कब हुई?

(2) उक्त समितियों की कार्यप्रणाली क्या है? क्या उक्त समितियों में अभाव अभियोग सुने जाते हैं? यदि हां, तो किस प्रकार से?

(3) क्या उक्त समितियों की नियमित बैठकें होनी जरूरी हैं? यदि हां, तो कितने अन्तराल के बाद तथा नहीं, तो क्यों?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(4) क्या उक्त समितियों के कार्य कलापों से सरकार संतुष्ट हैं? यदि हां, तो कैसे तथा नहीं, तो क्या सुधार किया जा सकता है तो कब तक किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या-प. 36(2)प्र.सु/अनु. 3/80/पार्ट दिनांक 11 मार्च, 1994 से किया गया है।

नागौर जिले के डीडवाना उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक 4.1.97 व 22.8.98 को आयोजित की गई।

(2) समिति के अध्यक्ष को अभाव अभियोग, शिकायतें या अभ्यावेदन प्राप्त होने पर समिति के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा करवाई जाती है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को समिति की निश्चित की गई दिनांक की बैठक में रखा जाता है। उपस्थित सभी सदस्यों को प्रकरण की जानकारी बैठक में दी जाती है और उपस्थित सदस्यों की राय अनुसार उस प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

(3) जी हां, प्रतिमाह।

(4) जी हां, जनता के अभाव अभियोगों के निस्तारण कर जनता को राहत प्रदान की जाती है।

जिला झुन्झुनूं में चिन्हित पर्यटन क्षेत्र

662. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला झुन्झुनूं में पर्यटन की दृष्टि से कौन-कौन से स्थान चिन्हित किये गये हैं तथा इनके विकास हेतु क्या-क्या योजनाएं हैं?

(2) वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि में उक्त जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कौन-कौन से कार्य किये गये तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं में पर्यटन विकास की दृष्टि से किरोड़ी लोहार्गल व खेतड़ी किले को चिन्हित किया गया है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए खेतड़ी एरिया विकास हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

(2) वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि में झुन्झुनूं जिले में निम्नानुसार विकास कार्य करवाये गये : —

(अ) राज्य योजना अन्तर्गत		राशि लाखों में
1.	1996-97	
	पर्यटक स्वागत केन्द्र, झुन्झुनूं का निर्माण	15.60
2.	1997-98	
	किरोड़ी विकास कार्य	30.13

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

3. 1998-99

किरोड़ी विकाय कार्य	35.00
खेतड़ी किला झुंझुनूं का विकास कार्य	30.00

(ब) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत

1996-97

1. पर्यटक विश्रामगृह झुंन्झुनूं का निर्माण कार्य

(i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	30.27
(ii) राज्य हिस्सा राशि	12.13

चूरू उत्सव में हथियारों की बिक्री

663. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15 मार्च, 1999 से आयोजित चूरू उत्सव में हथियार बेचने की दुकान लगाई गई थी? यदि हां, तो क्यों व किसके आदेश से? उक्त उत्सव में कितने हथियारों की बिक्री की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उद्योग विभाग के आमंत्रण पर भीलवाड़ा के श्री दलीप घाटे ने लोह के हथियारों की स्टाल लगाई? यदि हां, तो कितने हथियारों की विक्रय हुई? क्या विक्रय किये गये हथियारों के लाईसेन्स थे या नहीं?

उत्तर

(1) दिनांक 15.3.99 से 19.3.99 तक आयोजित चूरू उत्सव एवं शिल्प मेला, 99 में सजावटी हथियारों की दुकानें लगाई गयी थी। मेले के सम्बन्ध में दिनांक 2.2.99 को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर द्वारा लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जिला सीकर में आयोजित मेले में लगी सभी स्टालों को चूरू उत्सव एवं शिल्प मेला-99 में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया। यह सजावटी हथियारों की स्टालें सीकर उद्योग मेले में भी लगी हुई थी एवं सभी मेलों में लगाई जाती रही है। इन सजावटी हथियारों के स्टालधारियों द्वारा कुल 14,000/- रु. की बिक्री की गई।

(2) श्री दलीपसिंह भीलवाड़ा द्वारा चुरू उत्सव एवं शिल्प मेला-99 में सजावटी हथियारों की स्टाल लगायी गयी थी। अन्य स्टालों की तरह श्री दलीपसिंह ने भी सजावटी हथियारों की स्टाल लगाई थी। इन सजावटी हथियारों को उद्योग विभाग द्वारा हस्त शिल्प कलाकृति माना गया है। उक्त स्टाल द्वारा 1800/- रु. के सजावटी हथियारों की बिक्री की गई।

जिला महिला विकास अभिकरण धौलपुर द्वारा संचालित योजनाएं

664. **श्री जसवन्त सिंह (मण्डावर)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला महिला विकास अभिकरण धौलपुर द्वारा जिले में महिला विकास कार्यक्रम

(श्री जसवन्त सिंह)

के तहत कौन-कौन सी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है तथा उक्त योजनाओं से अब तक जिले की कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभिकरण की परियोजना निदेशक ने गत दो वर्ष में उक्त योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए प्रति माह कितने दिवस किन-किन क्षेत्रों का दौरा किया तथा उक्त दौरों के उपरान्त परियोजना निदेशक ने विभाग से कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्ष में जिला महिला विकास अभिकरण धौलपुर की परियोजना निदेशक ने अपने उपयोग में लिये वाहन पर कुल कितनी राशि किन-किन वाहनों को दी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में महिला विकास कार्यक्रमान्तर्गत किशोर बालिका योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला समूह तथा सामूहिक विवाह योजना संचालित है। उक्त योजनाओं द्वारा कुल 2406 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। योजनावार लाभान्वित महिलाओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) परियोजना निदेशक द्वारा गत दो वर्षों में कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु प्रतिमाह क्षेत्रवार किए गए दौरों एवं उसके उपरांत विभाग से प्राप्त कुल यात्रा भत्ते का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) गत दो वर्ष में परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण द्वारा प्रयोग में लिए गए वाहन एवं उनको दी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	वाहन संख्या	राशि
1997-98	आर.जे.12सी/752	18085
1998-99	एम.पी.07/ई.0935	52291
	कुल	70376

(सूची/विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ में संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पद

665. **श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :** क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला चित्तौड़गढ़ में संस्कृत शिक्षा के कितने-कितने उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन सा पद रिक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित उच्च प्राथमिक व माध्यमिक (प्रवेशिका) विद्यालयों में प्र.अ., अध्यापक II ग्रेड, अध्यापक-III ग्रेड एवं मंत्रालयिक संवर्ग के 19 पद रिक्त है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

मांग

कतिपय जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया जाना

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : क्या वो वहां बने रहेंगे जिदंगी भर? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : बी.जे.पी. ने राजनीतिक कारणों से लोगों को बाड़मेर जैसलमेर, कहां-कहां भेजा है। इसलिए इनको यही याद रहेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर।

श्री मोहन लाल मोदी : जो आठ-आठ साल से तकलीफ पा रहे हैं, दूसरे जिले में बैठे हैं उनको वापस लाने का इस सरकार का कर्तव्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, आज आपने समय नहीं दिया तो सदन में धरना दिया जायेगा।

श्री अरुण सिंह (डीग) : सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आसन पैरों पर।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, यह जाटों का प्रकरण है, हाउस दो दिन का और है (भारी व्यवधान) कृपया आप इस बारे में गम्भीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरक्षण के लिए समय दो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, आप हमें समय दीजिये। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : जाटों को, विश्नोइयों को, मेवों को आरक्षण का है। लोक सभा के चुनाव और होने जा रहे हैं। मेरा आप से अनुरोध है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार की मंशा का पता लगे। अध्यक्ष महोदय, कई बार आप से हम निवेदन कर चुके हैं। (भारी व्यवधान)

श्री अशोक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जो कनिष्ठ लेखाकार जिले से पांच-पांच सौ किलोमीटर दूर पड़े हैं क्या मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपर्वूक विचार करते हुए उनको जिले के नजदीक ही जिले में पद रिक्त हैं, क्या उनको जिले के नजदीक लगा सकते हैं? इतना तो प्रयास आप कर सकते हो। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देश दें। 12 जातियों को आरक्षण का पास कर दिया (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं, किस मुंह से कांग्रेस वोटरों के पास जायेगी? मेरा आप से अनुरोध है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप गजट में नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक : क़निष्ठ लेखाकार के लिए चार महीने से निवेदन किया, आज तक मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया। क्या मंत्री महोदय, आप इस बाबत् अपना विचार रखते हैं? सहानुभूतिपूर्वक अपने जिले के नजदीक के जिले में जहां पद रिक्त हैं वहां लगाने का प्रयास करेंगे क्या? ऐसी मंशा नहीं रखते हैं? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, हमें समय दिया जाय। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज समय नहीं दिया गया तो सदन में धरना दिया जायेगा। सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी आज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस संवेदनशील सरकार को स्पष्ट करना चाहिए (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : आरक्षण के लिए क्या सोच रही है सरकार? (व्यवधान) जाटों को, मेवों को, विश्नोईयों को (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार कुछ भी कह देगी (भारी व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सिरवी समाज के साथ 12 जातियों को केबिनेट ने पास कर दिया मगर अब तक गजट में नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए समय दिया जाय, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय दिया जाए हमें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, आप हमें समय दें। (व्यवधान) (व्यवस्था सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, कम से कम सदन में चर्चा करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : यह आरक्षण का सवाल है, पिछड़ी जातियों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय। समय दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर सरकार नहीं करती है तो कम से कम यह तो— (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य को निर्देश दीजिये वो अपनी सीट पर जा कर बोलें। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : केबिनेट ने पास कर दिया, गजट में नोटिफिकेशन— (व्यवधान)। धरना दिया जायेगा।

श्री अरुण सिंह : कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट लिखा है कि (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सारे समाज की सारी जातियों के लोग (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : जाटों को, विश्नोईयों को, मेवों को आरक्षण दिया जायेगा? चार-पांच महीने हो गये सरकार के। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। (व्यवधान) इधर नहीं बैठ सकते तो उधर बैठें (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं तो इनको अपनी सीट पर भेजें।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के लिए सरकार को (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सदस्य द्वारा सदन के बैल में धरना।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सबको मिलना चाहिए आरक्षण।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी अन्य जातियों को आरक्षण देने की बात (व्यवधान)... यह इनके घोषणा पत्र में लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि सिरवी, मेव, जाट, विश्नोइ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अरुण सिंह : क्या करने का विचार करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मण्डल आयोग की जातियों में शामिल किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : यह बड़ी चिंता की बात है, आज 5 महीने हो जाने के बावजूद भी इन लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आयोग बना दिया, महिला आयोग बना दिया इसके बारे में आज तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम को न्याय चाहिए। सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा वेल में धरना)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जाटों को आरक्षण की बात, सिर्फ जाटों की बात नहीं है, विश्नोइयों की बात है, कायमखानी की बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि या तो एक दिन की चर्चा का आप इसमें समय दें...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जाटों को आरक्षण की बात है और इन्होंने अपनी बाइबल में स्पष्ट लिखा था। आप इस आसन पर बैठे हुए हैं, कम से कम जाट, विश्नोई, और जातियों का जो इन्होंने वायदा किया था, यह इस

(श्री रामप्रताप)

बात को क्यों बार-बार आगे खींचते जा रहे हैं ? आप व्यवस्था इस बात की दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पूर्व में इस प्रश्न को उठा चुके हैं आप।

श्री रामप्रताप : पूरा हाउस इससे उद्वेलित है, पूरा राजस्थान इससे उद्वेलित है।

श्री अध्यक्ष : पूर्व में भी इस प्रश्न से सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, आप इनको इस बात का निर्देश दें कि इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिसमें, अध्यक्ष महोदय, आपका भी फोटो लगा हुआ है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पहले सुनवाई पूरी हो चुकी है। सरकार की मंशा सही नहीं है। सुनवाई के नाम पर तारीख दे कर...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री हेमन्त कुमार : आप अपनी सीट पर जा कर कहिये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इनको अपनी सीट पर भेजिये, मर्जी आये जहां खड़े हो जाते हैं+ + + इनको अपनी सीट पर भेजिये बोलना चाहते हैं तो।

श्री हेमन्त कुमार : माननीय सदस्य, अपनी सीट पर जा कर कहिये जो कुछ कहना है।

श्री रामप्रताप : कांग्रेस के घोषणा पत्र में, पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की प्रबल पक्षधर है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में सिरवी, पटेल, जाट, विश्नोई, सिंधी, कायमखानी, मेव, भोमिया...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय केसारामजी। माननीय सदस्य, आप क्या पढ़ रहे हैं ? पढ़ दिया था न श्री सांवर लालजी ने। आप क्या पढ़ रहे हैं ? आगे भी पढ़ चुके आप इस सदन में।

श्री रामप्रताप : आदि पिछड़ी जातियों को मंडल आयोग की अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल किये जाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग पर शीघ्र फैसला लिया जायेगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय कृपलानीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : इस घोषणा पत्र में इन जातियों को आरक्षण मिलना जरूरी है और लगातार सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जाटों को और जितनी भी दूसरी जातियां हैं उनको आरक्षण मिले। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : बी.जे.पी. की जो अपर क्लास है वह जाटों को सहयोग नहीं दे रही। (व्यवधान) मांग करते हैं जाटों को आरक्षण दिया जाए लेकिन यह अपर क्लास के लोग क्यों नहीं साथ दे रहे। इसका मतलब बी.जे.पी. बंटी हुई। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा पत्र पर आपकी भी फोटो है...(व्यवधान)... समाज के साथ धोखाधड़ी है...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला होना चाहिए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी व प्रति पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में धरना)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी आरक्षण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ? (व्यवधान) आप स्वयं भी इस जाति से हैं जिसको आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं को भी आरक्षण ओ.बी.सी. में मिलना चाहिए। आप स्वयं भी इसी जाति के हैं इसलिए आप भी अपनी व्यवस्था दे दें कि आपको भी आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए ? यह आपने ही दिया है अपना फोटो छपवाकर...(व्यवधान) आपने ओ.बी.सी. में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री रामनारायण विश्नोई : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

(12.13 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती ममता शर्मा : XXX

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा वेल में धरना एवं नारेबाजी)

श्री रामनारायण विश्नोई : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ये सभी जातियां यहां बैठी हुई हैं तो मैं ठाकुर साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप कौनसे बड़े ठाकुर हैं ? आप भी विराज जाएं तो राजपूत भी आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं लेकिन वह पहले मूव करके यहां आ जाएं फिर मैं उनका साथ देऊंगा। आईये-आइये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...(व्यवधान) आप इनके साथ बैठ जाएं। यह राठौड़ तो बैठ गया है। आप भी बैठ जाओ और कहो कि जाटों के साथ राजपूतों को भी आरक्षण दिया जावे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने घोषणा पत्र के आधार पर मांग उठायी है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से कोई उत्तर तो दिया जाए कि सरकार की क्या नीति है, क्या नीयत है, कब करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। सरकार मौन होकर बैठ जाए यह बहुत ताज्जुब की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर अभी बात कर रहे थे, इस सम्बन्ध में आप बता दें कि आप क्या करना चाहते हैं । करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं ? यह थोड़ा स्पष्ट कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने घोषणा पत्र पांच साल के लिए निकाला है। पांच दिन या पांच महीने के लिए नहीं निकाला है। आप इन्तजार कीजिए। एक के बाद एक सारे जो वायदे हमने दिये हैं, वह पूरे होंगे। आपसे यह निवेदन है कि आप गरीब को पीछे क्यों रख रहे हैं और आप भी कोमन राजपूत को जाटों के साथ क्यों नहीं ला रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो पांच वर्ष का कार्यक्रम आ गया न। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) श्री मदन दिलावर (अटरन) एवं 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बारहवीं कक्षा की परीक्षा के उर्दू साहित्य के प्रश्न पत्र में कांट-छांट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) एवं 4 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली की रोहट पंचायत समिति के गांवों में पेयजल की भीषण समस्या के सम्बन्ध में।

(3) प्रो. सांवर लाल (भिनाय) सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से सम्बन्धित कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) एवं 3 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा की जा रही कथित मनमानीपूर्ण एवं गैर कानूनी कार्यवाहियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान) मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है : —

"श्री मदन दिलावर एवं श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में पीलिया फैलने एवं प्रशासन द्वारा अभी तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।"

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर), सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले में हो रही निरन्तर चोरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा), सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत बाबई में किये गये सेटलमेंट के कार्य में हुई अनियमितता के सम्बन्ध मं।

(3) श्री संयम लोढ़ा (सिरोही), सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही में 400 के.वी. विद्युत जी.एस.एस. का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले की पंचायत समिति जालोर के नवीं गांव में पहुंचने के लिये सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्षों को रोजगार देने के सम्बन्ध में।

श्री रामस्वरूप मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति एवं पुस्तकालय अधिनियम लागू करना

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति एवं पुस्तकालय अधिनियम लागू करवाने के बारे में विशेष उल्लेख के जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति एवं पुस्तकालय अधिनियम, राज्य में लागू करने के बारे में पूर्व भा.ज.पा. सरकार के समय में कई बार मांग की गई एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी वार्ता हुई लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई राजस्थान में हजारों नौजवान पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर बेरोजगारी के अंधियारे गलियारे में आशा की किरण की प्रतीक्षा में बैठे हैं।

वर्तमान सरकार ने प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में की है। इसी आधार पर वर्तमान कांग्रेस सरकार के आने के बाद हमने माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कई बार मिलकर प्रशिक्षित बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्षों की पीड़ा से अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। समस्त प्रशिक्षित बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्षों की आशाएं सरकार के निर्णय पर टिकी है। बहुत से बेरोजगार इसी सत्र में आयु सीमा पार करने जा रहे हैं, इसी कारण बेरोजगारी के भय से उनके चेहरे निस्तेज होते जा रहे हैं, पीले पड़ते जा रहे हैं।

अतः मैं पुनः अनुरोधपूर्वक सदन का ध्यान बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्षों की समस्या की ओर आकर्षित करते हुए आशा करता हूं कि मेहरबानी करके बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्षों को रोजगार देकर समस्या का समाधान करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय यह जो मामला सदन में आया है मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि (व्यवधान) घोषणा पत्र में वायदा जाते-जाते किया था। जो आरक्षण का मामला है (व्यवधान) सभी जातियों का कमीशन के पास विचाराधीन है। (व्यवधान) जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आऐगी राज्य सरकार इसके बारे में विचार आगे कर लेगी इसलिये इसके बारे में आपको कोई भी (व्यवधान) कमीशन के पास चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप अपने स्थान पर विराजें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी। (अनुपस्थित), (व्यवधान) श्री दिग्विजय सिंह।

रणथम्भौर बाघ परियोजना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर बाघ परियोजना जिला सवाईमाधोपुर में स्थित "केन्द्र सरकार" इस योजना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद भी राज्य सरकार के (वन जीव प्रतिपालक) विभाग के अधिकारियों द्वारा इस "राष्ट्रीय" धरोहर को किसी प्रकार से निजी संस्थाओं "टाइगर बाघ" से एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा 8 जनवरी, 1999 को किया है जिसमें उस संस्था को पांच वर्ष के लिए "बाघ परियोजना" में खुले रूप से घूमने की छूट होगी और तो और इस इकरारनामे के माध्यम से "टाइगर बाच" संस्थान को एकाधिकार प्राप्त हो जायेगा। जो पांच वर्षों के लिए किया है जिनका रजिस्ट्रेशन "बाघ संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुआ है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय (फील्ड ऑफिस)" या फार्म रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर में होना बताया है, जबकि मुख्य कार्यालय 16-17, हंसराज दामोदर बिल्डिंग 12/14 गोवा स्ट्रीट बलार्ट स्टेट मुम्बई में स्थित बताया है। इस संस्था के सदस्य वे व्यक्ति हैं जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस बाघ परियोजना का पूर्व में लाभ उठाते हुए काफी धन पुस्तकों लेखन, वीडियोग्राफी व अन्य स्रोतों से उठाते रहे हैं। इसके अध्यक्ष कुलियों रिवेरियों उपाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ (पूर्व निदेशक परियोजना रह चुके हैं) व अन्य हैं, और इनकी भूमि को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। जहां क्षेत्रीय कार्यालय होना बताया है। आश्चर्य इस बात का है कि इसके सलाहकार मण्डल में वर्तमान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) पी.के. सैनी मुख्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान हैं जिससे स्पष्ट है कि वह सारी कार्यवाही सुनियोजित ढंग से की गयी है बल्कि स्थानीय फील्ड डायरेक्टर द्वारा ही अपने स्तर पर यह अनुबंध कर लिया जो "वन जीव अधिनियम 1972" (संशोधित 1993) तक की धारा 12 व धारा 28 के विपरीत ही नहीं बल्कि उल्लघंन है। साथ ही जिन शर्तों को मंजूर किया है, जैसे उच्च क्षमता की प्रकाश व्यवस्था रात्रि में देखने वाले उपकरण, संचार माध्यम (साधन) वीडियो कैमरा इत्यादि है। जबकि परियोजना में सायंकाल बाद प्रवेश नहीं कर सकता

(श्री दिग्विजय सिंह)

ऐसे में इस प्रकार का अनुबंध वह भी पांच वर्षों के लिए "बिना राज्य सरकार के ध्यान में लाये सर्वथा कानून का उल्लंघन है। इस अनुबंध में यह कहीं नहीं है कि यह संस्था "वन-जीव" विभाग को प्रतिवर्ष कितनी राशि चुकायेगी। साथ जो अन्य शर्तें हैं वह इस प्रकार की है कि एक समय आ जायेगा जब यह "बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर बाघ परियोजना" राज्य के हाथों से निकल जावेगी और हमारे "राज्य की प्रतिष्ठा" को आघात लगेगा।

अतः इस सम्बन्ध में माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत दिलाते हुए आग्रह करूंगा कि इस अनुबंध को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करें और सारे मामले की पत्रावली मंगवाकर जांच करें और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (परिवहन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6/96/परि/कर/मुक्त/उर्स/पार्ट फाइल /99 दिनांक 30 मार्च, 1999 जिसके द्वारा खालसा पंथ के त्रिशताब्दीय समारोह हेतु राज्य के कतिपय मार्गों पर जाने वाले वाहनों को कर में छूट प्रदान की गई है, सदन की मेज पर रखता हैं। (व्यवधान)

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1997-98

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद, वित्त मंत्री महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, (I) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक),

(II) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (राजस्व प्राप्तियां), एवं

(III) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में जनजातियों के विकास हेतु महाराष्ट्र पेटर्न लागू करना

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा), श्री नगराज, श्री रूपलाल, श्री लालाराम गरासिया, श्री मांगीलाल गरासिया, श्री खेमराज कटारा, सदस्य, विधान सभा राज्य में जनजातियों के विकास हेतु महाराष्ट्र पेटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999

श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 12.27 बजे 1.27 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(13.27 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग

कतिपय जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया जाना

श्री अरुण सिंह (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। श्री सांवर लालजी। (व्यवधान) आर्डर आर्डर। श्री सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जाट, विश्नोई, सिरवी, पटेल, मेव...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब भी मुख्य मंत्रीजी आयेंगे, हम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सांवर लाल : पिछड़ी जातियों में शामिल करने के मुद्दे पर सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारे साथ न्याय करेंगे। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : आरक्षण के मामले में सरकार की तरफ से...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कांग्रेस के घोषणा पत्र में सारी बातों का उल्लेख है। यहां पर वैल में भी गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्त्वपूर्ण और गम्भीर विषय है। सभी समाज...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री अरुण सिंह : सरकार की तरफ से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कोई न कोई...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : आरक्षण की घोषणा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : (व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। कई बार इस मुद्दे पर यहां पर चर्चा हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। इन जातियों के जीवन-मरण का प्रश्न है। इनके अस्तित्व का सवाल है। तो मुख्य मंत्रीजी आज यहां पर उपस्थित नहीं है पर जब भी यहां पर उपस्थित हों तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक को बोल लेने दो न। फिर बोल लेना आप। यह तो निपट जाएं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मन्शा है उसके सम्बन्ध में उनसे बयान दिलवाया जाए क्योंकि लोग बड़े उद्वेलित हैं और माननीय सदस्य भी, सभी पक्ष के, अब ये दबी भावना से कुछ कह नहीं सकते हैं बाकी इनकी भी भावना है। इसलिए अब भी माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आयें तो मेरा अनुरोध है कि ... (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : सभी पक्ष के सदस्य जितने भी हैं, माननीय चन्द्रभान जी हो या माननीय रामनारायण जी चौधरी हो...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस सम्बन्ध में उनकी मन्शा क्या है, कब तक इन जातियों को आरक्षण देंगे क्योंकि स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र में है। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो हमारी मांग है इस मांग पर जब भी मुख्य मंत्रिजी आयें, हम अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे और मुख्य मंत्रीजी को भी अपनी मन्शा यहां पर स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : (व्यवधान)... कांग्रेस का घोषणा पत्र...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्नोईयों को, मेवों को, जो एक जैसा धंधा गांवों में करते हैं, इनके आरक्षण...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : चार महीने हो गये हैं...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : के पक्ष में हैं लेकिन बी.जे.पी. जो आज एक पोलिटिकल गैम खेल रही है, इनको याद नहीं कि जब वी.पी.सिंह ने यह मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी तब वी.पी.सिंह जी की सरकार गिराने वाले ये लोग थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : Why are you diluting the topic ?

श्री सांवर लाल : आप हर मामले को डायल्यूट करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : Are you upper from the House ?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम...(व्यवधान)... विश्नोईयों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं...(व्यवधान) लेकिन संभावित पार्लियामेंट के चुनावों को मध्य नजर रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक खेल खेल रही है, जब वी.पी. सिंह सराकर ने आरक्षण दिया था... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : क्यों डाइल्यूट करना चाहते हो इसको (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उस आरक्षण के मुद्दे पर यहां (व्यवधान) उन दिनों में आज के प्रतिपक्ष की सरकार थी (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान आसन को आप गाइड कर रहे हो क्या (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपमें हिम्मत हो तो आप कह दो, आप भी हमारे पक्ष में नहीं हो आरक्षण पर (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कह दीजिये अगर आप आरक्षण के पक्ष में नहीं हो ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आज जिस भावना की आप बात कर रहे हैं

श्री सांवर लाल : आप अपनी भावना स्पष्ट कर दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको दुःख हो रहा है क्या कि जाटों को आरक्षण मिलेगा (व्यवधान) आपको दुःख क्यों हो रहा है कि इन जाटों को आरक्षण मिल रहा है। जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : नौ साल तक प्रदेश में इनका राज रहा और इन जातियों की सुध नहीं ली, कभी भी जाटों का, मेवों का, विश्नोईयों का ध्यान नहीं आया। आज यह केवल राजनैतिक खेल खेल रहे हैं। अगर इनको मौका मिले (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह डिमांड है। हमने नहीं रखी, खुद कांग्रेस पार्टी ने रखी कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यादव हो तो आपको किसने मना किया है। आपको आरक्षण मिलना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यहां कोई कुछ नहीं मानता आपको, और मौकों पर झटका दिया है आप लोगों ने।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आर्डर आर्डर।

श्री सांवर लाल : आपको तकलीफ हो रही है क्या (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप इस मामले को क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरक्षण के मुद्दे को आप (व्यवधान) इस मुद्दे को क्यों रखा आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय जगमाल सिंह जी, आर्डर प्लीज।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा है, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो आप बोलिये ना। (व्यवधान) आपको इजाजत दी ना बोलने की। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यहां इस प्रकार का बयान देना, इनको आरक्षण दिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर से तो आप ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हाउस आर्डर में तो हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कांग्रेस के घोषणा पत्र के अन्दर है और जगमाल सिंह जी, ब्रीफ करके इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, सांवर लाल जी, एक मिनट। आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि विश्नोईयों को, मेवों को, जाटों को, इन सबको आरक्षण में लिया जाना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इस सदन में, पूरा देश जानता है कि ये कौन लोग हे, ये वे लोग हैं जो पिछड़ी जातियों के खिलाफ हैं.(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम हमारे हक की बात कर रहे हैं, आप डाइल्यूट मत करो इस मामले को। हम इस मामले में गम्भीर हैं, इस मामले में पूरा सदन गम्भीर है। (व्यवधान) और सबकी इच्छा है ये कि जाटों को आरक्षण मिले।

श्री जगमाल सिंह यादव : ये वे लोग हैं, इन्होंने वी.पी. सरकार को धराशायी किया था.(व्यवधान) आपको अयोध्या में राम मंदिर बनाना नहीं था, आप केवल राजनैतिक खेल-खेल रहे थे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : लेकिन आपकी नीयत, बदनीयती की है, आप बीच में खड़े होकर दूसरी बात करते है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जिन्होंने वी.पी. सिंह सरकार को केवल इसलिए गिराया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये +++कर रहे हैं। इनको बोलने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपने इजाजत दी है क्या ? (व्यवधान) इनको आपने अनुमति दी है क्या ? (व्यवधान) पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले, यह किसने मना किया और अब जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों मना कर रहे हैं। (व्यवधान) इनको नहीं बोलना चाहिए। अब ये समर्थन कर रहे हैं।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : अब हर मामले में चाहे वह (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी समाप्त कीजिये। समाप्त कीजिये प्लीज। सांवरलाल जी प्लीज। माननीय यशवंत सिंह जी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यादवों को मिले, यह किसने मना किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ओ.बी.सी. का आरक्षण हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यशवंत सिंह जी।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो ध्यानाकर्षण था, उसका क्या किया, उस पर व्यवस्था क्या दी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य। जगतसिंह जी बैठिये प्लीज। मैं आपको बोलने दूंगा, जगतसिंह जी बैठिये। मैंने उनको कॉल-अपोन किया है। आपको बोलने दूंगा ना, उनके बाद में बोलने दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : बोलने दोगे ?

श्री उपाध्यक्ष : उनके बाद बोलने दूंगा।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, क्या व्यवस्था दी उस पर ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। यशवंत सिंह जी।

श्री रघुवीर सिंह : हमारा ध्यानाकर्ष प्रस्ताव है

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सांवर लाल जी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, ये मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर आये थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आर्डर आर्डर। क्या है, बैठो ना।

श्री रघुवीर सिंह : हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ना, आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य जो आरक्षण की चिंता करते हैं, ये वे लोग हैं जो मण्डल के खिलाफ कमण्डल लेकर आये थे उस समय (व्यवधान) और आप जाकर वहां शामिल हो गये थे उनमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने न कमंडल को छोड़ा, न मंडल को छोड़ा, आप दोनों को लेकर भाग गये (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और इन जातियों के साथ अन्याय हुआ था, इसीलिए इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। (व्यवधान) इन जातियों को आप अलग-अलग, भिन्न-भिन्न (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उसमें विरोध में हो क्या ?

डा. चन्द्रभान : आप उस समय कमंडल के साथ में मंत्री थे, आपने उस समय मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ा ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर (व्यवधान) उसके अपराधी भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऊर्जा मंत्रीजी, आप यहां यह कह दो कि आप आरक्षण के पक्ष में नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खड़े होकर कह दो सदन के अन्दर, आप विरोध में हो आरक्षण के (व्यवधान) आप आरक्षण के विरोध में हो ना ?

एक माननीय सदस्य : अब कह रहे हैं, सदन के बाकी लोक भाजपा वाले कमंडल लाये थे...

श्री सांवर लाल : इसलिए वे नहीं छोड़ते उस टाइम भी, अगर यह सामाजिक न्याय व्यवस्था (व्यवधान) आठ साल तक इसी गवर्नमेंट का राज रहा (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारी पार्टी आरक्षण के पक्ष में नहीं होती तो हमारी पार्टी मेनिफेस्टो में ऐसा क्यों करती, क्यों वादा करती। लेकिन आरक्षण देने की एक प्रक्रिया है, इसके लिए एक कमीशन बना हुआ है, कमीशन की सिफारिश को सरकार मानेगी। आप यकीन कीजिये, आरक्षण के पक्ष में है कांग्रेस। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रोज पेपर आउट हो रहे हैं, कैसे यकीन करें। हर बात पर सरकार ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह जी। आप बैठिये प्लीज। यशवंत सिंह जी को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपको मालूम नहीं है, सरकार की मंशा क्या है (व्यवधान) यह हमारे लिए जीवन मरण का मामला है, यह बहुत संवेदनशील मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : यशवंत सिंह जी को बोलने दीजिये। हो गई है बात आपकी।

श्री सांवर लाल : यह हमारे सामाजिक न्याय की बात है, अधिकार की बात है। इनके कमिटमेंट में पहले आयोग से पूछकर फिर उनके घोषणा पत्र में बात आनी चाहिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया ना, मुख्य मंत्रीजी आयेंगे तब बात होगी।

श्री सांवर लाल : आप इस इश्यु को डाइल्यूट करके...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना, कह दिया ना।

एक माननीय सदस्य : अपनी सीट से बोलिये, अपनी सीट से बोलिये। (व्यवधान) विश्नोई जी अपनी सीट से बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये+ + + हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाने में हिन्दुस्तान में तो

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

क्या, पूरे विश्व भर में इनका मुकाबला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यशवंत सिंह जी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने कहा, कमंडल लेकर आये, ये तो कमंडल ले आये, इसलिए इधर बैठे हैं लेकिन आप टाट-पट्टी भी लेकर नहीं आये अभी तक (व्यवधान) रही दूसरी बात,...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आज मुख्य मंत्रीजी नहीं है इसलिए हमारी चर्चा यही समाप्त करते हैं। हम चाहते थे कि सरकार वक्तव्य दे लेकिन मुख्य मंत्रीजी नहीं है, इसलिए यही समाप्त करते हैं। और मुख्य मंत्रीजी जायेंगे, कल आ जायेंगे, परसों आ जायेंगे, हम उनसे वक्तव्य चाहेंगे, फिर दुबारा करेंगे। आप आज ऐसी व्यवस्था दें कि मुख्य मंत्रीजी आये और उनके सामने हम अपनी बात रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : नहीं, आप हमें आश्वासन दीजिये, आप व्यवस्था दीजिये, यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है।

श्री सांवर लाल : कोई आश्वासन तो दें आप कि मुख्य मंत्रीजी के आने पर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आपने अपनी बात कह दी, आपकी बात मुख्य मंत्रीजी तक पहुंच जायेगी, उनके आने के बाद जैसा वे चाहेंगे, करेंगे। आसन मजबूर नहीं कर सकता लेकिन आपकी भावना मुख्य मंत्रीजी तक पहुंच जायेगी और जो बात होगी, उसका जो कुछ भी फैसला होगा, वह करेंगे जो करेंगे।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आप मुख्य मंत्रीजी को प्रोटेक्ट करें कि...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उस पर क्या व्यवस्था दी ?

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा ही समाप्त हो गई है। खतम हो गई है।

श्री जगत सिंह दायमा : चर्चा कहां खतम हो गई। मेरी बहुजन समाज पार्टी...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे को भी इसी पर बोलना है। मैं तो एक ही लाइन बोलूंगा। मेरी लाइन है, जिसकी जितनी भारी, उतनी उसकी भागीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह रोज-रोज आरक्षण की बात होती है, इतनी जनसंख्या है, जिसमें जिस कौम की जितनी भागीदारी है उतनी कर दें, इससे अच्छा न्याय कोई हो नहीं सकता, यह मेरे कहने का मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री रघुवीर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था...

श्री उपाध्यक्ष : किस पर व्यवस्था, क्या व्यवस्था है आपकी, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रघुवीर सिंह : हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था...

श्री उपाध्यक्ष : किस पर व्यवस्था चाहते हों, हाउस के सामने इश्यु ही नहीं है। क्या व्यवस्था चाहते हो ?

श्री रघुवीर सिंह : क्या व्यवस्था दी आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : किस पर व्यवस्था आप चाहे रहे हैं, कोई इश्यु ही नहीं है। माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कृपया यह बतायें कि कार्य सूची में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर क्या व्यवस्था दी है, कृपया यह तो बता दें हमको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं इस सदन में इस बात को रख रहा हूं, जिस बात पर जब से सत्र आहूत हुआ है, पांच बार तो मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया और करीब 4-5 घंटे इस पर बहस चल गई। उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले इस बात पर चर्चा चली थी कि इस बार शिक्षा विभाग राजस्थान में आठवीं कक्षा तक की परीक्षाओं को आयोजित करवा रहा है उसकी सेंक्टिटी क्या रह गई और शिक्षा मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे थे मुझे यह लगता है, उस दिन प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था, कि व्यक्ति अगर जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता तो इतिहास के पन्नों में उसी व्यक्ति का नाम लिखा गया है। जिसने नैतिकता के आधार पर फैसला किया हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिले के अन्दर 1-2 जगह नहीं, छह परीक्षा केन्द्रों पर जो 15 अप्रेल को आठवीं कक्षा की विज्ञान की परीक्षा होनी थी, प्रश्नपत्र खोल दिया इन्होंने 20 अप्रेल का जिसमें सामाजिक विज्ञान की होनी थी। और यही नहीं, 16 अप्रेल को परीक्षा होनी थी अंग्रेजी की और प्रश्न पत्र खोल दिया, इसी 19 तारीख को जो परीक्षा होनी थी संस्कृत की, और जिन केन्द्रों पर खोले, जिला मुख्यालय चूरू का राजकीय बागला सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सुजानगढ़ की जाजोदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारशहर की टांटिया बालिका विद्यालय, सिद्धमुख, सातड़ा और राजलदेसर, और उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पत्र को खोला, और जब यह जानकारी आई, तो उस प्रश्न पत्र को वापस लिया गया। और 19 एवं 20 तारीख को उन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा करवा ली। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस को व्यक्ति रिपोर्ट करे। इन परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों ने रिपोर्ट की, चूरू के अन्दर उप निदेशक बैठते हैं, गायब। कभी रहते ही नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी गायब। एक उप जिला शिक्षा अधिकारी कोई मिस्टर सैनी थे, उनको रिपोर्ट की और सैनी साहब ने सारी रिपोर्ट बना कर, शिक्षा मंत्रीजी, आपके निदेशालय को भेज दी कि यह गलती हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गई या इस तरह की खामियां रह गई, इस तरह की कमियां रह गई। और सारी सूचना समाचारपत्रों में आ गई। आप अपने को बड़ा जागरूक शिक्षा मंत्री कहते हैं और बड़े जोर-शोर से बयान भी देते हैं। मैं तो आपको कहूंगा, वक्तव्य देना तो शायद आपकी हाबी बन गई, आपको अच्छा लगता है। वक्तव्य मंत्री बन गये। परंतु उसका नतीजा क्या निकला कि आपने उन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा ले ली। प्रश्न पत्रों को अलग खोला गया, उनके खिलाफ कोई जांच करें नहीं, आपका निदेशालय मौन बैठा रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कितने दिन, आखिर कब तक हम लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते जायेंगे। आज एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी बच क्या गई। बार-बार हम कहते हैं और शिक्षा मंत्रीजी, विश्वास किस पर करें, किस को जाकर कहें। आज हम इस सर्वोच्च सदन में बात कहें और आप बड़े हलकेपन से कह देते हैं कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा या मैंने व्यवस्था कर दी कि प्रश्न पत्रों के साथ-साथ दो सिपाही रहेंगे। सारे लोग वहां दिन और रात उनकी ड्यूटी लगेगी। आपकी यह सारी बातें, शिक्षा मंत्रीजी, खोखली साबित हुई हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कृपया राजस्थान की गरीब जनता पर, उनके बच्चों पर रहम करो। आप रहम करके, आपसे व्यवस्था न हो सके तो आप कम से कम हाथ खड़े करके कह दो कि मुझसे परीक्षा इस बार करवाना सम्भव नहीं। एक-दो नहीं, अखबार की स्याही सूखती नहीं और दूसरे दिन फिर प्रश्नपत्रों के आउट होने के नाम पर, प्रश्न पत्र गलत खुलने के नाम पर यह सारी बात होती है। आप वैकल्पिक प्रश्न पत्र की बात करते हैं, हमने वैकल्पिक प्रश्न पत्र का इंतजाम कर दिया। शिक्षा मंत्रीजी, वैकल्पिक प्रश्न पत्र का इंतजाम करके आपने कोई तीर नहीं मार ली। परंतु आप इसकी विश्वसनीयता को कहां ले जाकर छोड़ेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपसे इंतजाम तो होगा नहीं, आप तो सर्वोच्च सदन में कह दो कि मैं इस पूरे इंतजाम को करने में असफल रहा, असक्षम रहा और आपको खुद को आपके मुख्य मंत्रीजी को कह देना चाहिए कि मेरे वश की बात नहीं, कृपया दूसरे कोई सक्षम मंत्रीजी को दे दें। आपसे नहीं सम्भले तो हमारे वित्त मंत्रीजी जी जैसे किसी कर्मठ आदमी को दे दो ताकि यह सारे काम ठीक हो जायं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके वक्तव्य पर तो हमारा विश्वास रहा नहीं, आपने शिक्षा जगत पर एक तरह से इन दिनों में कलंक लगा दिया, आपने शिक्षा और परीक्षा की सारी विश्वसनीयता, शिक्षा-शिक्षार्थी परीक्षा, इन सब को कलुषित करने का काम आपने किया है शिक्षा मंत्रीजी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर। आर्डर प्लीज। आर्डर

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : बैठें आप। आप पहले यह बताइये कि कल कौन सा पेपर आउट करने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिक्षा मंत्रीजी, मुझे बड़ी तकलीफ है कि ऐसे ब्रह्म पुरुष (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी। आर्डर-आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने गम्भीर मामले को इस तरह से डाइल्यूट करने की किसने इजाजत दी इनको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब इस तरह के हलकेपन की बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर-आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : इतना गम्भीर मामला है इसको...

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, यह मजाक की बात नहीं है, यह जितने प्रश्न पत्र आउट हो रहे है इनमें आरएसएस का हाथ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं इसमें आरएसएस का हाथ है, यह आरएसएस ने योजनाबद्ध तरीके से पेपर आउट कराने...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : यह आरोप किस पर लगाये जा रहे हैं, कैसे लगाया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसलिए प्रश्न पत्र रोजाना आउट हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी। ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आपके सारे काम यह कर रहे हैं, सारे पेपर आउट यह करा रहे हैं। आप कोई इस्तीफा मत दो, सारा काम इनका किया हुआ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय वी.पी. सिंहजी। माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो बड़े मियां बड़े मियां छोटे मियां छोटे मियां । अब छोटे मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटेमियां सुभान अल्लाह। इतने बुजुर्ग भी जब अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, यह कोई सदन की व्यवस्था है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। हो गया। आप तो बिराजें।

श्री राजस्वरूप : आपने बना दिया क्या मंत्री ? (व्यवधान) आपने मंत्री बनाया है क्या इनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की बात करके कह देना अल्लाह को, अल्लाह की बात करते हैं आप...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो पेपर आउट हो गये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : गलती तो खुद करते हैं+ + +

एक माननीय सदस्य : पहले सदन से क्षमा तो मंगवाइये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : अब मुख्य मंत्रीजी को क्या हो गया उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी। आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : एक निवेदन कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : एक निवेदन कर रहा हूं। जो पेपर आउट हो गये, जो पेपर खुल गये, उनसे फिर परीक्षा लेना, यह कितना अत्याचार है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। रामस्वरूप जी। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय कृपलानीजी, बिराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठवीं कक्षा के इम्तिहान आप जानते हैं, सारा सदन जानता है...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। बिराजें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी। बिराजें आप। आर्डर, आर्डर, प्लीज आर्डर। प्लीज, बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। बिराजें, बिराजें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठवीं तक की परीक्षाएं पूर्व में प्रायः स्थानीय स्तर पर ही होती थी,

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वहीं पर लोकल अध्यापक जो हैं वही पेपर सेट करते हैं, वहीं इम्तिहान होते थे और बड़ी पर लोकल लेवर पर इनका एग्जामिनेशन और परीक्षण करते थे। यह सदन बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार कर रहा है, मैं इस चीज को डिफेन्ड नहीं करता। कहीं यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा है कि कई जगह गलत पेपर खुले हैं (व्यवधान) आप पहले सुन तो लीजिये। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात बताई उसके संबंध में मैंने कल रात ही उप निदेशक, चूरू से वार्ता की और उसमें मुझे यह बताया गया कि परीक्षाओं में किसी भी, जहां परचे गलत खुल गये थे, वैकल्पिक प्रश्न पत्र पहले से भेजे हुए थे उसके अनुसार सही परीक्षाएं करवा दी गई हैं। फिर भी जो बातें आपने मुझे बताई है, छह स्थानों का नाम दिया है, यहां पर किसी भी कर्मचारी ने, अध्यापक ने कोई भी गलती करी है तो मैं उसकी जांच करा लूंगा और जांच प्रतिवेदन आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। डा. रामप्रतापजी। आर्डर प्लीज। माननीय किरोड़ी लालजी, बिराजिए। डा. रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल और सरहिंद फीडर की बंदी को लेकर के 23 मार्च को इस सदन में, पूरे सदन ने चिंता व्यक्त की थी इस बात के लिए कि गर्मी के टाइम में पहली दफा बंदी ली जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी सुझाव दिए जाते हैं, मेरे ख्याल से इस मानसिकता के साथ उस बात को लिया जाता है कि प्रतिपक्ष हमेशा सिवाय आलोचना के कुछ नहीं करता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से बड़े विनम्र शब्दों में यह बात कहना चाहता हूं कि मैंने सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि राजस्थान कैनाल और सरहिंद फीडर, दोनों इतने बड़े सिस्टम हैं कि जब आप एक की बंदी लोगे तो पानी का इतना बड़ा कालम होगा और वह उसके बीच के बंधे को बहाकर के ले जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बड़े रोषपूर्ण शब्दों में कहना चाहूंगा कि जिस वक्त मैंने यह बात कहीं, माननीय मंत्री महोदय ने कम से कम उसकी काग्नीजेंस तो लीं होती। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी थी। फिर इस बात को गम्भीरता से क्यों नहीं लिया गया और क्यों नहीं आपके इंजीनियर्स ने इस बात को ध्यान में रखा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, 23 मार्च को जो सदन में चर्चा हुई थी उसमें जो मैंने बात कही थी, आपके सामने उस बात को दोबारा कहना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, मंत्रीजी को जानकारी होगी कि सरहिंद फीडर और आईजीएनपी जहां से यह निकलती है, वे दोनों पेरेलल चलती है और दोनों के बीच का बैक कामन है। आपने दोनों नहरों की अलग-अलग बंदी ली है। जिस नहर की बंदी होगी उसको निश्चित तौर पर जो नहर चल रही होगी उसके प्रेशर से उसमें सीपेज होगा और नहर टूटेगी। इस बात के लिए भी आपको आगाह किया था। उपाध्यक्ष

(श्री रामप्रताप)

महोदय, इन्होंने बंदी 18 तारीख को ली आई.जी.एन.पी. में। 18 तारीख को अगर यह नहर नहीं टूटती तो भी उस काम को आप पूरा नहीं करा सकते थे। 18 और 19 के बीच की रात में, जहां तक मुझे जानकारी है सरहिन्द फीडर चल रही थी बैंक वहां से ब्रीच हुआ। और जहां से आपका बैंक ब्रीच हुआ है वह नहर वहां की फीडर की नहर है। और इतनी बड़ी पहाड़ जैसी चीज आप तीन दिन में पूरा कर पायेंगे, मुझे इस बात में शक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस नहर के टूटने से कितना नुकसान हुआ वह तो अलग बात है और कितनी फसल तबाह हो गई, देशी कपास की बात तो वहां के किसान भूल जायें, नरमा है वह भी देरी से बोयेंगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात पश्चिमी राजस्थान के सात जिलों में पीने के पानी की भयंकर समस्या होगी इस बैंक के ब्रीच होने से। निश्चित तौर पर आपके अधिकारियों ने आपको बताया होगा कि बैंक ही ब्रीच नहीं हुआ है, जब यह नहर का बीच का बैंक ब्रीच हुआ, उसके बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि सामने की आपकी जो लाइनिंग है, वह भी निश्चित तौर पर पानी के प्रेशर से ब्रीच हुई। उसको भी आपको ठीक कराना होगा। सरहिंद फीडर का राइट बैंक, जहां से पानी तेज गति से जब गया होगा तो उसका राइट बैंक जो ब्रीच हुआ है, इतना सारा गलत काम हुआ है इस तरीके से। क्यों नहीं आपने दोनों नहरों की बंदी साथ में ली ? मैं बार-बार आपसे इस बात के लिये आग्रह कर रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात में आग्रह करना चाहता हूं कि जब पंजाब की बंदी आपने ली तो मेरे ख्याल से इस बात के लिये ली थी, आपने एक ड्रेन बनाया है। ड्रेन के बारे में आपसे बात हुई लेकिन शायद आपको जानकारी मिली होगी कि उस ड्रेन से ऊपर सरहिंद फीडर के अंदर उन्होंने जो एक डिस्ट्रिब्यूटरी बनाई, उस डिस्ट्रिब्यूटरी का निर्माण हुआ, वह कितने क्यूसेक की डिस्ट्रीब्यूटरी है ? आज की तारीख में डेढ़ सौ क्यूसेक पानी सरहिंद फीडर से पंजाब के लोग दिल्ली की तरह से ले रहे हैं। आपकी इजाजत के बिना पम्प सैट लगा रखे हैं उन्होंने, और डेढ़ सौ क्यूसेक पानी वहां से ले रहे हैं। अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण उन्होंने जो किया है, डेढ़ सौ क्यूसेक पानी ले गये। 300 क्यूसेक पानी, नहर की कैपेसिटी वही है और हम टेल एण्ड पर बैठे हैं। वह 300 क्यूसेक पानी राजस्थान का जायेगा और पूरे पंजाब क्षेत्र में उन्होंने अपना सिस्टम पेड्डी को डाइवर्ट कर दिया। पेड्डी पर डाइवर्टशन की वजह से, आपको टेल एण्ड पर पानी इस डिस्ट्रब्यूटरी के निकलने से पहले आप अधिकारियों से जानकारी कर लें कि कई दफा 200 क्यूसेक, कई दफा 300 क्यूसेक और यहां तक की ऐसी स्थिति भी आई है कि हमें जीरो क्यूसेक पानी मिला है। आज की तारीख में आपके पास आई.जी.एन.पी. है, आज की तारीख में आपके पास लिंक

(श्री रामप्रताप)

है, आज की तारीख में आपके पास आई.जी.एन.पी. में पानी है। लेकिन जिस वक्त आपका सी.सी.ए. क्रियेट हो जायेगा आई.जी.एन.पी. का, उस वक्त पंजाब जब पूरा पानी लेगा तो आप कहां से टेल को फीड करोगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब बार-बार कहा जा रहा है पहले तो उन्होंने 18 तारीख का कहा था, फिर 19 तारीख का कहा, अब शायद 21 या 23 तारीख का कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन भंयकर परिस्थितियों के लिये कौन जिम्मेदार है ? राजस्थान के सात जिलों में जहां पीने के पानी की समस्या पैदा होगी, उसके लिये निश्चित तौर से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये। और पूर्व में जब हमारा इस प्रकार एक्सपीरियंस है कि पहले ऐसा सीपेज हो चुका है तो फिर आपने दुबारा अलग-अलग बंदी क्यों ली ? मैं आपके माध्यम से इन बातों की जानकारी मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी सदन में चर्चा उठाई। जिस दिन ये अपनी बात कह रहे थे सिंचाई विभाग की मांगों में भाग लेते हुए, तभी इन्होंने स्पेसिफिक तीन-चार बार कहा था कि सरहिंद फीडर और राजस्थान कैनाल की जिस तरह बंदी ली गई है, अगर एक कैनाल बंद रही और एक कैनाल चली तो प्रेशर माउंट होगा उससे ब्रीच होने की पूरी-पूरी संभावना है। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि समय रहते सरकार को किसी उच्चाधिकारी को भेजना चाहिये और उसकी माकूल व्यवस्था करनी चाहिये। बड़ी तकलीफ की बात है इसके पश्चात् भी सरकार ने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की। और तो और, यह लगता है कि सरकार बिलकुल सो रही है। जो बंदी ली थी पंजाब सरकार ने, साइफर बनाने के नाम पर एक पैरेलल कैनाल बना ली आर.डी. 470 पर। डेढ़ सौ क्यूसेक पानी ड्रा करे इस तरह की कैनाल पंजाब सरकार ने पंजाब के क्षेत्र में निर्माण कर ली। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला छोटा मामला नहीं है और अब जिस तरह का क्लोजर पहले दिया गया था 4 अप्रेल से 18 अप्रेल तक, आज आपके हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कहते हैं कि 22 अप्रेल तक का क्लोजर का अल्टीमेटम तो हट गया, मैं समझता हूं कि 22 अप्रेल के बाद फिर तारीख तय करेंगे कि हमें इतनी तारीख तक तो और क्लोजर चाहिये। अब इन पांच-छह जिलों में जिसमें चूरू जिला भी सम्मिलित है, इनमें किस तरह का पेयजल संकट पैदा हो सकता है, इस बात पर कम से कम आपको निश्चित तौर से विचार करना चाहिये। आप यह कह कर नहीं बच सकते कि अब तक किसी तरह का संकट नहीं है। अब तक संकट नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि पंजाब सरकार अपनी मनमानी करती रहे या जिस तरह की लापरवाही के कारण, अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण जिस तरह का ब्रीच हुआ है, आज उस पूरे क्षेत्र के अंदर हजारों बीघा में किसान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को कपास पैदा करता था, उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के किसान को कपास की उत्पादकता के नाम पर कई बार पुरस्कार मिले हुए हैं। आज वह सोच नहीं सकता। पिछली बार तो प्रकृति ने मार दिया उनकी कपास की खेती को, नरमे की खेती को और उस वक्त तत्कालीन सरकार ने यह कहा था कि हम इसके लिये 15 करोड़ रुपये मुआवजा किसान को बांटेंगे, इसके लिये बजट में प्रावधान किया था। इस बार सरकार मौन हो गई। वह पैसा भी सरकार किसान को देना नहीं चाहती, यह दोहरी मार है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस गंभीर मामले में मंत्री महोदय आप संवेदनशीलता का परिचय दें। पूरे मामले की जांच करवायें कि यह जो बीच हुआ है इस बीच में क्या-क्या लापरवाही, क्या लैप्सेज रह गये। और एक पैरेलल चैनल पंजाब सरकार ने और खोल दिया डेढ़ सौ क्यूसेक पानी का, आप उस पर भी जांच करवाइए और समय रहते आप मुख्य मंत्री जी से बात करें, चाहे दिल्ली की हुकूमत से बात करनी पड़े इसका कोई रास्ता निकालो वरना हमेशा-हमेशा के लिये यह जो पैरेलल कैनाल है, इससे कितना पानी ड्रा होगा और यह पानी किस किसान का कटेगा इससे मैं समझता हूं आप निश्चित तौर से वाकिफ होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिए। ऐसा नहीं होता है। आप पहले कुछ दीजिए, सिर्फ इसलिए कि मामला उठकर आ गया है इसलिए आप बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : मामला गंगानगर जिले का है, मंत्रीजी से बात की है, यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आप लिख कर दीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर जिले का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : जिले का मामला है तो आप स्टडी कर के आओ, लिखकर दीजिए। यहां पर इन्होंने उठा लिया और आप बोल लिये, ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गंभीर समस्या है। राजस्थान के किसानों को (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब, विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे प्रश्न के उत्तर में आया है, मैं बहुत महत्त्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, महत्त्वपूर्ण है, आप मंत्री जी का जवाब सुनिए। आप उठाओ, मेहनत करो थोड़ी मेहनत।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप बोलने क्यों नहीं देते, मेरी समझ में नहीं आता।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में विधान सभा में सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर की बंदी के बाबत कुछ विवरण प्रस्तुत किया था और उसमें यह बताया गया था कि पंजाब और

(श्रीमती कमला)

राजस्थान के बार्डर पर आरडी. 555 के ऊपर आरडी. 483 पर पंजाब अपना कुछ सेम का पानी निकालने के लिये कोई साइफन बनाना चाहती है और वह साइफन बनाने के लिये वो बंदी लेना चाहते हैं। इस बंदी के बाबत उन्होंने अपने ही स्तर पर, अपने तक ही सोच कर बिना राजस्थान की सहमति के, बिना राजस्थान को जानकारी दिये यह बंदी का एलान किया और नोटिफिकेशन भी जारी किया। राजस्थान की सरकार को जब पता लगा तो उसके बाबत आपत्ति की, प्रोटेस्ट किया। और यह भी कहा सेक्रेटरी के लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, मंत्री के लेवल पर मुख्य मंत्री के लेवल पर, सभी स्तर पर, जैसे मैंने उस दिन विवरण दिया था। कि हमने यह कहा कि इस वक्त पंजाब यह बंदी न ले क्योंकि हमारी फसलों का भी और पेयजल का भी बहुत भारी संकट हो जाएगा। इसलिये आप जनवरी, 2000 में यह बंदी ले जिससे हमारे राजस्थान क्षेत्र के कृषकों को भी और आम जनता को भी इस तकलीफ से बचाया जा सके। लेकिन सभी तरह का, सभी स्तर का, भारत सरकार के स्तर पर भी, प्रधान मंत्रीजी के स्तर पर भी, सभी स्तरों पर कोशिश के बावजूद भी पंजाब सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और जिस प्रकार से उन्होंने सोचा, जैसा नोटिफिकेशन जारी किया, उसी प्रकार से उन्होंने वहा बंदी ली। सरहिन्द फीडर की बंदी उन्होंने 27 मार्च से लेकर 10 अप्रेल तक जारी की और राजस्थान फीडर की 4 अप्रेल से लेकर 18 अप्रेल तक, जारी कर दी।

(14.00 बजे)

राजस्थान सरकार ने, सिंचाई विभाग ने और जलदाय विभाग ने मिलकर के जिन-जिन जिलों पर इसका प्रभाव आने-वाले था उनमें जलदाय के लिये जो भी व्यवस्थाएं की जा सकती थीं, वे कायम कीं। यद्यपि इनकी बंदी की जो घोषणा थी वह 14-15 दिन की थी। लेकिन हमने यही सोचकर कि ये आगे बढ़ सकती हैं तो 21 दिन के इंतजाम के हिसाब से हमने व्यवस्थाएं कीं। सरहिन्द फीडर का 10 तारीख को समय खतम हुआ, 11 तारीख को पानी चला, और लगभग 800-900 क्यूसेक 12 तारीख तक चला 12 तारीख की रात को उस साइफन में कुछ गड़बड़ हुई तो वापस से बंद हुआ। बंद होने के बाद में उसको फिर चलाया गया। इसके बाद में राजस्थान फीडर को, 4 तारीख से 18 तारीख तक, बंद किया तो 19 तारीख से वह चलना चाहिए था। लेकिन 18 और 19 की रात को अचानक 414 आरडी. पर, दोनों नहरों के बीच की जो दीवार थी, लगभग 200 फुट के दायरे में वह टूट गयी। वह किस कारण से टूटी, क्यों टूटी, उससे कितना नुकसान हुआ, किसी और जगह भी इसका असर हुआ, इसके लिये अधिकारियों को भेजा। वह उसकी जांच में बताएंगे। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी तथ्य था, जो हम जानते थे कि हालांकि पंजाब के मुख्य मंत्री ने हमारे मुख्य मंत्री को आश्वस्त किया था कि हम 18 तारीख से एक घण्टे भी आगे क्लोजर को नहीं रखेंगे। लेकिन उनका क्लोजर आगे और रहना था। यदि यह नहीं टूटती तो भी, क्योंकि 18 तारीख तक राजस्थान नहर पर साइफन का काम 80 प्रतिशत ही पूरा हुआ था, 20 प्रतिशत

(श्रीमती कमला)

फिर भी बाकी था। तो एक तरफ वह काम पूरा नहीं हुआ था और दूसरी तरफ यह बीच का ब्रीच होना, ये दोनों मिलकर के आज सरहिन्द फीडर में और राजस्थान फीडर में दोनों में पानी बंद है।

इस सन्दर्भ में जैसे ही पता लगा कि ब्रीच हुआ, अधिकारियों को वहां भेजा। सचिव ने अपने स्तर पर फैक्स भी दिये, बात भी की। मुख्य मंत्रीजी को भी इसकी सूचना दी गयी। उन्होंने भी पंजाब सरकार के साथ टेक-अप करने के लिये कहा। इस सबके दौरान बराबर उनसे तकाजा किया गया कि वे जल्दी से जल्दी अतिरिक्त मशीनरी लगायें, अतिरिक्त लेबर लगायें, युद्ध स्तर पर काम को पूरा कराकर पानी जल्दी से जल्दी छोड़ें, अन्यथा राजस्थान के क्षेत्रों में पेयजल की भारी समस्या होगी और फसलों का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितनी देर हुई है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, कपास की फसलें, दूसरी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अभी मैंने बात की थी, पहले कोशिश की थी लेकिन नहीं मिले थे दो दिन, आज बात हुई उनके मंत्री से। मैंने यह कहा कि आपके मुख्य मंत्रीजी ने हमारे मुख्य मंत्रीजी से वायदा किया था, भरोसा दिया था कि 18 तारीख तक हम हर हालत में काम को पूरा करके 19 तारीख से हम पानी छोड़ देंगे। आज यह ब्रीच होने के कारण से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गयी है। आप अविलम्ब, जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके, रात और दिन काम को पूरा कराकर यह पानी जल्दी से जल्दी चालू कराएं। अब आप यह कहें कि राजस्थान सरकार ने कुछ कोशिश नहीं की, या कुछ रोकथाम नहीं की, उनको कंविन्स नहीं कर पाये, लेकिन आप और हम, सब इस बात को जानते हैं कि सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी पंजाब सरकार ने हमारी जो मांग थी, हमारा जो कहना था उसको उन्होंने नहीं माना।

आपने एक बात और उठाई कि आर.डी. 471 पर उन्होंने एक वितरिका बनाई। उसका रेगुलेटर अभी तैयार किया है, वितरिका बनाएंगे। हालांकि यह वितरिका उनके अपने क्षेत्र में है और उनके कथन के अनुसार वह उनका अपना पानी ही उस वितरिका में ले जाकर किसानों को देंगे। आज कहां पर वे ट्यूबवेल्स से किसानों को पानी दे रहे हैं, उसके बजाय उस वितरिका से अपना पानी देंगे। लेकिन यह जरूर आशंका की बात है कि अगर वह और अधिक पानी भी लेते हैं तो राजस्थान सरकार को उसके लिये कॉशस रहने की, उसकी व्यवस्था करने की, उसकी बराबर मानिटरिंग करने की जरूरत है। इस बाबत भी हमने उनको तकाजा किया है कि आपने हमारे बिना नोटिस में लाये, बिना हमको बताये, यह जो वितरिका आपने निकाली है, या निकाल रहे हैं वह सही नहीं है। अब अगर आप रेगुलेटर बना चुके हैं और वितरिका चालू करना चाहते हैं तो हमारी राज्य सरकार के साथ जब तक बैठकर के बात नहीं हो जाए और तय नहीं हो जाए कि आप इस वितरिका के माध्यम से सिर्फ अपना पानी लेंगे और हमारे पानी पर किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं हो सकेगी तब तक आप इसको चालू न करें। तो ये

(श्रीमती कमला)

सारी व्यवस्थाएं जो कुछ राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती थीं, वे हमने अपने स्तर पर की हैं और अभी तक भी करने में जुटे हैं। लेकिन उसके बावजूद पंजाब सरकार का जिस तरह का रवैया है और जिस तरह से इतनी गम्भीर बात को भी इतनी लापरवाही से, मनमाने ढंग से ढील कर रहे हैं, वह बहुत अफसोस की बात है। भारत सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकी। हमने उनके जल संसाधन मंत्रीजी को बात की, प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी, मुख्य मंत्रीजी ने। इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ करना तो दूर रहा, सिर्फ पत्र की प्राप्ति भेज दी और कोई भी सहयोग देने के लिये न यह कहा कि आप आइये, मैं सहयोग करता हूं। उनको भी बुलाता हूं, आपको भी बुलाता हूं। कुछ भी कार्यवाही इसके अन्दर नहीं की गयी।

तो जो स्थिति आज है उसमें हमने उनसे यही तकाजा किया कि आप युद्ध स्तर पर ज्यादा से ज्यादा संसाधन, ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाकर इस काम को पूरा कराइये, दुरूस्त कराइये और जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको बहुत दिन नहीं भुगतना पड़े, इसकी व्यवस्था करिये। यह हमने व्यवस्था की है। अभी भी, हालांकि बहुत चिन्ता की भी बात है और बहुत इसमें अर्लट रहने की जरूरत है, वह हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कल तक पानी शुरू हो जाए, परसों तक हो जाए तो भी हम इसको, संकट को टाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 2-4 दिन और आगे होता है तो दरअसल में बहुत भारी दिक्कत हो सकती है। उसके लिये आगे बात करेंगे, व्यवस्था करेंगे और निरन्तर प्रयास करेंगे।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से बहुत ज्यादा आशा रखता था, लेकिन आपके उत्तर से निश्चित तौर से बहुत ज्यादा निराशा हुई है। मैंने आपसे एक ही सवाल किया था कि क्या आपको इस चीज की जानकारी है कि पिछली दफा जब आई.जी.एन.पी. का आपने क्लोजर लिया था और आपकी सरहिन्द फीडर चल रही थी, बिना आपने नोटिफिकेशन किये, जब सरहिन्द फीडर में से सीपेज शुरू हुआ, तब आपको उसे क्लोज करना पड़ा। इस चीज का मैंने कोट किया है। मैंने यह उदाहरण दिया था कि पूर्व में ऐसा हो चुका है। उसके बाद भी अधिकारियों ने क्यों इस किस्म का अलग-अलग क्लोजर रखा। अगर आप इकट्ठा क्लोजर लेते, और 14 दिन का क्लोजर था, आप मानें कि 18 दिन हो जाते, लेकिन 18 दिन में हमारा पीछा तो छूट जाता। अब 4 तारीख से लेकर के लगातार, आगे का पता नहीं है, कब तक यह पूरा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इसमें अधिकारी दोषी हैं। मंत्री महोदया का इसमें दोष नहीं है। इनको क्यों नहीं जानकारी दी गयी कि पूर्व में जब हमने अलग-अलग क्लोजर लिया था उस वक्त क्या स्थिति आपकी हुई।

दूसरा जो आपने फरमाया है, मैं इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूं।

(श्री रामप्रताप)

(14.10 बजे)

(श्री तकीउद्दीन अहमद , सभापति , पदासीन)

लेकिन आपने जिस तरीके से कहा है और 18 को तो यह पूरा होना ही नहीं था। दूसरी तो कोई खास बात नहीं है। मैं इसको डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं। आप इसको गम्भीरता से लें। दूसरा...

श्रीमती कमला : मैं यह नहीं कह रही हूं कि कोई खास बात नहीं है। मैं यह कह रही हूं कि हम उनका जैसा एटीट्यूड है, और जो तौर तरीके हैं, उसके हिसाब से हम एंटिसिपेट कर रहे थे। उनके कहने के बावजूद भी हमने वह इन्तजाम रखा है। यह कहा हैं मैंने।

श्री रामप्रताप : नहीं, यह मुद्दा नहीं है। पंजाब जिस तरीके से करता है, वह कोई नयी चीज नहीं है लेकिन मुद्दा इस बात का है कि यहां पर आशंका व्यक्त नहीं की गयी थी। पूर्व में ऐसा हो चुका था, उसके बाद में हमने अलग-अलग क्लोजर लिया, मुद्दा इस बात का है। दूसरा आपने जो फरमाया कि डिस्ट्रिब्यूटरी है और उसमें ट्यूबवैल का पानी डालेंगे। ट्यूबवैल का नहीं, यह शायद आपके समझ में फर्क रह गया...।

श्रीमती कमला : नहीं, मैंने यह नहीं कहा आप गलत समझे। मैंने यह कहा कि पहले यह ट्यूबवैल से जिस एरिया में पानी दे रहे थे। उसमें ट्यूबवैल की बजाए इस वितरिका से यह पानी ले जा रहे हैं। यह उन्होंने बताया है। ट्यूबवैल का पानी इसमें डालेंगे, यह थोड़े ही मैंने कहा है।

श्री रामप्रताप : नहीं, ऐसा नहीं है। आलरेडी वहां पर इर्रिगेशन सिस्टम उनका है। वह हमारे सरहिन्द फिडर से बड़े-बड़े दस-दस, बारह-बारह क्यूसेक्स के पाइप लगाकर के ट्रेक्टर्स के जरिए पानी लिफ्ट करके इर्रिगेट कर रहे हैं लेकिन वह चूंकि पहले कोटन के लिए था, अब पैडी के लिए, वे चाहे आपको यह कहें कि हम यह बंद करके पाइप्स, फिर इस डिस्ट्रिब्यूटरी से पानी लेंगे, वे ऐसा नहीं करेंगे। पाइप्स भी उनके चलेंगे और यह आपकी डिस्ट्रिब्यूटरी भी चलेगी। आपने फरमाया कि वे अपने हिस्से का पानी लेंगे। हिस्सा जब आलरेडी तय है और उतना पानी उस नहर में चल रहा है। हम आज दूसरी पोजीशन में है, टेल-एण्ड के ऊपर। तो वह पानी तो हमारे वाला ही लेंगे और किसका लेंगे और पूर्व में ऐसा वे ले चुके हैं। 1800 क्यूसेक्स हमारे शेयर में आता है, टी.एस.एफ. के ऊपर, उसमें कई दफा हमें 200 क्यूसेक्स देते हैं, कई दफा जीरो क्यूसेक्स देते हैं। मैं आपको बिलकुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। इसके साथ-साथ में एक बात मैं आज और आपको आगाह कर रहा हूं, इस बात के लिए, ध्यान से सुनना आप। और किसी अधिकारी पर आप इस बात का विश्वास मत करना। जो डिस्ट्रिब्यूटरी आपकी बनी है, वहां पर चार फुट या साढ़े चार फुट वह वेड के अन्दर ऊपर है, आई.एन.जी.पी. मंत्री महोदय इस बात को ध्यान से सुन लें कि जो चार, साढ़े चार फुट का क्रेस्ट बनेगा डिस्ट्रिब्यूटरी की वजह से, वेड में ऊंची है और उस डिस्ट्रिब्यूटरी का जो वेड ऊंचा होगा उसकी वजह से

(श्री रामप्रताप)

वहां पर आपके प्रोटेक्शन वर्क नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह जानना, चाहता हूं, सभापति महोदय, कि अधिकारी वहां पर बार-बार जाते हैं। जहां पर आपका ड्रेन बन रहा है उससे सारा का सारा दस आरडी. ऊपर है, यह मामला। तो निश्चित तौर पर वे देखते होंगे, वहां पर नहर आपकी फिलिंग में है। मैं जोर देकर कह रहा हूं इस बात को, आप ध्यान से सुना। नहर आपकी फिलिंग में है। चार फुट का क्रेस्ट बना हुआ है और वहां से जब पानी उसके ऊपर से आएगा, प्रोटेक्शन वर्क आपका नहीं है। वहां से नहर में चालीस-चालीस फीट गहरे गड्ढे बनेंगे और अलरेडी आपकी चार आरडी. शुरू की है, आईएनजीपी. की, वहां पर 500 फुट लम्बाई में चालीस-चालीस फीट गहरे खड्डे बने हुए हैं, इसकी ड्रेन की वजह से। इसमें प्रोटेक्शन वर्क नहीं हुआ तो क्या आपको इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी ? क्या प्रयास किये गये यह हमारे भी आइन्दा वह सबसे बड़ी समस्या होगी, इस बात की।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमलाजी, एक मिनट। अभी आपने जिस प्रकार की जानकारी दी, उससे जो सन्देह रामप्रतापजी ने, जिस समय बंदी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये थे, वे बिलकुल सही निकले। आपने पंजाब सरकार का एटीट्यूड है, उसके बारे में जिक्र कर दिया। इस एटीट्यूड की जानकारी, हम सबको है। इसके बावजूद मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं कि बंदी के समय जिस कारण, शिड्यूल के हिसाब से वे बंदी करना चाहते थे और जो काम करना चाहते थे, वह काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, उस काम की गति क्या है, इस सम्बन्ध में आपके अधिकारी समय-समय पर आपको सूचना देते रहे हैं या नहीं ? बंदी का सारा अपनी तरफ से, उसकी निगरानी रखोगे। मान लीजिए कि बंदी 18 तारीख को या चार तारीख को समाप्त होने वाली थी, 18 को वह बंदी समाप्त हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसकी फोर-वार्निंग आपको मिली या नहीं मिली और इस दृष्टि से मैं पूछना चाहता हूं कि उसका मानिटरिंग हुआ या नहीं हुआ।

दूसरी बात, जिस वितरिका का उल्लेख आपने भी किया और रामप्रतापजी ने भी किया। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहूंगा कि हमारे और पंजाब के बीच में गवर्नमेंट आफ इंडिया के माध्यम से जो एग्रीमेंट हुए हैं। सरहिन्द कैनाल से किस प्रकार से वितरिका निकल सकती है। इसका एक सिस्टम डिफाइंड है और उस सिस्टम के आधार पर कोई वितरिका निकालें तो राज्य सरकार की कन्सल्टेशन जरूरी है। दोनों सरकार मिलकर कोई इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। यह कैनाल निकाल रहे हैं, इसकी जानकारी आपको कब मिली ? क्या आपके अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी कि कौनसी आरडी., 414 आरडी. के ऊपर यह वितरिका निकल रही है। यह राज्य सरकार को जानकारी कब मिली। यहां पर अखबारों में आने के बाद आपको जानकारी मिली या विभाग के अधिकारियों ने आपको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस बात की जानकारी दी। और जानकारी दी कि इस प्रकार की वे कोई वितरिका निकाल रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या था ? क्या रिएक्शन, इस समझौते के अनुसार इस प्रकार की वितरिका निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, इसके बारे में आपने क्या ध्यान दिया क्या व्यवस्था की ? और व्यवस्था करने के बाद में वे वितरिका निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते और निकाल सकते हैं तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस मामले में आपने पंजाब की सरकार को प्रोटेस्ट लेटर दिया या नहीं दिया ? यह दो बात मैं जानकारी करना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, एक बिन्दु जो माननीय सदस्य ने उठाया था कि उन्होंने पूर्व में भी आगाह किया था और अभी भी वे इस बात को दोहराना चाहते हैं कि दोनों नहरों की एक साथ बंदी नहीं लेने से, पहले जैसे हो चुका था, उस संदर्भ में नहरों को नुकसान होने का या कहीं से टूटने की पूरी आशंका रहेगी, यह उन्होंने आगाह किया था। इस बिन्दु को मैं कह नहीं पायी लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी तरफ से भी, हमारे अधिकारियों की तरफ से भी उस वक्त भी यह तकाजे किये गये थे कि बंदी दोनों नहरों की साथ-साथ दे दी जाए लेकिन जैसे उन्होंने तारीखें बदलने की सहमति नहीं जताई, उसी प्रकार से इस बिन्दु पर भी उन्होंने अपनी कोई सहमति नहीं जताई। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी, उसी प्लानिंग के मुताबिक ही उन्होंने यह कार्यवाही की। जहां तक आप यह जानकारी चाहते हैं कि आपको इस बात की जानकारी कब हुई 19 तारीख को जब यह टूटी है उसके बाद में पंजाब सरकार के अधिकारियों ने यह सूचना की थी 23.3.99 को कि इस प्रकार की एक 471 पर वितरिका बनायी जा रही है और हमारे अधिकारियों ने भी हमें इस बात की सूचना दी कि इस प्रकार की एक वितरिका वे अपने क्षेत्र में बना रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बन चुकी थी।

श्रीमती कमला : नहीं-नहीं, वह रेगुलेटर बना। वितरिका अभी नहीं बनी है, अभी रेगुलेटर बना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोनों तैयार हैं, आप मौके पर किसी को भेज दीजिए।

श्रीमती कमला : नहीं, अभी बीकानेर से जो अपने एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, उनको वहां भेजा था। मैं थोड़ा निवेदन करना चाहती हूं जो लोग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। जो लोग मौके पर जाकर देखकर आये हैं सारे सिस्टम को और वितरिका को...

श्रीमती कमला : आवाज नहीं आ रही है आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो लोग मौके पर जाकर सारे सिस्टम को और वितरिका को, रेगुलेटर को देखकर आये हैं, न उन्हीं लोगों ने हमें बताया है कि अभी आठ तारीख को हम गये। हमने यह देखा, वही हमने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बयान किया है। नहीं, आप थोड़ा इसको और दिखवा लें। किसी अधिकारी को भेजकर दिखवा लें।

श्रीमती कमला : मुझे जो सूचना आयी है, अगर उसमें कोई गलती है...

श्री रामप्रताप : डिस्ट्रिब्यूटरी का काम तो उन्होंने बड़े सलीके से पहले किया है और वह वास्तव में कम्प्लीट है और रेगुलेटर बगैरह यह, दूसरा, प्रोटेक्शन वाला, यह जरूर जवाब देना, यह आपके लिए जरूर संकट पैदा करेगा।

श्रीमती कमला : आपने जो बताया है, इस तरह से वितरिका के साथ उन्होंने कोई क्रेस्ट बनायी है। इस तरह की हमारे अधिकारियों ने सूचना दी है कि यहां पर ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बनाया है और साइफन यहां बन रहे हैं, वहां पर जरूर बनाया है। जो कि डिजाइन के मुताबिक है।

श्री रामप्रताप : एक ही से मतलब है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने खुद मेरी आंखों से अच्छी तरह से देखा है वहां पर। चाय पी है और पानी पीया है। सेम ही पांच पाइप आपके लगे हुए है, डेढ़-सौ, डेढ़ सौ क्यूसेक्स के, जो ड्रेन के लिए है। 800 क्यूसेक्स की केपेसिटी बताते हैं। वहीं एक ड्रेन वहां पर लगा है और उतने ही लेवल, उसके बेड के ऊपर है, आपके अधिकारी गलत क्यों बता रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि उसके ऊपर क्रेस्ट के ऊपर से जब पानी आकर गिरेगा तो उसका प्रोटेक्शन वर्क क्यों नहीं बना रहे, यह मैं खुद देखकर आया हूं।

श्रीमती कमला : मुझे जो अभी भी सूचना अधिकारी ने दी है, उसमें भी उन्होंने यह बताया है, मैं आपकी बात को बहुत जिम्मेदाराना वक्तव्य मानकर लेती हूं और मैं अभी इसको दुबारा कन्फर्म करूंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजती हूं। वरिष्ठतम अधिकारी, सचिव को कि वे स्वयं जाकर वहां मौका देखकर और किस तरह के क्या-क्या निर्माण हुए हैं और क्यों हमारे पास में सूचनाएं गलत आ रही है या आप स्वयं देखकर आये हैं, फिर बता रहे हैं, वह तो मैं नहीं कहती कि आप गलत हो सकते हैं।

श्री रामप्रताप : मैं माफी चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूं। मुझे शर्म आ रही है आपको बीच में इन्टरप्ट करते हुए। Your Secretary, Irrigation is very competent person, no doubt. लेकिन आप जाओगे कहां आपके चीफ इंजीनियर मौके पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर इतना बड़ा काम हो रहा है तो कई दफे वह भी गये होंगे और हमारे वहां से है कितनी दूर। ड्रेन बन रहा है वह तो हार्डली 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। निश्चित तौर पर चीफ इंजीनियर गये होंगे। प्रोटेक्शन वर्क वहां पर है नहीं।

श्रीमती कमला : मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इसकी हाइएस्ट लेवल से जांच कराकर सदन के सत्रावसान से पहले एक बार फिर मैं सदन को पूरा विवरण प्रस्तुत कर दूंगी।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चहाता हूं ..(व्यवधान)

श्री सभापति : अब किस बात की ?

श्री मदन दिलावर : मेरी प्रथम पर्ची है उस पर।

श्री सभापति : अब विनियोग पर चर्चा सुनिये। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री मदन दिलावर : चार लोगों की मोडक क्षेत्र में हत्या करदी गयी है रात को सोते हुए और इतनी निर्ममता के साथ हत्या की है कि घर में सो रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। भालों से उनकी हत्या की है। और एक महिला को तो घसीटकर, एक घण्टे तक घसीट कर वहां खेत में खड्ढे खोदते रहे और उसके बाद पेड़ से लटकाकर उसको फांसी देकर नग्न कर फेंक गये। माननीय सभापति महोदय, उसके पति की वहां पर खाट पर सोते हुए गर्दन पर भाले चुभो-चुभोकर हत्या कर दी गयी। उसके आठ बच्चे हैं। यह अश्क अली गावं का मामला है। (व्यवधान) इसके बाद दूसरे गांव में दो लोगों की और हत्या कर दी गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं करें। अंकित नहीं करें।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : यहां पर टाइम पर प्रोपर बात करनी चाहिये। यह कोई ..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : नहीं-नहीं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : आपने इसका नोटिस दिया था क्या ? नोटिस दिया है क्या आपने ? कहां है ? इसमें कुछ नहीं है?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामकिशन वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : सभापति महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। हत्या हुई है, सच्चाई है। लेकिन आई.जी. को उसी वक्त वहां से रवाना कर दिया। डी.आई.जी., एस.पी. वहां पर मौजूद हैं। मैं स्वयं चला गया था कलक्टर साहब को लेकर और यह ऐसे लोगों ने हत्या की है जिनका अभी अता-पता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से पकड़े जाएंगें। इस प्रकार की पहले भी उन्होंने वारदातें की हैं और उनको पूरी सहायता भी दे दी और भी सहायता के लिये हम मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे। मैं आपको यह कहता हूं कि वहां पर पुलिस की एक पूरी बटालियन कोटा तो चली गयी है। उनकी कम्पनी चली गयी है। वह वहां पर पूरी देखभाल कर रही है, गश्त कर रही है। लोगों में न कोई

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामकिशन वर्मा)

भय की बात है, न कुछ चीज है। लेकिन यह निश्चित है कि वह पकड़े जाएंगे और उनका हम लोग इलाज करेंगे।

श्री मदन दिलावर :- मेरे अटरू विधान सभा क्षेत्र में मंदिर को लूटा गया। पुजारी की कनपटी पर वार किया गया। मैंने धरना दिया। प्रशासन को चेताया कि इस प्रकार के जो गलत लोग हैं, उनको पकड़ें। मूसल माता मंदिर पर तिजोरी निकालकर ले गये, अंताना मंदिर पर तिजोरी निकालकर ले गये। मैंने प्रशासन को सारी जानकारी दी है कि और उपद्रव करेंगे इनको पकड़ो। लेकिन प्रशसन ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री सभापति : ठीक है बैठिये। सुरेन्द्र जी व्यास।

विधेयक पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं चर्चा के दौरान कुछ नीतिगत प्रश्न उठाने की चेष्टा करूंगा और यह अपेक्षा करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इन्टरवीन करें और सवालात के जवाब दें। कई दिनों से मुख्य मंत्रीजी सदन में नहीं हैं। वैसे कानूनी तरह से कोई बाध्य भी नहीं है कि वह जवाब दें। एप्रोप्रिएशन बिल का जवाब वित्त मंत्री जी देंगे, लेकिन इस सदन की यह परम्परा रही है कि चीफ मिनिस्टर लीडर आफ द हाउस, फाइनेंस मिनिस्टर के पहले इन्टरवीन करते हैं, पालिसीज पर जवाब देते हैं। मैं आशा करता हूं कि कल वह यहां मौजूद होंगे और इन सवालों का जवाब देंगे।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में श्वेत-पत्र का उल्लेख किया है। इस सरकार ने जनवरी माह में प्रकाशित किया। राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में आंकड़ों से यह श्वेत-पत्र भरा हुआ है, जो भी इसके अंदर फीगर्स दिये हैं, वह सही हैं। यह भी सही है कि जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी और बी.जे.पी. ने सत्ता संभाली 1990 के बाद तो 8 साल के अन्दर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया। यह बातें उसमें लिखी हुई है, घोषणा-पत्र में भी लिखी हुई है जिसका हवाला बार-बार देते हैं।

घोषणा-पत्र के पेज-11 पर लिखा हुआ है; चौपट अर्थव्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी शासन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। कांग्रेस शासन में सात पंचवर्षीय योजनाओं में कुल 7179 करोड़ रुपये के खर्चे से आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया गया था परन्तु भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 12500 करोड़ खर्च कर के प्रदेश में नाम मात्र का भी विकास नहीं किया। इस आठवीं पंचवर्षीय योजना का बहुत अधिक प्रचार करने के बावजूद भी गांवों में कहीं कोई विकास कार्य नजर नहीं आता। लगता है सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वर्ष 1989-90 में आंतरिक एवं भारत सरकार का ऋण व अन्य देनदारियां कांग्रेस के सत्तापक्ष छोड़ते समय 6026 करोड़ थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के आठ वर्षों में बढ़ कर 23361 करोड़ हो गयी है। इस राशि पर 2216 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य को ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यह राशि राज्य के कुल कर राजस्व का 50 प्रतिशत है। राज्य का वित्तीय घाटा भी करीब 3800

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है, इस बजट को आप पास करायेंगे, पब्लिक रिलेशन आपके कम हैं, जो एम.एल.एज. ट्रांसफर और उसका+ + +करते हैं उसमें नहीं हैं आप कि, साहब यह ट्रांसफर कर दो लेकिन काम आप बेशक करते हैं। राउंड दि ईयर काम करते हैं। अक्टूबर तक तो आपकी बी.एफ.सी. की मीटिंग्स खतम हो जाती हैं। ग्राउंड वर्क टोटल किया हुआ किस का है, बी.जे.पी. गवर्नमेंट का। सभापति महोदय, जिस इकानामी को बाई योअर ऑन प्रोक्लेमेशन, बाई योअर ऑन मेनिफेस्टो आप यह कहते हैं कि बी.जे.पी. शासन ने कम्प्लीटली डिजोल्व कर दिया था आठ साल के शासन में, आप उसको दो-तीन महीने में, यानि आपने 7 दिसम्बर को, अगर मैं गलती में नहीं हूं, तारीख एक-दो आगे-पीछे हो सकती है, वित्त मंत्रालय संभाला आपने और 26 मार्च को आपने बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्रीजी, यह वास्तविकता है, यह बजट आदर्श किशोर सक्सेना का है जिसका ग्राउंड वर्क बी.जे.पी. गवर्नमेंट ने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिद्धांत हमारे हैं, नीति हमारी, लेखनी आप की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनिये आप। आपने सिर्फ लास्ट का पैच वर्क किया है। सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन यह सिर्फ इस बात से नहीं कहता हूं मैं, व्यवसाय कर में क्या हुआ?

एक माननीय सदस्य : वापस ले लिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वापस लेना अलग बात है। मेरा कंटेंशन यह है कि आपने होम वर्क नहीं किया था। आपको कुछ गलत तरीके से ब्रीफ किया और आपने वही बात सदन में कह दी यहां पर।

आपने जब बजट पेश किया तब आपने सिर्फ व्यवसाय कर पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक चर्चा की उसमें आपने कहा, एक दूसरे पेज पर आप कहते हैं कि 141 करोड़ रुपया हम इकट्ठा करेंगे। बजट के अन्दर आपने दो बातों के अलावा कोई उल्लेख नहीं किया है। मेरे पास कापी है जिसमें यह लिखा हुआ है। वह कागज, सभापति महोदय, अब आप यह समझिए, I am sorry, I am constrained to observe, Mr. Chairman, the performance of the Finance Minister was dismal in this budget. आपने जो बजट भाषण में यह कहा उसके बाद मैं पढ़ता हूं आपको। आपके रिप्लाई के अन्दर बजट पर बहस हुई। आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने होम वर्क ही नहीं किया। आपने आइडेंटीफाई नहीं किया। आपने इनकम को डिवाइड किया, उसको नहीं किया आपने सिर्फ कान में कह दिया आदर्श किशोर सक्सेना को कि हम क्या करें, कैसे बढ़ायें कि साहब महाराष्ट्र के अन्दर आयकर सर्विस टैक्स लगाया हुआ है, आप भी लगा दो। चलो लगा दो। क्या आधार था आपके पास 141 करोड़ रुपये का। आपने भाषण में कोई नहीं बताया, आपने बजट के पेपर्स में कोई नहीं बताया। कोई

+ + +शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ब्रेक अप दिया आपने की एण्ट्री टैक्स का तो इतना पैसा वसूल होगा और प्रोफेशन टैक्स का इतना पैसा वसूल होगा। सभापति महोदय, जब यहां पर चर्चा आकर शुरू हुई तब यह वित्त मंत्रीजी ने यहां कहा कि इनकम टैक्स पेई और इनकम टैक्स असेसी, (व्यवधान) नहीं, असेसी पहले कहा, पहले कहा इनकम टैक्स असेसी और उसके बाद इनकम टैक्स पेई कहा और उसके बाद क्या कहा। 18 अप्रेल को यह विज्ञप्ति निकाल दी कि टोटेलिटी के अन्दर हम इनकम टैक्स एक्ट से इंनकम बोरो करेंगे। उनको रिजम्पशन होंगे, हम रिजम्पशन देंगे। वह जो टैक्सेबल इनकम होगी उसको टैक्सेबल मानेंगे। यह आपके विभाग की विज्ञप्ति है 18 अप्रेल की। और 19 अप्रेल को वित्त मंत्रीजी, आपने शून्यकाल में खड़े होकर कह दिया कि हम वापस लेते हैं, मुझे सभापति महोदय, क्षमा करेंगे, एक डिसीजन से आपने पूरे मिडल क्लास, पूरे सर्विस क्लास, पूरे सैलेरी क्लास, पूरे व्हाइट कोलर्ड और पूरा ओपीनियन मेकर्स एक, वाई वन स्ट्रोक डिसीजन आपने सबको लामबन्द कर दिया, खिलाफ कर दिया। आप बहुत अनुभव रखते हैं। मैं मानता हूं कि आपने रेजिस्ट भी किया होगा। निश्चित मानता हूं जितना मैं आपको जानता हूं लेकिन किसी प्रकार का दबाव था कि आपको यहां पर शून्यकाल में घोषणा करनी पड़ी कि मैं इसको विदड्रा करता हूं।

सभापति महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने एक शब्द यहां पर कहा था कि बड़ी+ + +हुई। अध्यक्षजी ने कहा कि साहब अनपार्लियामेंटरी, नहीं अनपार्लियामेंटरी उन्होंने नहीं कहा। पहले भैरोंसिंहजी ने उसका दूसरा अनुवाह बताया कि बेइज्जती। मैं अगर इसको अनपार्लियामेंट मानते हो तो मैं इसको विदड्रा करता हूं। + + +का मतलब बेइज्जती नहीं होता। + + +का मतलब you are a source of ridicule.

अब अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करतना चाहता हूं कि यह क्यों हुआ? तसल्ली से विचार करें आप। अभी वोट आन अकाउन्ट पास कराते हैं। अगर आप तसल्ली से आते तो इतनी गफलत नहीं होती। अब एक गवर्नमेंट यहां पर पी.सी.सी. के दफ्तर में, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कांग्रेस के माननीय सदस्यों, को कि बी.जे.पी. के कौन-कौन अफसर हैं उनकी लिस्ट बनाओ, कर्मचारी कौन-कौन हैं उनकी लिस्ट बनाओ। वित्त मंत्रीजी, एईएन. और एस.डी.ओ. कोई बी.जे.पी. का नहीं होता है। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो जाता है। एक आदमी अगर पोस्टिंग कराता है। राजेन्द्रजी की कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर, जिसका पोस्टिंग उन्होंने कराया है वह बी.जे.पी. का हो गया? और राजेन्द्र राठौड़ से राजेन्द्र चौधरी की कांस्टीट्युएंसी में गया तो वह कांग्रेस का हो गया? तो सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी कमजोरी ट्रांसफर है। सुपर टाइम स्केल के आई.ए.एस. आफिसर का आप ट्रांसफर कर दीजिए अजमेर। सुबह से शाम तक सी.एम. के खानसाने से लेकर बॉडी गार्ड

+ + +शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तक सब जगह चक्कर लगायेगा। अपन ठीक है कि छोटे आदमी को जल्दी पकड़ते हैं, लेकिन सभापति महोदय, जो हाइएस्ट इकेलोन पर ब्यूरोक्रेसी बैठती है जो पालिसी फारमुलेशन के अन्दर कंटीन्यूट करती है उसको आपको सख्त करना पड़ेगा। यह कौन है, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक राज्य के प्रशासन की, समाज की और सब कुछ रीड़ की हड्डी है वह है राज्य की अर्थव्यवस्था। आपने 100-50 ट्रांसफर भी कर दिये। रिशफल भी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी वहां की वहां बैठा हुआ है, फाइनेंस सेक्रेटरी वहां की वहां बैठा हुआ है। जिन लोगों ने पिछले सालों में बी.जे.पी. के कार्यक्रमों को इतना तसब्बुर बनाया है, एक कल्पना बनायी है कि यह बी.जे.पी. का कार्यक्रम है इसमें उनको दिमाग के अन्दर रखकर चलना है। इस कार्यक्रम की क्रियान्वति करनी है। उनसे आप यह अपेक्षा करते हैं क्यों अपेक्षा करते हैं? आप घोषणा-पत्र पकड़ा देते हैं उनको। उससे बदल जायेंगे? यह कौनसा आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डालना चाहते हैं। वित्त मंत्रीजी, यह तो मुख्य मंत्रीजी से पूछिए आप। घोषणा-पत्र के बाउण्ड आपकी गवर्नमेंट है। जिस राजनीतिक दल का घोषणा-पत्र होता है उस राजनीतिक दल की जब सरकार बनती है तो वह गवर्नमेंट उस प्रोग्राम से बाउण्ड है। उस घोषणा-पत्र को बनाने के अन्दर मुख्य मंत्रीजी नहीं बैठे। मुख्य मंत्रीजी एक बहुत चतुर, समझदार और सयाने आदमी हैं।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य उन सारी बातों के बारे में बोले जा रहे हैं। आप यह भी बोल रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अधिकारियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा। यह गलत बात है और वह इस तरह की बात...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसमें क्या बात हुई, साहब? सभापति महोदय, आपने इनको इन्टरप्ट करने के लिए अलाऊ किया है क्या?...(व्यवधान)

श्री सभापति : यह चर्चा चल रही है, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मुझे माननीय सदस्य की अनभिज्ञता के ऊपर आश्चर्य हो रहा है। मेरे को माननीय सदस्य की...(व्यवधान) आप सुनें। यह तो खुद मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। घोषणा-पत्र में दिया है। पूरी दुनिया में, अखबारों में छपा है। इसमें क्या गलत बात हो गयी?

डा. चन्द्रभान : पी.सी.सी. के प्रेसीडेंट, वे मुख्य मंत्री भी थे और उनकी अप्रूवल से ही यह घोषणा-पत्र जारी हुआ है और आप जो कह रहे हैं कि इस घोषणा-पत्र को मुख्य मंत्रीजी ने बिना पढ़े ही अप्रूव कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कहा, नहीं कहा मैंने। बिलकुल नहीं कहा।

डा. चन्द्रभान : आप कह रहे हैं न। साहब, आप कमाल करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं हाउस के सबसे जिम्मेदार सदस्यों में से हूं। मैं ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करूंगा ही नहीं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक मिनट। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। I will take strong exception to this. You cannot put words into my mouth. What is this ? I never said this.

डा. चन्द्रभान : आपने यह नहीं कहा कि...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : I never said this.

श्री महेश जोशी : आपको खुद को ही ध्यान नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। आप कैसे इन्टेलीजेंट हैं? आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि आप क्या कह रहे हैं। आप जैसे कन्फ्यूज्ड आदमी को खुद को ही पता नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अभी आपने कहा... (व्यवधान) अभी आपने यह कहा कि यह घोषणा-पत्र जो तैयार हुआ है लगता है कि उसमें मुख्य मंत्रीजी नहीं बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं कहा है मैंने।

डा. चन्द्रभान : यही कहा है। मैं कह रहा हूं। सुना है मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुना ही नहीं आपने। मैं कह रहा हूं न। नहीं कहा।

डा. चन्द्रभान : यदि नहीं कहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना। यह एक कमेटी बनी थी जिसमें मैं खुद...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी प्रदेशाध्यक्ष थे उन्होंने ही तैयार कराया था और उनसे अप्रूवल हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मैं गैर जिम्मेदारी की बात कभी इस सदन के अन्दर करने का मैं अभ्यस्त नहीं हूं। आपने जो कहा है वही मैंने कहा है कि मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए एक कमेटी बनायी थी और आप जैसे योग्य महानुभावों की कमेटी बनायी थी। मुख्य मंत्रीजी एक चतुर, सयाने, समझदार और नेतृत्व शक्ति रखने वाले आदमी हैं। वह जब आपसे घोषणा-पत्र तैयार करवा सकते हैं तो मंत्री मण्डल में क्या टेलेंट की डर्थ आ गयी? इस घोषणा-पत्र के अनुरूप मंत्री मण्डल से फैसला करवाओ। आज ब्यूरोक्रेसी को हुकम दो, निर्देश दो आर्डर देओ, नोटिफिकेशन निकालो, रूल्स को अमेंड करो, कानून बनाओ। आप सीधा घोषणा-पत्र पकड़ा देते हो जैसे गांव से कोई आदमी आता है बिना पढ़ा लिखा कागज भेजता है आप पढ़ो इसमें क्या लिखा है और करो। सभापति महोदय, यह इसका एक पहलू है।

अब वित्त मंत्रीजी कैसे राज्य की आर्थिक स्थिति को सम्भालेंगे इसके लिए उन्होंने कहा है मितव्यता, कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन तो वित्त मंत्रीजी, वैसे मैं बहुत बच्चा था तब से आपके सम्पर्क में हूं। आप आदमी तो कठोर अनुशासन वाले हो लेकिन आपका कठोर अनुशासन, कठोर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वित्तीय अनुशासन चलेगा मुझे इसमें संदेह है। और मुझे संदेह नहीं है जो अभी 13 तारीख को एक क्वेश्चन लिस्ट हुआ, वन विभाग से सम्बन्धित, और जिसका जवाब आया उसके बाद तो पूरा सदन संशय में है कि आप वाकई कठोर वित्तीय अनुशासन रख सकोगे? आपकी तर्ज क्या है? आपकी आवाज क्या है और आपका वन मंत्री क्या कहता है। मौजूदा सरकार बनने के पश्चात् कोई नया पद सृजित नहीं किया है केवल मात्र इन्होंने जो पद तीसरा बना दिया था उसको विधिवत पोस्ट क्रियेट उन्होंने नहीं की थी और इसलिए दिक्कत आई उस काम को निपटाने के लिए, नहीं तीसरा पद उन्होंने कायम कर दिया था 23.2.98 के जरिये इसलिए मौजूदा सरकार ने भी उस पद को यथावत कायम रखते हुए व्यवस्था बनाये रखी है। अभी इसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं किया गया है। सभापति महोदय, जितनी सी जानकारी मुझे है उसके अनुसार फोरेस्ट मिनिस्टर के लेबल की यह बात नहीं है कि वह पोस्ट क्रियेट कर दे। फाइल तो डेफीनेटली आपके पास आई होगी। पोस्ट जस्टिफाइड नहीं है। पोस्ट का क्रियेशन जस्टिफाइड नहीं है। और वित्त मंत्रीजी आप एस्थेटिक कंसीडरेशन से काम करें यह मैं मानता हूं। यह कोई भी नहीं मानेगा राजस्थान में और आप इसको समझे नहीं, इसकी इम्पलीकेशन्स को नहीं समझे यह भी हम नहीं मानते हैं। निष्कर्ष यही कि मुख्य मंत्री ने कहा होगा क्या निष्कर्ष निकलता है। सभापति महोदय, आप क्या मितव्ययता करना चाहते हैं। भाषण दे रहे हैं आप 7 इंजीनियर है हमको तय करना पड़ेगा खतम करें या नहीं करें। इसको वापस रखें या नहीं रखें आप तो पोस्ट क्रियेट कर रहे हो उल्टा उस पोस्ट का जस्टिफिकेशन क्या वित्त मंत्रीजी माननीय यशवंत सिंह रामू ने कोई 65 लाख रुपये का जिक्र किया। मैं उस जिक्र में नहीं पडूंगा क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी एवीडेंस नहीं है। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि इसका पोस्ट का क्रियेशन आपके कठोर वित्तीय अनुशासन की जो आपने घोषणा की है उसके सर्वथा प्रतिकूल है, नियमों के प्रतिकूल है इसका कोई औचित्य नहीं है और इसमें किसी न किसी का, यह मेरे लिये कहना बहुत मुश्किल है निहित स्वार्थ है यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं।

अब सभापति महोदय, साथ ही कठोर अनुशासन, वित्तीय अनुशासन, सादगी और मितव्ययता तीनों चीज आपके पास मूल मंत्र है। हां राजस्व के, यह अलग आयेगा। तो अब सादगी के विषय में तो मैं सभापति महोदय, क्या निवेदन करूं यह तो आप खुद ही जानते हैं। आपका जीवन सादा ही है यह मानता हूं। इसमें मेरे को कोई संकोच नहीं है मानने में। बाकी आप कितना सादा जीवन लोगों का रख पायेंगे, कितना कुछ नियन्त्रण कर पायेंगे इसमें मुझे संदेह है और मितव्ययता को तो आपने कोई मेजर इस बजट भाषण में नहीं दिया अपने रिप्लाई में नहीं दिया अभी तक सदन के सामने आपने कोई इंडीकेशन ऐसा नहीं दिया कि आप मितव्ययता किस चीज में करेंगे और बहुत

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

गुंजाइश है सभापति महोदय आप तो पुलिस भी आप गिन लो ना पहले-पहले। सिक्योरिटी पर्सनल कितने लगे हुए हैं। कितने सारे लोग सिक्योरिटी के नाम से लोगों के पास लगे हुए है। एनटाइटल्ड हैं उनके भी लगे हुए हैं जो एनटाइटल नहीं है उनके भी लगे हुए हैं। और तो और, वित्त मंत्रीजी, प्राइवेट लोगों के लगे हुए हैं। इनको जिनको फेवर करना था इन्होंने लगा दिये वह भी कन्टीन्यू कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी एजेन्सी होती है सभापति महोदय, उसको जो पेमेंट करना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए उसके मुकाबले में सम्भवतया 10 परसेन्ट या 15 परसेन्ट पैमेंट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की पुलिस इसलिए है आम कानून और व्यवस्था तो मैंटेन करें नहीं आम आदमी की हिफाजत करें नहीं और चन्द लोगों के पीछे लग जाये फिर सभापति महोदय सिक्योरिटी भी नहीं है। स्टेटस सिम्बल है।

श्री सभापति : टाइम का आप ध्यान रखें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आप जब मुझे खतम करना हो उसके 10 मिनट पहले कहना क्योंकि लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात है वह लास्ट में लेऊंगा मैं। बीच में छोड़ दूंगा अगर आप कहोगे तो।

श्री सभापति : 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 10 मिनट में खतम कर दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 10 मिनट और 10 मिनट बाद बोलूंगा 20 मिनट दो। तो सभापति महोदय, पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स के लिए आपने कहा अभी आपने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है वित्त मंत्रीजी। एक आपने आवास विकास संस्थान को खतम कर दिया कोई बताया है यह जितने पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं आप इस बात को समझते हैं कि बढ़िया डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कौनसी होती है जो गवर्न्स द लीस्ट। आपने यह जो ट्रेडिंग शुरू किया उसमें भी आपको फायदा कहीं नहीं हो रहा है। आन दि कांट्रेरी मुझे सभापति महोदय, ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है, यह ईमानदारी से मैं नहीं सब लोग मानते हैं, वित्त मंत्रीजी की मंशा पर कोई शक नहीं कर सकता। यह कैसे गफलत करते हैं। अब यह शराब के ठेके नहीं उठ रहे हैं। अखबार में खबर छपी है आरटीडीसी. से बीयर की कीमत बढ़वा दी। आरटीडीसी. का टोटल प्रोफिट सभापति महोदय बीयर और बहरोड है, बाकी सब वेस्ट फुल एक्सपेंडीचर है। अब आपने बीयर बढ़वा दी तो आप तो कहेंगे बीयर की कीमत बढ़ा दी इसलिए सेल ज्यादा हो गयी। सेल ज्यादा नहीं हो गयी ठेकेदारों से काम्पीटीटिव रेट कम थी आरटीडीसी. की, इसलिए तो उनको फायदा हो रहा था। आरटीडीसी. को वह ठेकेदारों के दबाव से बढ़ाई है। आपने अब ठेकेदारों के दबाव से और भी काम किया है। जहां पर ठेके नहीं उठे वहां प्राइवेट दुकानें खोली हैं आपने। प्राइवेट दुकान वाले को 13 रुपये का पाउच मिलता है जैसा मुझे बताया गया है, I am open to correction.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

4 रुपये का पाउच मिलता है गंगानगर शुगर मिल से ठेकेदार को। मैं आपसे सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं यह सब व्हाइट एलीफेंट जो गवर्नमेंट ने बांध रखे हैं पब्लिक अण्डरटेकिंग उनको तो गोल करो, शराब का व्यापार हाथ में लेओ अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं बिकुल, हंसने की बात नहीं है। बड़ी रेवेन्यू हुई है। दिल्ली के अन्दर है यह। लिकर का अपन खुद बिजनस करें, क्या उसमें दिक्कत है; क्या गलत है उसमें? फिर आपने रिकवरी के लिए भी ऐसा कोई संशक्त माध्यम, सशक्त बात आपने अपने भाषण में नहीं कही। मैं सभापति महोदय, इस बजट में कोई एक्सीलेंस वाली बात नहीं है। This budget does not appear to be seeking excellence. This budget does not seek excellence. आंकड़ों में फंसे हुए हो आप। इन्होंने 4 सौ खोल दिये, हमने 6 सौ खोल दिये। इन्होंने 6 सौ खोल दिये, हमने 8 सौ खोल दिये। जोधपुर विश्वविद्यालय खोल दिया। आप खोलिये विधि विश्वविद्यालय मुझे कोई एतराज नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, आपको तो वित्त मंत्रीजी अच्छी तरह से याद है राजस्थान यूनिवर्सिटी used to be a premier educational institution in the country. मोहन सिंह मेहता के जमाने को याद कीजिए आप। People of highest calibre were drawn from all over the country to this University. क्या टाइम था वह। और आप क्या समझते हो वह टाइम आप रेस्टोर नहीं कर सकते? ग्लोरी कर सकते हैं आप। आप सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते हैं? एफिलिएटिंग करेक्टर की यूनिवर्सिटी अलग कर दें। कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया यूनिवर्सिटी के अन्दर यह सही है। वहां अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते, लड़के पढ़ना नहीं चाहते, कर्मचारी काम नहीं करना चाहते यह व्यवस्था हो गयी। इक्वल व्यवस्था हो गयी। मैं तो आपके गोल से ही डिफर करता हूं वित्त मंत्रीजी कि आप सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाएं। एफिलिएटेड युनिवर्सिटी अलग है और वह हायर एजुकेशन किसका गोल है। सभापति महोदय, भारतवर्ष संभवतया बहुत चंद मुल्कों में से है इस दुनिया के अन्दर, जहां हर आदमी को यह आजादी है वह एम.ए., डबल एम.ए., ट्रिपल एम.ए. कर पाये। यूनिवर्सिटी वेटिंग रूम है सूटेबल एम्प्लायमेंट के लिये लड़कों के लिये, और सूटेबल मैच के लिये लड़कियों के लिये।

(15.00 बजे)

मैं मुख्य धारा से अलग हटकर बात करना चाहता हूं। सभापति महोदय, लोकल और रीजनल एस्पीरेशन हरेक का यह है कि कालेज खुले। व्हाई फोर? यह झगड़ा था 48 परसेंट पर एडमिशन कर दो फिर 45 परसेंट पर एडमिशन कर दो। एम्प्लायमेंट की आप बार-बार बात कहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी एम्प्लायमेंट प्रोवाइड करायेगी? आपके कालेजेज एम्प्लायमेंट प्रोवाइड करेंगे? यह आपके अनएम्प्लायमेंट जनरेट करेंगे। टैक्नीकल एजुकेशन पर आप क्यों नहीं ध्यान देते। सैल्फ एम्प्लायमेंट पर आप क्यों नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ध्यान देते हैं। एक बात पर खड़े हो जाते हैं यह लगातार विपक्ष के, बी.जे.पी. के कि 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दी। इसलिये अब एम्प्लायमेंट ही कहां है। मुद्दा ही गलत है। नीतिगत फैसला था कांग्रेस का। मैं समझता हूं बिलकुल सही है, 60 से 58 वर्ष होनी चाहिये थी और आपने घोषणा-पत्र के अनुरूप कर दी 58 वर्ष, बहुत अच्छा किया। इसमें यह मुद्दा कहां से आ गया कि 5-10 हजार आदमी अगर रिटायर हो गये तो उससे आपको सबको नौकरी मिल जाएगी एक साथ... नहीं वह सब पढ़ लिया मैंने इससे कोई नौकरी नहीं मिला करती। राजेन्द्रजी, लोगों से मिलते हैं आप भी। स्टैग्नेशन हो गया था। सर्विसेज के अन्दर आप इसका जनमत संग्रहण करवायें अगर नौकरियों के अन्दर, तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी आपके इस 58 साल से बहुत राजी हैं। स्टैग्नेशन हो गया था। प्रमोशन रुक गये थे लोगों के और ऐसा कोई कांट्रैक्ट नहीं होता है कि मेरी हैल्थ 70 तक अच्छी है इसलिये मैं 70 तक रहूंगा। 70 से ऊपर हैल्थ हमारे वित्त मंत्रीजी की अच्छी है तो डेमोक्रेसी में आप वित्त मंत्री रह सकते हैं। सरकारी नौकर नहीं कह सकता यह कि मेरी 78 तक अच्छी है हैल्थ तो इसलिये मैं रहूंगा...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राजनीति में भी लाओ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, राजनीति में नहीं ला सकते। वहां आप 35 और 40 वालों को बीच में घर बिठा देते हो, रिटायर कर देते हो तब क्या होगा। यह एक अलग इश्यु है, लेकिन मैंने कुछ बातें यहां पर निवेदन की है। चूंकि आप कुछ फरमा रहे हैं मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन के अन्दर, वैसे मैं माननीय महेशजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अपने प्रभाव का उपयोग करके राजस्थान के अन्दर सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी कायम करवाइये जयपुर के अन्दर। मुझसे अनावश्यक मत उलझिये। मैं कभी कोई गलत बात बोलता भी नहीं हूं। आप तो (व्यवधान) नहीं, नहीं, सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाइये आप...

श्री महेश जोशी : आपका प्रभाव ज्यादा है मेरे से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा कहां प्रभाव है? मेरा प्रभाव है तो जहां आपने बिठा ही रखा है मुझे जहां प्रभाव है वहां। बताइये।

श्री महेश जोशी : आप तो हम पर निगरानी रख रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खैर छोड़िये, गंभीर बात है। सभापति महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि सदन के नेता यानि चीफ मिनिस्टर के और प्रतिपक्ष के नेता, अपोजिशन के लीडर के सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। सोहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं शुरू से। स्व. मोहनलाल सुखाड़िया के जमाने से और बहुत लम्बे अंतराल तक प्रतिपक्ष के नेता महोदय प्रतिपक्ष के एक बहुत सफल नेता रहे हैं और बहुत कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ आधार सहित तो आधारहीन, सब प्रकार के जा-बेजा आरोप इन्होंने लगाये हैं। लगाया, आगे नहीं खींचा ड्राप कर दिया। और वह सिलसिला चलता रहा। 1990 में दस साल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के अंतराल के बाद बी.जे.पी. ने शासन संभाला। माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री बन गये। मुख्य मंत्रीजी का, एप्रोप्रिएशन बिल पर आपका जवाब होगा वित्त मंत्रीजी। तब वह वित्त मंत्री थे। आप भी इस सदन में मौजूद थे। उनका जवाब पढ़ रहा हूं मैं। सभापति महोदय, 20 जुलाई का है। "मूल्य आधारित राजनीति की बात करते-करते निर्वहन का जिक्र कर गये। यह जरा आप सुने। यह मूल्य आधारित राजनीति राजस्थान में लागू करने की दृष्टि से हमने भ्रष्टाचार के विरोध का अभियान चलाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं राजनीति हो, चाहे सर्विसेज हो, लोगों में भय पैदा होगा कि भ्रष्टाचार के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है। इस राजनीति का शुद्धिकरण होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जो कार्यवाही की है वह शायद कई वर्षों में नहीं हुई। हमने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का सुदृढ़ीकरण किया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 45 लाख रुपये की राशि बरामद करना राजस्थान के इतिहास में एक अनहोनी घटना है। पहली घटना है जिसमें 45 लाख रुपये हमने बरामद किये हैं। कई लोगों के चालान हुए, कई लोग जेल में पड़े हैं और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया। बड़े जोर से बोले कि विधान सभा में मैंने जो आरोप लगाये उन आरोपों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी को कार्यवाही करनी चाहिये। मैंने आपको उस समय भी विश्वास दिलाया था कि मैं कार्यवाही करूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह कार्यवाही करने के लिये मुझे एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं ही राजस्थान का मुख्य मंत्री हूं और मैंने ही विपक्ष में बैठकर आरोप लगाया है तो कहीं ऐसा न हो जाए कि लोग मुझे यह कहें कि उन्होंने विंडिक्टिवनैस से किसी प्रकार का काम किया।" आखिर में यह थोड़ा सा छोड़कर दूसरा, इर्रेलेवेंट बात है उसे छोड़ देता हूं।

सभापति महोदय, इन मामलों में कहीं राजनीति न आ जाए बिलकुल न्याय के आधार पर फैसला किया जाए उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने तीन सदस्यों की एक समिति भी बनाने की घोषणा की है। जिसमें होंगे एक जस्टिस बेरी, जिनकी ईमानदारी पर काई संदेह नहीं कर सकता। एक होंगे भूतपूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी मंगल बिहारी जिनकी इंटेमिटी, ईमानदारी और काबलियत पर कोई संदेह की अंगुली नहीं उठा सकता। तीसरे होंगे श्री कपूर। राजस्थान केनाल बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन थे। इन तीनों की कमेटी राज्य सरकार बनायेगी और कमेटी इन सारे मामले को लेकर सरकार को यह एडवाइज करेगी कि इन मामलों में चालान किया जा सकता है या इनमें सर्विस रूल्स की मार्फत काम किया जा सकता है। इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या इनकी सिविल लायबिलिटी बनती है। यदि इंक्वायरी में कमी है तो उस इंक्वायरी को पूरा करना है। मैं आज आपको कहता हूं कि इस कमेटी का गठन होने के साथ ही कार्यवाही शुरू होगी। न राजनीतिज्ञ बचेगा, न सरकार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

का कोई बड़ा अफसर बचेगा। जिसने घपले किये हैं वह निश्चित रूप से फंसेंगे। और मैं यह कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये प्रोफेसर केदार और रामकिशन जी, दोनों की बातों से सहमत हूं और भ्रष्टाचार का विरोध करते-करते मेरी कुर्सी चली जाए तो मैं कुर्सी को लात मार चला जाऊंगा लेकिन भ्रष्टाचार को खतम करने की कोशिश करूंगा। खैर यह तो फालतू की बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की या नहीं की, इससे मतलब नहीं है। मुख्य बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय भैरोंसिंहजी ने सत्ता संभालने के बाद दोनों तरफ से ईमानदारी बरती, मैं इसकी सराहना करता हूं। जो आरोप लगाया उसकी कमेटी बनायी कि पेरिट के ऊपर गवर्नमेंट को यह एडवाइस करेंगे कि इसमें सिविल लायबिलिटी बनती है, या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। इसमें केस चालान होना चाहिये, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिये, या क्या कार्यवाही होनी चाहिये। इसका मतलब इनके आरोप तथ्यहीन नहीं थे, आधारहीन नहीं थे। सीधा कार्यवाही नहीं करके उनकी कमेटी बनायी, उससे भी मैं सहमत हूं। क्योंकि नेचुरली एक आदमी विपक्ष में बैठते हुए आरोप लगाता है तो खुद ही उस कार्य पर प्रायोरिटी दे, अनुचित है।

सभापति महोदय, इस कमेटी के अन्दर जितने भी प्रकरण गये वह सब टांय-टांय फिस्स हो गये। कोई आज ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि कोई ठोस सबूत कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ मिला हो और उसके अन्दर कार्यवाही हुई हो। 9 साल के अंतराल में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। एक सैशन में मैं भी कांग्रेस का सदस्य रहा हूं। और हम लोगों ने बहुत आरोप लगाये हैं यहां पर, और सभापति महोदय, इनसे ज्यादा सटीक और ठोस आरोप लगाये हैं। आप तो पार्टी के कमिटमेंट की बात कीजिये...(व्यवधान) पहले। एम्फोर्ट प्रकरण का क्या कहते हो आप। पूरी विधान सभा के 76 विधायक मिलकर आंदोलनरत थे। मुख्य मंत्रीजी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रदेश कांग्रेस ने आंदोलन किया तो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अहम् में उन सबको कुचल दिया और कुछ भी नहीं किया। आज आप शासन में हो, आप अब क्या करोगे। केसेज का इंवेस्टिगेशन का रास्ता तो मोड़ दिया गया। उससे नतीजे नहीं आने वाले हैं। अब उसके लिये आप सी.बी.आई. से इंक्वायरी की मांग भी नहीं कर रहे हैं। सी.बी.आई. से जो वह क्या है, मैं उनका नाम नहीं जानता, कोई हैं, राजेन्द्रजी, आपको नाम याद है क्या उनका एम्फोर्ट प्रकरण में कौन था वह...(व्यवधान) हां वह राठौड़ ही था। वह कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है...(व्यवधान) हां सज्जन सिंह होंगे, या दुर्जन सिंह होंगे, यह मैं नहीं जानता लेकिन वह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं था। महत्त्वपूर्ण तो यह था कि जो चीफ मिनिस्टर की लिंक्स की ओर इंडिकेट करता था। दी दैन गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर बैठे हुए थे उनके लिंक को इंडिकेट करता था। उसी का तो इंवेस्टिगेशन चाहते थे आप? आप उस बात को छोड़िये, आपने हमारी जांच करायी, इनकी कांग्रेस नेताओं की जांच की ही तो बात

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं कह रहा हूं। अब आप क्या समझते हैं कि इनकी जांच नहीं होनी चाहिए। ओसियां से आने वाले सदस्य बहुत उद्वेलित हैं, मैं तो उद्वेलित नहीं हूं। My honour stands vinicated after a reprieve from Mrs. Margaret Alva. भैरोंसिंह शेखावत ने खड़े होकर यहां कह दिया कि इसकी सी.बी.आई. से जांच हो गयी है। स्पीकर ने कह दिया कि और मारग्रेट अलवा ने कह दिया कि कोई जांच नहीं हुई। दैट्स ऑल, मैं क्या कर सकता था, साधारण आदमी।

लेकिन वित्त मंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस की 20 जुलाई, 1996 को बैठक हुई और उसके अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ। यहां पर विगत विधान सभा में, दसवीं विधान सभा के अंदर राजेन्द्र चौधरी ने जोधपुर की जमीनों के बारे में जसवंत सिंह जी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाये थे और हलके-फुलके ढंग से नहीं लगाये थे, प्रमाण सहित लगाये थे। देहली के अंदर जाकर राजेन्द्र चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस भी की थी। तत्कालीन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय मुझे आप क्षमा करेंगे लकिन अध्यक्ष का थोड़ा बहुत इस डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिजन रोल हो जाता है कि उन्होंने जसवंत सिंह जी का नाम विलोपित कर दिया। विपोषित करने से फैक्ट्स विलोपित नहीं हो गये। फैक्ट्स तो हैं अपनी जगह पर, सुगन कंवर, उनका बेनामी ट्रांजेक्शन, उनका मुख्त्यार, पावर ऑफ अटार्नी लेना, करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी जसवंत सिंह जी ने खायी है। यह एलीगेशन उन्होंने लगाये हैं और वह नरपत सिंह राजवी वाला प्रकरण है। इन दोनों प्रकरण के ऊपर 20 अगस्त, 1996....

श्री सभापति : 3 मिनट और हैं आपके समय में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, 5 मिनट में करता हूं। सभापति महोदय, इन दोनों प्रकरणों के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की साधारण सभा की बैठक में 20 अगस्त, 1996 को एक प्रस्ताव पारित करके जांच कराने की मांग की। यह 3 प्रकरण तो गंभीर हैं, प्रकरण तो हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय वित्त मंत्री महोदय, जो सो रहे हैं अभी, इन्होंने भी लगाये डामर का, ललित किशोर चतुर्वेदी के और हरिशंकर जी भाभड़ा, बड़े गंभीर आरोप थे इनके भी।

सभापति महोदय, मैं यह मांग करता हूं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से कि मुख्य मंत्री कल यहां मौजूद रहें और इंटरवीन करके घोषणा करें और जुडिशियल इंक्वायरी इंस्टिट्यूट करें। एम्फोर्ट प्रकरण, राजवी प्रकरण और जसवंत सिंह यह तीन सीरियस एलीगेशन हैं। इनकी जुडिशियल इंक्वायरी इंस्टिट्यूट होनी चाहिए। अगर आपने अब इंक्वायरी इंस्टिट्यूट नहीं करी तो फिर आपके बर्दाश्त की भी हद है। आपके खिलाफ इंक्वायरी भी हो जाये और कुछ निकले भी नहीं, उनके खिलाफ मैटर है और आप इंक्वायरी नहीं करायें। यह आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है।

मैं मिलकर चलाने वाली बात भी कहना चाहता हूं। आपने मुझे याद दिला दिया। वह जो मैं सौहार्दपूर्ण संबंधों की बात कह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रहा था। सभापति महोदय, मेरे दिमाग में क्या आया, मैं विषयांतर नहीं होऊंगा। मेरे दिमाग में यह बात थी कि खेड़ली प्रकरण पर यहां चर्चा हुई। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी को अनुभव है। मैं बहुत जूनियर मेम्बर इकनीं पार्टी का था और यह मेरी कोई मदद भी नहीं करते थे। लेकिन मैं फिर भी फिक्स अप कर देता था, फ्रेम कर देता था बी.जे.पी. के मिनिस्टर्स को, और भैरोंसिंह जी मुझसे सौ गुना काबिल आदमी हैं। जिन्होंने लाइफ लोंग, he is the best charge-sheet framer in the country. चार्ज सीट बनाने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। वह यहां बैठे हुए थे और यह खेड़ली प्रकरण में फायरिंग एक अलग इश्यू है, काली बाई का अपहरण अलग इश्यू है। सब खड़े हो गये, हल्ला हो गया, मिक्स अप हो गया। उस फायरिंग के ऊपर आपको डॉक में खड़े कर सकते थे। एक नहीं मैं 20 एग्जाम्पल बताऊं, तो कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि यह कहीं कुछ तरीका, वापस वह व्यवस्था कायम करने का प्रयास तो नहीं है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के ऊपर मुझे संदेह नहीं है। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के इतिहास में अगर किसी ने बी.जे.पी. के शासन में बी.जे.पी. के मुख्य मंत्रीजी या किसी की गलत बात के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखी तो वह अशोक गहलोत हैं और संभवतः इसी बात का उन्हें पारितोषित मिला है कि वह मुख्य मंत्री बने हैं। परन्तु उनके इर्द-गिर्द बहुत लोग हैं जो इधर भी बहुत कांफिडेंट हैं। इसलिए मुझे संशय पैदा होता है कहीं वह लिंक नहीं बैठ जाये। वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो मुख्य मंत्री जी का आचरण विगत वर्षों में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहा है और जिस दृढ़ता का उन्होंने परिचय दिया है, उस पर उनको कायम रहना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करनी चाहिए और हाऊस में भी उनको मौजूद रहना चाहिए। कई दफे यहां पर डिस आर्डर हो जाता है और हाउस बोलता नहीं है। वह भी बात उचित नहीं है।

सभापति महोदय, यहां पर जिस भूमि रूपांतरण की बात भी आपने कही है उसमें भी आपने होमवर्क नहीं किया। आपने 100 करोड़ रुपये बतायें हैं कि 100 करोड़ रुपये इकट्ठे हो जायेंगे, 200 करोड़, 200 करोड़ भी बहुत कम हैं वित्त मंत्री जी, आपके यहां सोसायटी कितनी हैं? उसमें भूमि धारक कितने हैं? और उनकी कंवर्जन फीस 65 रुपये होती है, 40 और 25 डवलपमेंट फीस उसको मिलाकर केवल जयपुर शहर, वह आपको कहीं ज्यादा आमदनी देगा। आपका मंतव्य तो ठीक है आपके साथ वह भी राजी हैं, हम भी राजी हैं। वहां तक तो ठीक है लेकिन फिगर्स आपके, बाकी टैक्सेज विदड्रा भी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं। अब मैं एक बात यह निवेदन करता हूं कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का भी सिलसिला रेगुलेट होना चाहिए था।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सभापति महोदय, इससे स्थिर सरकार नहीं हो सकती। 153 आदमियों की जो सरकार कभी नहीं हिलेगी वह सरकार है यह। मैं मुख्य मंत्री जी के लिए, वित्त मंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से स्थिर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका इशारा किसकी तरफ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इशारा कुछ भी नहीं है। वह कांग्रेस का इतिहास है मिड बे हार्स बदलता है। वह एक अलग बात है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कांग्रेस की तो राजेन्द्र जी आप मानें, स्थिर सरकार है। ऐसी क्या जल्दी थी? गफलत नहीं हो, मैं कल्ला जी का प्रशंसक हूं, शिक्षा मंत्री जी का, अखबार में आ गया कि ट्रांसफर करेंगे। सभापति महोदय, अब क्या हुआ? सब मास्टर छोड़-छोड़कर के स्कूल, एम. एल. एज. के लाइन लग गयी और एम.एल.एज. के पास ट्रांसफर की लाइन लग गयी। लेकिन वह ऐसा नहीं है, यह भी नहीं है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन टाइम तो हुआ ना, बच्चों का नुकसान तो उसमें हो रहा है। मैं इससे भी इंकार नहीं करता लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में होता तो कह भी देता। लेकिन निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई का तो डिस्टरबेंस हुआ ना। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। आपको सेशन के बीच में ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है? नये मुख्य मंत्री जी हैं, इनसे नये काम करवायें। आप इनको सलाह दें। मई और जून का अवसर होता है ट्रांसफर करने का।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह मैडम जो हैं, यह चाहे जब खर्रा पकड़ा देती हैं ट्रांसफर करने का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने कोई खर्रा नहीं पकड़ाया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठे, आप बैठे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको तो आदत पड़ गयी है, चाहे जब चाहे जो बात कहने की यह कहकर सेन्सेशन पैदा कर देते हो सदन के अंदर।

एक माननीय सदस्य : आज पकड़ में आ गयी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये। माननीय शांति धारीवाल का जवाब शांति धारीवाल का मित्र देगा। यह गलत है, सभापति महोदय, मैं देता हूं खर्रे, मैं इससे मना नहीं करता हूं। क्या करेंगे जब आप ट्रांसफर करेंगे तो एक आदमी जायेगा और वह स्थान भर जायेगा। मैं देता हूं। मेरा सुझाव है कि आप करेंगे ही नहीं तो काहे के खर्रे देंगे। आप अगर यह कह दे करेंगे मई और जून में करिये पेट भरकर के, जितना मर्जी आये करिये। Transfer is the prerogative of the Government. इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जो बीच में ट्रांसफर आपने चालू कर दिये। इतनी स्थिर सरकार, सरकार कौनसी जाने वाली है। आप तो आराम से बैठें यहां पर और करो ट्रांसफर।

एक माननीय सदस्य : पता नहीं चली जाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह फालतू की बात है। "दिवास्वप्न न कुर्यात" छोड़े आप इस बात को, मैं एक ही बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने सब विभागों का वितरण कर दिया और वह बिलकुल आजाद हो गये अगर उनकी यह धारणा है तो बिलकुल मिथ्या है। मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री होता है, सदन का नेता होता है और मुख्य मंत्री जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए। वे खुद कहते हैं कि मैं मानिटरिंग करूंगा। अब मंत्रिगणों पर भार बहुत ज्यादा है। मंत्रिगणों में प्रद्युम्न सिंहजी अभी यहां पर है नहीं, सदन में रहने चाहिए, मैं भी मानता हूं कि सदन में रहना चाहिए और सभापतिजी, यह नहीं है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक बात करूंगा (व्यवधान) सदन में भी रहना चाहिए। सभापतिजी, अभी माननीय महेशजी यहां पर नहीं है, वे नाराज होंगे, बोलना चाहिए, हाउस डिस्आर्डर हो जाए, हल्ला हो, सदन का नेता जब खड़ा होता है, यह सदन की परम्परा रही है कि हरेक आदमी उनको पहले बोलने देता है। बैठ जाता है। सदन का नेता ही सदन के क्राइसेस को रिजॉल्व करता है। सभापति महोदय, यह परम्परा है संसदीय प्रजातंत्र की, यह इतिहास है इस राजस्थान विधान सभा का। और मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब सदन के नेता यहां बैठे रहे, बोले नहीं, अल्टीमेटली हाउस को एडजॉर्न कर दिया, बोले नहीं, एक वर्ड नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए।

अब मैं अपना भाषण इसी बात से समाप्त करता हूं। छोटी-छोटी बातें हैं। आई.ए.एस. की सीनियरिटी, जूनियरिटी, सर्विस क्लास को डील करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सभापति महोदय, उनके नेतृत्व का सब सिक्का मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीतिक बुद्धि उनकी बहुत प्रबल है, लेकिन मुझे बड़ा संदेह है, वे प्रशासनिक मामलों में फेल होंगे। तकदीर वाले तो खैर हैं ही, वह अलग बात है, उसका कोई महत्त्व नहीं है लेकिन प्रशसनिक तरीके से आपने पोस्टिंग की, जूनियरिटी, सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा, पुलिस में। गृह मंत्रीजी यहां नहीं है, पुलिस में खनसुखा साहब की पोस्टिंग की है, गोदिका साहब की पोस्टिंग की, दोनों साढू हैं, एक तो एडीशनल आई.जी.पी. और एक एस.पी. और तो और विजिलेंस में ससुर को पोस्ट कर दिया एडीशनल आई.जी.पी. और दामाद को पोस्ट कर दिया एस.पी.। इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप डिपार्टमेंट में प्राइवेट एन्टरप्राइजेज थोड़े खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा हो, यह भी मैं नहीं मानता हूं, यह भी नहीं कि इसमें कोई दुर्भावना है, गफलत है, यह मानता हूं, इसमें बहुत बड़ी दुर्भावना क्या होगी। (व्यवधान) नहीं, नहीं, यह नहीं है। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए।

सभापतिजी, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी, आपने एक मेडिकल कालेज के अंदर स्पेशलिटी डवलप करने के लिए 50 हजार रुपये रखे हैं। ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की तरह से वहां पर आप कोई बाकायदा इन्स्टीट्यूशन बनाकर, चण्डीगढ़ में भी ऐसा इन्स्टीट्यूट है। वित्त मंत्रीजी, राजस्थान विश्वविद्यालय

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

की जो स्थिति है, वह की वह अस्पताल की है। 10 प्रतिशत लोग जिनको एक्सपर्टाइज ओपिनियन मिलनी चाहिए, एक्सपर्टाइज ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनके लिए अलग इन्स्टीट्यूशन में रिसर्च हो। अभी हैल्थ डिपार्टमेंट की डिमाण्ड हुई है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं जितना-सा सम्बन्ध है, बस उतनी-सी बात कहना चाहूंगा। लेकिन वित्त मंत्रीजी, आपका यह बजट राजस्थान को कोई ऐसी चीज देकर जाने की ओर इंगित नहीं करता है जिससे आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी या राजस्थान की जनता, आप पर और आपके बजट पर गर्व कर सके।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, इस विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार 19 हजार 8 करोड़, 19 लाख 74 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार सदन से लेना चाहती है। सभापतिजी, कोई भी सरकार खर्च करने का अधिकार लेती है, किन्हीं कारणों से और किन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर लेती है और इसी सन्दर्भ में हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपने अभिभाषण में उन कार्यक्रमों का संकेत दिया है कि हम इस रुपये से कौन-कौन से कार्यक्रम करना चाहते हैं। सभापतिजी, हमारे सामने इसकी चर्चा करते वक्त तीन डाकुमेंट हैं, एक आर्थिक समीक्षा, दूसरा श्वेत-पत्र और तीसरा माननीय मंत्री महोदय का अभिभाषण। सभापतिजी, इस सदन में पूर्ववर्ती सरकार की काफी चर्चा हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह समय आ गया है कि जब हमें अपने कार्यक्रमों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, वह बात करनी चाहिए और पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया, उस चर्चा को अब समाप्त होना चाहिए क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को निकम्मी सरकार का पट्टा देकर सबके सामने कर दिया कि किस प्रकार की वह सरकार थी।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार आलोचना की अधिकारी नहीं है, वह तो दया की पात्र है, जिस प्रकार की वह सरकार बनी थी, उस सरकार से जनता को कोई अपेक्षा करना कि जनहित में वह काम करेगी, अपेक्षा करना ही गलत था। सरकार का चेहरा आप देखिए, शेर का था लेकिन पैर मोम के थे...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि शेर बूढ़ा हो गया इसलिए कोई नियंत्रण नहीं रहा और सरकार के पैर हमेशा लड़खड़ाते रहे। कोई निर्णय, कोई फैसला, वह नहीं कर पाई लेकिन हमारे सामने जो सरकार है, 153 पैर, फौलाद से भी मजबूत हैं और हम इस ताकत के भरोसे राज्य सरकार के माध्यम से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश की बहबूदी के वे काम करेंगे कि हमेशा-हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे। सभापतिजी, इसी विश्वास के आधार पर हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में ऐसी-ऐसी योजनाएं इंगित की हैं जो समाज के लिए हितकारी हैं, फीगर्स में नहीं देना चाहूंगा, सब ने पढ़ी है और पढ़ सकते हैं। बहुत बार सदन में इसकी

(श्री शिवनाथ सिंह)

चर्चा हो चुकी है लेकिन कार्यक्रम ऐसे हैं जो पिछली सरकार ने बंद कर दिए थे जिनमें कोई प्रगति नहीं आई थी और वे कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा एक आलोचना कि श्वेत-पत्र को पढ़ने से ऐसा आभास मिलता है और आलोचना भी यहां हुई कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान को दिवालिया बना दिया, यहां कोई कार्यक्रम हो नहीं सकते। मैं इस बात से भी सहमति व्यक्त नहीं करता, कठिनाइयां आती हैं, सरकार के गलत निर्णयों से बहुत से कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आर्थिक कठिनाइयां हमारे सामने आती है, यही दशा इन पिछले आठ सालों में हुई। आर्थिक कठिनाइयां, आर्थिक दिक्कतें, हमारे सामने आई लेकिन आज राजस्थान की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें चिंता की कोई बात हो। चिंता की बात होती तो हमारे वित्त मंत्रीजी इतनी दृढ़ता से सब कार्यक्रमों पर अधिक रकम बढ़ाकर हमारे सामने ये योजनाएं पेश नहीं करते। सभापतिजी, आप देखेंगे कि हर कार्यक्रम में रुपए बढ़ाए गए हैं और रुपए बढ़ाने के माध्यम से हम लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा का कागज हमारे सामने आया है, वह भी इस बात को दिग्दर्शित करता है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं है। अच्छी है, क्योंकि सभी फ्रंट्स पर बढ़ोत्तरी हुई।

(15.30 बजे)
(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

जहां तक प्रति व्यक्ति आय का सवाल है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां तक सकल घरेलू उत्पाद का सवाल है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और विशेषकर कृषि उत्पाद में अच्छी वृद्धि हुई है। ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि राजस्थान प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यदि हम इस गति को और तेज कर पाएं तो और भी तेज गति से राजस्थान आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति जी, इस व्हाइट पेपर के माध्यम से वह बातें हमारे सामने आई जो पिछली सरकार के समय में खामियां रहीं, अगर श्वेत-पत्र जारी नहीं होता तो राजस्थान की जनता के सामने यह तस्वीर नहीं आती कि हमारी गाढ़ी कमाई का रुपया किस प्रकार से अपव्यय हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने रुपया खर्च किया और रुपये के आधार पर यदि हम आकलन करें तो प्रगति हुई, लेकिन वास्तविक प्रगति रुपया खर्च करना नहीं होती है, वास्तविक प्रगति वो होती है जिससे कंज्यूमर को जिससे वे लाभान्वित होना चाहते हैं उनको क्या मिला। माननीय सभापति जी, इस दृष्टि से हम देखें तो हमारी उपलब्धियां नगण्य हैं। आज हम देखें जो पावर्टी लाइन है उसमे इतना धन खर्च होने के बाद भी उस लाइन में कमी नहीं आई है, वह पावर्टी लाइन आज भी कायम है। आज भी हम देखें बीमारों की संख्या, बीमारी की प्रवृत्ति आज भी चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, बीमारों की संख्या बढ़ी है, बीमारियों की संख्या बढ़ी है।

यदि हम देखें साक्षरता के मामले में, शिक्षा के मामले में, हमारी बहुत सी स्कीमें

(श्री शिवनाथ सिंह)

चलीं। आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, कहीं अनौपचारिक शिक्षा चली, कहीं लोक जुम्बिश चली, कहीं सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम चला, लेकिन उस रुपये का अपव्यय हुआ, उससे सही रूप से कोई निर्णय नहीं कर पाये। माननीय सभापति जी, कुछ योजनाएं जो हमको मजबूरी में चलानी पड़ती हैं। विदेशों से धन आता है, उनकी कंडीशंस होती हैं कि आप इस तरह के प्रोग्रामों में रुपया खर्च करोगे उसके माध्यम से हमको खर्च करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उन कार्यक्रमों में गबन हो, उसका मिसयूज हो। अभी दो रोज पहले यहां चर्चा हो रही थी लोक जुम्बिश की और जो आंकड़े हमारे सामने आए, तथ्य हमारे सामने आये वे शर्मनाक हैं। इसी तरह से माननीय सभापति जी, और भी कार्यक्रम थे, रुपया खर्च हुआ, रुपया बाहर से आया भी, योजनाएं बढ़ी और सालाना बजट भी बढ़ा, लेकिन जब हम इसको फील्ड में देखते हैं तो हमारी प्रगति अच्छी नहीं रही, निराशाजनक है।

माननीय सभापति जी, प्रगति उसको कहते हैं जो मूलभूत सुविधाओं में सुधार हो। वह हमारा नहीं हो पाया। मैं माननीय सभापति जी, यह निवेदन करना चाहूंगा आज जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में बना हुआ है और जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं इस सरकार से हैं, बहुत बड़ा मैंडेट हमको मिला है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ी हैं इसलिए हमारी सरकार को उसी अनुरूप काम करना पड़ेगा जिससे हमारी साख बनी रहे और उस साख में बढ़ोतरी हो।

माननीय सभापति जी, आज अलग-अलग क्षेत्रों को हम देखें, मैं जो धन बढ़ाया गया है उसकी फिगर्स नहीं देना चाहता, मैंने एक बात कह दी कि सभी कार्यक्रमों में रुपया बढ़ाया गया है और यह एक शुभ लक्षण है। हमको ऐसी बातें भी अब देखनी पड़ेंगी कि जिनसे इस बढ़े हुए रुपये का सदुपयोग हो। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा असंतुलन है। चाहे शिक्षा का लीजिए, चाहे आप पीने के पानी का लीजिए, चाहे आप चिकित्सा का लीजिए, सड़कों का लीजिए, बिजली का लीजिए, आज देहाती क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। हमको देहाती क्षेत्र की तरफ देखना पड़ेगा और उनको भी वो सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी।

अभी कल चर्चा हो रही थी पीने के पानी की। सभापति जी, बाहर गांव का आदमी यहां शहर में आता है और किसी घर में प्रवेश करता है वो देखता है रसोई में अलग टूंटी है, बाथरूम में दो गर्म पानी व ठण्डे पानी की टूंटियां हैं, वासवेसिन का अलग है, इस प्रकार का वातावरण यहां पानी का है और गांव का आदमी जो अपने गांव में जाता है उसे हमारा पी.एच.ई.डी. विभाग कहता है तुम लोगों को अपने घर में टूंटी लगाने का अधिकार नहीं है, जी.एल.आर. हमने बना दी और चाहे वह आधा किलोमीटर हो, पौन किलोमीटर हो वहां जाकर आप पानी भरकर लाओ तो उसके मन में पीड़ा होती है। आज इस बात को बर्दाश्त करने के लिए लोग तैयार

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं है। इसलिए इस सुविधा की तरफ ध्यान देना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी भी ऐसे ही इलाके से आते हैं जहां से मैं आता हूं। इनके यहां पानी का संकट ज्यादा है, हमारे भी संकट है। इसलिए हो सकता है इस साल में नहीं हो सकता हो तो अगली साल योजना ऐसी बनाएं जिससे देहाती क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ठीक हो।

यही हाल शिक्षा का है। आज हम काम्पीटिशन कराना चाहते हैं हमारे बच्चों का उन लड़कों के साथ जो शहरों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और जिनको अच्छे ट्यूटर्स मिलते हैं, अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें मिलती हैं उनके साथ हमारा लड़का कंपीट नहीं कर पाता। इन सबमें चोट की है आपके 16 हजार जो नये शिक्षा केन्द्र खोलने जा रहे हैं इसमें ग्रामीण जनता के साथ भयंकर चोट की है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि साक्षरता होनी चाहिए, लेकिन साक्षरता और शिक्षा में फर्क आपको करना पड़ेगा। ये केन्द्र साक्षर बनाने के लिए तो उपयोगी हो सकते हैं लेकिन शिक्षा के लिए नहीं हो सकते। इन केन्द्रों के माध्यम से जो शिक्षा, साक्षरता आगे बढ़ पायेगी वह किसी भी तरीके से आगे प्रगति नहीं कर पाएगा।

आज मंत्री महोदय नहीं है मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने एक योजना बनायी एक मई को पूरे राजस्थान में ग्राम सभाएं होंगी, उन ग्राम सभाओं में कितने शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे एक पंचायत में यह ग्राम सभा तय करेगी। कौन-कौन अध्यापक उसके लिए चुना जाएगा वह ग्राम सभा में चुना जाएगा। आज इस प्रकार की पंचायतों की हालत है, दो सरपंच लड़ते हैं, तीन लड़ते हैं, हर वार्ड में चुनाव होता है, इस प्रकार के वातावरण में क्या हम सोच पाते हैं कि वह मामला सही चिन्हित होगा या नहीं होगा। एक-एक पंचायत में 20-20, 30-30 केन्द्रों की मांग आएगी, 50-50 अध्यापकों की लिस्ट बनेगी। हो सकता है कुछ जिले ऐसे हों जिनमें शिक्षक लड़के न मिलें, लेकिन मैं अपने जिले की बात कहता हूं, ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है जिसमें 20-30 बी.एड. अध्यापक की श्रेणी के लड़के हों। (व्यवधान) पण्डित जी कह रहे हैं सब जगह मिल रहे हैं, मैं इनकी बात को सही मानता हूं। इसलिए माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से भी और मंत्री महोदय से भी इस योजना का पुनर्विचार कीजिए। आप केन्द्र खोलिए, साक्षरता के खोलिए, लेकिन इन लड़कों का भविष्य बर्बाद करने के लिए आप शिक्षा का नाम नहीं ले सकते।

हमारे झुंझुनूं जिले में कम्पलसरी एजुकेशन लागू है। आप कम्प्लसरी एजुकेशन का जो उद्देश्य है उसकी किस तरह से पूर्ति करोगे। एक भी प्राइमरी स्कूल आप नहीं खोलेंगे। 6 से 14 साल की उम्र का लड़का स्कूल में नहीं जाएगा तो उसके परिवार वालों को दण्ड दिया जाएगा। जाएगा कहां स्कूल है ही नहीं। जो सेंटर्स खोले हैं उनकी हालत वो ही होगी जो आज अनौपचारिक शिक्षा

(श्री शिवनाथ सिंह)

केन्द्रों की हो रही है। सुबह माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे करोड़ों रुपया इसके माध्यम से खर्च हुआ, एक भी केन्द्र खुला नहीं और वे जवाब दे रहे थे, मैं जवाब को सही नहीं मानता हूं फिर भी उनका कहना यह था कि शिक्षा केन्द्र खुला नहीं मिला। 1200 रुपये में आप क्या कराना चाहते हो? आप मिनिमम वेजेज 40 से 60 बढ़ा रहे हो। गांवों के अंदर 80 रुपये से कम मजदूर नहीं आता है। मेरे जिले की बात कल हो रही थी, अकाल राहत में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। 80 रुपया एक मजदूर लाता है। जो मिनिमम वेज 40 रुपया है उसमें वह क्या करेगा? एक मजदूर 80 रुपये लाएगा और एक बी.एड. टीचर 40 रुपया लाएगा, क्या यह संभव है?

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सरकार पूर्ण रूप से पुनर्विचार करें और इन शिक्षा केन्द्रों को, जो आप नाम दे रहे हैं, इनको प्राइमरी स्कूल की ब्रांच के रूप में डवलप कीजिए। तीसरी तक का लड़का वहां पढ़ेगा और आगे उसमें आ जाएगा। माननीय सभापति जी, तीसरी कक्षा पास करने के बाद में कौन तो उसकी परीक्षा लेगा और पास करने के बाद में वह जाएगा कहां, कहां आपके पास प्राइमरी स्कूल है जिसमें चौथी और पांचवी क्लास को पढ़ेगा। इसलिए सब माननीय सदस्य इस बात से पीड़ित है। इसलिए इस भावना को, सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार को उसमें पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप घड़ी मत देखिए, मैं जल्दी ही समाप्त करने वाला हूं।

माननीय सभापति जी, पंचायत राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा आपने डी.आर.डी.ए. जिसके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी आप सब रुपया खर्च करना चाहते थे, खर्च होगा, उस डी.आर.डी.ए. की हालत पहले से ज्यादा बदतर बन गई है। उसका चेयरमेन जिला प्रमुख को बना दिया लेकिन चाबी एग्जिक्युटिव डायरेक्टर के हाथ में रख दी। गवर्निंग कॉउन्सिल कोई भी प्रस्ताव पास करे और कलक्टर को, जो कि उसका मेनेजिंग डायरेक्टर है, उसको पसंद नहीं है, राज्य सरकार को भेज देगा कि मैं इसको पंसद नहीं करता। यह नियमों के विरुद्ध है। कौन सुनने वाला है। आज आई.ए.एस. आफिसर के खिलाफ, आई.ए.एस. आफिसर जो लिख देता है वह पत्थर की लकीर है, और हमारा डी.आर.डी.ए. नपुसंक होकर रह गया। डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग काउन्सिल के बाद में एक कार्यकारिणी अलग बना दी और उसका चेयरमैन आपने क़लक्टर को बनाया। क्या पीड़ा थी, डी.आर.डी.ए. का चेयरमेन जिला प्रमुख को बनाने की? उसकी पीड़ा थी तो उसकी कार्यकारिणी है, उसका चेयरमेन, आपने उसको क्यों नहीं बनाया, यह बात किसी के समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन यह एक वातावरण बना। हम पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार देना चाहते हैं और वो आपने उस श्रेणी में कोई एक काम कर दिया, मेरे ख्याल से आधा अधूरा काम है और उसमें कोई भी उपयोग, कोई भी सार्थक परिणाम आपका नहीं आने वाला है। आज पंचायत समिति की पता नहीं क्या हालत है। पंचायत समिति के प्रधान का कोई भी नियंत्रण पंचायत समिति

(श्री शिवनाथ सिंह)

के कर्मचारी पर नहीं है। कोई भी काम स्वीकार करने का, स्वीकार करना अलग रहा, उसमें राय देने का भी उसको अधिकार नहीं है। इस प्रकार की पंचायत समिति आपने कायम कर दी। और पिछली सरकार का निर्माण है, लेकिन यह सरकार आते ही आपने कुछ कार्यक्रम उठाए हैं इसको भी तत्परता से करना चाहिए और जितना जल्दी आप कर पाएं करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मालूम है कि डी.आर.डी.ए. के सारे प्रस्ताव विकास अधिकारी की तरफ से आते हैं। विकास अधिकारी आपके प्रधान के मातहत है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय संभापति महोदय जी, आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा 26 जनवरी को पूरे राजस्थान में ग्राम सभाएं बनीं। और ग्राम सभाओं में विकास के प्रस्ताव लिए गए हैं उस प्रस्ताव में न तो पंचायत समिति परिवर्तन कर सकती है, न प्रधान परिवर्तन कर सकता है। और आप जिस गवर्निंग काउन्सिल के मैम्बर हैं आप भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। न उसको काट सकते हैं, न उसको बढ़ा सकते हैं। उसमें एक भी प्रस्ताव जोड़ नहीं पाते, वैसे के वैसे पास करने पड़ेंगे। और हुआ क्या, एक-एक पंचायत ने 2-2, 3-3 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेज दिए। क्या सरकार की ऐसी हैसियत है कि उन सब प्रस्तावों के अनुरूप मैं नहीं चाहता था इस विषय को छेड़ना, लेकिन माननीय सभापति जी, आपने छेड़ दिया इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक पंचायत में 2-2, 3-3 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए हैं क्या यह समझदारी की बात है? प्रस्ताव हमेशा आते थे, पहले भी आते थे। और ग्राम सभा में आना चाहिए, ग्राम सभा के बाद में पंचायत समिति में स्क्रूटिनाइज होते थे, उसके बाद में डी.आर.डी.ए. में स्क्रूटिनाइज होते थे, और उनकी प्रायोरिटी बनती थी। आज तो जो पंचायत ने पहले नंबर पर लिख दिया उसमें 2 नंबर पर करने वाला राजस्थान में तो कोई नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को मेरे ख्याल में सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी चिकित्सा के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। चिकित्सा के लिए पर बैड पर रुपया बढ़ाया गया है, दवाईयों के लिए रुपया बढ़ाया गया है स्वागत योग्य कदम है। लेकिन नये हास्पीटल मेरे ख्याल से खोलने का सरकार का मन नहीं है। वित्तीय स्थिति है, नहीं खोल पाए लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो भी दानदाता अपने खर्चे से दो साल के लिए, तीन साल के लिए हास्पीटल चलाना चाहे और फिर सरकार उसको लेने की जिम्मेदारी लेती हो तो ऐसे बहुत से लोग-बाग है जो भवन बनाकर देंगे। सरकार जो भी निर्धारित करे दो साल का, तीन साल का वो खर्चा आपके पास जमा करा देंगे और सरकार उसको तीन साल के बाद में ले। इस वक्त स्टाफ सरकार वहां भेजे, इस प्रकार की व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री कर देंगे तो उनका खजाना भी भर जाएगा, रुपये भी बहुत आएंगे और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा मिल पाएगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापति जी, शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। और सुबह भी चर्चा हुई, मैं फिर उस पीड़ा को दोहराना चाहता हूं। झुन्झुनूं जिला, 101 कालेज हैं सरकारी राजस्थान में, और झुन्झुनूं जिला मुख्यालय एक मात्र शहर जिसमें सरकारी कालेज नहीं है। तारानगर को यह गर्व है कि राजस्थान को वित्त मंत्री दिया है। हमारे खेतड़ी को भी गर्व है जिन्होंने राजस्थान को एक उच्च शिक्षा मंत्री दिया है। लेकिन हमको पीड़ा है, हमको थाली परोसी हुई अलग ले गए। यह बहाना किया जाता है कि वहां प्राइवेट कालेज हैं। माननीय सभापति जी उन प्राइवेट कालेज का अंजाम क्या होगा, वह सेठों की दुकान है मर्जी आये उसको एडमीशंन करो, मर्जी आये उसको अध्यापक रखो और कुछ भी नहीं। इसलिए दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां प्राइवेट कालेज हैं राजस्थान में, क्या एक भी सरकारी कालेज वहां नहीं खोला गया है? जितने भी सरकारी कालेज खोले गए हैं उनमें अधिकांश में प्राइवेट कालेज पहले से चल रहे हैं। उस बात को माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान दें और ध्यान देने के बाद मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष में आप नहीं कर पाएं, लेकिन एश्योर जरूर करें कि अगले वित्त वर्ष में झुन्झुनूं शहर को और झुन्झुनूं जिला मुख्यालय को एक कालेज मिलेगा।

श्री सभापति : इस वित्तीय वर्ष में इनके हाथ थोड़े ही बंधे हुए हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, साहब।

श्री सभापति : इस वित्त वर्ष में इनके हाथ नहीं बंधे हुए हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : हाथ तो इनके बंधे हुए हैं वरना बाहर नहीं जाते, अभी घोषणा कर देते कि दे देंगे (व्यवधान) मैं तो कहता हूं इनके हाथ बंधे हुए हैं।

माननीय सभापति जी, जो शिक्षा केन्द्र खोल रहे हैं, उनकी गति क्या होगी? जनता पार्टी का दिल्ली में राज आया और राजनारायण जी विभाग के मंत्री बने एक विभाग के और उन्होंने 50 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बेयरफुट डाक्टर्स कर दिए और भाषण यह दिया कि ग्रामीण क्षेत्र की सब बीमारियों का इलाज आज से हो जाएगा। क्या हालत हुई है उनकी मान्यवर। इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार का खिलवाड़ ग्रामीण जनता के साथ में नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति जी, एक दो बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां एक व्यवसाय कर लगा। जिस रूप में वह था उसका तो मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन उसमें सुधार करके मेरे ख्याल से उस कर को रखना चाहिए था। जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा हम उसको इनकम टैक्स से लिंक करना चाहते हैं। इनकम टैक्स से लिंक कर एक समय, एक सीमा तक छूट देते हुए, जो आदमी इनकम टैक्स देता है जिसके देने की क्षमता है, उन लोगों से कर लिया जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं थी। उस सीमा को बढ़ा देते खजाने में रुपया आता और एक अच्छे काम के लिए आपने यह योजना बनाई थी। प्राइमरी एजुकेशन का

(श्री शिवनाथ सिंह)

ढांचा तैयार करने के लिए आपकी यह योजना थी, आपने किन्हीं कारणों से, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, किन्हीं कारणों से आपने वो कर वापस ले लिया। उससे एक गलत संदेश गया। और गलत संदेश यह गया कि जिन लोगों ने आंदोलन नहीं किया या हमारे सदन के माननीय सदस्यों के साथ मारपीट नहीं कि, जिन्होंने लाठीचार्ज नहीं सहा उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपने जो सिंचाई कर बढ़ाया उसका। बढ़ना चाहिए। जिन लोगों के पास राजस्थान के रुपयों के कारण बहबूदी बढ़ी है उनसे सिंचाई कर लेना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन जिस रूप में आपने इसको बढ़ाया है, एकदम दुगुना कर दिया, धीरे-धीरे आप करते तो मेरे ख्याल से किसी को पीड़ा नहीं होती। सिंचाई कर लगाना चाहिए लेकिन बुद्धिमानी से लगाना चाहिए। बिना बुद्धिमानी से कोई विकल्प आप लगायेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं बैठेगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि किसान बहुत समृद्धशाली हो गया है, किसान पर कर लगना चाहिए। कितना समृद्धशाली हो गया है यह हम सब जानते हैं। लेकिन राजस्थान में जो भी सरकार बनी है उसने किसान का ध्यान रखा है चाहे किसी भी पार्टी की बनी हो। उसने किसान का ध्यान रखा है और चाहे नाममात्र का हो, हर बजट में कोई न कोई छूट किसान के नाम पर दी गयी है। इस बजट में उल्टा हुआ है। एक ट्रैक्टर जो हमेशा से कर में छूट का अधिकारी रहा है, किसान का वह ट्रैक्टर उसका बैल है, वह उसका ऊंट है, सब काम में वह आता है, वह कर मुक्त था, सेल्स टैक्स उस पर नहीं लगता था लेकिन अब की बार आपने कर लगाया है उसमें से ट्रैक्टर को हटा दिया गया। मैं नहीं कहता कि ट्रैक्टर पर जो कर लगेगा उससे किसान की कोई मौत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी लेकिन किसान जगत में एक गलत संदेश गया है। जो ट्रैक्टर हमेशा कर की छूट में था उस पर आज कर लगाया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, यह गलत संदेश जाएगा। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको री-कंसीडर करना चाहिए। दूसरे रूप में आप कुछ भी टैक्स लगा दीजिये लेकिन यह हमारी सरकार के लिए, हमारी पार्टी के लिए भी कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा।

माननीय वित्त मंत्रीजी कुछ रियायतें देंगे यह मुझे पता है। जहां-जहां से भी जो री-प्रजेंटेशन आयेंगे, जो लोग मिलेंगे और जिनकी बात से माननीय वित्त मंत्रीजी कंविंस हो जाएंगे उनको वह छूट देंगे। यह बात सही है और देना भी चाहिए क्योंकि हम इतने रीजिड नहीं हो सकते। लेकिन एक सैक्शन ऐसा है जिसमें न उसके पास यूनियन है, न उनको री-प्रजेंट करने का साधन है। पिछली सरकार ने जूतों और चप्पलों को कर मुक्त किया था एक कीमत तक। यह बात सही है कि उस छूट का गलत फायदा लिया गया और जो 500 रुपये का जूता था उस पर भी 100 रुपये की मोहर लगा दी गयी और करवंचना की गयी। उन जूतों

(श्री शिवनाथ सिंह)

पर इस प्रकार का प्रावधान करना बहुत जरूरी था और मैं इस पक्ष में हूं। लेकिन माननीय सभापतिजी, चप्पल, आज स्कूल का विद्यार्थी चप्पल पहनता है, आज मजदूर चप्पल पहनता है और उनकी कीमत किसी भी हालत में 30 और 40 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए चप्पल का आइटम जो पहले भी कर मुक्त था, इस चप्पल के आइटम को मेरे ख्याल से कर मुक्त रखना चाहिए। यह मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही पीड़ादायक है, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चप्पल को काम में नहीं लेता। उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, 30-40 रुपये से अधिक की नहीं है, उसको कर मुक्त रखना चाहिए और जूतों का मिस-यूज करते थे उन पर कर लगना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, मैं और अन्य भी सुझाव दे सकता हूं कर लगाने के लिए लेकिन वह अपनी एक बात होगी। उसमें इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों की राज्य सरकार के माध्यम से, समाज के कारण से और हमारे प्रदेश की प्रगति के कारण से आमदनी बढ़ी है उन पर कर लगाना चाहिए, कसकर लगाना चाहिए। यह उनका दायित्व है। समाज का उन्होंने उपयोग किया है, समाज के जो साधन बढ़े हैं उनका उनको फायदा मिला है इसलिए उन पर कर लगाने से सरकार को हिचकना नहीं चाहिए और उनको कर देना चाहिए जिनको इन्होंने साधन दिये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन करों पर ध्यान देगी और मेरे ख्याल से मैंने जो सुझाव दिये हैं उनमें कुछ सुझाव मानेगी।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइंट ऑफ आर्डर। रूल नम्बर 23 Allotment of time for private member's Bill.

इसमें लिखा है—

"The House may on the advice of the B.A.C. allot as many days as may be possible for private members business and may be allotted different days for the disposal of different cases of such business and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence; provided that two days in a month..." दो एक महीने के अन्दर shall be allotted for the transation of private member's bill...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं समझ गया आपका पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं पूरी बात तो कर लूं। समझ तो गये आप, लेकिन मेरा निवेदन है कि एक महीने में...

श्री सभापति : इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखती है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसमें वो क्या कहते हैं, प्रीसिडेंस दिया हुआ है कि आपको देना ही है। It has a precedence over everything. आप यह अवहेलना नहीं कर सकते। बी.ए.सी. भी नहीं कर सकती।

श्री सभापति : करती आयी है अपने यहां। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह पूरे हाउस में...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले भी हुआ है। (व्यवधान) आप पांच वर्षों में मंत्री रहे, कितने रखे थे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, कल की तो ईमानदारी से मुझको प्रतिपक्ष के सदस्यों से शिकायत है। मैं प्रतिवेदन का प्रोटेस्ट करता हूं...

श्री सभापति : आज आपका भाषण बहुत सुन्दर हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : आपका बहुत सुन्दर भाषण हुआ है और हमने आपके भाषण से बड़ा लाभ उठाया है। अब आपसे मेरी प्रार्थना यह है कि माननीय सदस्य ने जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट साहब। कल यहां पर बहुत ज्यादा व्यवधान पैदा हुआ उससे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ वह एप्रूव हो गया वरना पाइंट इनका वैलिड है। इस बहुमत में माननीय कल्ला जी, सरकार को भागने की क्या जरूरत है। आराम से डिबेट करवाओ न। अगर आप पहले सेशन में ऐसा निकालोगे तो अगला सेशन तो फिर बहुत गरम होगा।

श्री सभापति : श्रीमान्, यहां वैलिड नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय सदस्य के...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक्ट करोगे, एक्ट करोगे तो गलतियां करोगे और गलतियां करोगे तो हम पकड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : किनको पकड़ोगे आप? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहला सेशन तो आराम से निकालो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय रतनगढ़ से आने वाले सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसमें रूलिंग तो दीजिये आप। व्यवस्था तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी मैंने कि यह पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है? कैसे नहीं है?

श्री सभापति : पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है इसलिए नहीं है। आप मत पूछो कि क्यों...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं तो ऐसा थोड़े ही होता है। आप एक्सप्लेन करिये कि इसलिए नहीं है। मैं मेरा पाइंट ऑफ आर्डर पढ़ लूं पहले।

श्री सभापति : नहीं, नोट...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 294, व्हाट इज ए पाइंट ऑफ आर्डर। इसलिए इस बात पर आ जाएं, साहब। (व्यवधान) 294 आप निकालिये।

श्री सभापति : प्लीज हियर मी। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपसे निवेदन कर सकता हूं कि नहीं है, किसलिए नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी व्यवस्था इसलिए उचित है कि बी.ए.सी. का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आपकी व्यवस्था इसलिए बिलकुल सही है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पर आपने क्यों नहीं रखा? (व्यवधान)

श्री सभापति : Hon'ble member not to question why and not to question how. Please sit down. रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह हमारा ही नहीं है, पूरे हाउस का मामला है। (व्यवधान)+ + + से...(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज बिराजिये। आसन का निर्देश+ + + नहीं माना जाता है। प्लीज स्थान ग्रहण करें। यह आपका आदेश है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राज्य का आय-व्ययक 1999-2000 पर...

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, आप आसन को चैलेंज कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था को+ + + कहना, वह एक्सपंज करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक्सपंज कर दीजिये। किसी के प्रति कोई...(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ...अपने आपको सम्मिलित करते हुए...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सदन के नेता यहां नहीं बिराजते। जो चर्चा हो रही है वह इसलिए हो रही है कि सदन के नेता यहां बिराजते और हम उनको रिक्वैस्ट करते...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपने नेता से बात करिये। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पर यह उपेक्षा हो रही है। (व्यवधान) वह यहां नहीं बिराजते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप प्लीज सुनिये। माननीय सदस्य, आप सुनिये। माननीय सदस्य, आप अपने नेता से बात कर लीजिये। आपके नेता भी, आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व बी.ए.सी. के अन्दर है और बी.ए.सी. की रिकमंडेशन को हमने यहां स्वीकार किया है। सदन उसी के अनुसार संचालित हो रहा है।

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बी.ए.सी. भी रूल्स से चलती है, बिना रूल्स के नहीं चल सकती बी.ए.सी.। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि इतनी उपेक्षा हमारे सदन के नेता की तरफ से हाउस की हुई है।

(16.00 बजे)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कोई भी राजनैतिक पार्टी हो, सत्ता में आने के लिए उसको जनतंत्र का सहारा लेना पड़ता है चाहे उस पार्टी का जनतंत्र में विश्वास हो या नहीं हो क्योंकि विधान सभा के गत चुनावों में जनता ने जो निर्णय दिया, वह आप सबके सामने है और इस निर्णय से सत्ता का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस का राज हुआ। कांग्रेस का शासन आने के बाद यह राजस्थान का आय-व्ययक पत्र प्रथम है। 11 वीं विधान सभा का, जैसा मेरा राजनैतिक अनुभव है, उस हिसाब से पांच वर्ष तक ऐसे पांच बजट आयेंगे। पहला जो बजट प्रस्तुत करते हैं, उसमें खूब टैक्स लगाये जाते हैं क्योंकि जीत का एक अहम होता है और उस अहम के कारण वह जनता ने निर्णय दिया है और जिस आधार पर जनता ने उसको सत्ता में भेजा है, उसकी वह फिर परवाह नहीं करते हैं और अंतिम बजट जब जनता के सामने पुनः जाने के लिए होता है, उस वक्त उस बजट में खूब कर माफ किये जाते हैं, उस बजट में कर हीं लगायेंगे चाहे कोई भी राजनैतिक पार्टी हो। इस बजट में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं। स्कूल खोलेंगे, औषधालय खोलेंगे, सड़कें बनायेंगे इत्यादि-इत्यादि और शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा में बहुत बड़ी तादाद में स्कूलें खोली जायेंगी, उसके खर्चे के लिए अलग से टैक्स भी निर्धारित कर दिया। मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा है और पढ़ने के बाद में जब मैंने चिंतन किया कि गत ढाई वर्षों से हम जिस चीज की निंदा कर रहे थे, जिसका विरोध कर रहे थे वह सब इसमें समावेश कर दिया। एक अभी टैक्स लगाया था, व्यवसाय कर। दूसरा टैक्स लगा दिया प्रवेश शुल्क, जोकि चुंगी की जगह लगाया है और शायद बिजली की दर भी बढ़ायेंगे, सिंचाई की भी बढ़ायेंगे तो मैं सोचता हूं हमने तो विरोध किया था। बिजली कर की वृद्धि वापस लो, रोडवेज़ का किराया कम करो इत्यादि-इत्यादि बहुत बातें कहते रहे, और यह इस बजट में मिला। लेकिन एक मजबूरी है कि यह सब बातें स्वीकार नहीं होते हुए भी मानस नहीं मान रहा है, फिर भी इसका समर्थन करना पड़ेगा।

अभी मैंने अपने संगठन के अपने मंच पर यह साफ कहा था कि कांग्रेस को कोई संगठित करने की जरूरत नहीं, यह व्यवसाय कर आपको अपने आप संगठित कर देगा। बड़े लोगों को यह बहुत बुरी लगी, बैठो-बैठो पंडितजी, अच्छा भाई, बैठ जायेंगे। अभी सभापति महोदय आदेश दे देंगे कि बैठ जाओ तो बैठ जायेंगे लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा, उससे कब तक विमुक्त होते रहोगे। विधान सभा में यह तो अमुमन प्रचलन हो गया है, जब भी विधान सभा का अधिवेशन

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

चलता है तो किसी न किसी संगठन की तरफ से, संस्था की तरफ से ये तंबू तनते ही रहते हैं और किसी के तनों मत तनों, मास्टरों के तो तैयार ही रहते हैं। यह देखते हैं लेकिन इस बार के विरोध में एक विशेषता है। मैं भी यहां आया हूं, अब की बार कोई हजार-पांच सौ आदमी नहीं, 20-30 हजार आदमी थे और हमने यह कहा कि नहीं भाई, अब लगा दिया तो लगा दिया, अब तो वापस होता नजर नहीं आता। वह बोले, थारे ही लागसी। म्हको लागसी तो म्हारे ही लागसी सल्डको भई अब के होवे, लाग जासी तो लाग जासी। फिर यह हुआ कि इन्कम टैक्स देते हैं उसके ऊपर लगेगा। यह जनता में भ्रांति है तो भ्रांति दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है, कोई भा.ज.पा. की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो डबल भ्रांति पैदा करेंगे यदि कोई भ्रांति है तो उस भ्रांति को स्टेटमेंट से दूर करो और उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, खोपड़े रंग दिये, हाथ टूटा हो गया, टांग लिये वह अस्पताल में पड़े हैं इत्यादि-इत्यादि। इन सारी चीजों से...

श्री रामस्वरूप : क्या हंस रहे हो। आपके भाभड़ाजी को हराकर आये हैं। वह हस्ती है यह। हां, हंस रहे हो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : भाई सुनो, हंसते हैं तो हंसने दो। मैं तो कहता हूं, मेरी बात से कोई रोना नहीं चाहिए। सब हंसो।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक्टिंग बहुत जोरदार है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मेरे कहने का मतलब यह है कि आने वाले लोगों से व्यवहार ठीक होना चाहिए...

श्री सभापति : आप भी कभी-कभी माननीय सदस्य गड़बड़ करते हो, बाकी आप भी...वह बहुत नजाकतदार हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ... कड़ाई के साथ जवाब दिया गया, जनता में गलत संदेश गया और विभिन्न वर्ग जैसे वकील हैं, डाक्टर हैं, मास्टर हैं, इन सबका इतना विरोध हुआ। मेरी समझ में सब विधायकों के पास इतने इतने पोस्टकार्ड आये होंगे, इसका मतलब है कि इस टैक्स का थ्रू-आउट राजस्थान में असर हुआ है लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत सूझ-बूझ वाले और जन भावनाओं का आदर करने वाले, उन्होंने वह टैक्स वापस ले लिया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी ने वापस लिया है। नहीं नहीं, उन्होंने वापस लिया है।

डा. किरोड़ी लाल : वित्त मंत्रीजी ने लिया है, आप वित्त मंत्रीजी का नाम ही नहीं ले रहे हो।

श्री सभापति : बोलने दीजिये, बोलने दीजिये। (व्यवधान) बोलने दीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ...तो उनका नाम आप ले लीजिये, उनका नाम आप ले लें, यदि मैं किसी का नाम लेना भूल गया

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

हूं तो उनका नाम आप ले लें लेकिन मैं वही बात कहता हूं कि यदि मुख्य मंत्रीजी को इच्छा नहीं होती तो यह टैक्स वापस होने वाला नहीं था, यह क्यों भूल जाते हो "भू के छाछ घाल देसी जद सासू की मंशा न होवे" आ बताओ? सासू की मंशा न होवे जणा कोई भू छाछ घाल दे के? बिलकुल कोनी घाले"। इस वास्ते यह सारा श्रेय मुख्य मंत्रीजी को ही जाता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने कहा है, बहू की छाछ देने की इच्छा थी लेकिन सास ने मना कर दिया छाछ के लिए..

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ तो बोले कि बहू की तो इच्छा थी छाछ देने की लेकिन सास ने मना कर दिया..

श्री सभापति : आप इस तरह से करेंगे तो आपका नम्बर कट जायेगा। प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये मुझे कह रहे हैं, मुझे निर्देश दे रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं नहीं, आप इनको बोलने दीजिये। बोलते हुए आप यील्ड कर जाओगे, आपका नम्बर कट जायेगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप कहोगे जैसा ही करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि यह चुनाव के बाद का पहला वर्ष है, पहला ही बजट है। इसमें टैक्स का तो भरमार होगा, घबराइये नहीं। और इतने विकास के काम इसमें लिखे हैं, वह सब करने भी हैं, टैक्स नहीं लगायेंगे तो कैसे होंगे। सारे राजस्थान में विकास हो रहा है। सारे राजस्थान में फेमिन का काम चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : कहां चल रहा है, सारे बंद हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : चल रहा है क्या? मेरे यहां जनवरी, फरवरी में फेमिन का काम चलाया था, कोई महीने, डेढ़ महीने और मजदूरों को जो प्रतिदिन मजदूरी मिली, मैं तो नहीं कहूंगा, मेरे को बहुत शर्म आती है। सभापति महोदय, मजदूरों को सिर्फ बारह रुपये, और जब मैंने इस प्रश्न को कलक्टर साहब के सामने हमारे प्रभारी मंत्रीजी गये थे अब्दुल अजीज साहब, तब मैंने कहा अजीज साहब, लोग सुबह आठ बजे आते हैं, शाम को आठ बजे अपने घर जाते हैं, सारा दिन यहां श्रम करते हैं, इनको बारह रुपये मिलते हैं। कहा नहीं पंडितजी, ऐसा हो सकता है क्या कभी। मैंने कहा कलक्टर से पूछ लीजिये। कलक्टर से पूछा, कितना मिलता है। तो कलक्टर ने कहा, पी.डब्लू.डी. वालो बताओ, तो उन्होंने कहा साहब, बारह रुपये। मैंने कहा कि अजीज साहब, फिर मेरी बात पर कभी किसी की गवाही मत लेना, मैं असत्य नहीं बोलता हूं। मैं सत्य ही कहूंगा, मुझे क्या जरूरत है आप पचास देवो और मैं बारह बताऊं। बारह रुपये। वह भी फिर क्या मालूम किस का आदेश गया, वह फेमिन बंद ही हो गया। मेरे क्षेत्र में तो नहीं है, और कहीं है तो आप जानो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में चर्चा नहीं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : और मेरे 16 सड़कें मंजूर थीं। अब वह दो सड़कें चूरू से आने वाले माननीय विधायक की काट ली थी तो उनकी तो दो कटी और मेरी सोलह कटी। मैंने निवेदन किया कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, कि बजट नहीं है। तो मैंने कहा, बिना बजट के तो कोई काम होगा नहीं। बिना बजट के कैसे काम होगा। सड़कों पर तो करोड़ों रुपये लगेंगे, साढ़े तीन सौ करोड़ की वह सोलह सड़कें थीं। बजट नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं, आप बजट इक्ट्ठा कर लीजिये। मैं यह कहता हूं आप सारा विकास रोक दो तो बजट तो अपने आप इकट्ठा हो जायेगा। सब विकास के काम रोक कर रुपया इकट्ठा कर लो, बजट हो जायेगा। तो फिर तो कोई भी राज कर सकता है। इसमें विशेषता क्या है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सड़कों का काम बंद, फैमिन का काम बंद और पीने के पानी की एकदम अव्यवस्था। अभी माननीय विश्नोई साहब आने के बाद में जब इनको कहा कि महीने-महीने पानी नहीं जा रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं, खारा पानी है वह भी नहीं मिल रहा है तो इन्होंने थोड़ी तत्परता दिखाकर पानी की व्यवस्था की। कल मेरे पास डेपुटेशन एक रतनगढ़ क्षेत्र पडिहारा का आया था। उसने बताया कि पानी आराम से आने लग गया और वहां अच्छा, मीठा पानी आने लग गया और खूब तादाद में आ रहा है। मैंने कहा, इनको मैं धन्यवाद दूंगा। जो अच्छा काम करेगा उसको धन्यवाद दूंगा।

श्री अमरा राम (धोद) : नहीं करेगा उसकी खाल खिंचाई।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं करेगा, वह अपनी पायेगा। मैं किसी को दुर्शीष क्यों दूं, मैं तो आशीर्वाद ही देता हूं। मैं किसी को दुर्शीष नहीं देता, न मैं किसी का अनिष्ट चाहता हूं, मैं तो सब का इष्ट चाहता हूं। आप सब फलो-फूलो, सब चिरायु रहो, मेरा तो यही ध्येय है। अब कोई जानबूझकर भीत से टकरा जाय और सिर फोड़ ले, उसका मैं क्या करूं। उसका मैं क्या करूंगा। अभी कल विद्युत मंत्रीजी का जो उद्बोधन था, उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि डाक्टर चन्द्रभान जी ने अपने डिपार्टमेंट को समझने में बहुत अध्ययन किया है और पूरी जानकारी इन्होंने हासिल की है। जिस ढंग से उन महारथियों को जवाब दे रहे थे, निरूत्तर कर दिया, बोल नहीं सके वह। लेकिन वह बिजली वाली तो उन्होंने भी नहीं कही, टैक्स तो वह भी लगायेंगे। टैक्स तो लगायेंगे वह, कम लगावे, ज्यादा लगावे पर लगायेंगे जरूर। क्योंकि उसमें उन्होंने स्पष्ट नहीं किया लेकिन उन्होंने मेहनत जरूर की है अपने काम को समझने में, राजस्थान में घूम-घूम कर देखने में और ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने अपने काम पर कन्ट्रोल किया है। अब इन लोगों के सामने दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं। यह सब नवयुवक लोग काम करना चाहते हैं, काम में लगे हुए हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं लेकिन लम्बे अरसे से जो मंठाधिराज बिराजमान हैं

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

वह इनकी परवाह नहीं करते। लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी यह लोग भी, मिनिस्टर लोग भी अभी चिंतित हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि उनसे लड़े, आप यहां फफेड़ो इनको। पहले तो आप यहां फफेड़ों और फिर वहां रात को जाकर के बारह बजे उनसे सिरफोड़ी करे, यह भी थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं और बाद में उनको भी कन्ट्रोल कर लेंगे। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि दो को छोड़ कर (व्यवधान) हो गई बात, वह तो पहले ही हो गई, अब दोबारा क्या उसको बताऊं।

श्री सभापति : बोलने दीजिये, बोलने दीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मेरे को बोलने दो, मेरे मन की बात सब आपको ठीक बता दूंगा।

श्री सभापति : बोलने दीजिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कि आपको हो-हल्ला करना पड़े। आप तो बैठे-बैठे सुनते रहो, हंसते रहो आराम से। अभी और तो कोई मिनिस्टर हैं, नहीं, कल्ला साहब, आप ही हैं (व्यवधान) शिक्षा उनका तो विषय है और चौधरी साहब बिराजमान हैं। कल्लाजी, आपको जो आपका मित्र सलाह देता है न, वह सलाह मान मत लेना। कल आपको आपके एक घनिष्ठ मित्र ने एक सलाह दी थी, उस सलाह को आप मानना मत। क्योंकि मित्र वह होता है जो अभ्युदय चाहता है, उन्नति चाहता है और उसका सर्वांगीण विकास चाहता है। वह तो आपको हमारे वाली टेबल पर भेजना चाहते हैं। इसलिए उनको मित्र मत समझना, वो छद्‌पूर्ण मित्र हैं और लिखा भी है "मित्र दोहे च पातकम" मित्र शब्द का भी उपयोग करो और मानसिक भावना भी अनुकूल नहीं हो, यह दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। (व्यवधान) बोले जाऊं, इनकी तो मेहरबानी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका आशीर्वाद है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कल तो आपको कहा जब बोलने नहीं दिया और आज कह रहे हो कि आशीर्वाद है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कल तो तीन डिपार्टमेंट पर बोलते आज पचास डिपार्टमेंट सुपुर्द कर दिये आपको।

श्री सभापति : बोलने दीजिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कल आप यदि बोलने देते तो सबसे पहले आपको ही धन्यवाद देता मैं। अब तो बैठते वक्त माननीय सभापति जी को धन्यवाद दूंगा, अभी थोड़े ही बैठ रहा हूं। जो गत सरकार थी बी.जे.पी. की उसने चुनाव में वादा किया था कि हम म्यूनिसिपैलिटी की चुंगी को हटायेंगे। हटा दी, वादा पूरा किया उन्होंने। हमने उस चुंगी की जगह प्रवेश शुल्क लगा दिया। यहां चर्चा चल रही थी और जब यह बजट रखा उसके दूसरे दिन ही म्यूनिसिपैलिटी वाले लंबे-लंबे लड्डू लटकाते

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

थे अब सड़क के ऊपर वो सेल्स टैक्स वोलों ने लंबे-लंबे लट्ठ लटका दिये। लोगों को आते जाते कहने लगे लाओ, लाओ मुद्रा लाओ। कोई कानून होगा, कोई नियम होगा, किस आधार पर ले रहे हो, किसी से सौ रुपये मांग रहे हो, कसी से पचास रुपये मांग रहे हो। नहीं, हमको इतना करोड़ रुपया तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे जनता देगी ? इस ढंग की जो कार्यवाहियां चल रही है उनको रोको, उनको रोको। इतना घमण्ड मत करो। पहले भी हमारा राज आया था दिल्ली में और इतना बड़ा राज आया कि हम संविधान को बदलने की स्थिति में थे, इतने हमारे पास वोट थे। लेकिन पांच वर्ष बाद फिर चुनाव हुआ, क्या हालत हुई? यही मैं कह रहा हूं कि जनता ने आप पर विश्वास किया है। आपने जो आंदोलन किया उस पर भरोसा कर के आपके पक्ष में जनादेश दिया है। उसको समझो, उसकी भावना को समझो कि उन्होंने किस लिये दिया। लूट-खसोट मत मचाओ, विकास के लिये दिया है। अव्वल तो कोई विकास का काम मंजूर होता नहीं, मैं मेरे क्षेत्र की कह रहा हूं आप अपने क्षेत्र की सोचो, और कहीं मंजूर हो गया तो टेलीफोन से बंद हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा क्यों बंद करवाया आपने, मेरी सड़कें क्यों बंद करवायी?

श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया : चूरू जिला तो एक ही है। ऐसा है कि आपकी सड़कें बंद होंगी तो मेरी भी होगी क्योंकि अपन पड़ौसी हैं। मेहरबानी तो हमारे साथ रखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। हम किसी पर दया तो करते नहीं। स्वामी दयानन्द का कहा हुआ है कि "शठेह शाड्यम समाचरेत", हमारे साथ जो जैसा बरताव करेगा वैसा ही हम बरताव करेंगे। मुख्य धारा के साथ रहा करो आप, मौज करो। सभापति महोदय, अब आप पधार रहे हैं मैं आपको धन्यवाद दे दूं और आप विराजें, साहब।

(16.26 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब मेरा नम्बर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम 33 में से एक भी नहीं बोले हैं, एक आदमी भी सुबह से नहीं बोला है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा कि मोहम्मद माहिर आजाद जी बोलेंगे। 33 आदमियों में से एक आदमी को नहीं बुलवाया।

श्री उपाध्यक्ष : ओपन ही आपको करनी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करवाया नहीं साहब, उपाध्यक्ष महोदय, यह कृपा करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तकीउद्दीन जी और माननीय रामनारायण जी मुझे कह कर गये थे कि इनके बाद आपको बोलना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आई एम सॉरी, काल अपान कर लिया, इसके बाद बोल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी आज्ञा से पहले निर्दलीय सदस्य बोल लिये, अब हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आई एम सारी, कह दिया ना आपको। माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सदन में कह रहे थे इस व्यवसाय कर के मामले में चाहे मजबूरी की वजह से चुप रहे हों लेकिन इनकी बात को ताईद पक्ष और विपक्ष सारा कर रहा था। व्यवसाय कर से दुःखी सत्ता पक्ष के एम.एल.ए. भी थे और विपक्ष के एम.एल.ए. भी थे। अब इस पक्ष का मकसद यह हो सकता है कि जितना यह जजिया कर टाइप कर लगायेंगे उससे बट नेचुरल है इनको फायदा होना था और मैंने कहा था कि शायद सदन में खलिफा यह बरदाश्त नहीं कर रहे है कि नौजवान मुख्य मंत्री, वह भी ओ.बी.सी. का राजस्थान को मिल गया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं मैंने सदन में पहले कहा भी है कि यह मुख्य मंत्री अर्थशास्त्री नहीं है और जो खलिफ बैठे हैं कांग्रेस में वो यह बरदाश्त नहीं कर रहे हैं कि मुख्य मंत्री सक्षम तरीके से चलें। इसलिए मेरी अपनी राय है, आप मेरी राय से सहमत हो या नहीं हो लेकिन मुख्य मंत्री को नीचा दिखाने का यह प्रयास था जिसको समय रहते हुए श्री अशोक गहलोज जी भांप गये और गलती को सुधार लिया। मैंने यह भी कहा था कि कांग्रेस अगर दस खोटे कर्म करती तो भी इतनी लोकप्रियता को बट्टा नहीं लगता जितना व्यवसाय कर की वजह से लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर यह भी कहना चाह रहा हूं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता तो इससे बहुत खुश हुई कि हमने विदड्रा कर लिया लेकिन इधर मायूसी है, यह क्या कारण है?

श्री जगमाल सिंह यादव : इधर मायूसी है, मैं वही कह रहा हूं ये तो आपको उक्सा रहे थे ताकि आप एडामेंट हो जाओ कि कर वापस ना लें। पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं। आज का जो घटनाचक्र हुआ यह भी टोटल राजनीतिक है, राजनीति से संबंधित है। हम जाटों को, विश्नोइयों को, मेव को, सिरवी को, कायमखानी मुसलमान को, हम स्वागत करते हैं कि एक जैसा पेशा करने वाले इंसान को चाहे वह गरीब राजपूत भी हो, उनको आरक्षण की परिधि में लिया जाये। और आरक्षण भी नहीं देंगे। अगर आरक्षण दिया तो थर्ड फोर्स मजबूत हो जाएगी। एक कहावत है कि अगर जाट बी.जे.पी. में बैठ सकता है तो ऊंट रेल में बैठ सकता है। इसलिये मजबूरी में जाट इधर बैठे हैं, 5 फीसदी, 10 फीसदी मजबूरी में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दिया इन्होंने भी कुछ नहीं है। इन्होंने भी बहुत बड़े लुभावने

(श्री जगमाल सिंह यादव)

नारे दिये कि सत्ता में कांग्रेस आयी तो जाट मुख्य मंत्री बनेगा। मैं स्वागत करता हूं कि ओ.बी.सी. के मुख्य मंत्री हैं। लेकिन धोखा आपने भी दिया है। अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, मैं जानता हूं रिजर्वेशन आप देंगे। लेकिन मैं यह भी आगाह करता हूं राठौड़ साहब, कि इनके कहने से मत देना। ये तो भड़का रहे हैं। सत्ता दिल्ली से भी साफ हो गयी, यहां से भी साफ हो गयी। चुनाव सम्भावित हैं, चाहे नवम्बर में हों, चाहे मार्च में हों, चाहे अप्रेल में हों। अब 3 दिन ये सदन को भी नही चलने देंगे। कोई न कोई नाटक नया लाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी.जे.पी. के साथियों से पूछना चाहता हूं कि वी.पी. सिंह की तत्कालीन सरकार ने इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को जब लागू किया तब मालूम है आडवाणीजी ने क्या किया, कहा कि हम मन्दिर बनाएंगे। हम मस्जिद को शहीद करने और मन्दिर बनाने अयोध्या जा रहे हैं। मन्दिर बनाने अयोध्या नहीं जा रहे थे। फिर क्यों, जल-जल कर ये लोग मरें इस हिन्दुस्तान में। मुझे याद है, 2 साल पहले आर.एस.एस. की चीफ राजस्थान में आये थे। उन्होंने एक बयान दिया था और यह कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सत्ता हासिल कर लेगी, न केवल ओ.बी.सी. के, बल्कि समस्त प्रकार के रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाएगा। आप बात करते हैं रिजर्वेशन की?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 9 साल तक इस प्रदेश में राज किया। आज कांग्रेस से एक महीने में ही, दो महीने में ही जाटों का आरक्षण चाहते हैं। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि जिन ओ.बी.सी. के लोगों को, जिन एस.सी. और एस.टी. के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया था, उनको भी षड़यंत्रपूर्वक 9 साल तक बी.जे.पी. की गवर्नमेंट ने उनका कोटा पूरा नहीं दिया। जो 16 फीसदी आरक्षण, ओ.बी.सी. का 21 फीसदी आरक्षण था, उसको भी 5 फीसदी पर धकेल दिया। रोस्टर बदल दिया। एस.सी. और एस.टी. का रोस्टर बदल दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पंचायतों में आरक्षण किसने दिया, भैरोंसिंहजी शेखावत ने दिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : और आप कहते हैं पंचायतों में रिजर्वेशन दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात बी.जे.पी. के साथियों से पूछना चाहता हूं। राजस्थान में माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार थी, हिमालचल प्रदेश में भी सरकार बी.जे.पी. की थी, उत्तर प्रदेश में भी बी.जे.पी. की सरकार थी, मध्य प्रदेश की भी बी.जे.पी. की सरकार थी। चार राज्यों में बी.जे.पी. की सरकार थी और इन सरकारों ने यह घोषणा कर दी थी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को हम लागू नहीं करेंगे। जिनको वी.पी. सिंह ने आरक्षण दिया, आपकी सरकार तो उसको डिनाइ कर गयी।

श्री रमजान ख़ान : उस सरकार में तो आप यातायात मंत्री थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बोलेंगे ना। आप बोल लेना, जवाब दे देना।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चारों राज्य सरकारों ने, जहां बी.जे.पी. का राज था, यह घोषणा की कि भले ही चाहे वी.पी. सिंह और केन्द्र की सरकार रिजर्वेशन, मंडल आयोग की रिपोर्ट दे दे, यह बी.जे.पी. की सरकार रिजर्वेशन नहीं देगी। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी आज गरीबों की हिमायती बनने वाली वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे दावा कर सकती है। याद होगा, शरद यादव आये थे राम निवास बाग में, जनता दल के नेता थे, कपड़ा मंत्री थे। बी.जे.पी. के लोगों ने उनके मंच को आग लगा दी। हिमाचल प्रदेश में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा, यू.पी. में तोड़ा और मध्य प्रदेश में तोड़ा। किस मुंह से आरक्षण की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि गुनाह मेरे से भी बना है। इस सत्र में और इसी सदन में मैं कई बार कह चुका हूं कि गुनहगार मैं भी हूं लेकिन मुझसे बड़े गुनहगार उधर बैठे, आपके दिग्विजयसिंह जी। मैं तो राजनीति में अपरिपक्व था। आज भी अपरिपक्व हूं। गुनाह को गुनाह स्वीकार कर लेने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। इसलिये जो आज नाटक हो रहा है, खेतसिंहजी, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपको फिर कहता हूं कि यही नाटक, सत्र के जो शेष दिन बचेंगे, आप देखना, कभी कल्लाजी के खिलाफ, अगर दूसरी कक्षा का पेपर खुल जाता है गलत तरीके से तो कॉल अटेंशन, सदन नहीं चलने देना। यह कोई कल्ला के जमाने में हो रहा है। आपके जमाने में भी इससे कई ज्यादा गुनाह हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बात करते हैं दलित की, शोषित की, किसान की। मैं बा-अदब आपसे यह अर्ज करता हूं कि उड़ीसा में ईसाइयों के साथ किसने क्या किया। गुजरात में किसकी गवर्नमेंट है। अल्पसंख्यक सरकारों, करने वाले कौन हैं। कल्ला साहब, आप सचेत नहीं हो। उड़ीसा में जो कर रहे हैं, सरकार कांग्रेस की ओर कर्म कोई कर रहा है। आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है, जिस दिन आप सख्ती से यह काम कर देंगे, आपके पर्चे आउट होने बंद हो जाएंगे। गुजरात में किसकी सरकार है। इन ईसाइयों को उड़ीसा में किन लोगों ने जिंदा जलाया। बजरंग दल के लोगों ने, आस्ट्रेलिया के मिशन के जो थे, उनको जिंदा जलाया। गांव के गांव को आग लगाई। मध्य प्रदेश में गांव के गांव को आग लगाई और यहां तक कि दूल्हों को घोड़ी से उतारने के जितने प्रकरण बी.जे.पी. के 9 साल की गवर्नमेंट में हुए, कांग्रेस में उसका 1/100 हिस्सा भी नहीं हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है, शोषित, दलित, पीड़ित, किसान और जाट का समर्थन करने वाली का।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी एक घटना पढ़ी होगी अखबारों में, शायद टी.वी. में आयी। मुझे शंका है। उपाध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ हाई-कोर्ट में, पंजाब और हरियाणा हाई-कोर्ट के रिकार्ड रूम में आग लगी। मालूम है, कौनसे दस्तावेज उसमें जले, गांधीजी की हत्या से सम्बन्धित जितने कागज थे, जलकर राख हो गये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एप्रोप्रिएशन से क्या लेना-देना है इसका। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपसे सीख लूंगा मैं, आपसे मैं सीख लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शक है कि साम्प्रदायिक ताकतों का यह कर्म है, यह करतूत है जो गांधीजी की हत्या करने के पाप के कागजात को मिटाने का एक षड़यंत्र हो सकता है। यह एक जांच का विषय है। हालांकि आपका और इस सदन का ज्युरिस्डिक्शन नहीं है। लेकनि मैं सदन के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि गांधीजी की हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित जो भी कागजात जले, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने कागजात को जलाया है।

आज अपने को आप सेक्युलर सिद्ध करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पाठ्यक्रम बदला। आपने देखा होगा, पांचजन्य के सम्पादक, पाठ्यक्रम में उसकी शिक्षा पढ़ाई जा रही है,उसका अध्याय पढ़ाया जा रहा है। सेक्युलरिज्म की नयी परिभाषा दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहा था बी.जे.पी. ने, ईट के पैसे लिये, मंदिर के नाम से देश को ठगा भारतीय जनता पार्टी के 3 मुद्दे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी तो धारा 370, जो कश्मीर से सम्बन्धित है, उसको हटाएंगे। दूसरा नारा क्या था, मंदिर और ईट के करोड़ों और अरबों रुपये इक्ठे करके खा गये। दूसरा वायदा था कि हम दिल्ली में सत्ता में आये तो मंदिर बनाएंगे। तीसरा वायदा किया था कि इस देश में अगर हम सत्ता में आये तो कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। आज कट्टर हिन्दू पुन रहा है। खतरा भी यही है कि लोगों ने पहले कहा, कल्याण सिंह की सरकार जब यू.पी. में आयी तो इन लोगों ने कहा था कि जिस दिन दिल्ली में सरकार आ जाएगी, तीनों मुद्दे लागू कर देंगे। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं। आज कट्टर हिन्दू, जो इनके मुगालते में आ गया था, जिनको इन लोगों ने भ्रम दिया था, आज अगले पार्लियामेंट के चुनाव में इनसे सवाल करेगा कि आपने तीन वायदे किये थे कि हम मन्दिर बनाएंगे। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : आपने तो 3 ही बताये, 2 बाकी रह गये। दो मैं बताता हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप बोल लेना। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा।

श्री देवीलाल बैरवा : एक यह कि हमारी सरकार सत्ता में आ जाए तो किसानों के सब रुपये माफ करेंगे। हमारी सरकार सत्ता में आ गयी तो जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको नौकरी देंगे। इनके घोषणा-पत्र में यह है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नाटक हो रहे हैं, जाटों के रिजर्वेशन के मामले में इनको रत्ती भर कोई सिम्पेथी नहीं है। ये अब यह जवाब देना चाहेंगे कि अगर हम सत्ता में आये तो जाटों को रिजर्वेशन देंगे। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है कि मन्दिर क्यों नहीं बनाया, कॉमन सिविल कोड लागू क्यों नहीं किया और धारा 370 कश्मीर के सम्बन्ध में लागू क्यों नहीं की।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और रेफरेंस देना चाहता हूं। अभी लेख छपा है। देश के रिश्ते चीन से मित्रता के बन गये। जब बी.जे.पी. की गवर्नमेंट आयी तो जार्ज फर्नांडीस ने स्टेटमेंट जारी किया। यह स्टेटमेंट जारी किया कि चीन नम्बर एक दुश्मन है। मालूम है, प्रकरण क्या छपा प्रेस में ? उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस में छपा कि अमरीका ने भारत सरकार को सूचित किया, कहा कि दलाई लामा से जार्ज फर्नांडिज के लेन-देन के सम्बन्ध हैं। क्या जरूरत थी चीन से, हम कितने दिन चीन से लड़ सकते हैं। चीन ने हमारे खिलाफ कोई स्टेप भी नहीं लिया और चीन ने हमारे खिलाफ जो दोस्ती के सम्बन्ध हैं, उनको खराब करने की भी कोशिश नहीं की। यह है देश की सुरक्षा के मामले में। भागवत प्रकरण क्या हुआ ? यह नैतिकतावादी भारतीय जनता पार्टी, आपसे पूछना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) वह भी बता दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : वह भी बता रहा हूं। यह नैतिकतावादी भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। आज तक पचास साल के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुरक्षा जैसे मसले से खिलवाड़ किया गया हो। एक जार्ज फर्नांडिज ने भागवत को इस तरह से टर्मिनेट कर दिया जिस तरह से एक चपरासी को। फिर आप जे.पी.सी. की कमेटी अपाइंट क्यों नहीं कर रहे हैं ? कांग्रेस ने मांग की है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दे माननीय सदस्य उठा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के समय में से दस मिनट का समय और दे दिया जाए।

श्री सांवर लाल : आप तो सारा ही समय दे दो क्योंकि बोलने में आप काम्पीटेंट नहीं हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, भागवत प्रकरण के मामले में अगर ईमानदारी थी तो कांग्रेस ने एक महीने तक सदन दिल्ली में नहीं चलने दिया पार्लियामेंट में। जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाने में कहां एतराज था ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। यहां तक हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय सलाहकार, फाइनेंस मिनिस्टर के वित्तीय सलाहकार, फाइनेंस एडवाइजर गुरुमूर्ति गुरु स्वामी ने आरोप लगाये कि निहित फर्मों को, निहित कन्सर्न को फायदा पहुंचाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, अटल बिहारी बाजपेयी, गृह मंत्री और देश के प्रधान मंत्री की साजिश है जो लोहे के भाव बढ़ाये। यह आरोप कौन लगा रहा है, यह आरोप लगा रहा है, फाइनेंस सैक्रेटरी का फाइनेंस एडवाइजर, गुरुस्वामी। कहां गयी नैतिकता, कहां गयी ईमानदारी ? और फिर मैं दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयीजी को तो नैतिकता के प्रतिक के रूप में यह पेश करते हैं। जब जयललिता ने सपोर्ट वापस ले लिया,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कहां जरूरत थी यह खरीद-फरोख्त करने की ? मेरी जो जानकारी में आया है, दस-दस करोड़ हमारे विपक्ष के नेता...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कभी अटल बिहारीजी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं, कभी आडवाणीजी का नाम ले रहे हैं। नाम लेकर कह रहे हैं। यह इस सदन के...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने यह नहीं कहा है, मैंने आरोप नहीं लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह चार्जेज लगाये हैं, आपने। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं। जो इस सदन के सदस्य नहीं है उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने नैतिकता का सवाल किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आरोप नहीं लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : यह चार्जेज लगाये हैं आपने और यह चार्जेज लगाये जा रहे हो सदन में। यह जो चार्जेज लगाये उस पर आप क्या यह कह रहे हैं कि...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर :+ + + (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने मूव करने को...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप सदन की गरिमा को कम कर रहे हो और आप चार्जेज लगा रहे हो। वे जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन पर आप चार्जेज लगा नहीं सकते हो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने चार्ज लगाये और उस पर चार्ज लगाये हैं। और फिर आप अब लगा रहे हो...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुवा) : चार्ज नहीं लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह जो चार्ज लगाये हैं उस पर आप क्या कहते हो ?

श्री मदन दिलावर : + + + देश का। दस करोड़...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया, इन्होंने तो...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहे जो आरोप लगा देते हैं। सीधा लगा देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : यह जो करोड़ों का+ + + उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी कुछ बोल लूं। अब आप बैठोगे तब बोलूंगा न।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां चार्जेज लगाने का मतलब है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : इतने करोड़ों का+ + + यह लोग।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर।

श्री मदन दिलावर : और यह बिहार में...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इनके खिलाफ चार्जेज लगाने का यह क्या मतलब हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, सब सहन करने की भी कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप लोग जाकर के...

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, वे जो यह कहते हैं, इन लोगों ने बहुत धोखा किया है, जनता के साथ में, इन्होंने...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बहुत धोखा किया है राष्ट्र के साथ, इन लोगों ने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह इस पर क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इनको आप दो बार धन्यवाद दे दो। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : प्रजातंत्र में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने दीजिए। बाधा मत डालिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : यह तो चर्चा विनियोग विधेयक पर हो रही है और यह चर्चा हो रही है किस पर ? और चाहे जो यहां खड़े होकर आरोप माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के लिए बहुत गम्भीर और चिन्तन की बात है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग बिल पर चर्चा हो रही है और हर मामले में राष्ट्रीय मुद्दे उठाते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अभी यह किसी के लिए भी आरोप लगा रहे हैं। अभी इन्होंने जार्ज फर्नांडिज का नमा ले लिया। जगमाल सिंह जी ने जो बोला है वह...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इतने बड़े क्या यह हो गये कि चाहे जिस पर आरोप लगा सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : थोड़ा लोकतांत्रिक बनिये, लोकतांत्रिक।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह सदन के लिए बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नियम और प्रक्रिया से चलिये। सदन में ऐसा नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : आप लोग माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही में बाधा नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : आप लोग माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य का बोलने का अधिकार है। हां, इनका अधिकार है, इनको बोलने दीजिए।

श्री मदन दिलावर : यह लोगों को मरवा देते हैं कि किस पार्टी (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है, इनको बोलने दीजिए। आप हमेशा दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाये यह।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बिना किसी का नाम लिये अपनी बात कहिये। सब समझ जाएंगे। why do you want to take anybody's name ?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप नहीं है, मैंने गुरुस्वामी के लिये क्या कहा है ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपने यह कही कि प्रधान मंत्रीजी ने कहा है।

श्री संयम लोढ़ा : यह तो देश की जनता पूछेगी आपसे, देश की जनता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपने यह कहा कि प्रधान मंत्रीजी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। (व्यवधान) अटलजी का नाम लिया है आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका समय आएगा जब आप अपनी बात बोलना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बी.जे.पी. की (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं नैतिकतावादी भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार बारह-तेरह दिन प्रधान मंत्री रहे हैं (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप जिस प्रकार की + + + कर रहे हैं। इनको ट्रांसफर करवाने हैं, इसलिए आप + + + कर रहे हैं इनकी। कर देना दो चार ट्रांसफर मेरे कहने से। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, नैतिकता की बात करते थे और कहते थे...

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : भैरोसिंह को छोड़कर चले गये मंत्री रहकर, कहीं आप चक्कर में आ जाओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम कोई चक्कर में नहीं आने वाले।

श्री देवीलाल बैरवा : आपके राज में क्या हुआ था ? जहां पर फोड़ा है जहां दर्द हो रहा है, जगमाल सिंहजी, आप वहां पर हाथ मत लगाओ। दर्द हो रहा है वहां पर आप हाथ मत लगाओ। अंगुली मत लगाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलालजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : पूरा नहीं उपाड़ना चाहता। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कह रहा था। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता का तकाजा करती है और उनके प्रधान मंत्री और इनके नेता कहते रहे कि जिस दिन हमारा बहुमत नहीं होगा तो हम बेईमानी से और जोड़-तोड़कर राज नहीं बनाएंगे। जोड़-तोड़ कर राज बनाना तो राजस्थान में चालू किया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कभी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इस राजस्थान की जनता ने नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, 1990 में मेजोरिटी, आप सब जानते हो, कितनी थी बी.जे.पी. की। मैंने पहले भी कहा कि हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री देवीलालजी की भूल से सत्ता में आयी बी.जे.पी. और अब क्या हुआ 93 में वह आप सबने देखा हागा और राजस्थान की जनता ने देखा होगा। किस तरह से जोड़-तोड़कर जो पार्टी राज बनाती हो और दिल्ली में उनके नेता कहते हों कि हम जोड़-तोड़कर राज नहीं बनाएंगे, जिस दिन मेंडेट क्लियरकट हिन्दुस्तान की जनता नहीं देगी उस दिन से पहले राज नहीं बनाएंगे। क्या हुआ था यू.पी. में ? उपाध्यक्ष महोदय, वही मुलायम सिंह यादव, मायावती ने समर्थन वापस लिया और गर्वनर ने कहा, हाउस सम्मन किया हुआ था, मुलायम सिंह ने लेकिन गवर्नर ने हा कि चूंकि मायावती ने समर्थन वापस ले लिया है इसलिए आपको सदन में जाने का मौका नहीं देता हूं। मोतीलालजी बोहरा ने कहा। अब आइये वही प्रकरण, कल्याण सिंह की सरकार और मायावती जी ने समर्थन वापस लिया और जब भण्डारीजी ने आदेश दिया तो भूख हड़ताल पर बैठे। तत्काल यह मांग की थी कल्याण सिंहजी ने की मायावती ने समर्थन वापस ले लिया है इसलिए मुलायम सिंह को बर्खास्त किया जाए। सदन में नहीं जाने दिया जाए और जब खुद के मुख्यमंत्री बनने की बात आयी तो सारी नैतिकता ताक पर रख दी। आज क्या हो रहा है यू.पी. में? कितने बी.जे.पी. की मेजोरिटी है क्या ? कितने दल तोड़े। कांग्रेस तोड़ी बी.एस.पी. तोड़ी, उनकी नैतिकता की बात पर हिन्दुस्तान के लोग विश्वास करेंगे इसलिए यह मजाक करते हैं। यह सही है मजाक करते हैं और नहीं तो नैतिकता नप जाएगी। नाई-नाई बाल कितने, यजमान सामने आ जाएंगे। कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। बिहार में पिछड़ा, दलित, महिला मुख्य मंत्री। कभी चारा घोटाला लगाया जा रहा है, कोर्ट में मामले में, मैं कहना नहीं चाहता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रणवीर सेना किसने खड़ी की? रणवीर सेना खड़ी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

करके बिहार के माहौल को, लॉ-एण्ड आर्डर को बिगाड़ा गया और बैकग्राउण्ड तैयार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ताकि वहां की सरकार को भंग कर दिया जाए। कौन है, रणवीर सेना, किसका संरक्षण है ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर लालू की तरह से जांच हो, अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एम्फोर्ट प्रकरण हुआ। भाटी साहब ने भी कई मामले रखे हैं अगर यह सरकार+ + + नहीं हो और मैं समझता हूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री टेबल के अन्दर हाथ मिलने की आदत वाले आदमी नहीं हैं। आप राज कीजिए। भाजपा की तत्कालीन सरकार ने आप लोगों के खिलाफ भी कमेटियां बैठायीं, आप भी उन लोगों के खिलाफ जांच बैठाइये। मामला कुछ नहीं निकला, अब आप भी जांच बैठा लीजिए। मामला कुछ नहीं निकलेगा तो उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बीजेपी. की सरकार का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जगमाल सिंह जी ने एम्फोर्ट का जिक्र किया। उसके पहले सुरेन्द्र व्यास ने उसका जिक्र किया। साथ ही भाटी साहब ने भी कुछ मेरे सन-इन-लॉ के नाम पर आरोप लगाये। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी आरोप के बारे में चर्चा करने के बजाए सरकार जिस मामले में भी चाहे, जिस प्रकार की भी इन्क्वायरी कराना चाहे, इन्क्वायरी करा लें। मुझे आपत्ति नहीं होगी। मैं आज आपको इस सदन में यह विश्वासपूर्वक कहता हूं, किसी भी प्रकार की इन्क्वायरी हो, मैं निर्दोष निकलूंगा, उसमें किसी प्रकार भी कोई गफलत सामने नहीं आएगी। यह बारबार चर्चा करना (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह तो चैलेंज है इस सरकार को कि अगर यह निर्दोष निकल जाएं तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी तक आरोप लगाया है। (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सिंह साहब, आपकी+ + +से डरता नहीं हूं। याद रखना आप। (व्यवधान) करो न इन्क्वायरी अभी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : चाहे जो सदस्य बोलते रहें, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का कोई भी नेता बोले उसको हम भी गाली देने लग जाएंगे। (व्यवधान) कौन सहन करेगा ? (व्यवधान) इस तरह की बात को कोई सहन् नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव :+ + +की बातें कैसे सहन करें ? (व्यवधान) यह क्या हुआ ? यह चाहे जो+ + + करते रहेंगे। (व्यवधान)

+ + +शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : नेता बोल रहे हैं। आपके नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अभी नहीं जाना चाहता कि भाटी साहब नाराज क्यों हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। मैं बता देऊंगा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय भाटी साहब, बिराजिये। आप बोल लेना। इनको बोल लेने दो पहले।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, तो आप मुझे बोलने देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि भाटी साहब ने आरोप लगाया, सुरेन्द्र जी व्यास ने आरोप लगाया। अभी जगमाल सिंह जी बोल रहे थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने आप पर आरोप नहीं लगाये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी सुन लीजिए। कोई भी माननीय सदस्य किसी भी विषय पर कोई आरोप लगाये तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी एक प्रक्रिया है आरोप लगाने के बजाय वह अपनी सरकार को कहें कि इस मामले की अमुक संस्था से जांच करवा लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख लेंगे नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। क्या देख लेंगे ? देख नहीं लेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं राजनीति में आया हूं तो कुछ मेरा भी मकसद है। मकसद अपने स्वार्थ का नहीं है। आज से नहीं, 1952 से लेकर आज तक विधान सभा में बैठा हूं। किसी + + + ने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। अब आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है तो मैं अपने बारे में तो यह कह सकता हूं कि आप सब मामलों की जांच करा लें, मुझे कोई रियायत देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहें, जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। आप यदि सी.बी.आई. से कराना चाहतें तो सी.बी.आई. से करवा लें। आप यदि यहां कोई व्यवस्था करके इंक्वायरी कराना चाहें तो इंक्वायरी करा लें। मेरे ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं है। यह दोष व्यक्तिगत वैमनस्यता के आधार पर लगाये जा रहे हैं, यह मैं आज नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आप अपना फैसला जिस दिन कर लेंगे, उस दिन मैं बताऊंगा कि कौन-कौनसे मामले ऐसे हैं, जिन मामलों की जांच और होनी चाहिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सात बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन आदमी इधर से बोलने चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलेंगे-बोलेंगे। इन्होंने एक घण्टा कहा, मैंने दो घण्टे बढ़ाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन बोलने चाहिये। आपने एक को ही बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने एक घण्टा कहा, मैंने दो घण्टे बढ़ा दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं बुलाना है तो वैसे ही बता दो। उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से देख रहे हैं हम प्रतिपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को मौका नहीं दे रहे हैं.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका ख्याल रखते हुए ही उन्होंने एक घण्टे के लिये कहा और मैंने दो घण्टे बढ़ाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसी बहस में हिस्सा नहीं लें। अगर यह तय कर दें तो हम चले जाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बहस का विषय नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि एक घण्टे के लिये कहा और मैंने दो घण्टे बढ़ाये और इसलिए बढ़ाये कि आप बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था मुझे समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें कोई प्रकरण कोई सवाल-जवाब का तो है नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने फरमाया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपके खिलाफ कुछ बोले ही नहीं तो क्या बोलेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने फरमाया इसलिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा कि अगर आपके खिलाफ कुछ बोले तो आप जवाब देना। आपके खिलाफ तो कुछ बात कही नहीं उन्होंने।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भाटी तो मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने तो गवर्नमेंट को कहा कि मेरे खिलाफ जो भी इंक्वायरी कराना चाहो, आप करवा लो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिये एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसका इश्यू है ही नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि न तो मेरी इनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है और जांच सरकार करवा ले। मैंने तो मेरा इस्तीफा भी देने को हुंकारा भर लिया है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज की प्रोसिडिंग्स will be a witness to the statement by the opposition Leader कि जिस दिन यह जांच जो जाए तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि यहां नहीं, पूरे राजस्थान में यह मेरे खिलाफ जो भी उजागर करना चाहे और प्रूव कर दें तो मैं आप कहो जैसा कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उजागर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सरकार को कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भैरोंसिंह शेखावत साहब, आपका मैं सम्मान करता हूं। आप मेरे फादर के साथ एम.एल.ए. थे। लेकिन मेरी आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी आपसे सिर्फ यह है कि आपने राजस्थान को तीन टर्म्स में इतना डुबोकर रख दिया। (व्यवधान) यह आपने किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह किया है और दिल्ली में आपके मित्र जसवन्त सिंह और वाजपेयी जी ने किया है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है यह सही है कि मेरे इनसे अच्छे सम्बन्ध थे, बहुत अच्छे सम्बन्ध थे। जसवन्त सिंह जी आपके बहनोई हैं_

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सगे बहनोई हैं और मेरे और इनके जो मतभेद हैं वह उसी कारण से मतभेद हैं और कोई नहीं है। अब यह अपने घरवालों की इंक्वायरी करवाना चाहें तो मुझे क्या आपत्ति होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो आपकी इंक्वायरी करवाना चाहता हूं और आपके दामाद साहब की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कराओ, न मैंने तो कह दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, करवाओ न हिम्मत है तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कह दिया न।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : फिर पांच साल तक दबाकर क्यों रखी ? भाभड़ा साहब को उप मुख्य मंत्री आपने बनाया। वहां से उन्होंने जजमेंट दिया तब। भैरोंसिंह जी, मैं आपको भी जानता हूं, आप रहने दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाटी साहब बिराजें। प्लीज बिराजें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कमाल है, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बैठवा रहे और इनको बोलने की अनुमति दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं, वह भी बैठ जाएंगे। दोनों ठहर जाओ न। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 33 रह गये हो, थोड़े और रूको तो 10 पर आ जाओगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, यह बाद का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : It is a question of inquiry. इन्होंने ओपन इंक्वायरी आफर कर दी गवर्नमेंट को, इसके बाद और क्या चाहिये आपको। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Why is he going on ?

श्री उपाध्यक्ष : He has offered an open inquiry.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Why is he going on ? Now he has brought one another subject. मेरे बहनोई के और मेरे अंदर कोई अन्तर नहीं है। मेरे भांजे मेरे घर आते हैं। मेरी सिस्टर मेरे घर आती है और बहनोई के मेरे बात चीत है। इनके और मेरे नहीं है। बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या बात है, आएंगे ही वह तो। वह तो आएंगे, इसमें क्या बात है। आपके रिश्तेदार हैं तो आएंगे। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सदन का मंच आप यूज करवाना चाहेंगे ऐसे आरोप लगाने में तो माफ करना आप, मुझे भी नहीं रोक सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आरोप लगाओ तो कोई बात नहीं और दूसरा जवाब दे तो उसके लिये आप+ + +क्यों ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राजेन्द्र सिंह जी, आप तो विराजो। इनको रहने दो। (व्यवधान) कराओ न। (व्यवधान) रहने दो राजेन्द्र सिंह जी (व्यवधान) यह पुलिन्दा देखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कई बार दिखा चुके हो यह पुलिन्दा। आप वाला पुलिन्दा देख लो। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सबको फांसी पर चढ़ा देना हमारे को। आप जांच करवा लें। (व्यवधान) खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप लगाने की छूट केवल इनको है। इनको छूट है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि जांच जो भी उचित समझे कि करानी है, इसको करा लें इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात निवेदन करना चाहता हूं इस मामले में आप इस बात का जरूर विचार कर लें कि हाउस में यदि इसी प्रकार की परम्परा चली, जो परम्परा चल रही है, मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं मेरे विषय के संबंध में कोई भी जांच हो, करवा लें, कोई आपत्ति नहीं है। मेरी यह भी मान्यता है कि यदि सरकारी पक्ष आरोप लगाता है, आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनकी है। वह सरकार को कह दे, बता दे कि यह मामला है, इनकी जांच हो। सरकार अपना फैसला करे। हाउस में चर्चा करने से कोई नहीं, सरकार तो उन्हीं की है। हाउस में चर्चा करने के बजाय हाउस के बाहर भी सरकार को कन्वींस कर सकते हैं कि आप चर्चा कर लें। लेकिन जिस प्रकार की परिपाटी बन रही है, वह परिपाटी उचित नहीं है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : सरकार कहां वह तो सदस्य हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सत्ता पक्ष है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, वह तो जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले लगाया था आरोप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हरिसिंह जी, पहले तो इनके खिलाफ 119 का नोटिस दिया, आप विटनेस थे। इन्होंने कुछ किया उसका। इन्होंने यह किया कि उस चेयर से इन्होंने पूर्व अध्यक्ष जी से सी.बी.आई. की जांच की रिपोर्ट की सत्यता भी भंग कर दी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत आ गयी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह रिपोर्ट आ चुकी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : You have said it.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भैरोंसिंह जी साहब, मैं आपका बहुत आदर करता हूं I think you are one of the best Parliamentarians in this country.

श्री भंवरलाल शर्मा : This is what you have said it.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ठीक है न। आपको क्या मतलब है ? मैं इनसे बात कर रहा हूं। (व्यवधान) खड़े होकर बोलो। बैठे-बैठे क्या बोल रहे हो ? खड़े होकर बोलो। खड़े होकर बोलिये न। (व्यवधान) मैं इनका आदर करता हूं। आप से हजार गुना ज्यादा वैटर पार्लियामेंटेरियन हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है भैरोंसिंह जी साहब, कि पांच साल तक 119 का मैंने नोटिस दिया आपके दस्तख्त से, आपने पांच साल तक गला घोंट कर रखा है इस पूरी कांग्रेस पार्टी का और यह नतीजा है कि आज हम बोल रहे हैं या मेरी सरकार, मैंने जो प्ली दी है, (व्यवधान) ठीक है, इंक्वायरी करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, फरमाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सरकार है। आपको बोलने (व्यवधान) सरकार अपने आप दे देगी।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसे आदर से भगवान बचाये। अगर हो रहा है यहां (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक रूलिंग दे दें।

श्री शिवनाथ सिंह : जो आदर हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष जी, उस आदर से सदन को बचाइये। जो आपस में आदर हो रहा है, मेरे ख्याल से..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय जगमाल सिंह जी, इसको समाप्त कीजिये। प्लीज। नहीं, यह समाप्त कीजिये। हो गया बहुत। समाप्त कीजिये।

(17.00 बजे)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से भैरोंसिंहजी की और मेरी डिबेट 10 घंटे की इस हाउस में करवा लें। अगर यह सदन कह दे कि भैरोंसिंहजी साहब ही सही हैं तो मैं रिजाइन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोपर इश्यू होगा तो करा लेंगे। अब यह कोई इश्यू नहीं है। सामने। प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मुझे मन्जूर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मुझे मन्जूर है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां। आप करवाओ तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मुझे मन्जूर है, आप डिबेट करिये अच्छा होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बिलकुल। उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें रूलिंग दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Please, take your seat.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक समय रख लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, दो घंटे बोलने का इनको समय दें तो एक घंटे मुझे दे दीजिये, बहुत बढ़िया रहेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, दो घंटे आप को और दो घंटे ही मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की दुहाई करती है, उत्तर प्रदेश में जोड़-तोड़ से अपनी सरकार

(श्री जगमाल सिंह यादव)

बना रही है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली से तो भगवान ने सुनी और जो मंदिर के नाम पर खाया और मंदिर ने, राम ने जो दुआ दी, राम की दुआ से राम की बददुआ से इनका चोपट दिल्ली में भी हो गया। और आपको सूचनार्थ बता दूं कि सोनिया गांधीजी ने 272 की लिस्ट दे दी और शायद सरकार आज-कल में बन जायेगी...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैंने, जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाये लेकिन इस सदन में बारबार मांग उठ रही है। यह मामला आप को भी डेमेज कर रहा है। अगर आप पाक-साफ हैं तो, बैदजी, आप जांच क्यों नहीं कराते, जैसा भाटीजी कह रहे हैं। मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा लेकिन जब बारबार मांग उठ रही है अगर आप मांग की बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, केवल यह जो मुद्दे उठे हैं इनकी जांच नहीं चाहता अगर आपकी सरकार में जरा भी दिलेरी हो और अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आप एक ही सिंह से डरते नहीं हैं तो हजार मैटर आ जायेंगे जो जांच के काबिल हैं लेकिन क्या कांग्रेस गवर्नमेंट करायेगी ? आज भी हो क्या रहा है, जो पिछली सरकार के काले कारनामों को तो उजागर करने की बात की जा रही है, आपकी कांग्रेस के लोग भी उसको पुचकार रहे हैं, मत उठाओ। क्यों नहीं उठायें, इस डर से कि कल इनकी सरकार आ जाए तो आपके खिलाफ जांच नहीं खड़ी हो जाए। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन अगर आपकी सरकार के कार्यकलापों की जांच हो जाए तो आपको तो क्लीन चिट मिल जायेगी और आग में तप कर सोना और खरा हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं, एक शताब्दी का सबसे हृदय विदारक दृश्य हुआ था अलवर में, युवराज प्रताप सिंह जी की हत्या की या उन्होंने आत्म हत्या की। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे। शायद विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को याद होगा, तब जनसंघ के रूप में बैठते थे, आपने मांग की थी कि जुडिसियल इंक्वायरी हो। जस्टिस कान सिंह आयोग बना, मलन आयोग बना। जांच रिपोर्ट आ गयी। युवराज के मामले में, किन्हीं अधिकारियों को दोषी मान लिया। विपक्ष के नेता महोदय से विनम्र निवेदन है कि उसके बाद आप ढाई साल और 10 साल इस राजस्थान का राज कर चुके, क्या किया आपने ? मांग आपकी थी, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। युवराज प्रताप सिंह की हत्या का मामला था। दो-दो आयोग बने, दोनों की रिपोर्ट आ गयी लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि तत्कालीन विपक्ष के नेता, जो

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आज भी विपक्ष के नेता ही हैं, कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। याद होगा, एमरजेंसी का समय था। क्या हुआ उस रिपोर्ट पर ? कम से कम इन्होंने नहीं की, इन पर तो दोषारोपण हो रहा था कि आपने युवराज प्रताप सिंह की हत्या करा दी लेकिन आपने तो मांग की थी, उपाध्यक्ष महोदय, ढाई साल 1977 में राज कर लिया और नौ साल आपने 1990 से 1998 तक राज कर लिया, आपने कुछ काम नहीं किया। कैसे विश्वास करेगी जनता, उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी पर।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। तिलम संघ क्यों बंद कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। एक मिनट, दो मिनट आप चलते ही जा रहे हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : तिलम संघ क्यों डूबा ? बैदजी, आप से ज्यादा मुनीम नहीं, आप से ज्यादा कारीगर और इस राजस्थान में कोई वित्त मंत्री सक्षम नहीं चाहे आपकी कार्यशैली से हम नाराज हों, यह केवल+ + +ने डुबोया। अपने लोगों को नौकरी, जितनी वेकेंसियां थीं उससे ज्यादा अपने लोगों को रोजगार देने के लिए किया। और आपके, विपक्ष के माननीय सदस्य, तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री हैं, उनका बयान छपा (व्यवधान) मैंने उनका इंटरव्यू देखा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा सदन में ऐसे ही चलेगी क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने, इन्हीं के सदस्य ने आरोप लगाया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस तरह की परम्परा चलाना बहुत ही घातक साबित होगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, भैरोंसिंहजी शेखावत अपनी बुद्धि से काम नहीं करते थे...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जो सदन का सदस्य नहीं है, बारबार उसका नाम लेकर माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव :+ + +की बुद्धि से काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को थोड़ा गम्भीरता से लें।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसके साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। इस तरह की पिछले एक महीने से चर्चा चल रही है इस सदन में, जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम बारबार लेकर इस तरह किया जा रहा है। यह सदन की परम्परा सही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ कहता हूं, याद करो...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आप अब समाप्त कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त करने वाली बात नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आर्डर में तो हो हाउस।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप चाहे जिस का नाम ले लें। कभी नरपत सिंह जी का नाम ले लो, कभी जसवंत सिंहजी का नाम ले लो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी गोयल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कभी किसी का भी नाम ले लों, खुली छूट है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये आप अब। नहीं, आप कर नहीं रहे हो, आप बारबार कह रहे हो समाप्त कर रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी को अलग चुनाव लड़ना है तो यह कहना पड़ेगा कि अगर बी.जे.पी. की सरकार बनी और भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री बने तो अपने घोषणा पत्र में कहना पड़ेगा, चाहे रिटायर हो गये, एम.एल.मेहता मेरा चीफ सेक्रेटरी होगा। वोट एम.एल. मेहता के नाम पर लेना। मैं आप से यही बात कह कर समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे आपने एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, नयी सरकार के बनने के बाद सत्ता पक्ष के और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, बजट पर, डिमांड्स पर, पेयजल, अकाल और बिजली पर चर्चा में भाग लिया और चर्चा में भाग लेते हुए हमारा जो 1990 से 1998 तक का शासन था उसको कुशासन की संज्ञा देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला, कानून-व्यवस्था को चोपट करने वाला और पंचायती राज संस्थाओं को पंगू करने का और समाज के कमज़ोर, दलित, और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ने और कई प्रकार के आरोप लगा कर हमें कोसने का प्रयत्न किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1990 में माननीय भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इन्होंने आठ साल तक बिना कोई टैक्स लगाये योजना के आकार में वृद्धि करके और योजनाबद्ध ढंग से नीति निर्धारण करके इस राजस्थान की बहबूदी के लिए विकास में चार चांद लगाये। यहां तक ही नहीं...

श्री हीरालाल विश्नोई : इसीलिए तो 23 हजार का कर्जा हो गया।

श्री सुरेन्द्र गोयल : सुनो न।

योजना का आकार बढ़ा करके और विकास और बहबूदी में इस राजस्थान की जनता के लिए प्रयत्न किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी शेखावत ने दस हजार तक के कर्जे माफ किये, बारानी भूमि का लगान माफ किया। योजनाबद्ध तरीके से हर साल बजट में से कभी पेयजल को बजट समर्पित किया, कभी शिक्षा को बजट समर्पित किया, कभी बिजली को समर्पित किया, कभी सड़कों को समर्पित किया। इस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से...(व्यवधान)...

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। देवीलालजी, बिराजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : काश्तकारों के, बड़े-बड़े आदमियों के किये गरीबों के नहीं किये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देवीलालजी।

श्री देवीलाल बैरवा : बड़े-बड़े आदमियों के, अध्यक्षजी के, मंत्रीजी के, ठाकर साहब के, सेठ साहब के माफ किये, गरीबों के नहीं किये।

श्री सुरेन्द्र गोयल : बजट बढ़ा करके योजनाबद्ध तरीके से विकास किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि आज 40 साल कांग्रेस का शासन रहा था और 11 साल तक माननीय भैरोंसिंहजी का शासन रहा। 11 साल के शासन में और 40 साल के शासन में कितनी परिसम्पत्तियां बनीं और राजस्थान के, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी प्रकार के विकास के काम में हो, अगर 40 साल और 11 साल के अन्तर को मिला लें तो 11 साल का जो कार्य हुआ है वह हजारों साल तक भी जितना नहीं हुआ होगा उतने 11 साल में विकास के कार्य हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब 50 साल देश को आजाद हुए हो गये और अपन ने स्वर्ण जयंती वर्ष इस बार मनाया। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि यह आरोप और प्रत्यारोप हमेशा एक सदस्य दूसरे सदस्य पर लगाता है और हर आदमी यह सोच कर अपने आप को पाक-साफ महसूस कर के दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा कर नीचे गिराने का प्रयत्न करता है। वह समय अब चला गया। राजस्थान की जनता जो सदन में माननीय सदस्यों को भेजती है वह जनता यह चाहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विकास के कार्यों की बात करें, हमारे पर हो रहे अत्याचारों की बात करे, हमारे पर जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने की बात करे, चिकित्सा सुविधाओं का जो अभाव है उसकी किस प्रकार से पूर्ति करे, उत्पादन किस प्रकार से बढ़े।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उसके कारणों की जांच करें और संस्थापन व्यय जो आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किस प्रकार से कम किया जाए, उनके कारणों का पता लगाया जाए और किस प्रकार से आज राजस्थान में बहबूदी में कमी आयी है उन कारणों का पता लगाकर उसका निराकरण किया जाए। जनता इस प्रकार की आशा रखती है। आज जिस प्रकार से जनता की इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप अपन काम नहीं करेंगे तो एक दिन जनता पर से विश्वास उठ जायेगा। आज जबसे सदन में चर्चा हो रही है, हमेशा एक न एक मुद्दा कभी किसी बलात्कार का उठ जायेगा, कभी किसी पर कोई न कोई बिना मतलब का मुद्दा उठाकर सदन का समय जाया किया जाता है। (व्यवधान) रुको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर, माननीय वित्त मंत्रीजी बहुत होशियार हैं और बहुत काबिल हैं, मैं इनको सुझाव नहीं देना चाहता, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो श्वेत पत्र जारी किया, बहुत अच्छी बात है। श्वेत पत्र के साथ में आप यह भी प्रदर्शित करते और यह भी इस प्रकार का एक श्वेत पत्र जारी करते कि आज राजस्थान में पिछले 50 सालों में अन्य प्रदेशों की तुलना में, राजस्थान की जितनी परिसम्पत्तियां बनी हैं और विकास का स्तर क्या है, उसके बारे में जानकारी करके श्वेत पत्र के माध्यम से जनता को प्रदर्शित करते और यह भी रेखांकित करते कि किस कारण से विकास अवरुद्ध हुआ है और किसी ओर अब पांच साल में आगे विकास की ओर अग्रसर होंगे। इसके बारे में कुछ श्वेत पत्र के माध्यम से जनता को आगाह करते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज जिस कारण से बहबूदी में कमी आयी है, मैं उन कारणों की ओर माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आज राजस्थान में 1951 में एक करोड़ साठ लाख की जनसंख्या थी। 1991 में जनसंख्या है चार करोड़ चालीस लाख और आज की तारीख में पांच करोड़ बीस लाख की जनसंख्या बढ़ गयी। आज इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो कैसे प्रदेश का विकास होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, आज इस जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है राजस्थान की जनता पर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज रोजगार के साधन अवरुद्ध हो रहे हैं। बेरोजगार युवक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज गरीबी बढ़ रही है। यातायात अवरुद्ध हो रहा है और अपराधों की संख्या बढ़ रही है। यहां तक कि पोल्यूशन इतनी बढ़ गयी है कि आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो मेरा इसके बारे में आपसे निवेदन है कि बजट भाषण में एक भी शब्द अंकित नहीं किया गया है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनके कारणों का पता लगाकर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस सम्बन्ध में महिला साक्षरता की कमी है। महिला की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बढ़ाना होगा। परिवार कल्याण के जो साधन सीमित हैं उनको बढ़ाना होगा। इस प्रकार का सोच रखकर चलें। सबसे पहला अहम मुद्दा है जनसंख्या वृद्धि पर कन्ट्रोल करने का उस पर जब तक कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक इस राजस्थान में बहबूदी नहीं आ सकती। चाहे जितना भी विकास करें हमेशा, आज मान लीजिए पांच हजार की पापुलेशन है कल यही पापुलेशन 10 साल बाद दस हजार हो जायेगी। जो आपने टंकी बनायी है वह छोटी पड़ने लग जायेगी। जो पाइप लाइन आपने लगायी है वह छोटी पड़ने लग जायेगी और यहां तक कि यातायात इतना बढ़ जायेगा कि अपन चल फिर भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या के ऊपर जब तक कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक राजस्थान में बहबूदी नहीं आ सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। जिस प्रकार से माननीय भैरोंसिंह शेखावतजी के सक्षम नेतृत्व में उन्होंने एक सोच डवलप करके आज नगरपालिकाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में और सहकारी संस्थाओं में कानूनी बाध्यता लाकर चुनाव के अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करने का बिल पास करवाया, उससे काफी जन प्रतिनिधियों में जागरुकता आयी। और जैसे राजलक्ष्मी योजना है, जन मंगल योजना है, इस प्रकार से उन्होंने लागू करके जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयत्न किया। परन्तु वित्त मंत्री महोदय, अभी इस समय केवल यही प्रयत्न काफ़ी नहीं है। आज लोगों को कानून में बाध्यता लाकर के इस राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाकर ऐसा कानून बनाना पड़ेगा ताकि उस पर अंकुश लग सके। और परिवार कल्याण को शुरू करने में उसको बाध्य होना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। एक तिहाई जमीन में सिंचाई होती है और दो तिहाई जमीन बारानी भूमि है और बारानी भूमि में अकाल से हर साल जूझना पड़ता है और अकाल से जूझते-जूझते कभी प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है और कभी अनावृष्टि हो जाती है तथा किसी न किसी प्रकार से काश्तकार परेशान होता ही रहता है। यह काश्तकारों की ही परेशानी नहीं है, सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों की परेशानी है। तो मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है कि आपने जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत कृषि विनियोग पर किया था उसको माननीय भैरोंसिंहजी ने विनियोग पर 11 प्रतिशत की वृद्धि की थी। उसका परिणाम निकला कि खाद्यान्न के उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिलहन के उत्पादन में 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कपास के उत्पादन में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अभी नवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विनियोगों पर वापस 11 प्रतिशत को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जब तक राजस्थान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक राजस्थान की सरकार खुशहाल नहीं हो सकेगी। तो राजस्थान खुशहाली की ओर नहीं बढ़ सकता। आज

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पूर्णरूपेण काश्तकार अपने परिवार को पालकर दूसरों को पालता है। तो मेरा निवेदन है कि कृषि के जो विनियोग हैं उसको बढ़ाना चाहिए और कृषि के जो जिन्स हैं जिनमें राजस्थान की जनता को महारथ हासिल है जैसे जीरा है, मेथी है, धनिया है, कपास है, चावल है और माल्टा है, उनका निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए और उनको ऋण की सुविधा दी जानी चाहिए तो कृषि पनपेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि बजट भाषण में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में फल सब्जी के लिए सांगानेर में टर्मिनल बनाने की व्यवस्था की। मैं कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अभी जो फसल पैदा हुई उसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की है। वह 50 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये जाएं और अपने माल को स्टोरेज करके, जब अच्छे भाव आयें उस समय बेचकर अपना मुनाफा या अपना पैसा कमा सकें तो धन्यवाद देता हूं इसके लिए परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि इस निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जब तक अपन काश्तकारों को मोटीवेट नहीं करेंगे और जब तक काश्तकारों की उन्नति के लिए काम नहीं करेंगे और सिंचाई के साधन, एक तिहाई में सिंचाई होती है और बाकी जमीन बारानी है तो इन्दिरा गांधी नहर जो योजना है जो जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ जाती है तो उसको डाईवर्ट करके चूरू से लेकर नागौर और नागौर से होकर पाली की तरफ ले जाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो अपनी जो बारानी भूमि है वह भी सिंचित भूमि में बदलकर उससे किसानों में खुशहाली आ सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संस्थापन व्यय, आज राजस्थान की सरकार जनता पर कर लगाने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि जनमानस इसके खिलाफ है और जब तक कर नहीं लगाओगे, जब तक आय के स्रोत नहीं बढ़ाओगे और घिसी पिटी व्यवस्था जो चल रही है, जब तक सरकार और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य एक साथ मिलजुलकर एक साथ बैठकर ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे कि इस राजस्थान की बहबूदी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके।

आज पचास साल की आजादी के बाद भी पानी के लिए अपन तरस रहे हैं। आज राजस्थान की 50 साल की आजादी के बाद अपन सड़कों के लिए मोहताज हैं। आज 50 साल की आजादी के बाद भी सभी तरह की परेशानियां ही परेशानियां हैं और सदन में इस बात की चर्चा करते हैं तो बड़ा दुःख भी होता है और बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का है कि आज मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तु है, उसके लिए भी हम चिन्तित हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय, कि आज संस्थापन व्यय, आज वेतन और भत्तों पर प्रतिवर्ष 5 हजार पांच सौ करोड़ का खर्चा आ रहा है जो राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत है। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1991 में चार लाख पांच हजार के करीब सरकारी कर्मचारी हैं। और 1998 में पांच लाख

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विकसित किया जा सकता है। पर अभी तक उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा गानों में और भाषणों में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप उदयपुर में हुए और मीरा का जन्म कुड़की में हुआ। और कुड़की को आज तक कोई महत्त्व नहीं दिया गया, न पर्यटन स्थल की दृष्टि से इसको विकसित किया गया। इसके बारे में विचार करके इस कुड़की को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है और आने वाले ट्यूरिस्ट किस प्रकार से आकर के उसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में चिन्तन करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में निवेदन करता हूं कि स्टेट हाईवे नम्बर 39 संतूर टू नागौर, जिसका डायवर्शन ब्यावर के बाबरा रास और लांबिया की तरफ होते हुए मेड़ता और नागौर की तरफ जाता है। वह रोड डी.एफ.एफ. फैक्ट्री होने के कारण वहां से रोजाना हजार आठ सौ ट्रक आवागमन होने से इतनी सड़क की हालत खस्ता हो गयी है कि वहां पर चल फिर नहीं सकता। तो प्राथमिकता के आधार पर उस स्टेट हाईवे को बना करके, या इस बार नहीं बना सकते हैं तो कम से कम उसको सही ढंग से मरम्मत करके भी आगे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में भी आपको निवेदन कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राश चौकी है वहां पर डी.एफ.एफ. फैक्ट्री लगी है वहां पर बहुत बड़ा यातायात है। उस चौकी को क्रमोन्नत करके राश थाने के रूप में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी करेंगे। इसके अलावा मेरा निवेदन है, हमेशा जैतारण और निमाज से ब्यावर को पानी सप्लाई होता था। आज जैतारण और निमाज की स्थिति यह हो गयी है कि पीने के पानी के लिए एक-एक बूंद के लिए मोहताज है तो मेरा निवेदन है कि बीसलपुर का पानी ब्यावर आया हुआ है और ब्यावर से जैतारण तक की पाइप लाइन डाली हुई है। कोई राजकीय खर्चा नहीं आयेगा। सिर्फ उस पानी को ब्यावर से आगे ट्रान्सफर करना है। इस बारे में व्यवस्था करके इस जैतारण और निमाज, जैतारण की जनता को खुशहाली की ओर आगे बढ़ायेंगे। शुद्ध पेयजल पीने की व्यवस्था करेंगे। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय वित्त मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान की जो पूर्व की सरकार से विरासत में आर्थिक स्थिति मिली, और जिस तरह से आप इस राजस्थान सरकार से भारी कर्जों से बोझ उसको आपने सम्भाला, उसके बावजूद भी आपने जो बजट पेश किया, एक विकासशील और 21वीं सदी में राजस्थान को उज्ज्वल भविष्य के साथ में ले जाने वाला बजट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी प्रश्न आया कि संसाधन जुटाने के साथ साथ वित्त व्यवस्था क्या होगी उसके लिए खुलासा नहीं किया गया। माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा अपने बजट भाषण में और बजट में जो प्रत्युत्तर दिया उसमें स्पष्ट संकेत दिया कि हमारी सरकार जो बजट राजस्व आय का होगा उसमें किस तरह से व्यवस्था करेगी इसके बारे में सारा दर्शाया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान में कांग्रेस

(श्री मांगीलाल डांगा)

की सरकार बनी और जन आकांक्षाओं के अनुसार जो सरकार को बहुमत मिला, यह उन्हीं का परिणाम था कि राजस्थान की जनता भा.ज.पा. के शासन से दुखी हो चुकी थी, विचलित हो चुकी थी और जो यहां की व्यवस्था, चाहे वह प्रशासनिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर बात में गिरावट आई। उसका परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने इस भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बिठाया। आज हम राजस्थान के स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। महोदय, आज ग्रामीण जनता के चेहरे पर खुशहाली और मुस्कुराहट होनी चाहिए, परन्तु जो अर्थ व्यवस्था आज राजस्थान में मिली और जो स्थिति हमारे राजस्थान में अकाल की छाया छाई हुई है, आज हमारे ग्रामीण दुःखी हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं है। और इसका जो मुख्य कारण है मान्यवर, मैं तो इसे कहना चाहूंगा और जब अकाल की बात याद आती है तो अकाल के साथ हमारे स्वर्गीय राजीव गांधीजी याद आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी अकाल हुआ, और कल बात चल रही थी अकाल के लिए जो केन्द्र की टीम है वह बुलाने का समय उपयुक्त नहीं था। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जब अकाल की छाया मंडरा रही थी और स्वर्गीय राजीवजी गांधीजी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने न तो टीम का इन्तजार किया, उन्होंने आकर के राजस्थान को सम्भाला और उस तरह गांव-गांव तक जहां खुद ने जीप चला करके जनता की सुध ली, और उस टाइम 9 सौ करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करा करके राजस्थान को उस अकाल की पीड़ा से उबारा। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल की स्थिति और इस स्थिति में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में हमारे प्रधानमंत्रीजी ने सुध तक नहीं ली। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ज्ञापन और आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे और उसके बारे में कह रहे थे। वह ज्ञापन और आंकड़े भाजपा सरकार के द्वारा भी प्रधानमंत्रीजी के सामने प्रस्तुत किये गये थे। पर यदि थोड़ी बहुत भी इच्छा शक्ति और हमारे गरीबों के प्रति उनके वहां दया होती, गांव वालों के प्रति सहानुभूति होती तो प्रधानमंत्रीजी चलकर आना तो दूर रहा कम से कम अकाल राहत में आपदा कोष से धन का आवंटन कर राजस्थान को देते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सम्पूर्ण राजस्थान में कम से कम 20 ऐसे जिले हैं जो अकाल की चपेट में हैं। महोदय, नागौर जिला भी जिसके 5-6 गांवों को छोड़कर सम्पूर्ण जिला अकाल की चपेट में है और जिले के 1456 गांव अकाल और अभावग्रस्त घोषित किये हुए हैं। आज विकट परिस्थितियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपको जो विरासत मिली है, मैं मानता हूं कि संसाधन नहीं हैं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि जो भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा प्राकृतिक आपदा कोष में जो समुचित कोष की राशि जमा करानी चाहिये वह नहीं करायी। उसके बावजूद भी आप इस विकट परिस्थितियों से कैसे संभाल रहे हैं। पर मैं निवेदन करना

(श्री मांगीलाल डांगा)

चाहूंगा कि आप चाहे किसी तरह से व्यवस्था करें, जैसी व्यवस्था मिली है परंतु आपको तो यह व्यवस्था चूंकि हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार है और आप उस सरकार में एक राजस्थान के ही नहीं हिन्दुस्तान के माने हुए वित्त मंत्रियों में से हैं इसलिये आप व्यवस्था कीजिये और आज हमारे मजदूरों के लिये जो सीलिंग की सीमा है तुरन्त मई से उसको आप हटाइये ताकि ग्रामीण जनता और जो ग्राम में रहने वाला मजदूर है, उन्हें रोजगार मिल सके।

अकाल के सम्बन्ध में कुछ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कार्य हम खोलें उसमें भी कार्य ऐसे होने चाहिये जिसमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर लग सकें। और जिस तरह सड़कें हैं, तालाब हैं, एनिकट हैं यदि हम तालाब बनायेंगे तो आज जो हमारा जल स्तर नीचे गिर रहा है और जो पशुओं को पेयजल की समस्या आती है, उसमें भी राहत मिलेगी। आगे आने वाले समय में यदि हम एनिकट के ऊपर यह पैसा खर्च करेंगे तो इससे भी हमें राहत मिलेगी और जल स्तर आगे बढ़ेगा। आगे जाकर आने वाले समय में यह अकाल राहत कार्य के साथ एक बहुत बड़ा विकास का कार्य भी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आगे आने वाली एक मई से नागौर जिले में कम से कम एक लाख मजदूर कार्य पर लगें, ऐसी व्यवस्था की जाए।

मैं इसके साथ पशुधन के लिये भी जो कि आज हमारा पशुधन गांव के जो किसान हैं, गांव के रहने वाले व्यक्ति का खेती, मजदूरी और उसके साथ जो मुख्य धंधा है वह पशुधन है। और पशुधन को जीवित रखना भी बहुत आवश्यक है। उसके लिये हमें चारा, पशु आहार पर अनुदान देने की व्यवस्था तो करनी चाहिये।

उसके साथ-साथ आज हमारी जितनी भी गौशालाएं हैं, उनके अन्दर हमारे गौवंश को बचाये रखने के लिए हम गौशालाओं को जो अनुदान देते आये हैं, एक विशेष प्रावधान करके उन गौशालाओं को अनुदान देकर हमें यह सहायता प्रदान करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के लिये मैं ग्रामीण विकास मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास में पंचायती राज की व्यवस्था की गयी। एक पंचायत का क्षेत्र, और पंचायत समिति का कहीं तालमेल नहीं है। पंचायत समिति का सदस्य, उसमें एक गांव तो एक पंचायत का, तो एक गांव दूसरी पंचायत का और उसके साथ में न किसी प्रकार का कड़ी बंधन। उसमें आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पंचायत राज मंत्रीजी ने अधिकार देने के साथ-साथ यह घोषणा की कि सरपंच को भी हम पंचायत समिति का सदस्य बनाएंगे। प्रधान को जिला परिषद् का मैम्बर बनाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा उसी तरह से पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों की बराबर की भागीदारी पंचायत और पंचायत समिति में ही रहनी चाहिये। जब तक इनका सामंजस्य नहीं होगा विकास की गति आगे नहीं बढ़ सकेगी। जैसा

(श्री मांगीलाल डांगा)

भाजपा शासन में, चूंकि हमारे महात्मा गांधीजी ने कल्पना की थी ग्राम स्वराज्य की, और ग्राम स्वराज में तीन व्यवस्था मुख्य रूप से होनी आवश्यक है। शिक्षा, पंचायत और आर्थिक व्यवस्था के लिये सहकारिता। पूर्ववर्ती सरकार ने इन तीनों व्यवस्थाओं को जिस तरह से बिगाड़ा उसका वर्णन करने के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, शिक्षा का तो व्यापारीकरण किया गया और बेचा गया खुले में। प्राइमरी स्कूल चाहिये उसके लिये राशि निर्धारित कर दी। मिडिल स्कूल क्रमोन्नत कराना है उसके लिये पैसे ले आइये। कालेज बनाना है पैसे ले आइये। तो यही हालत हुई कि जहां जनता ने पैसा जमा कर दिया उनको तो स्कूल और शिक्षा के लिये कुछ व्यवस्था मिल गयी। और दूसरी व्यवस्था यह भी थी कि न तो स्कूलों में अध्यापक समय से जाते थे, और अध्यापकों ने यहां तक भी कर रखा था एक अध्यापक, चार की ड्यूटी है और एक ने ठेका ले रखा है। बारी बांध रखी थी एक दिन आप आओगे, एक दिन मैं आऊंगा।

आज शिक्षा के स्तर में पेपर आउट होने की बात आयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी को इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। यहां जो लेकुना है उस लेकुना को मिटाने के लिये बहुत जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और जिसको हम आटोनामस बॉडी मानते, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी भी आपको सुव्यवस्थित गठन करके व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने 1600 शिक्षा केन्द्र खोल कर ढाणी-ढाणी तक छोटे-छोटे गांवों तक शिक्षा को पहुंचाने की व्यवस्था की है।

दूसरी, जो मैं सहकारिता की बात कर रहा था, आज आवश्यक हैं कि गांवों में आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। और हमारे जो किसान भाई, जो वहां के मजदूर, ग्रामीण व्यक्ति हैं उनको स्वावलम्बी बनाना है तो सहकारिता को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वह सहकारी ऋण के लिये हो, चाहे कृषि उपज विक्रय के लिये हो, चाहे दूध उत्पादक का दूध वितरण करने के लिये हो। सहकारिता की एक व्यवस्था और एक सिद्धान्त है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिये। उसमें चुने हुए आदमियों के हाथ में प्रबंध होना चाहिये। पूर्ववर्ती सरकार ने एक आदेश में सभी चुने हुए पदाधिकारियों को हटा करके प्रशासक बैठाये। प्रशासक नहीं बैठाये उसके साथ जो नियम और अधिनियमों में संशोधन किया और उसमें यह व्यवस्था कर दी कि अब यदि नया आप चुनाव करायेंगे तो अध्यक्ष को बैठकर अध्यक्षता करने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मैंने माननीय सहकारिता मंत्रीजी से भी निवेदन किया था और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ओर पूर्ण ध्यान देकर सहकारिता मंत्रीजी ने सदन में यह घोषणा की थी कि इन कानूनों को बदला जाएगा और जो ग्रामीणों की आकांक्षा

(श्री मांगीलाल डांगा)

है, सदस्यों के जो अधिकार होने चाहिये, सदस्यो के मत के अधिकार से यह संचालन जनता के हाथ में हो वह व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

परिवार कल्याण की बात भी आयी। जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने एक ऐसा साहस दिखाया कि पंचायती राज, नगरपालिका, सहकारिता बिल में प्रावधान कर दिया। यह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। परिवार नियोजन में कामयाबी जब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा ग्रामीण, हमारी ग्रामीण महिलाएं शिक्षित नहीं हो और उसमें संस्कार नहीं हो, इस आंदोलन को समझे नहीं। कानून में सिर्फ प्रावधान करके यदि हम इस बात की वाहवाही लूटें कि हमने कानूनी यह प्रावधान कर दिया इसलिये परिवार नियोजन को, परिवार कल्याण को सारी जनता अपना लेगी, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के साथ ही थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा जलदाय व्यवस्था की ओर...

श्री उपाध्यक्ष : अकाल पर तो बोल गये आप पहले।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब अकाल की चपेट में ग्राम आता है तो जलदाय के लिये भी बहुत ज्यादा विकट समस्या पैदा होती है। पिछले 8-9 वर्षों में जितनी भी कांग्रेस के कार्यकाल में जो योजना चाहे वह रीजनल स्कीम हो उन स्कीम्स में इस तरह से परिवर्तन किया गया, इस तरह से शिथिलता आयी कि सारी जलदाय की व्यवस्था चरमरा गयी। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये ग्राम लेवल पर पंचातयों को यह सौंपी गयी। आज पंचायतों के पास क्या संसाधन हैं वह उन योजनाओं को चालू रख सकें ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों में जो योजनाएं हैं, वह वापस विभाग में ली जाए और विभाग में लेकर उनकी समुचित व्यवस्था विभाग स्वयं संभाले। रीजनल स्कीम के द्वारा उन सब जगह पर जल उपलब्ध कराया जाए। आज हमारे कुओं का जल स्तर नीचा जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिख कौन रहा है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाद में बात कर लेंगे।

श्री मांगीलाल डांगा : हमारी सरकार ने जो इस बजट में और हमारे जलदाय मंत्री जी ने कल घोषणा की थी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे सम्पूर्ण नागौर जिले में जिसमें मेड़ता, परबतसर, डीडवाना, लाडनूं इत्यादि तहसीलें हैं उन सबमें राजस्थान नहर का पानी लाया जाये और उसको पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाये जिससे हमारी जो योजनाओं में प्रतिवर्ष हम कुए खोदते हैं, ट्यूबवैल खोदते हैं और हर आने वाले 2-3 साल में जल स्तर नीचा जाता है तो दुबारा हमें खर्चा करना पड़ता

(श्री मांगीलाल डांगा)

है। तो यह एक स्थायी व्यवस्था हो जायेगी तो यह हमारा खर्चा हमेशा के लिए बचेगा।

हमारे जलदाय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता लिलिया जसतावाद और मेड़ता शहर की कुछ योजनाएं जो जलदाय विभाग में स्वीकृति के लिए आयी हैं, उन्हें शीघ्र ही स्वीकृत कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऊर्जा मंत्री जी को जिन्होंने इस विकट समस्या में हमारे किसानों को 8 घंटे बिजली देकर किसान को जो सुविधाएं ही नहीं, उनको जिस तरह से आज अन्न उत्पादन में अग्रणी कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं और बजट प्रावधान में 3 हजार कुओं को सामान्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन देने की जो व्यवस्था की गयी है यह भी एक सराहनीय कदम है। यह भी कहना नहीं भूलूंगा कि भाजपा सरकार ने नर्सरी योजना करके हमारे सामान्य किसान को तो बिजली का कुएं पर कनेक्शन लेने की सोचने से भी मजबूर कर दिया था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नर्सरी को तो बंद कर दिया। उसके साथ-साथ जो नर्सरी के बिल हैं किसानों के, वह अलग दर है, उनको भी सामान्य टेरिफ के रूप में बदला जाये। और नये कनेक्शन देने की जो योजनाएं बनायी गयी हैं, उसमें पहले हमारी कांग्रेस सरकार की योजना थी कि एक हार्स पावर के पीछे एक पोल, प्रति हार्स पावर के हिसाब से मुफ्त दिया जाता था। उसी प्रावधान से कनेक्शन दिये जायें। आज हमारे विद्युत मंडल में जो शासकीय व्यवस्था है उसको एक व्यावसायिक व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। आज हमारे विद्युत मंडल में तो नुकसान है उसको लाभ में लाने के लिए आवश्यक है कि अधिकारी तो हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं परन्तु कर्मचारी बहुत कम हैं इसलिए हमें कर्मचारी बढ़ाकर के इस विद्युत मण्डल को, और जो हमारी सुविधान हैं इससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके। यह करना बहुत ही आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल डांगा : दो मिनट, जो विद्युत मंडल के नियम बने हुए हैं उनमें भी उपभोक्ता और विद्युत मंडल के बीच में एक एम.ओ.यू. और एक इकरारनामे का संबंध हो। इस तरह से नियम बनाये जायें। आज के नियम बिलकुल एकतरफा हैं। उन नियमों के अनुसार किसान को कहीं राहत नहीं मिलती है।

महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां मेड़ता क्षेत्र में बिजली का बहुत ज्यादा वर्क लोड है इसलिए मेड़ता क्षेत्र में 440 के.वी. का सब स्टेशन का निर्माण कराया जाये और ग्राम पादूकला, रोहिसा में 132 के.वी. सब स्टेशन का निर्माण कराया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

डा. जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर अपने मन की कुछ बात कहना चाहूता हूं वित्त मंत्री जी से, हां, बिलकुल आत्मा की आवाज से, बशर्ते कि हमारे जो सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय सदस्य जो आज राजस्थान विधान सभा में बैठे हैं वह पार्टी पालिटिक्स से हटकर अगर आत्मा की आवाज से ही पीड़ा को महसूस करें, जिस आवाज से मैं बोलना चाहता हूं तो उनके लिए भी एक सोचने का विषय है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भी इधर आ जाओ आत्मा की आवाज से।

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। इस बजट को देखकर के ऐसा लगा कि जैसे कोई सेठ अपने घर का बजट बना रहा है और सोच रहा हो कि मेरे बेटे आक्सफोर्ड में पढ़ने चले जायें, बेटों के पास लक्जरियस गाड़ी बन जाये और बहुत बड़ा मुनाफा कमा लूं। लेकिन उस सेठ के पास इस तरह की सोचने की संकल्प शक्ति न हो कि जो उसके घर में नौकर काम कर रहे हैं उनके जीवन को कैसे उठाया जा सकता है। उनके जीवन में रोजी-रोटी कैसे मिल सकती है। इसी तरह से हमारे वित्त मंत्रीजी ने बहुत अच्छा आंकड़ों का जाल फेंका। दुनिया भर के सब्जबाग दिखाये। लेकिन जब वित्त मंत्रीजी के दिल में किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, गरीबों के प्रति, गरीबों के प्रति कोई जगह नहीं हो तो राजस्थान को आप चाहे जितना विकास पर ले जायें जो राजस्थान का गरीब आदमी है जिन बेरोजगारों को बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव पहले सत्ता पक्ष ने नारा दिया था कि हम सत्ता में आये और बेरोजगारी दूर की। आप लोगों को तुरन्त रोजगार देंगे। आज वही बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, कहां जायें ? किस भूल में फंसकर हमने गलत काम कर दिया। आज उनके पास मौका नहीं है उस भूल को सुधारने का। अगर आज मौका मिल जाये तो निश्चित रूप से वह इस भूल को सुधार सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत जोर-शोर से कहा कि जब 9-10 साल पहले हमने सत्ता छोड़ी तो 6127 करोड़ का घाटा छोड़ा था और आज 9-10 साल बाद जब सत्ता संभाली तो 23532 करोड़ और 96 लाख का कर्जा है। लेकिन क्या संदेश देना चाहते थे इस राजस्थान की जनता को। 10 साल पहले कितने स्कूल थे? कितने कालेज थे ? कितनी सड़कें थीं ? कितनी सुदृढ़ पानी की व्यवस्था थी? उस समय परिसंपत्तियां कितनी थीं ? आज कोई भी आदमी अपने खुद का अगर विकास करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको ऋण लेना पड़ता है।

माननीय भैरोसिंह जी के कुशल नेतृत्व में जो राजस्थान के अंदर विकास की गंगा

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

बहाकर के संपत्तियों को बनाया, परिसम्पत्तियों में वृद्धि की, सड़कों का जाल बिछाया, गांव का विकास किया, स्कूल खोले, कॉलेज खोले और जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के शासन के अंदर साक्षरता थी विकास की दर थी, आज वह जो सत्ता छोड़ने पर 23 हजार करोड़ की बात कहते हैं, राजस्थान के विकास के अंदर हिन्दुस्तान के प्रदेशों में उस समय क्या स्थान था ? आज क्या स्थान है ? वह हमारे माननीय सदस्य अपनी आत्मा से इस बात का विमोचन करें, मनन कर लें। तब साक्षरता क्या थी ? माननीय भैरोसिंह जी के कुशल नेतृत्व में आज साक्षरता क्या है ? इस बात को भली-भांति समझ सकते हैं। हर तरह का जो विकास हुआ है इस बात की भी सभी चर्चा करते हैं। दबी जुबान से चर्चा करते हैं। आज़ हाऊस में बैठकर के चाहे पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो लेकिन एक बात तो हर आदमी कहता है।

अभी सत्ता पक्ष के रतनगढ़ से आये बुजुर्ग माननीय सदस्य ने पूरा खाका खींचा कि हमारा किस तरह का बजट आया है, क्या सोच है वित्त मंत्री जी की। वह तो सत्ता पक्ष के थे लेकिन उनकी आत्मा नहीं रूक रही थी सच्चाई कहते हुए। इस तरह से सत्ता पक्ष के बहुत लोगों की मैंने बातें सुनी हैं। हर आदमी के मन में एक पीड़ा है कि हकीकत में वित्त मंत्री जी बहुत बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, बहुत आदरणीय हैं लेकिन हकीकत में वित्त मंत्री जी के दिल में किसान के प्रति हमदर्दी नहीं है। किसी तरह की पीड़ा नहीं है किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति। काई भी, हकीकत में एक दिल नहीं है। वह नहीं चाहते कि किसान का किसी भी तरह से विकास हो, किसान आगे बढ़े। आज वित्त मंत्रीजी ने और राजस्थान सरकार ने पिछले कई दिनों से बहुत शोर मचा दिया कि राजस्थान 23 हजार करोड़ रुपये के नीचे हमको सौंपा गया है। क्या कहना चाहते हैं वित्त मंत्रीजी, क्या संदेश देना चाहते हैं हिन्दुस्तान की जनता को कि राजस्थान कंगाल हो गया है ? यहां पर आकर अपना कोई कारोबार मत करो वरना लुट जाओगे क्योंकि राजस्थान के लोगों को तनख्वाह देने के लिए राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है। उसका नतीजा यह निकला, हकीकत बात को बता रहा हूं कि गांवों के अंदर सरकारी दफ्तरों में आज कोई आदमी अपने काम के लिए जाता है तो सुविधा शुल्क लेने लगे हैं और बड़े हंस कर कहते हैं कि राजस्थान सरकार के पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा ? इस तरह का करप्शन बढ़ गया है। इस बात को कहने से सारी जगह राजस्थान की एक ऐसी दुर्गति बन गई। विकास होगा तो कर्ज होगा, सब जानते हैं, पर इस बात का ढिंढोरा पीट कर राजस्थान के दिवालियेपन का नाम दिया गया जिससे आज यहां कोई भी बाहर का व्यक्ति पैसा लगाने के लिये अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता क्योंकि जब वित्त मंत्री इस तरह की बात करे तो कौन यकीन करेगा।

बहुत अच्छी बातें होती हैं कि हमने कर मुक्त कर दिया। क्या कर दिया ?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मुस्लिम भाइयों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि मुस्लिम महिलाओं के बुरके को हमने टैक्स माफ कर दिया। वित्त मंत्रीजी, कैसे पहचानेंगे कि आज महिला जाती है दुकान पर बुरका खरीदने, कपड़ा खरीदती है, क्या आइडेंटीफिकेशन है उस कपड़े का कि यह कपड़ा तो बुरके का है ? इससे लाभ होगा व्यापारियों को। बुरके के नाम पर कपड़ा लाएगा, मुस्लिम औरतों को तो ठगेगा, अपना टैक्स बचाएगा, और सरकार का नुकसान होगा, चोरी करने का रास्ता खोल दिया।

मंगलसूत्र की बात की। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी के दिमाग में क्या कल्पना नहीं है, क्या गरीब औरतें सोने का मंगलसूत्र नहीं पहन सकती ? क्या अमीर औरतों के लिए ही स्टेट्स सिम्बल है मंगलसूत्र पहनना, क्या वित्त मंत्रीजी नहीं चाहते ? अगर वित्त मंत्रीजी के अंदर गरीब के प्रति हमदर्दी होती तो ये कहते कि मंगलसूत्र का कर माफ किया है, चाहे वह सोने का बना हो चाहे किसी और चीज का बना हो। लेकिन कैसे सहन कर सकते हैं किसी गरीब की औरत और सोने का मंगलसूत्र पहन ले, यह बात उनके स्टेट्स के बराबर पहुंच जाती है धनाढ्यों के, यह सहन नहीं हो सकता।

इसी तरह से सिलाई मशीनों के स्टेण्ड को कर मुक्त कर दिया। स्टेण्ड से महिलाएं कपड़े सिलेंगी ? क्या औचित्य था इसका ? आप घटाते सिलाई मशीन पर, हमदर्दी थी तो, लकड़ी के ढांचे को कर मुक्त कर दिया, क्या जरूरी है स्टेण्ड खरीदना, क्या उसकी आवश्यकता होती है ?

कृषि और सिंचाई की बात करता हूं। सिंचाई दरें बढ़ाने पर चारों तरफ आक्रोश बढ़ा, इस दमनकारी नीति का विरोध हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने बड़ी दृढ़तापूर्वक कहा था, मैंने भी वित्त मंत्रीजी को देखा कि दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि मैं इन लोगों से नहीं डरने वाला मैं इस तरह से डरकर कोई कर वापस नहीं लेने वाला। क्या सांप सूंघ गया आज ? केवल लोक सभा चुनाव का डर बैठ गया ? इतना डरा दिया एक सीनियर व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कि चुपचाप बैठकर कर मुक्त उसी जबान से कर बैठे। किसान ने क्या बिगाड़ा था ? वह आज बोल नहीं सकता। उसकी आवाज आज जो सदस्य बैठे हैं, आज किसानों की दुहाई जो देते थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात क्या होगी, बड़ा दिल करते और कहते कि मैं सिंचाई का भी कर माफ कर रहा हूं। बढ़ाते, एक-दो प्रतिशत बढ़ा देते। बिजली का पैसा बढ़ा दिया। मीटर पर एक की जगह दो पैसे कर दिया, गांव की यूनिट पर दस पैसे की जगह बीस पैसे कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं जब एक बात दिमाग में बैठ गई कि गांव के लोगों को तो उठने ही नहीं देना, इस बात से पीड़ित रहने पर कभी भी गांव का भला नहीं हो सकता। आज भी गांव में जाइए, ऐसे-ऐसे किसान हैं जिनके पास तन ढकने को लंगोटी भी नहीं होती है। सुबह से कमाकर लाता है और शाम

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

का खाना भी उसके वश में नहीं होता है। आज शहर में घूम जाइए। कौनसा घर है जिसमें बिजली नहीं लगी हुई है। गांव के आदमी के लिए कम से कम यह कर देते की गांव को इससे मुक्ति दे देते। किसान का एक पैसा बढ़ाना भी, जो यहां धन्ना सेठ बैठे हैं उनके एक करोड़ के बराबर होता है। वह सिंचाई नहीं करेगा, बिजली नहीं लेगा, घर में अंदर लाइट नहीं जला पाएगा, कैसे अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा। आज किसान जब खेती करता है और गुणा-भाग करके जब अपने खुद का बजट बनाता है तो हमेशा उसके घर का बजट घाटे में जाता है। कृषि में उसको कुछ नहीं मिलता है। आज वही सरकार बनाते हैं, उसी ने आज आपको 153 सीटें दी हैं तो आप यहां एयर कण्डीशनर की हवा खा रहे हैं और भूल गए। हमने पीड़ा देखी है गांव के किसानों की, क्या हालत होती है ? पोस्तदाने पर आपने चार प्रतिशत से आठ प्रतिशत कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी जानते थे कि किसान के घर पैदा होता है, आज वह उसको बेचेगा नहीं तो क्या उस जहर को अपने बच्चों को खिलाएगा, कहां ले जाएगा उसको ? क्या उसकी दुर्दशा होगी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : आप कहां जाकर रिएक्शनरी पार्टी में फंस गए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : ग्रामीण विकास और पंचायतीराज की बात है। बजट भी पड़ा हुआ है, इसमें लिख दिया, जिला प्रमुख को आपने माटी का माधो बना दिया। क्या किया जिला प्रमुख को ? उसको न प्रशासनिक और न वित्तीय अधिकार दिए और आपने बड़ी शान से घोषणा की कि हमने उनको कुछ योजनाएं दी हैं। ये वे योजनाएं हैं जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नहीं चला सकता था, जिन योजनाओं से जिला परिषद बदनाम हो सकती थी, केवल उन योजनाओं को आपने सौगात के रूप में जिला परिषदों को दिया है।

शिक्षा की बात करें तो हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल चुके हैं, एक बहुत सोची समझी साजिश है कि गांव के लोगों को आठवीं पास बच्चों से पढ़ाएंगे तो वह साक्षर मजदूर ही बनकर रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आठवीं पास बच्चा भविष्य बना सकता है बच्चों का ? बच्चों के भविष्य की तकदीर बना सकता है, इस देश की तकदीर बना सकता है। जैसा कि मेरे से पहले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, यहां के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ें, घर पर आकर पढ़ाने के लिए उनके लिए ट्यूशन लगाई जाए और माता-पिता उनका अलग ध्यान रखें। और गांव का आदमी खेत और खलिहान में अपनी दो जून की रोटी कमाने में लगा रहता है, उसके बच्चों का भविष्य खतम करने के लिए और इसमें भी दोहरी चाल रही है वित्त मंत्रीजी की कि आठवीं पास बच्चा पढ़ाएगा तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। बी.ए., बी.एड. किए हुए बच्चे घूम रहे हैं, वे बरबाद हो सकते हैं तो इसी नीति से हो सकते हैं।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उनको अगर नौकरी नहीं मिल सकती है तो इसी नीति से नहीं मिल सकती है, जिससे वह भी गांव में जाकर अपनी खेती कर सकते हैं, इस तरह की सोच रखी है।

आप खेती की बात बहुत कहते हैं। कृषि मंत्रीजी अभी यहां बैठे हुए थे। कृषि मंत्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की कि पानी का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, मैं उसको रोकने के लिए विधेयक ला रहा हूं। गांव का एक आदमी अपनी खेती के लिए दोहन करे, वह तो आपको दिखाई दे गया और जहां बीयर और शराब की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनमें एक फैक्ट्री 50 गांवों के बराबर एक दिन में पानी का दोहन करती है, जो सरकार को नजर नहीं आ रही है क्योंकि वे धन्ना सेठों की फैक्ट्रियां हैं। अगर उन फैक्ट्रियों के दोहन पर कण्ट्रोल कर दिया जाए तो गांवों के दोहन पर कोई विधेयक लाने की गुंजाइश ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, और तो क्या माननीय वित्त मंत्रीजी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आज पक्के मकान अगर किसी के पास नहीं है तो किसी गांव में गरीब, दलित और शोषित परिवार के पास नहीं है। आपने दुनिया भर की चीजों पर टेक्स माफ कर दिया, लेकिन चेजा पत्थर इतना दुखदायी होगा, गांव का आदमी कहीं पक्का मकान बनाकर न बैठ जाए उस पर 20 से आपने 25 पर्सेन्ट कर दिया। इतना-सा सहन नहीं हो पाया गांव का विकास।

मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के पिछले भाषण पढ़े। मेरे पास किताब रखी है, इसमें लिखा है, यह सरकार जिसने बजट पेश किया है वह किसान विरोधी है। आपने कौनसा भला कर दिया गांव और किसानों का ? आपके हाथ से कौनसा किसानों को तोहफा मिल गया ? आपने तो बिलकुल ही किसानों को मकान बनाने लायक तक भी नहीं छोड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने मोटर वाहनों पर 6 प्रतिशत से कर घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया। वित्त मंत्री जी जानते थे कि पुरानी गाड़ियां कोई गरीब आदमी ही खरीद सकता है इसलिए वित्त मंत्रीजी को सहन नहीं कि गरीब आदमी कोई गाड़ी का इस्तेमाल कर ले। उसके हस्तान्तरण में 50 प्रतिशत का कर लगा दिया। यह सोच डवलप हो रही है। यह किसान को, गरीब जनता को 153 सदस्यों के सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे बुद्धिमान माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा तोहफा मिल रहा है। करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया शराब नीति में आधे ठेके नहीं छूटे। कितनी राशि का नुकसान हुआ ? वो तो सहन कर लिया, पर गांव का चेजा पत्थर सहन नहीं हुआ, गांव के लोगों का विकास सहन नहीं हुआ। आप उद्योगों पर चाहे जितनी बात कर लो, जो मर्जी में आए उद्योग बढ़ा लो, लकिन जिस तरह आठवीं पास बच्चों को, गांव के लोगों को पढ़ाने की बात दमदार तरीके से कह रहे थे इस तरह से दमदार तरीके से कहते कि जहां भी उद्योग लगेगा उस उद्योग को तब चलने दूंगा जब उसके अंदर गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर गांव के लोग वहां भर्ती नहीं हुए तो

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मैं हर उद्योग को बंद कर दूंगा, तब तो सहानुभूति वाली बात होती।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे वित्त मंत्री जी महिलाओं की बहुत चिन्ता कर रहे हैं। पूरा बजट देखा हर जगह महिलाओं के बारे में एक ही चिन्ता है गांव की महिलाएं गरीब रहें, मजदूरी करें, रोजगार खोले तो भी उनको पांच हजार की सहायता मुहैया करायी जा रही है। अगर इतनी महिलाओं से हमदर्दी है तो आर.पी.एस.सी. के अंदर रिजर्वेशन कर देते, आर.एस.एस. बनाते, आर.पी.एस. बनाते, केवल मजदूर बनाने की कल्पना से क्यों नहीं हट पा रहे हैं कि गांव के आदमी का अधिकार खाली मजदूर बनने का है, इससे ऊपर उठने का गांव का आदमी कोई विचार नहीं रख सकता ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना कुचला गरीब को, इतना मसल दिया कि यह सोचकर बजट पेश किया कि तब तक राजस्थान का विकास नहीं होगा जब तक गांव का आदमी यहां से पलायन न कर जाए, मजदूरी के लिए किसी तरह से कोई साधन नहीं रहे। इससे ज्यादा कुठाराघात क्या हो सकता है ? दो जून की रोटी कमाने वाला 10 रुपये की टिकट लेकर अगर पिक्चर देख ले, अपना मनोरंजन कर ले वह भी वित्त मंत्री जी से सहन नहीं हुआ और उस पर 100 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी कर दी इससे ज्यादा क्या होगा ?

पर्यटन, कला और संस्कृति की बात करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ताज्जुब हुआ कि सत्ता पक्ष के लोग भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने लग गए। मैं तो यह सोचता था कि खाली विदेशी संस्कृति के अलावा सत्ता पक्ष के लोगों को भारतीय संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है। बहुत अच्छी बात है धार्मिकता की तरफ जा रहे हैं। मंदिरों की बात करने लग गए, ओसियां मंदिर को 20 लाख रुपये दिये, और मंदिरों को दिए, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ओसियां वाले को कटवाने का विचार तो नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव : नहीं, नहीं। अलवर और भरतपुर की जनता ने क्या बिगाड़ा था ? सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, वहां भी पुरातत्व का मंदिर है पाण्डुपोल जी का हनुमान जी का, उसके पास ही तपस्वी योगी भगवान भर्तृहरि का एक मंदिर है उसके लिए पैसा नहीं। भरतपुर के लिए, गिर्राज जी महाराज के लिए नहीं। जब यू.पी. से राजस्थान की सीमा में घुसते हैं तो कितनी जर्जर हालत है वित्त मंत्री जी। इस तरह से राजस्थान को मत बांटो कि कुछ मंदिरों को पैसे दे दो, कुछ पर कुठाराघात कर दो। अलवर की जनता भी इसी राजस्थान में रहती है, भरतपुर के लोग भी इसी राजस्थान के अंदर रहते है।

न्याय और कानून के लिए कहा कि हम मजबूत करेंगे, 20 करोड़ रुपये नये थानों को लगाने के लिए करेंगे। क्या जरूरत थी 20 करोड़ रुपये की ? बेरोजगार लोगों को जो 60 साल से 58 साल की, जिनको गुमराह करके वोट लिए, जो आपको कोस रहे हैं उनको नौकरी लगाने के लिए लगा देते।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

20 करोड़ रुपये थानों की जरूरत तो तब पड़ेगी जब आप उनको बेरोजगार रखोगे, जब आप उनको अराजकता की तरफ ले जाओगे। केवल इसलिए बढ़ाना चाहते हो कि विधायकों पर लाठी बरसाएं, केवल इसीलिए कि कोई आंदोलन हुआ तो थाने बना देंगे, भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष लोगों को उस टाइम कुचलने की सख्ती करेंगे, किसान अपनी बात उठायेगा, वकील अपनी बात उठायेगा तो उनके सर को फोड़ दिया जाएगा।

इसी तरह से चिकित्सा की बात है। वित्त मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय किसी भी प्रदेश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी जनसंख्या पर, उसकी आबादी पर कंट्रोल नहीं किया जाता। माननीय वित्त मंत्रीजी के दिमाग में यह बात आई, कल्पना सारी शहरी और गांव की है कि शहर के लोग तो एक-दो से ज्यादा संतान पैदा करते नहीं, पैदा करेगा तो गांव के लोग करेंगे जिससे उनके लिए मजदूर पैदा होंगे। उनके विकास के लिए थोड़ा-सा पैसा जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए लगा देते जिससे इस राजस्थान का विकास हो जाता, जो आज सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। इसी तरह से आपने एन्ट्री टैक्स लगाया...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव : आपने इकरारनामे की बात कही। जमीन का इकरारनामा छह महीने तक का वैलिड कर दिया। 100 रुपये की जगह 3 पर्सेन्ट टेक्स लगा दिया, लेकिन जो इकरारनामे पहले के हैं उनका क्या होगा ? माननीय वित्त मंत्री जी ? एक भ्रष्टाचार का अड्डा खुलेगा अभी। सड़कों की बात, इसी तरह हर चीज की बात। अब मैं थोड़ी सी चर्चा उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अभी हमारे भाई जगमाल सिंह एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैंने सोचा कि कोई नैतिकता का पहाड़ा पढ़ाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, वह अखबार आज भी मेरे पास रखा हुआ है। जब माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने अहीरवाल के अंदर बीबीरानी में कॉलेज खोला था और माननीय जगमाल सिंह जी गर्व से कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने पाखाना की ईंट चौबारे पर लगा दी। यह अखबार आज भी मेरे पास रखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल अहारी। समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव : धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरो भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था, आप थे नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : चाय पीने लग गऐ थे।

श्री उपाध्यक्ष : तो इंतजार कीजिए, बुलाएंगे। बुलाएंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत नाम लिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : पाखाना शब्द किसको कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव : यह बात अखबारों के माध्यम से छपी है, वह मेरे पास आज भी सुरक्षित है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट आपसे व्यवस्था चाहता हूं। पाखाना का मतलब...

डा. जसवन्त सिंह यादव : मैं उस समय कांग्रेस में था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर माननीय सदस्य। नाथूरामजी अहारी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में था... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आप दोनों एक सरीके के हो, विराजो प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुनहगार साबित हो रहा हूं, छह महीने बाद आप कहोगे मुझसे गुनाह बन गया था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। माननीय जगमाल सिंह जी।

डा. जसवन्त सिंह यादव : मैं कभी भी नहीं कहने वाला। जिस प्रकार कांग्रेस ने मेरा शोषण किया, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मुझको सम्मानपूर्वक स्थान दिया। इस अहसान की फरामोशी मैं इस जन्म में नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह मैं जानता हूं कि मैं अकेला हूं, मेरे ताली नहीं बज सकती। मैं जानता हूं मेरे ताली नहीं बजेगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : सबसे बड़ा अहसान होता है जिन लोगों ने किसानों के नाम पर मेरा कत्ल किया वो ही भैरोसिंह जी शेखावत साहब हैं जिन्होंने मुझको आसरा दिया और पनाह दी। उस अहसान को मैं नहीं भूल सकता।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, आप बोलते हो तब लोग सुनते हैं,

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

दूसरे बोलें तब जब भी आप सुनने की चेष्टा करो।

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने भी बहुत नाम लिए हैं। बिराजें प्लीज। माननीय नाथूलाल जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री महेश जोशी : ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नाथूलाल जी शुरू करें आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री नाथूराम अहारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी, और कांग्रेस सरकार ने जो बजट पेश किया, वह सराहनीय है। उसमें कई विकास की बातें आई हैं जो पहली सरकार में नहीं थीं। इस बजट में हर विभाग के लिए बढ़ोतरी की गई है। आदिवासियों के लिए इन्होंने छात्रवृत्तियां बढ़ाई हैं, छात्रालय के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई हैं, और तरह की सुविधाएं बढ़ाई हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं सर्वप्रथम अकाल राहत के बारे में कुछ बातें बताऊंगा।

महोदय जी, पूर्व अकालों में डूंगरपुर जिले में एक लाख से भी ज्यादा मजदूर लगाया करते थे, लेकिन इस बार जो मजदूर की लिमिट की है, वह बहुत दुखदायी है। और यह तो बीजेपी. की सरकार होती है वह ही बर्दाश्त करते हैं, अपन लोग तो राज किए हुए हैं, वर्षों तक राज किया है। तो लोगों की यह आकांक्षाएं हैं कि कांग्रेस आई है तो हमको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। कहीं से भी व्यवस्था हो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप अकाल राहत में, डूंगरपुर में ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगायें और अकाल राहत से पीड़ित लोगों को रोजगार दिलाएं अकाल राहत में सबसे ज्यादा सड़कें, एनीकट्स, तालाब, छोटे तालाब, बड़े तालाब, नहर आदि के कार्य करवाए जाएं और उसमें अगर पैसे की जरूरत पड़े, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर, मेटेरियल कम्पोनेंट का पैसा ज्यादा देकर अच्छे काम कराएं जाएं, यह मेरा आपसे निवेदन है। इस बारे में मेरा आपसे यह भी निवेदन है, कि आप पेयजल के बारे में ज्यादा से ज्यादा अगर चिंता नहीं करेंगे तो इस अकाल में ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। हम पेयजल के लिए उदयपुर सीटी के लिए जयसमन्द का पानी ले जा सकते हैं। पश्चिम के जितने भी जिले हैं, उन जिलों के लिए हम गंगा का पानी ला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आदिवासी एरिया में जहां भी हैण्डपम्प नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इस अकाल के टाइम में, इस सूखे के टाइम में हमको हैण्डपम्प की व्यवस्था करनी चाहिए, तब तो हम समझेंगे कि हमारी सरकार संवेदनशील है उसकी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नाथूराम अहारी)

सार्थकता बनेगी। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि शहरों में अगर दो तीन घरों में भी पानी नहीं मिले तो हम हाय तौबा मचा देते हैं लेकिन गांवों में भले ही चार छह घरों में हो तो भी हमें यह मापदण्ड नहीं रखना चाहिए कि 20 घर हो या 150 की आबादी हो, तभी जाकर हैण्डपम्प खोदा जाए। यह मापदंड नहीं रखना चाहिए। भले ही 5 घर हैं, तो भी हमें हैण्डपम्प की व्यवस्था करनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही अभी तक काफी गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। कई गांव ऐसे भी हैं कि इस बी.जे.पी. के गये सालों में केवल वहां एक खम्भा ले जाकर खड़ा कर दिया, उसमें बिजली नहीं गई है। ऐसे जो जो भी गांव है, उन गांवों का सर्वे करके, उन गांवों में बिजली पहुंचानी चाहिये। जैसे हम कांग्रेस के राज में लोगों को पोल फ्री देते थे, इस तरह से आदिवासी एरिये में यह पोल फ्री देने चाहिए। जब तक हम फ्री नहीं देंगे तब तक आदिवासी को तो 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार डिमान्ड नोटिस देकर के वो बिजली ले सकें, यह स्थिति नहीं है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रशासन में यह एक मापदंड है कि शहर और गांवों में अलग अलग व्यवस्था की जाती है। जैसे अनाज वितरण में भी, अच्छा अनाज है वह शहर में दिया जाता है और खराब अनाज गांवों में दिया जाता है, गांवों में कम अनाज दिया जाता है। हर व्यवस्था की गांवों में कटौती की जाती है। बिजली में भी गांवों में कटौती की जाती है। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर, जैसे कांग्रेस की सरकार ने 8 घण्टे बिजली दी है, बराबर जो है बिजली आगे बढ़ाते ही रहे उन्होंने जो बिजली नहीं दी थी, इस तरह से हम नहीं करेंगे तभी जाकर के हमारी सार्थकता रहेगी। अकाल में मैं यह चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पक्के काम किए जाएं जिससे हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति कम है, इसलिए कुछ पैसा ज्यादा देकर पक्के काम कराए जाएं ताकि हमारे विकास में हमको सहयोग मिलेगा। पंचायती राज की जो व्यवस्था है वह, वैसे तो बहुत ही अच्छे अधिकार देने की बात है, लकिन केवल प्रमुख को अध्यक्ष बना दिया, पैसे का अधिकार है वह सारे का सारा कलेक्टर के अधीन है और हम लोग केवल सलाह देकर ही रह जाते हैं। तो इस बारे में भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। रोडवेज सबसे ज्यादा घाटे में जा रही है इस तरह से बयानबाजी और हकीकत में यह है, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि बी.जे.पी. की सरकार ने दो गुना किराया बढ़ाकर यह हमारे रोडवेज को घाटे में लाने का काम किया है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जितनी भी लंबी बसें जाती हैं, लंबे जो रूट हैं उस रूट पर सिल्वर लाइन और ऐसे सुपर डीलक्स गाड़िया जाती हैं उसमें बहुत किराया बढ़ा दिया है। तो गाड़ियां खाली आती हैं। मेरे डूंगरपुर से जो गाड़ी आती है, 10 या 15 सवारियां ही आती हैं, ज्यादा नहीं आती हैं। इसका मूल कारण यह है कि हमने किराया घटाया नहीं है। लोग यह आशा लगाए हुए बैठे

(श्री नाथूराम अहारी)

हैं कि बीजेपी. ने किराया बढ़ा दिया था, कांग्रेस वाले इसको घटाएंगे। तो मेरी मांग है कि आप बसों का किराया घटा दें, तभी जाकर हमारे लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही जो प्राइवेट गाड़ियां चलती है, काफी गाड़ियां बिल्कुल इस तरह से चलती हैं, पता नहीं वह टैक्स भी नहीं देते हैं, और इस तरह से हमारे जो रोडवेज का घाटा होता है उसका कारण ही यही है कि अवैधानिक बसें चलाई जाती हैं। उसमें हमें घाटा हो रहा है।

सिंचाई के बारे में मेरा यह निवेदन है, सिंचाई के लिए अच्छी सुविधाएं तालाब, एनीकट, वगैरह नहीं बनाए जाएंगे तब तक सिंचाई का आदिवासी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सिंचाई बरसात पर निर्भर है। बरसात जंगल पर निर्भर है। हमारे जंगल कट गए हैं। हम जंगल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जंगल दिन पर दिन बरबाद होते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी जंगल की पालिसी बनाई है, वह बिलकुल गलत है। उसमें हमको जंगल पनपाने के लिए पक्के कोट बनाए जाएं, यह मेरी मांग है। जैसे हर साल हम कोट बनाकर के, कच्चे कोट बनाते हैं, पत्थरों को लोग ले जाते हैं और उस जंगल को बरबाद किया जाता है। मेरी एक मान्यता और भी है कि मनुष्य बगीचा लगा सकता है, जंगल नहीं लगा सकता है। मेरा यह सुझाव है कि जहां भी आप जंगल बनाना चाहते हो, जंगल उपजाना चाहते हो तो आप वहां उसको पक्के कोट कर दें। कोई प्रवेश नहीं करे। इस तरह से अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि जंगल पनप जएगा। मेरे खुद के बीड हैं, 10 साल हुए हैं मेरे वहां बिल्कुल एक धतूरे का जंगल नहीं था, लेकिन आज जो हैं मेरे बीड में सैकड़ों पेड़ हैं। इसका कारण यह है कि उसकी रक्षा की है। उसमें कोई जाता आता नहीं है। तभी जाकर जंगल पैदा होता है। जंगल के बारे में मेरी यह मांग है कि आप जहां भी जंगल, ऐसी-ऐसी जमीन पड़ी हुई है जो बिल्कुल बीरान है,उसमें केवल पत्थर हैं। उसमें कोई पेड़ नहीं है। उस जंगल नहीं की तो रक्षा की जाती है। गांवों के नजदीक में जहां लोगों के चराई के लिए जो जमीन है, उसके लिए हम जाते हैं और लोगों को विरोधी बनाते हैं। लोगों को दुश्मन बनाते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में घृणा होती है कि जंगल वाले आकर के पशु चराने के लिए खेती करने के लिए जमीन है यह कब्जा करते हैं। इस तरह से इनके दिमाग में है।

इसके साथ ही शिक्षा विभाग में कई जगहें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं जहां कोई मास्टर नहीं है। और रोड साइड जो भी स्कूलें हैं, वहां पर 8-8, 10-10 मास्टर लगे हुए हैं, इन्टीरियर गांवों में, खलों में जो स्कूलें हैं, वहां पर 1-1, 2-2 मास्टर भी नहीं है। तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप जो शिक्षा के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री नाथूराम अहारी : रोडस के बारे में मेरी यह मान्यता है कि अभी 10 साल में जो रोडस की हालत खराब हुई है वह कभी नहीं हुई थी। मेरा यह निवेदन है कि

(श्री नाथूराम अहारी)

इन रोड़स को युद्धस्तर पर जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक आपके यह एक्सीडेंट्स और गाड़ियों की हालत ठीक नहीं रहेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि आपको रोडस को युद्ध स्तर पर प्लान बनाकर ठीक कराया जाना चाहिए। आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना। श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान) आयेगी, चिन्ता मत कीजिये। सात बजे तक का टाइम है। कोई जल्दी नहीं करूंगा, सात बजा दूंगा। शुरू करने दो।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलो आपने आखिरी में टाइम दिया पर दिया तो सही उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान को जो यह बजट दिया है। हमारी पूर्व सरकार ने राजस्थान को जिस प्रकार से दिवालिया करके सौंपा था पर धन्य हैं हमारे वित्त मंत्रीजी की मां, जिसने एक ऐसा बेटा दिया, जिसने ऐसी सद्बुद्धि दी, जिसने हमारे राजस्थान में एक ऐसा बजट दिया, इस दिवालिया राजस्थान को भी आज इस स्थिति में ला दिया और सरकार की साख को आपने बचाया है। आपने कहीं भी कोई ऐसा घाटे का बजट पेश नहीं किया, हर जगह बजट में आपने बढ़ाकर के ही पेश किया है। चाहे वह विकास का कोई मामला हो, चाहे सिंचाई का, चाहे पानी का, शिक्षा का, जो भी है, सब में आपने बढ़ाकर किया है। इससे यह साबित होता है कि आपने गिरते हुए को थामा है। किसी ने कहा भी है कि नशा पिलाकर गिराना बड़ा आसान है, मजा तब है कोई गिरते को थाम ले। तो माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने इस राजस्थान को गिरते हुए को थामा है। इसलिए सबसे पहले हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो राजस्थान का बजट पेश किया है, यह बहुत अच्छा बजट पेश किया है। पिछली सरकार ने, चाहे वह बिजली का मामला हो तो जो हमारी दायीं तरफ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समय में इसी सदन के अन्दर जब बिजली का मामला आता था तो यहां पर सबसे ज्यादा इस बिजली के ऊपर बोलते थे और सबसे ज्यादा अगर कोई विधान सभा में कार्यवाही रूकी है तो इस बिजली को लेकर के रूकी थी। हमेशा बिजली की समस्या बनी रहती थी लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आयी है, जब से हमारी संवेदनशील सरकार आयी है, जब से किसानों की सरकार आयी है तब से इस समस्या का बिलकुल हल कर दिया। विद्युत मंत्रीजी आज यहां बैठे नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के किसानों की ही इज्जत नहीं बचायी, उन्होंने हमारी, जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, इन सब की इज्जत बचायी है वरना इनकी यह हालत हो जाती

(श्री रामस्वरूप)

कि इनके कपड़े तक लोग फाड़ देते। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले बिजली पर कंट्रोल किया और हमारे किसान को 12 घंटे की बिजली दी। इस बात के लिए हमारी सरकार और हमारे विद्युत मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

दूसरा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों का खून चूसने वाली योजना, नर्सरी योजना को आते ही खतम कर दिया जिसके कारण से इस भारतीय जनता पार्टी की यह हालत आज हुई है। उसी नर्सरी योजना के कारण इनकी यह हालत हुई है जिसको आते ही सबसे पहले उन्होंने खतम किया। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके राज में मैंने इसी सदन के अन्दर बार-बार किसानों की आवाज उठाकर के, उनकी समस्या बार-बार उठाकर के 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो गया, जमीन अलॉट हो गयी, सारी कार्यवाही कम्पलीट हो चुकी है लेकिन बड़े दुःख की बात है कि हमारी सरकार होते हुए भी, संवेदनशील सरकार होते हुए भी, किसान के हित की सरकार होते हुए भी हमारे 132 के.वी. के ट्रांसफार्मर की कार्यवाही आज तक चालू नहीं हुई है। इस बात के लिए मुझे दुःख है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के हित की सरकार है, हमारे किसानों के हितों की सरकार है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के हित के लिए 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर जो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके कारण सारे क्षेत्र को परेशानी उठानी पड़ रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, वे हमारे इस ट्रांसफार्मर को लगवाने में तुरन्त ही पैसा देंगे ताकि हमारे ट्रांसफार्मर लग सकें। (व्यवधान) उनके कान हैं मेरी तरफ, मुंह की जरूरत नहीं है। मुझे कानों की जरूरत है, उनके कान मेरी तरफ हैं, मुंह नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, हमारे गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो हमारे देश की रक्षा के साथ-साथ हमारी भी रक्षा करता है, मंत्रियों की भी रक्षा करता है और माननीय सदस्यों की भी रक्षा करता है, इनके बारे में पहले भी मैंने इस सदन के अन्दर बहुत पुकारा था लेकिन उस+ + +सरकार ने तो इनके बारे में एक भी नहीं सुनी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए इस बजट में पूरा पैसा जितनी आवश्यकता थी, उतना नहीं दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है, वह कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी जो हमारे लिए डंडे खाते हैं, मरते हैं, माथा फुड़ाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, 24 घंटे इनकी ड्यूटी होती है लेकिन इन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। इनको एक पास की भी व्यवस्था

+ + +शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

हमारी सरकार नहीं कर सकी। मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि इनको बसों के अन्दर पास दिये जाएं, ट्रेनों का पास दिया जाए ताकि कहीं भी यह जाएं तो पास के द्वारा चले जाएं। इनको पास नहीं देने के कारण कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। ट्रक वाले को हाथ देना पड़ता है। कई बार तो ट्रक वाले इनको कुचल करके चले जाते हैं। कई बार तो ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। कोई अवैध गाड़ी जा रही है तो वायरलैस आ गया तुरन्त कि इतने नम्बर की गाड़ी को रोक दिया जाए। यह सिपाही जाकर के सड़क पर खड़ा हो जाता है और उस गाड़ी को आते देखता है। सामने से उस गाड़ी को रोकता है। वह नशे में इतना धुत होता है, किसी का अपराधी होता है और उसके कारण वह उस सिपाही को टक्कर मार देता है। आज पचासों ऐसी टक्कर हुई हैं जिनमें इनको शहीद होना पड़ा है। मैं तो कहता हूं कि इनकी मौत नहीं होती है, हमारे पुलिस कर्मचारी शहीद होते हैं। देश के लिए और हमारे लिए शहीद होते हैं, हमारे राज्य के लिए शहीद होते हैं। लेकिन इनको एक छोटी सी व्यवस्था, एक पास की व्यवस्था जिसके लिए सरकार के ऊपर इतना कोई विशेष भार भी नहीं पड़ रहा है, माननीय वित्त मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इन कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, छोटा कर्मचारी है, आप मेहरबानी करके इनके पास की व्यवस्था तो जरूर करा दें।

दूसरा, मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जो तनख्वाह है उनको देखते हुए, यह पूर्व सरकार को भी हमने कहा था, आज मास्टर की जो तनख्वाह है, वह तनख्वाह भी इनकी नहीं है। वह मास्टर जो 6 महीने मात्र पढ़ाता है, 6 महीने स्कूल में जाता है और 6 महीने छुट्टी मनाता है। नम्बर से पढ़ाई करता है। तीन मास्टर हैं तो एक पढ़ाई करेगा और दो मास्टर गायब रहेंगे। लेकिन ये 24 घंटे ड्यूटी में लगे रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इनके भी वेतन में वृद्धि की जाए। जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, आज इनके पास पैसा नहीं होगा और फिर कहेंगे कि ये तो भ्रष्टाचार करते हैं। भूखा क्या नहीं करता? भूखा तो यही करेगा और क्या करेगा ? इसलिए क्यों नहीं इनके पैसे की तरफ ध्यान दिया जाए। जब सब के पैसे लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो इनकी ड्यूटी और इनके कर्तव्यों को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारी संवेदनशील सरकार जो बहुत अच्छी सरकार है, जो सब के बारे में विचार करती है, दुखियों के दुःख को दूर करती है तो ये दुखिये जो राजस्थान के अन्दर लाखों की संख्या में हैं, क्यों नहीं इनके बारे में विचार किया जाए क्योंकि आज हमको यह जो इतना बड़ा बहुमत मिला है 153 का, इसमें हमारे कर्मचारियों का भी विशेष हाथ है। अगर यह राजस्थान का कर्मचारी इनसे नाराज नहीं होता तो आज इनकी यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए हमको इस राज में लाने में कर्मचारियों का विशेष

(श्री रामस्वरूप)

हाथ है, अधिकारियों का भी विशेष हाथ है। इन सब ने मिलकर सरकार में हमें इतना बड़ा बहुमत दिया है, वह इनकी भी देन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छोटे कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और जो थोड़े और भी जो उच्च अधिकारी हैं, इनके वेतनमानों के बारे में भी सरकार विचार करे जिन्होंने हमारी सरकार को लाने में सहयोग दिया है।

तीसरा, मेरा निवेदन है शिक्षा के बारे में। माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजमान नहीं हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपने शिक्षा के बारे में ठीक है, बजट बहुत अच्छा रखा है, स्कूलें भी आपने सीनियर भी रखी हैं, सैकण्डरी स्कूलों के बारे में भी कहा है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार राजस्थान में थी तो इसी पवित्र सदन में मैंने धरने दिये थे। मेरा पचासवां धरना मेरे क्षेत्र की कालेज के लिए था। 50 वां धरना इसी सदन के अन्दर, उस सरकार के सामने मैं रोया था, यहां पुकारा था और यहीं धरने पर बैठा था। 50 वां धरना कालेज के लिए था लेकिन मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं मत करो आप मेरी कालेज, एक दिन मेरी भी सरकार आयेगी, मेरे भी अच्छे दिन आयेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वह अच्छे दिन आ गये, 153 की हमारी सरकार आ गयी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी से कि मेरे टोडाभीम के अन्दर, क्योंकि जहां से कालेज की दूरी 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर तक कोई कालेज नहीं है, आप बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी, जो विचार कर रहे हैं.. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के लिए.. वे सुन रहे हैं, उनके कान मेरी तरफ हैं। सुनने के लिए कानों की जरूरत पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो बोलो। बोलो प्लीज बोलो।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के लिए जहां के बच्चों को पढ़ने के लिए दौसा जाना पड़ता है या करौली जाना पड़ता है, 50 कि.मी. दूर जाना पड़ता है। जो मेरा एस.टी. का बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है जिन्होंने इस कांग्रेस के लिए जान लगाई है। हमेशा वहां से कांग्रेस की सीट आई है, कभी भी कांग्रेस को नहीं हराया। लगातार कांग्रेस मेरे क्षेत्र से जीतती चली आई है लकिन दुःख की बात है कि मेरे क्षेत्र टोडाभीम के लिए आज तक एक कालेज की घोषणा नहीं हुई। माननीय वित्त मंत्रीजी आज जरूर उदार दिल करके, मेरे क्षेत्र में कालेज की घोषणा करेंगे। यह मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है उनसे।

इसके साथ ही सिंचाई के बारे में मैं निवेदन करूंगा..

श्री उपाध्यक्ष : मूल बात हो गई ना आपकी कालेज की।

श्री रामस्वरूप : अभी पांच मिनट हुए हैं उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, सिंचाई के बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी ने बहुत पैसा दिया लेकिन मेरे यहां इन्दिरा लिफ्ट योजना जो चम्बल के ऊपर बनाई जायेगी, जिसमें सारा मेरा माड एरिया आयेगा, टोडाभीम भी आयेगा, करौली, महुवा, कुछ दौसा और गंगापुर, ये सारे हिस्से उस इन्दिरा लिफ्ट योजना के अन्दर आयेंगे। उस इन्दिरा लिफ्ट योजना को पिछली बार की सरकार के सामने हमने बार-बार रखा था। उनका एक ही जवाब होता था। हमने दिल्ली भेज दिया है, अब आपकी योजना दिल्ली गई है। ये बार-बार दिल्ली की पुकार करते रहे, अब तो दिल्ली वाली की बिल्ली चली गई। अब वह दिल्ली भी गई। ये रात दिन जो असत्य बोलते थे, अभी वह अटल बिहारी वाजपेयी, वह दिल्ली से रवाना हो गये हैं। अब तो हमारी सरकार दिल्ली में आ रही है तो आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके हमारी जो इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना है, जो दिल्ली के अन्दर अटकी हुई है, उसको दिल्ली से पास करायें और इन्दिरा लिफ्ट योजना के जरिये हमारे क्षेत्रों की सिंचाई करें। और इसके साथ ही अंत में एक और निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : इसके साथ ही बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय कि मेरे क्षेत्र में सबसे पुराना थाना है जो 1942 में बना हुआ है। इसी प्रकार सबसे पुराना तहसील भवन है, वह भी आजादी से पहले का बना हुआ है। दो बार तो दोनों गिर चुके हैं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये सब तो आप मंत्रीजी से बात कर लेना, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ये जो पुराने कार्यालय हैं, उन पुराने कार्यालयों को बदलकर मेहरबानी करके या तो इस बजट में पैसा दें ताकि वे, पिछली बार जो पुलिस थाने की बिल्डिंग गिरी थी टोडाभीम में, उस समय दो पुलिस कर्मचारी, जिनका एक का हाथ टूटा था, एक का पैर टूटा था, दोनों गम्भीर घायल हुए थे और इतनी बड़ी चोट उनके इन थानों के अन्दर आई है, केवल ऊपर की दीवार टूटने के कारण। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में थानों के भवनों को आप पैसा इस बजट में दिलायें ताकि मेरे यहां जो गिरने की हालत उन भवनों की हो रही है, उससे बचा जा सके और जन धन की हानि से बचा जा सके। इसके साथ ही अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान जी। साथ हो गया है। समाप्त कीजिये। बस बहुत हो गया। समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : माननीय वित्त मंत्रीजी, जो विशेष ध्यान अब दे रहे हैं मेरी बातों पर और...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान जी।

श्री रामस्वरूप : हमारे वित्त मंत्रीजी, आपका ध्यान अब मेरी ओर विशेष रूप से है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान में यह बजट पेश करके हमारी और इस राजस्थान में कांग्रेस की लाज को बचाया है लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कालेज की समस्या है। आप मेहरबानी करके जरूर उदार दिल से घोषणा करेंगे। जय भारत, जय हिन्द। समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान जी।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक की इस बहस मे मैं अपने आपको शामिल करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सुबह जीरो आवर के अन्दर आरक्षण के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने यहां पर अपनी कुछ बातें रखीं और हमने यह मांग रखी थी कि जाट समाज, कायमखानी समाज, सिंधी मुस्लिम, मेव, सिरवी और जितनी भी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, काश्तकार हैं, जो गांवों में रहते हैं और जिनका स्तर बहुत नीचे है, आज तक कोई आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारी नहीं है, उनको भी आरक्षण दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य जगमाल सिंह जी कह रहे थे कि भा.ज.पा. के लोगों को तो आरक्षण की पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये तो आरक्षण के विरोध में थे। मैं आपके माध्यम से तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य को और सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि 1992-93 में जब आरक्षण के लिए जातियों का सलेक्शन किया गया तो उस समय भा.ज.पा. का राज था और भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे और उस समय...

श्री हरिसिंह (महुवा) : राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की घोषणा की थी, भैरोंसिंह जी ने बिलकुल नहीं की थी। बलिराम जी भगत की देन है।

श्री रमजान खान : 1991-92 में, आपको बड़ी गलतफहमी है (व्यवधान) आप रिकार्ड उठाकर देख लें।

श्री मदन दिलावर : गलतबयानी कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं है, हमने किया है। मैं था उस समय मंत्री, मैंने व्यवस्था की है पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमने उस समय यहां विधान सभा में... मैं यहां था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आपके सदस्य का समय जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो फाइल को दबाये बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, राजस्थान की छोटी-मोटी पिछड़ी जातियां, 51 जातियों को आरक्षण का लाभ दिया और उसके अन्दर 13 मुस्लिम समुदाय की भी जातियां सम्मिलित थीं, जिनको आरक्षण का लाभ मिला है और माननीय भैरोंसिंह जी के शासनकाल में मिला है। इसलिए यह कहना गलत है कि हम आरक्षण के विरोध में हैं।

डा. कारण सिंह यादव : आप तो आरक्षण के विरोध में हो। 28 सितम्बर को आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई थी, तब राज्यपाल शासन था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! यह बात कह चुके हैं आपके माननीय सदस्य। पहले कह चुके हैं यह बात। आप और माननीय गोविन्द सिंह जी गुर्जर, यह बात कह चुके हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, 28 सितम्बर नहीं उसके बाद में भी...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, आप क्या करोगे।

श्री मदन दिलावर : आप अपना जवाब दें तो बता दें।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : गलतबयानी कर रहे हैं हाउस में।

श्री उपाध्यक्ष : वह सही बात नहीं है...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आरक्षण के अन्दर कायमखानी समाज का भी नाम आपके घोषणा पत्र में लिया गया और उस आधार पर समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये। और जहां तक कायमखानी समाज का सवाल है, भारतीय थल सेना के अन्दर इस कौम के जवान जब लड़ रहे थे। हिन्दुस्तान-पाक का जब दो दफा वार हुआ, उस समय करीब 27 वीर चक्र मिले हैं। और उन 27 वीर चक्रों में से 7 वीर चक्र कायमखानी कौम को मिले हैं। यह बहुत सौभाग्य की बात है। और उसी आधार पर थल सेना के अन्दर इनकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें आरक्षण दिया गया। जहां पर दूसरे जवानों को 10वीं क्लास पास वालों को लेते हैं, वहीं कायमखानी को 8वीं क्लास पास वालों को ही भर्ती कर लेते हैं, नाप में, वजन में भी इनको रियायत दी गई। उस समय में 1991 में जब यह पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्दर हमारा डेपुटेशन मिला था, उस समय हमने निवेदन किया था कि जब थल सेना में हमें आरक्षण मिला हुआ है, हम पिछड़े हैं, गांव में रहने वाले हैं, हमारे अन्दर शिक्षा की बहुत कमी है और हमारे यहां पर आई.ए.एस. आई.पी.एस. आफिसर या और कोई बड़ा आफिसर नहीं है इसलिए हमें आरक्षण मिलना चाहिए परन्तु उस समय नहीं मिला। मुझे उम्मीद है जब जाट को आरक्षण मिलेगा और निश्चित रूप से कायमखानी समाज को भी सम्मिलित करते हुए आरक्षण दिया जायेगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्दर जो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग में आयेगा, उस समय दे दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कहने की बातें हैं, सरकार यदि चाहे, पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूरी की पूरी रिपोर्ट इकट्ठी कर ली है, केवल सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वह रिपोर्ट सरकार मंगा सकती है और इन जातियों को जिनके साथ इन्होंने वादा करके वोट लिये हैं, उनको आरक्षण दे सकती है और उनको देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा सवाल है, तीर्थराज पुष्कर से मैं चुनकर आता हूं जो हिन्दुओं का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है।

(श्री रमजान खान)

उस तीर्थस्थल में, पुष्कर सरोवर के अन्दर आये वर्ष इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि धीरे-धीरे पुष्कर का स्वरूप ही खतम होता जा रहा है। उसके अन्दर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे बजट के अन्दर ओ.आई.सी.एफ. वृक्षारोपण की जो जापान की योजना चलाई जा रही है, उसके तहत तीर्थराज पुष्कर में मिट्टी आ रही है, उसको भी इस ओ.आई.सी.एफ. योजना के तहत शामिल किया जाये तो मैं समझता हूं वृक्षारोपण से काफी हद तक उसकी मिट्टी रूकेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार आती है, अपने हिसाब से ट्रांसफर करती है, उसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है, मुझे भी ऐतराज नहीं है। परन्तु मैं आपके माध्यम से स्वायत शासन मंत्रीजी नहीं हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1991 और 92 में पुष्कर नगरपालिका में एक संजीव मंत्री, एग्जीकुटिव आफिसर लगे हुए थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में परिक्रमा मार्ग और जयपुर घाट पर अतिक्रमण करवाकर वहां पर होटल बनवा दिया..वहां पर रोस्टोरेंट बनवा दिये और फिर उसके बाद लोगों ने पुष्कर बंद किया, उसकी शिकायत राज्य सरकार को की गई और राज्य सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ जांच बिठाई और उसके बाद उसका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया। यहां तक तो ठीक है। एसीडी. के तहत वह जांच हुई, न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ और उसका मुकदमा नम्बर 168/94 है जिसकी चार्जशीट नम्बर 30 दिनांक 15.3.96 को न्यायालय में पेश कर दिया गया है जो विचाराधीन है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, ट्रांसफर तो आप करो, आपकी सरकार है, मर्जी आये जो करो, परंतु ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जिसके खिलाफ एसीडी. में मुकदमा चला हो, जिसके खिलाफ न्यायालय में उसी नगरपालिका के लिए वाद चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, उसी ई.ओ. को वापस तुरंत आपकी सरकार आते ही वहां पर पुष्कर नगरपालिका के अन्दर वापिस स्थापित कर दिया, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

जहां तक अजमेर सवाल है, अजमेर-मेरवाड़ा का। नवम्बर सन् 1956 को राजस्थान में विलीनीकरण हुआ। उस वक्त अजमेर-मेरवाड़ा स्टेट से यह वायदा किया गया था, वहां की जनता से वायदा किया गया था कि राजस्व मण्डल और लोक सेवा आयोग अजमेर के अन्दर ही रखेंगे। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे ही 'कांग्रेस फिर हुकूमत में आई, अजमेर के राजस्व मण्डल को विघटित कर दिया गया, उसकी एक ब्रांच को जोधपुर भेज दिया गया और आज अजमेर के लोगों के साथ बहुत बड़ा यह धोखा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, यह अजमेर के लोगों से जो वादा खिलाफी हुई है, उसकी जो जोधपुर में बैंच आप ने स्थानान्तरित

(श्री रमजान खान)

की है, उसको पुनः वापस अजमेर में लाकर इस बात को खत्म करें ताकि वहां के लोगों का असंतोष खत्म हो।

अजमेर जिले के भू-संशोधन के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 70-72 में वहां पर भू-संशोधन हुआ था और भू-संशोधन के तहत लोगों के जो कब्जे थे, उसके आधार पर उनको खातेदारी दे दी गई। खातेदारी मिलने के बाद लोगों ने अपने खेतों पर कुएं खुदवाये, पम्प सेट लगवाये, मकान बनवाये और उसके बाद में सन् 1984 में जब कांग्रेस का शासन था उस टाइम में उस सैटलमेंट को जो 70-72 में हुआ था, रद्द कर दिया गया।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : बी.जे.पी. का था। बी.जे.पी. के रतनलाल जी एम.एल.ए. होते थे उन्होंने प्रश्न उठाया था, कांग्रेस का नाम न लो–

श्री रमजान ख़ान : 84 में कांग्रेस की सरकार थी, आपको ध्यान नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि इस सैलमेंट के रद्द होने की वजह से अजमेर जिले–

श्री नाथूराम : रतन लालजी वर्मा यहां विधान सभा में बोले थे, भिनाय से एम.एल.ए. होते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : कांग्रेस का बोल रहे हैं वह असत्य बात है। कांग्रेस के राज में नहीं था। कांग्रेस के राज में खातेदारी दी और बी.जे.पी. के राज में उस भू-संशोधन को खत्म कर दिया जो वापिस चालू करवाया जाय, यह बात अच्छी है आपकी।

श्री रमजान ख़ान : नाथू भाई कहे जो ठीक है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि उसको रद्द करने के बाद में जो वहां पर काश्तकारों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है, अब बार-बार नोटिस दिये जा रहे हैं, उस जमीन को वापस चारागाह और सिवाय चक में दर्ज कर दिया गया है और उसके नोटिस लेकर के काश्तकार जगह-जगह भटक रहे हैं, कब्जा उन्हीं का ही है। अब जहां कुएं खुद गये, मकान बन गये, अब वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो 70-72 में भू-संशोधन अजमेर के अन्दर हुआ उसको यथावत् कायम रखें तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है वरना काश्तकार जो न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, उनका पीछा किसी भी स्तर पर छूटेगा नहीं, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

अजमेर में हवाई अड्डे का मसला है, कई वर्षों से हमारी मांग थी कि अजमेर के अन्दर हवाई अड्डा बने। हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमान पत्तनन प्राधिकरण ने सर्वे किया है अजमेर के अन्दर, और वहां पर सराधना, कोटाज और दारपुरा की जमीन का सर्वे किया। वहां पर उस जमीन के आस-पास बहुत पहाड़ियां हैं और 829 बीघा खातेदारी जमीन इसके लिए अवाप्त करनी पड़ेगी। हमने बार-बार निवेदन किया है कि जेठाणा गांव जो करीबन सात-आठ किलोमीटर ही दूर है वहां पर करीबन 1300 बीघा सिवाय

(श्री रमजान खान)

चक और चारागाह की भूमि पड़ी है, काश्तकारों की भूमि लेने की आवश्यकता होगी नहीं। इसलिए उस जेठाणा के आस-पास हवाई अड्डा बना दिया जाय। जेठाणा के माननीय विधायक महोदय भी यहां पर बिराजमान हैं, जेठाणा के लोग भी इसके लिए तैयार हैं कि हवाई अड्डा वहां बना दिया जाय। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भारतीय विमान पत्तनन प्राधिकरण को वापस दोबारा सर्वे कराकर सराधना के बजाय जेठाणा में हवाई अड्डा बनाने की व्यवस्था की जाये।

अजमेर शहर के आस-पास बहुत सी ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं और इन ग्राम पंचायतों के अन्दर पेराफेरी कानून ऐसा लागू हो गया कि वहां पर रहने के लिए जमीन ग्राम पंचायतों को मिलती नहीं है। लोग-बाग अपने मकान बना लेते हैं, मकान बनाने के बाद प्रशासन आता है, उन मकानों को तोड़ता है बुलडोजरों से और उसके बाद कई मुकदमे न्यायालय में वह चलाते रहते हैं। तीस साल हो गये, एक इंच जमीन भी आवास के लिए वहां पर अलाटमेंट ग्राम पंचायतों को नहीं की है। अब मैंने इन दिनों में अखबारों में पढ़ा है, सरकार पेराफेरी में कुछ ढील देने जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पेराफेरी नियमों के अन्दर कुछ लचीलापन अपनाकर के और जो ग्राम पंचायतें हैं, गांवों के लोग रहने वाले हैं या शहर के आस-पास जो ग्रामीण लोग हैं, उनको भी आबादी भूमि के लिए जमीन अलाट की जाय ताकि वह अपने मकान बना सकें। अपने मकान जहां बने हुए हैं उसके पट्टे ले सकें और उन पट्टों के आधार पर बैंक से कर्जा लेना, किसी भी तरह का व्यवसाय वह कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे दो दिन पहले यहां पर अकाल के बारे में, पेयजल के बारे में, बिजली के बारे में चर्चा हुई। मेरा मानना है कि वास्तविक चर्चा तो तीन चीजों की होनी चाहिए, एक तो बढ़ती हुई आबादी, भ्रष्टाचार की जड़ें और भूगर्भ जल की जो निरन्तर गिरावट आ रही है, उसके बारे में भी एक दिन का समय रख कर चर्चा करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इसके लिए दिन मुकर्रर किया जाय वरना आबादी बढ़ रही है, आप कितनी ही बड़ी-बड़ी योजना बना लें, कितना भी, कुछ भी कर लें, मगर उस विकास का फायदा इस जनता को होने वाला नहीं है जब तक आबादी के ऊपर नियंत्रण आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे। आबादी जो बढ़ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है कि सन् 1977 के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नियम बनाये, कुछ और हुआ, कुछ आबादी पर नियंत्रण करने की कोशिश की, परंतु वह उलटा हुआ। जनता ने उसको माना नहीं और उसके बाद पार्टी हार गई। तो अब सभी राजनीतिक पार्टियों के दिल में एक डर बैठ गया कि अब हमने अगर कहीं जोर-जबरदस्ती की तो हमारे साथ भी इसी तरह का होगा जैसा 1977 में हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह माननीय शेखावत साहब ने पंचायतों के चुनाव

(श्री रमजान खान)

में, नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर परिषद के चुनावों में कुछ उदाहरण पेश किये हैं इस आबादी पर कन्ट्रोल करने के लिए, इसी तरह के उदाहरण कांग्रेस की हुकूमत को भी करने चाहिए। विचार करके कुछ ऐसे पाइंट रखने चाहिए, ताकि इस बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण हो सके वरना यदि बढ़ती हुई आबादी पर सीरियसली कदम सरकार ने नहीं उठाये तो आप चाहे कितना ही विकास कर लें, इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है।

जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार की तो इतनी जड़ें मजबूत हो गई हैं, पहले भी मैंने इस बारे में यहां पर विधान सभा में जिक्र किया था, आज किसी भी विभाग में चले जाओ वहां पर भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम होता नहीं है। चाहे रजिस्ट्री कराने चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे आबकारी विभाग में चले जाओ, चाहे परिवहन विभाग में चले जाओ। और उपाध्यक्ष महोदय, अब तो इन्होंने नये-नये तरीके ईजाद कर लिये। वहां पर इनके एजेंट तैयार मिलेंगे आपको, वहां पर अधिकारियों से और कर्मचारियों से बात करने की जरूरत नहीं है, एजेंट अपने आप ही सौदा तय कर लेते हैं, वह पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों के पास पहुंच जाता है और इस तरह इस राजस्थान की जनता का पचास प्रतिशत पैसा इन चन्द आदमियों की, लोगों की जेब में जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप हिम्मत करो, एक बार यहां सदन में पूरा दिन इसके लिए चर्चा का रखो ताकि माननीय सदस्य अपने-अपने विचार यहां पर रखें और उन विचारों के आधार पर कोई कार्यक्रम आप बनायें और इस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगायें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। विधायक लोग अपने-अपने इलाकों में जाते हैं और वहां पर विधायकों के पास ज्यादातर, पिचहत्तर प्रतिशत काम यही आता है कि पटवारी ने मेरे से पैसे ले लिये, थाने में मैं गया तो मेरे साथ यह हो गया, रजिस्ट्री कराने गया तो मेरे साथ यह हो गया। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी जबरदस्त अन्दर हैं कि इसको खत्म करना बहुत जरूरी है वरना इसको खतम किये बिना तो हम अपने विकास की जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, उस पर हम पहुंच नहीं पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरा रामजी। हो गया। बीस मिनट हो गये आपको। अब इनको दस मिनट ही बचे हैं।

श्री रमजान ख़ान : एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। एक मिनट ही लूंगा मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व सेनिकों के लिए आपने बजट में कुछ किया नहीं, इसलिए जब आप जवाब दें फाइनल तो भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों को वापस रोजगार देने के लिए भी कुछ न कुछ उसमें प्रावधान रखें। आपने मुझे समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है और इस बजट में बार-बार जो भी टैक्स लगाये गए हैं निश्चित रूप से उन्हीं लोगों पर और वर्गों पर हैं जिन्होंने राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार को हटाने में, वर्तमान सरकार को और पार्टी को जिन्होंने सबसे ज्यादा समर्थन दिया है और जिन आर्थिक नीतियों के आधार पर यह बजट बनता है निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार की जो नीति और नीयत थी आर्थिक रूप से आज की वर्तमान सरकार का भी उसी नक्शेकदम पर यह बजट है। स्पष्ट रूप से वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधार हमारा लक्ष्य है। और 1991 की तत्कालीन नरसिम्हा राव जी की सरकार ने इस उदारीकरण के लिये और नई आर्थिक नीतियों को लागू करने की शुरूआत की थी उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन वित्त मंत्री जी मैं जानना चाहूंगा कि उदारीकरण की नीतियां जो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने लागू की थीं, उसकी पांच साल के बाद जो गति हुई, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की उन आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान में बहुत बड़ा असर उनको भोगना पड़ा है। क्या आप भी वह असर भोगने के लिये तैयार हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, यह उदारीकरण इसी बात का द्योतक है क्योंकि जो नीतियां कांग्रेस ने 1947 से लेकर 1991 तक लागू की थी उसका एक ही अर्थ था, गरीब को प्रोटेक्ट करने की नीतियां थीं। गरीब को बाजार में खुला नहीं छोड़ा जाये। उसको प्रोटेक्ट करने की नीतियां थीं। और आर्थिक उदारीकरण का एक ही अर्थ है कि बाजार को अपने आप लूटने में खुली छूट दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में सबसे ज्यादा अन्याय जो किसान पर किया गया है वह संगठित नहीं है। व्यवसाय कर आपने लगाया जिसमें पूरे राजस्थान के व्यवसाय करने वाले और कर्मचारी वर्ग जो सबसे ज्यादा उद्वेलित था, उन्होंने सरकार के घुटने टिका दिये और सरकार को इस एप्रोप्रिएशन बिल से पहले ही घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास संगठन है। आपके माननीय सदस्यों को उनका आक्रोश भी झेलना पड़ा। लेकिन राजस्थान का किसान जो आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, आज उस पर आपने 1952 से लेकर आज तक पहली बार सिंचाई दर दुगुनी की है। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में जो भी किसान है चाहे वह हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर का हो, चाहे वह कोटा का हो, इस समय क्या हालत है? उनकी फसलें लगातार तीन साल से मारी जा रही है। चाहे वह कपास की फ़सलें हों, आपकी दुर्व्यवस्थाओं के कारण टेल के किसानों की फसलें मारी जा रही हैं। फसलें बरबाद हो गईं। उनको सुविधाएं देने का तो 50 साल में किसी सरकार ने सोच नहीं किया। उसकी फसल चाहे पानी नहीं पहुंचने के कारण बरबाद हो जाये, ओलावृष्टि से बरबाद हो जाये, अनावृष्टि से बरबाद हो

(श्री अमराराम)

जायें उसके लिये बीमा की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी सरकार की अकर्मण्यता, शासन और प्रशासन की भ्रष्टाचार की नीतियों के कारण किसान त्रस्त है। आज पूरे देश में उन नीतियों के कारण, उसके कर्जदार होने के कारण किसान उस कर्जे से दब कर आत्म हत्या करने को मजबूर हो रहा है। राजस्थान का किसान जो आत्म हत्या करने के लिये मजबूर नहीं हुआ, हमारे वित्त मंत्री जी और वर्तमान सरकार सिंचाई कर दुगुना करके यह चाहती है कि राजस्थान का किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है, फसल लुटने के कारण वह भी आत्म हत्या की ओर जाये। यह आज हालत सिंचाई की दरों को दुगुनी करके सिंचाई मंत्री जी ने की है। क्योंकि वह संगठित नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं, आप किसानों का सबसे बड़ा वोट लेकर आये हो, उनके साथ इसी तरह से व्यवहार करते रहे तो जिस तरह से व्यवसाय कर के मामले में आपको भोगना पड़ा है, निश्चित रूप से जो कांग्रेस के विधायक हैं, अपने क्षेत्रों में जब भी वो जायेंगे जहां सिंचाई के क्षेत्र हैं गांवों में वैसे ही उनको भोगना पड़ेगा। 24 तारीख को विधान सभा समाप्त होने पर यह सोच कर जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का भी यही हाल है। पैसा लगाने का सवाल है, हमारे मंत्री जी एक ही बात कहते हैं पूर्ववर्ती सरकार के हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं चाहे यह ब्लड ट्रान्समिशन पर टैक्स लगाने का सवाल हो, चाहे वह सिंचाई की दर हो, चाहे बिजली नियमन विधेयक हो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं वोट तो हम राजस्थान की जनता से लेकर आये हैं, इनकी सजा के रूप में आपको वोट दिये हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं सलाह राजस्थान की जनता और राजस्थान के विधायकों से नहीं लेंगे क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने विश्व बैंक और आई.एम.एफ. ने जो सलाह दी थी पिछली सरकार ने पूरी नहीं की। हम उसको बड़ी तेजी से पूरा करेंगे। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जो बिजली से सिंचित है, बिजली विनियमन विधेयक सरकार जिस पर आगे बढ़ रही है यह राजस्थान के लिये सबसे काला कानून है। बिजली विनियमन विधेयक जिसकी शर्तें विश्व बैंक से लोन लेने के लिये कल आपने यहां बढ़वाई हैं, साख सीमा बढ़वाई है वह निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों के लिये जिन्हें बिजली पहुंचा कर 50 साल में जो कुछ राजस्थान की सरकार ने दिया था, वह सबसे बड़ा काला कानून होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह हालत होती जा रही है कि चाहे वह बिजली हो, सिंचाई हो सब के सब वहां से हटा कर इन किसानों के साथ हम सब से बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज 50 साल की आजादी के बाद राजस्थान के ग्रामीण इलाके में आधे से ज्यादा गांव वो हैं जहां आपने इति श्री

(श्री अमराराम)

कर ली कि एक हैण्ड पम्प लगाकर आपने पानी की व्यवस्था कर दी। यही शिक्षा की हालत है, यही स्वास्थ्य की हालत है। सबसे पहले गांव में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसको इस बजट से फायदा मिलना चाहिये सब से ज्यादा महरूम वह है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार में जो चिंता जताई जा रही है, वह है अशिक्षा। अशिक्षा के मामले में राजस्थान हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर है। शिक्षा और रोजगार को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो भूमि सुधार जब तक हम लागू नहीं करेंगे और इस बजट में एक रुपया वहां का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी कहां पैसा दे रहे हैं, वो लोग जो बड़े-बड़े शहरों में एयरकंडीशन कमरों में रहते हैं, जिनके एक-एक परिवार में चार-चार कारें हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिये। हम टैक्स लगाने के विरोध में नहीं आयेंगे। लेकिन जो पैसा है, आज कहां खर्च किया जा रहा है, नाथद्वारा के मंदिर में 20 लाख रुपया, आज प्रश्नकाल में था, परबतसर के वीर तेजाजी के मंदिर में चढ़ावे का कलेक्शन होता है। मुझे वित्त मंत्री जी बता दें कि और कौनसे ऐसे मंदिर है जिनके प्रसाद का पैसा राजस्थान के खजाने में जमा होता है। जिस नाथद्वारा को आपने 20 लाख रुपये देने की बात की है, राजस्थान का गरीब, दलित जिनका ज्यादातर वोट आपको मिला है वह उस नाथद्वारा में प्रवेश नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा चढ़ावा नाथद्वारा में आता है। जहां करोड़ों-अरबों रुपये चढ़ावे के रूप में आते हैं वहां तो पैसा खर्च करना चाहते हैं और जो पढ़ने के लिये नहीं आ सकता, स्कूल में नहीं आ सकता, वह क्यों नहीं आता इस पर आपकी कहीं नजर नहीं है। चाहे जितने स्कूल खोल दें लेकिन जिसका बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि इनको लाने में आप प्रयास करेंगे। समय समाप्त हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश सबसे ज्यादा अकाल से पीड़ित है। उसमें सबसे ज्यादा क्रूर मजाक पूर्ववर्ती सरकार ने किया है कि उसके अंदर काम पर आने वाले को मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। उसको टास्क बेस पर और उन अधिकारियों के कानूनों के अनुसार होता है, खाने का चक्कर होता है। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य। सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 22 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे गुरुवार, दिनांक 22 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-493 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	दर्ज अभियोग	वर्ष 1.4.97 से 28.9.99 तक	चालान	एफ. आर.	पेंडिंग
1.	हत्या	10	8	1	1
2.	बलात्कार	42	28	13	1
3.	डकैती	1	1	–	–
4.	लूटपाट	11	7	4	–
5.	चोरी	50	20	26	4

परिशिष्ट—"ब"

क्र.सं.	नाम थाना	हैड	अवधि	दर्ज	अदमवकु	अदमपता	चालान	पेंडिंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	लिजरा	डकैती	1-4-97 से 31-3-98	–	–	–	–	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		लूट	1-4-97 से 31-3-98	1	–	–	1	–
			1-4-98 से 28-2-99	1	–	–	1	–
		कत्ल	1-4-97 से 31-3-98	1	–	–	1	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		बलात्कार	1-4-97 से 31-3-98	–	–	–	–	–
			1-4-98 से 28-2-99	1	–	–	1	–
		चोरी	1-4-97 से 31-3-98	6	–	2	4	–
			1-4-98 से 28-2-99	6	–	4	1	1
2.	आनंदपुरी	डकैती	1-4-97 से 31-3-98	–	–	–	–	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		लूट	1-4-97 से 31-3-98	4	1	–	3	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		कत्ल	1-4-97 से 31-3-98	3	–	1	2	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		बलात्कार	1-4-97 से 31-3-98	6	–	–	6	–
			1-4-98 से 28-2-99	13	4	–	9	–
		चोरी	1-4-97 से 31-3-98	7	–	4	3	–
			1-4-98 से 28-2-99	4	1	3	–	–
3.	थानागढ़ी	डकैती	1-4-97 से 31-3-98	1	–	–	1	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		लूट	1-4-97 से 31-3-98	2	1	–	1	–
			1-4-98 से 28-2-99	2	2	–	1	–
		कत्ल	1-4-97 से 31-3-98	2	–	–	2	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		बलात्कार	1-4-97 से 31-3-98	7	3	–	4	–
			1-4-98 से 28-2-99	8	4	–	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		चोरी	1-4-97 से 31-3-98	8	–	5	3	–
			1-4-98 से 28-2-99	15	2	5	6	2
4.	सल्लोपाट	डकैती	1-4-98 से 31-3-98	–	–	–	–	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		लूट	1-4-97 से 31-3-98	–	–	–	–	–
			1-4-98 से 28-2-99	–	–	–	–	–
		हत्या	1-4-97 से 31-3-98	1	–	–	1	–
			1-4-98 से 28-2-99	3	–	–	2	1
		बलात्कार	1-4-97 से 31-3-98	4	1	–	3	–
			1-4-98 से 28-2-99	3	1	–	2	–
		चोरी	1-4-97 से 31-3-98	1	–	–	1	–
			1-4-98 से 28-2-99	3	–	–	2	1

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

मन्दिरों/देवालयों की वार्षिक वृत्ति में वृद्धि

501. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :** क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य एवं राज्य के बाहर विभाग की सम्पत्तियां एवं मन्दिर हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी-कितनी एवं इसमें से कौन-कौन को सरकार अनुदान देती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मन्दिर/देवालयों को देय वार्षिक वृत्ति की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार ने उक्त मन्दिरों/सम्पत्तियों की देखभाल एवं रख-रखाव के लिये क्या कोई योजना बना रखी है ? यदि हां, तो क्या ? विवचरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 व 5 सदन की मेज पर रख दिए गए है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य बीमा निगम की आयोजित बैठकें

502. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वर्ष 1990 के पूर्व कितनी बैठकें आयोजित की गई थीं ? वर्ष 1991 से 1998 तक कितनी बैठकें आयोजित की गईं ? उक्त बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना में अब तक कितने मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और कितने मामलों में राहत दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय देहली में स्थित है, निगम की बैठकों की जानकारी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। राजस्थान राज्य में क्षेत्रीय परिषद गठित की हुई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के दर्ज प्रकरण

503. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर), श्री निर्भयलाल (रूपवास) एवं श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर दिसम्बर, 1998 से 10 मार्च, 1999 तक हुए अत्याचार के संबंध में कितने मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हुए और सरकार द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति बनानें का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों के संबंध में 1 दिसम्बर, 98 से 10 मार्च, 99 तक कुल 1645 अभियोग दर्ज हुए। अनुसंधान के पश्चात् 299 अभियोगों में अभियुक्तगणों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये तथा 429 अभियोगों में एफ.आर.अदम वकू में नतीजा दिया गया, एक अभियोग में एफ.आर.अदम पता, एक अभियोग में एफ.आर.अदम सबूत दी गई एवं 915 अभियोग अभी अन्वेषणाधीन है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है एवं इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पूर्व में ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं। अतः इस बारे में नयी नीति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिशिष्ट "अ"

दिसम्बर 98, से 10 मार्च, 99 तक के आंकड़ों का विवरण

		दर्ज	चालान	FR AV	FR AP	FR AS	PP पेंडिग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	51	6	9	–	–	36
2.	भीलवाड़ा	50	8	12	–	–	30
3.	नागौर	82	18	32	–	–	32
4.	जयपुर शहर (मु.)						
5.	जयपुर शहर (द.)	16	3	3	–	–	10
6.	जयपुर शहर (उ.)	7	3	3	–	–	1
7.	जयपुर ग्रामीण	64	10	14	–	–	40
8.	झुंझुनूं	31	1	10	–	–	20
9.	सीकर	36	6	6	–	–	24
10.	टोंक	78	14	13	–	–	51
11.	दौसा	19	7	2	1	–	9
12.	भरतपुर	84	18	13	–	–	53
13.	अलवर	61	14	23	–	–	24
14.	सवाईमाधोपुर	19	3	2	–	–	14
15.	धौलपुर	56	13	9	–	–	34
16.	करौली	51	4	12	–	–	35
17.	बीकानेर	68	10	15	–	–	43
18.	चूरू	53	15	13	–	–	25
19.	गंगानगर	143	10	41	–	–	92
20.	हनुमानगढ़	47	10	23	–	–	14
21.	जोधपुर	51	7	13	–	–	31
22.	जालौर	42	9	19	–	–	14
23.	जैसलमेर	20	4	4	–	–	12
24.	बाड़मेर	41	14	15	–	1	11

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पाली	80	19	17	—	—	44
26.	सिरोही	17	6	6	—	—	5
27.	कोटा शहर	30	15	7	—	—	8
28.	कोटा ग्रामीण	20	2	7	—	—	11
29.	बून्दी	34	7	10	—	—	17
30.	झालावाड़	62	8	11	—	—	43
31.	बारां	67	9	26	—	—	32
32.	बांसवाड़ा	27	3	13	—	—	11
33.	उदयपुर	28	7	7	—	—	14
34.	चित्तौड़गढ़	66	10	13	—	—	43
35.	डूंगरपुर	10	2	1	—	—	7
36.	राजसमन्द	33	4	5	—	—	24
37.	जी.आर.पी. जोधपुर	1	—	—	—	—	1
38.	जी.आर.पी. अजमेर	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	1645	299	429	1	1	915

अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भूमि

504. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 21 जनवरी, 1997 को भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा अजमेर में हवाई अड्डा निर्माण के लिये दो जगहों का सर्वे किया था ?

(2) क्या सराधना में हवाई अड्डा निर्माण करने से काश्तकारों की 829 बीघा खातेदारी की भूमि आवाप्त करनी पड़ेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जेठाना में पर्याप्त सवाई चक चारागाह भूमि उपलब्ध है ? यदि हां तो क्या सरकार हवाई अड्डा निर्माण के लिये जैठाना की भूमि को चिन्हित करने हेतु भारतीय विमान पतन प्राधिकरण को सिफारिश करेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों ने दि. 15.1.97 से 31.1.97 तक हवाई अड्डे के लिए अजमेर तहसील एवं पीसांगन के ग्राम सराधना, नाहरपुरा, केसरपुरा एवं कोठांज का भ्रमण कर हवाई अड्डे के लिए सर्वे किया था।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। ग्राम जेठाना में हवाई अड्डा प्रयोजनार्थ उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

(राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन)

जी नहीं। चूँकि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने सराधना की भूमि को हवाई अड्डे हेतु भूमि को चिन्हित करते समय इन पहाड़ियों को अपने ध्यान में रख कर ही इन भूमियों को हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त माना है। अतः सिफारिश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्दिरा गांधी नहर के पानी का बंद प्रकरण

505. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर को पंजाब सरकार द्वारा मार्च, 1999 में बंद किये जाने पर किसानों में असंतोष है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समय गेहूं की अंतिम सिंचाई एवं खरीफ की बिजाई के लिए पानी की जरूरत है ? क्या सरकार इस समय बंदी के निर्णय को निरस्त करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि इस बंद प्रकरण से दूर बसे किसानों को पेयजल भी नहीं मिल पायेगा ? क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर की पंजाब सरकार द्वारा मार्च, 99 में बंदी नहीं की गयी है क्योंकि राजस्थान सरकार का प्रयास यह था कि जनवरी, 2000 में बंदी ली जावे। अन्ततः पंजाब सरकार ने यह बंदी दिनांक 4-4-99 से 18-4-99 तक की। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा किसानों को बारी से अन्तिम सिंचाई उपलब्ध करा दी गई ताकि बंदी से असंतोष उत्पन्न न हो।

(2) संशोधित समयावधि में गेहूं की अन्तिम सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करा दिया गया है। यह संभव है कि कतिपय मामले में खरीफ की बुवाई में कुछ दिनों की देरी हो किन्तु यह समस्या अधिक नहीं है। राज्य सरकार ने इस बंदी को जनवरी, 2000 में करवाने हेतु भरसक प्रयास किया है किंतु पंजाब सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई। अन्ततः पंजाब सरकार उपरोक्तानुसार परिवर्तित समय सारणी के अनुसार बंदी लेने हेतु सहमत हुई।

(3) जी नहीं। हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं जोधपुर में 21 दिन तक की जलाशय/भण्डारण व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त चुरू जिले के तारा नगर तथा राजगढ़ कस्बों तथा 301 ग्रामों में पेयजल की निम्न व्यवस्था की गयी : —

(अ) इंदिरा गांधी मुख्य नहर को पूरा भरकर भण्डारण किया गया।

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में टांके, कुण्ड, जोहड़, जी. एल. आर. में जल भण्डारण की व्यवस्था की गयी।

(स) सभी स्तर पर उपलब्ध भू-जल स्रोतों के अधिक दोहन हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। बन्दी के दौरान पी.एच.ई.डी.

(सिंचाई मंत्री)

को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की गयी है एवं चुरू जिले में भी दैनिक जल आपूर्ति की गई है।

बाडी मानसरोवर (निम्बाहेड़ा) से पेयजल आपूर्ति

506. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में बाडी मानसरोवर बांध से छोटी सादड़ी शहर को पानी सप्लाई करने की योजना का गत दिनों उद्घाटन किया गया ?

(2) यदि हां, तो कब तथा इस उद्घाटन के बाद कितना पेयजल सप्लाई किया जाना प्रस्तावित था और कितना उपलब्ध कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बाडी मानसरोवर से छोटी सादड़ी तक 16 कि.मी. पाइप लाइन (250 एमएम व्यास) का टेस्टिंग कार्य चल रहा था जिसके तहत 29.3.99 को पहली बार छोटी सादड़ी फिल्टर प्लांट तक पानी पहुँचा एवं तब से प्रतिदिन लगभग एक लाख लीटर पानी वितरित किया जा रहा है। इस योजना से प्रतिदिन 16 लाख लीटर जल वितरण प्रस्तावित है लेकिन बांध का कार्य पूर्ण नहीं होने से बांध के भराव क्षेत्र में पानी नहीं भरा है। केवल भराव क्षेत्र में देह में उपलब्ध जल से टेस्टिंग कार्य किया गया एवं प्रतिदिन लगभग एक लाख लीटर पानी दिया जा रहा है। उपलब्ध जल से यह व्यवस्था लगभग 30.4.99 तक चल सकेगी। बांध का कार्य सिचांई विभाग द्वारा इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है। बांध में जल के रोकने के उपरान्त बांध से नियमित जल व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आरक्षण

507. श्री कन्हैया लाल (बस्सी), श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) एवं श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए प्रथम वर्ष में आरक्षण है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

(2) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों की पालना हो रही है ? यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गये प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक प्रतिवर्ष कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ? उक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्र थे ?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सा महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

प्रथम वर्ष में आरक्षण की सुविधा है जो कि अनुसूचित जाति के लिए 15% है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$% (साढ़े सात प्रतिशत) है।

(2) पशु चिकित्सा महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम लागू नहीं हैं। आरक्षण हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम लागू होते हैं जिनकी पालना की जाती है।

(3) वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक प्रतिवर्ष 100 छात्रों को प्रवेश दिया गया जबकि वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक प्रतिवर्ष 130 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक 12 अनुसूचित जाति व 8 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया जबकि वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक प्रतिवर्ष 20 अनुसूचित जाति व 10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी

508. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज-पत्र दिनांक 4 अप्रेल, 1997 में एक विज्ञप्ति कार्मिक 1 क-2 विभाग दिनांक 29 मार्च, 1997 जी.एम.आर. 4 व 5 प्रकाशित हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विज्ञप्ति से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय स्टाफ नियम, 1957 में नियम 7 (ख) जोड़ा गया और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 1963 में नियम 6 (ख) रखा जोड़ा गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियमों में वर्ष 1990 में हुए जयपुर के साम्प्रदायिक दंगों एवं वर्ष 1992 में हुए टोंक व मालपुरा के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को राजकीय सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था ?

(4) क्या उक्त अधिसूचना के अनुरूप एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर टोंक ने दिनांक 11 जून, 1997 को मालपुरा में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये लोगों के आश्रितों को एक पत्र भेजकर संलग्न प्रोफार्मा में वांछित विवरण देते हुए सरकारी नौकरी के लिये आवेदन करने का उल्लेख किया था ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जिला कलक्टर के इस पत्र के जवाब में मालपुरा में 15 व्यक्तियों द्वारा यथासमय जिला कलेक्टर टोंक के कार्यालय में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए राजकीय सेवा हेतु आवेदन-पत्र जमा करा दिये थे ?

(6) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर टोंक द्वारा यह सभी आवेदन-पत्र सरकार के पास अविलम्ब भिजवा दिये गये थे ?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(7) उक्त आवेदनों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1990 में जयपुर में और 1992 में जयपुर में, टोंक और मालपुरा में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों के किसी एक आश्रित की नियमित नियुक्ति, रिक्ति उपलब्ध होने पर, दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं।

(7) नियुक्तियों पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध में शिथिलता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महाविद्यालय नीति में परिवर्तन

509. **श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) :** क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) नये महाविद्यालय आरंभ करने हेतु सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में नये प्रस्तावित महाविद्यालयों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है ? यदि हां, तो प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

(3) नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया ? क्या उक्त राशि पर्याप्त होगी ?

उत्तर

(1) राज्य में महाविद्यालय प्रारम्भ करने की सरकार की नीति सदन की मेज पर उपलब्ध है। राज्य सरकार इस नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, क्योंकि उक्त नीति समायानुकूल है।

(2) राज्य सरकार क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में अगले पांच वर्षों में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने का मास्टर प्लान तैयार कर रही है।

(3) नवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु 1166.03 लाख रुपयों का प्रावधान किया है। उक्त राशि पर्याप्त होगी क्योंकि जन सहयोग से भी राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करने की सरकार की नीति है।

महाविद्यालय खोलने की नीति :

1. नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित मापदण्ड हैं। इन मानदण्डों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाती है। निम्न परिस्थितियों में शिथिलता दी जा सकती है : —

(अ) भौगोलिक कारण

(ख) महिला महाविद्यालय

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(ग) रोजगारोन्मुखी विषय

2. राज्य सरकार अपने संसाधनों को देखते हुए क्षेत्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नवीन महाविद्यालय के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थानों पर वार्षिक योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करती है। इस नीति के अन्तर्गत भी महाविद्यालय का भवन प्रस्तावित स्थान में जन सहयोग से ही निर्मित कराया जाता है।

3. यदि कोई दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय खोलना चाहे तो उसे महाविद्यालय का भवन बनाने तथा 3 वर्षों/महिला महाविद्यालय है तो। वर्ष का आवर्ती एवं अनावर्ती राजस्व व्यय राजकीय कोष में जमा कराने पर राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है। महाविद्यालय के भवन का निर्माण निदेशालय, कालेज शिक्षा, जयपुर द्वारा निर्धारित नक्शे के आधार पर कराया जायेगा।

4. प्रस्तावित महाविद्यालय में कम से कम 250 छात्र होना आवश्यक है जिससे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।

वर्तमान नीति :

1. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर बहु संकायी शिक्षा की व्यवस्था होना आवश्यक है।

2. प्रत्येक जिले में एक पृथक महिला महाविद्यालय होना चाहिए।

3. नये महाविद्यालय के लिये भवन निर्माण करने एवं एक वर्ष का आवर्ती/अनावर्ती व्यय दानदाता/स्वयंसेवी संस्था राजकीय कोष में जमा कराना चाहे वहां महिला महाविद्यालय खोलने को विभागीय आंकलन कर प्राथमिकता दी जावे।

4. निजी क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करना

1. निजी क्षेत्र में गैर सरकारी महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए सम्बन्धित दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय आरम्भ करने का निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करता है।

2. निदेशालय द्वारा प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण कराया जाता है यदि महाविद्यालय प्रारम्भ करने के सभी मानदण्ड पूरे करता है तो इसकी अनुशंसा राज्य सरकार को की जाती है।

3. राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित स्थान पर महाविद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में निर्णय लेती है।

4. निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार जारी करती है।

पी.एम.टी. में आरक्षण का लाभ

510. डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(डा. करण सिंह यादव)

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति को पी. एम. टी. के प्रवेश में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है ?

(2) क्या नौकरियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 16 व 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ? यदि हां, तो पी.एम.टी. प्रवेश में 8 व 6 प्रतिशत आरक्षण क्यों दिया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को रोजगारपरक कोर्सों के प्रवेश में आरक्षण देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु पी.एम.टी. में क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत आरक्षण का वर्तमान में प्रावधान है।

(2) जी हां। नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दिये जा रहे क्रमशः 16% एवं 12% आरक्षण को पी.एम.टी. में प्रवेश हेतु आरक्षण का आधार नहीं माना जाता क्योंकि राजकीय सेवाओं में स्थान काफी कम होते हैं जबकि पी.एम.टी. में स्थानों की संख्या अधिक होती है।

(3) वर्तमान में रोजगारपरक कोर्सों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। रोजगारपरक कोर्सों यथाः पी.एम.टी., इंजीनियरिंग आदि में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

राज्य में प्राइवेट चिकित्सकों को प्रशिक्षण का प्रकरण

511. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान जयपुर ने दिनांक 17 से 22 अगस्त, 1998 तक प्राइवेट चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित किया था ? यदि हां,तो किस नियम अथवा राज्यादेश के अंतर्गत और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के रजिस्ट्रार नें प्रशिक्षण हेतु जो नियम बनाकर अपने पत्र के साथ सरकार को भेजे इनमें यह स्पष्ट किया गया था कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान द्वारा पंजीकृत चिकित्सक जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सूची की योग्यता रखते हैं, उन चिकित्सकों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जायेगा ?

(3) उक्त प्रशिक्षण हेतु किन-किन चिकित्सकों का चयन किया गया और किस प्रकार से ? क्या वे उक्त बोर्ड से पंजीकृत और राजस्थान में चिकित्सा समभ्यास करने को अधिकृत थे ?

(4) क्या उक्त प्रशिक्षण में अनेक गंभीर अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और उसके लिये कौन दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त प्रशिक्षण के प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगाकर उक्त प्रकरण की जांच कराई है? यदि हां, तो क्यों ? उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? नियम/राज्यादेश एवं संबंधित समस्त पत्राचार की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बोर्ड बैठक दिनांक 20.7.98 के विचारित विषय सं. 4 में लिये गये निर्णय की पालना में यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। यह प्रशिक्षण प्राइवेट चिकित्सकों के ज्ञानवर्धन हेतु उन्हें नवीन अनुसंधान की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

(2) रजिस्ट्रार, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसन, राजस्थान, जयपुर ने लिखा था कि प्रशिक्षण केवल सी.सी.आई.एम. से मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा रजिस्टर्ड वैध, हकीम को ही दिया जायेगा।

(3) अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् चित्तौड़ द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के 23 चिकित्सकों का चयन इस प्रशिक्षण हेतु किया गया जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रशिक्षण में 18 चिकित्सकों ने ही भाग लिया इन 18 चिकित्सकों में से 4 चिकित्सक राजस्थान में पंजीकृत हैं शेष 14 अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं जो कि राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 61 एवं आनियम 1998 के अध्याय 7 आनियम 67 के अनुसार राज्य में चिकित्सा करने हेतु अधिकृत नहीं हैं।

(4) की गई अनियमितताओं की जांच विचाराधीन है।

(5) जी हां। जांच राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट "अ"

आयुर्वेद चिकित्सक परिषद

जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रशिक्षणार्थियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता
1.	वैद्य एजाज रहमान	नूर महल निम्बाहेड़ा
2.	वैद्य ओमप्रकाश महात्मा	सत्येश चिकित्सालय कपासन
3.	वैद्य मुबारक हुसैन	निम्बाहेड़ा
4.	वैद्य अरुण कुमार वाला	मेडी का खेड़ा
5.	वैद्य एम. ए. शेख	किला रोड़ चित्तौड़गढ़
6.	वैद्य जमीलुद्दीन	निम्बाहेड़ा
7.	वैद्य सुभाष चन्द्र मेहता	चन्देरिया
8.	वैद्य मो. शहजाद	सावा चित्तौड़गढ़
9.	वैद्य इकबाल हुसैन	शम्भुपुरा, चित्तौड़गढ़
10.	वैद्य गोपाल महात्मा	डुगला चित्तौड़गढ़
11.	वैद्य संजीत कुमार	निम्बाहेड़ा
12.	वैद्य परितोष सिन्हा	निम्बाहेड़ा
13.	वैद्य कुशालपाल सिंह	घोसूण्डा, चित्तौड़गढ़
14.	वैद्य जफर एहमद खान	बिनोता, चित्तौड़गढ़
15.	वैद्य बी.जी. थोमस	खोडीप चित्तौड़गढ़
16.	वैद्य नरेन्द्र सालेचा	निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़
17.	वैद्य नरेन्द्र महात्मा	चित्तौड़गढ़ "
18.	वैद्य हरीश भटनागर	चित्तौड़गढ़ "
19.	वैद्य ईशाक मो. नागोरी	चित्तौड़गढ़ "
20.	वैद्य ब्रज कुमार पयानी	छोटी सादड़ी "

ह.

प्रमाणित

अध्यक्ष

आयुर्वेद चिकित्सक परिषद
जिला—चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : दिनांक : 17.8.98

श्रीमान् रजिस्ट्रार

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन

राजस्थान जयपुर।

विषय : प्रशिक्षणार्थियों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि निम्न सदस्य भी दि. 17-8-98 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे।

1. मोहम्मद रियाज खान—सावा
2. सन्तोष महात्मा—जलोदा
3. हरीश महात्मा—कानोड़

धन्यवाद। ह.

अध्यक्ष

भारत-पाकिस्तान सीमा तारबंदी में आई कृषि भूमि

512. श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जो तारबन्दी की गई है उसके अन्दर काश्तकारों की जमीन आई हुई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषकों को अपने कृषि कार्यों हेतु इसमें भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके समाधान के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य के तीन सीमावर्ती जिलों में यथा बाड़मेर, बीकानेर एवं श्री गंगानगर में तारबन्दी के अन्दर काश्तकारों की जमीनें आई हैं। जैसलमेर में जो कि सीमावर्ती जिला है, काश्तकारों की जमीने तारबन्दी में नहीं आई हैं।

(2) जी हां। कृषकों को तारबन्दी के दूसरी तरफ अपनी भूमि पर प्रवेश करने के लिए बी.एस.एफ. के प्रभारी से अनुमति पास बनवाना पड़ता है। यह अनुमति दिन के समय के लिए ही दी जाती है। रात्री के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनुमति नहीं दी जाती है।

खासा कोठी के बिलों की बकाया राशि का माफी प्रकरण

513. श्री यशवन्त सिंह (नदबई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) फरवरी 1999 तक किन-किन आगन्तुकों के नाम खासाकोठी के बिलों की राशि कब-कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि फरवरी, 1999 के बाद कतिपय व्यक्तियों की राशि माफी की गई है ? यदि हां, तो किन-किन के बिलों की राशि माफ की गई ? सूची मय नाम व बिलों की माफ राशि के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. की इकाई होटल खासा कोठी, जयपुर की माह फरवरी, 1999 तक आगन्तुकों के नाम की बकाया की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. की इकाई होटल खासा कोठी, जयपुर की उधार (बकाया) राशि में से किसी भी कतिपय व्यक्ति की बकाया राशि को अपलिखित (माफ) नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

514. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या काली सिंध बांध सपोटरा की वेस्ट वेयर रेंज करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो जो गांव तथा कृषि भूमि डूब में

(श्रीमती कमला बृजलाल)

आयेगी उसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर बांध विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में हैं ? क्या बांधों द्वारा सरकार को राजस्व सपोटरा से अधिक प्राप्त होता है ?

(3) क्या बांधों की संख्या व राजस्व आय को मद्देनजर रखते हुए सरकार सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विश्व बैंक रेमेडियल मेजर में अन्य कार्यों के साथ कालीसिंध बांध को ऊँचा करने का भी प्रस्ताव है। इस बांध को ऊंचा करने पर जो भूमि डूब में आयेगी, उसका विधिवत मुआवजा दे दिया जायेगा।

(2) जी हां, विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सिंचाई विभाग के 20 बांध हैं। इन बांधों द्वारा जिला करौली से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में राजस्व भी अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है।

(3) जी नहीं, वर्तमान में सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित बांधों का प्रशासनिक नियंत्रण उपखण्ड करौली के अधीनस्थ है। इन बांधों में से अधिकांश सपोटरा की अपेक्षा करौली से कम दूरी पर स्थित है। अतः प्रशासनिक दृष्टि से इस उपखण्ड से ही इनका नियंत्रण किया जा रहा है व अन्य उपखण्ड खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

तहसील रूपवास की पेयजल योजना

515. श्री निर्भयलाल (रूपवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में कितनी नलकूप योजनाएं चल रही हैं इनकी कब-कब शुरूआत हुई और इनको सुचारू रूप से चलाने का क्या प्रावधान है ?

(2) क्या उक्त जिले के रूपवास तहसील में खारे पानी का परीक्षण करवाया एवं मीठे पानी की क्या व्यवस्था रही है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में 75 नलकूप योजनाएं चल रही हैं। विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है। इन सभी योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।

(2) जी हां। रूपवास तहसील में खारे पानी के गांवों का विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शाया गया है। इन ग्रामों हेतु वांछित गुणवत्ता का स्रोत चिन्हित होने पर पेयजल योजना बनाई जा सकेगी।

प्रपत्र "अ"

जिला भरतपुर में चालू नलकूप योजनाओं की सूची

क्र.सं.	तहसील	योजना का नाम	योजना चालू करने का वर्ष
1	2	3	4
1.	भरतपुर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, महुआ-सिनपिनी	85-86
2.	–"–	–"– बासी कलां-बसुआ	88-89
3.	–"–	–"– बहनेरा सुनारी	83-84
4.	–"–	–"– सकलपुरा-नगलाखूटेला	92-93
5.	–"–	पाइप्ड जलप्रदाय योजना, जघीना	88-89
6.	कुम्हेर	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, करऊंआ-गुनसारा	77-78
7.	–"–	–"– जघीनामौरोली खुर्द	78-79
8.	वैर	पाइप्ड जलप्रदाय योजना, पथेना	63-64
9.	–"–	–"– हलैना	86-87
10.	–"–	क्षेत्रीय जल योजना, समराया भगोरा	92-93
11.	–"–	–"– उमरे त्यौहारी	92-93
12.	–"–	–"– लखनपुर-खैरां	92-93
13.	–"–	–"– बारौली शाहपुर	87-88
14.	–"–	–"– रामनगर-न्यामतपुर	87-88
15.	–"–	–"– सुहारी-कोटकी	91-92
16.	–"–	–"– खटराया-नवलुपुर	87-88
17.	–"–	–"– पनघट योजना सीता	88-89
18.	–"–	–"– सलेमपुर-खुर्द	86-87
19.	–"–	–"– निठार	86-87
20.	–"–	पनघट योजना, सलेमपुर कलां	91-92
21.	–"–	–"– वल्लभगढ़	90-91
22.	–"–	–"– जहाज	90-91
23.	–"–	–"– रायपुर	97-98
24.	–"–	–"– इटामदा	98-99

1	2	3		4
25.	वैर	पनघट योजना सरसेना		92-93
26.	–"–	–"–	जगजीवनपुर	92-93
27.	–"–	–"–	हथौड़ी	92-93
28.	–"–	–"–	अलीपुर	91-92
29.	–"–	–"–	बवेसर	91-92
30.	–"–	–"–	कालाहार	91-92
31.	बयाना	पाइप योजना, ब्रहमबाद		81-82
32.	–"–	क्षेत्रीय जल योजना, बरखेडा-बामरी		82-83
33.	–"–	–"–	पनघट योजना, फरसो	87-88
34.	–"–	–"–	खटनावली	88-89
35.	–"–	–"–	कनावर	88-89
36.	–"–	–"–	खरेरी	87-88
37.	–"–	–"–	बागरेन	87-88
38.	–"–	–"–	समोगर	85-86
39.	–"–	–"–	बिडयारी	83-84
40.	–"–	–"–	सिकदरा	92-93
41.	–"–	–"–	सिंघाडा	98-99
42.	रूपवास	क्षेत्रीय जल योजना, उच्चैन-फतेहपुर		79-80
43.	–"–	–"–	हाडौती कुन्देर	92-93
44.	–"–	पनघट योजना दौलतगढ़		94-95
45.	–"–	–"–	खानवा	85-86
46.	–"–	–"–	महलपुर काछी	1992
47.	–"–	–"–	हुमरिया	1986
48.	–"–	–"–	जोलरोली	86-87
49.	–"–	–"–	इब्राहिमपुर	1998
50.	–"–	–"–	खानसुरजापुर	1998
51.	–"–	पाईप्ड योजना रूदावल		80-81

1	2	3	4
52.	रूपवास	पाईप योजना रूपवास	1967
53.	–"–	पनघट योजना पिचूना	1983
54.	नदबई	शहरी योजना नदबई	1976
55.	–"–	क्षेत्रीय योजना, हत्ताखोटैन खुर्द	1987
56.	–"–	पनघट योजना पीगोंरा	1992
57.	नगर	शहरी योजना नगर	64-65
58.	–"–	पाईप्ड योजना सुन्दरावली	1988
59.	–"–	पाईप्ड योजना सीकरी	64-65
60.	–"–	क्षेत्रीय योजना सैमलाबूचा का	1989
61.	–"–	–"– रानीता मोराका	1990
62.	–"–	पनघट योजना सैमाली	1997
63.	डीग	शहरी योजना डीग	72-73
64.	–"–	पाईप्ड योजना सिनसिनी	81-82
65.	–"–	टी.एस.एस. परमदरा	96-97
66.	–"–	–"– नारायण कट्टा	97-98
67.	–"–	क्षेत्रीय योजना बद्री	94-95
68.	–"–	–"– डहरापसोपा खोड	85-86
69.	–"–	–"– परमदरा न. हरसुख	88-89
70.	कामां	–"– सतवाडी समसुलका	86-87
71.	–"–	पी.एण्ड.टी. योजना विलोंद	98-99
72.	–"–	शहरी योजना कामां	1991
73.	–"–	क्षेत्रीय जल योजना, सुहसरवोल खेड़ा	91-92
74.	–"–	पाईप्ड योजना भोपालगढ़	97-98
75.	–"–	–"– पहाड़ी	1987

प्रपत्र "ब"

रूपवास तहसील के खारे पानी के गाँवों का विवरण

क्र.सं.	तहसील	खारे पानी के काम का नाम	आबादी वर्ष 1991	विशेष विवरण
1.	रूपवास	नगला जीजा	723	भूजल वैज्ञानिक द्वारा स्रोत का निर्धारण करने के उपरांत जल योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
2.	–"–	नगरा सेहरियामाफी	795	"
3.	–"–	घना	1217	"
4.	–"–	न. पछावरा	233	"
5.	–"–	ओडेन जाट	626	"
6.	–"–	माउन्ड्री	972	प्रस्ताव रु. 6.46 लाख के स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
7.	–"–	देवरी	725	भूजल वैज्ञानिक द्वारा स्रोत का निर्धारण करने के पश्चात् जल योजना के प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
8.	–"–	सहना	1601	"
9.	–"–	कसेरी	1135	"
10.	–"–	मायढोली	871	"
11.	–"–	रारेखपुरा	1457	प्रस्ताव रु. 9.05 लाख के स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
12.	–"–	अंधीयारी	1374	प्रस्ताव रु. 9.67 लाख के स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

भाखड़ा/गंगनहर की आवासीय कालोनियों को पेयजल

516. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग की भाखड़ा नहर, गंगनहर की आवासीय कालोनीज में क्या खाली भूमि पर कृषि होती है ? यदि हां, तो कितना क्षेत्र कृषि के अधीन है ? कालोनीवार कृषि अधीन रकबे की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कालोनियों में कृषि भूमि को नहरों से पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो उसका वितरण नियंत्रण कैसे होता है ?

(3) उक्त आवासीय कालोनियों के कृषि क्षेत्र के लिए कितना पानी किस आधार पर दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। गंगनहर की कालोनी में 77.03 बीघा एवं भाखड़ा नहर की कालोनी में 149.01 बीघा क्षेत्र कृषि के अधीन है। गंगनहर और भांखड़ा नहर की आवासीय कालोनी में खाली कृषि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। पानी का वितरण रकबे के क्षेत्र के अनुसार बारी से दिया जाता है एवं नियंत्रण अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाता है।

(3) भांखड़ा नहर एवं गंग कैनाल में वाटर अलाउन्स की स्वीकृत दर क्रमशः 2.4 एवं 2.56 क्यूसैक्स प्रति हजार एकड़ की दर से पानी दिया जाता है।

प्रपत्र "क"

भांखड़ा नहर प्रणाली की आवासीय कालोनियों की खाली पड़ी भूमि का विवरण जिसमें सब्जियों, हरा चारा आदि की कृषि है

क्र.सं.	आवासीय कालोनी का नाम	क्षेत्र (बीघों में)
1.	सादुलशहर	4.00
2.	खाट	2.00
3.	संतपुरा	3.00
4.	हाक्मावाद	2.00
5.	संगरिया	6.00
6.	ढाबा	4.00
7.	धोलीपाल	4.00
8.	सुन्दरपुरा	4.00
9.	हनुमानगढ़ जं.	64.00
10.	भोलेवाला	11.00
11.	पक्कासहारना	8.00
12.	गुड़िया	7.00
13.	सूरेवाला	6.00
14.	मानकसर	5.00
15.	पीलीबंगा	10.00
16.	सरदारपुरा	3.00
17.	करनोसर	1.05
18.	छानी	5.05
	कुल	149.10 बीघा

प्रपत्र "ख"

गंगनहर की आवासीय कालोनियों में योग्य भूमि की सूची

क्र.सं.	कालोनी का नाम	कृषि क्षेत्र बीघा/बिस्वा
1.	चूनागढ़ कोठी	4.00
2.	कमीलपुरा	8.00
3.	पाबूसर कोठी	5.08
4.	घूड्डाला	15.00
5.	फकीरवाली	7.10
6.	रायसिंहनगर	2.10
7.	संगराना हैड	2.10
8.	नेतेवाला	10.00
9.	सुलेमान की हैड	10.05
10.	जैतसर कालोनी	4.00
11.	डाबला हैड	2.00
12.	रामसिंह पुर	2.00
13.	चक नानूवाला	2.00
14.	श्री विजयनगर कॉलोनी	2.00
	कुल	77.03
		77 बीघा 3 बिस्वा

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आकोली (जालौर) का क्रमोन्नयन

517. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जिला जालोर की तहसील जालोर में राजकीय उच्च प्राथमिकता विद्यालय आकोली है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय किस वर्ष में क्रमोन्नत हुआ ?

(2) विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार इस विद्यालय को वर्ष 1999-2000 में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त विद्यालय 1960 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ।

(2) सभी मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया जा सका।

(3) वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। आकोली के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकेगा।

कल्याण महाविद्यालय सीकर

518. श्री अमराराम (धोद) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्तमान में अध्ययनरत सीकर के कल्याण महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं ?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय में कक्षों की मात्रा पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

(3) क्या छात्र संख्या को देखते हुए सरकार अलग कला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

(4) क्या उक्त महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को माह फरवरी, 1999 तक की छात्रवृति मिल चुकी है ?

(5) क्या उक्त महाविद्यालय में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र 1998-99 में श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर में 4730 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए सीकर में वर्तमान में अलग से कला महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

(4) जी नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

(5) जी हां।

राजस्थान सेवा नियमों में आंशिक संशोधन

519. श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री भंवर सिंह)

(1) क्या राज्य सरकार ने दिनांक 2 फ़रवरी, 1971 को राजस्थान राज पत्र दिनांक 28, दिसम्बर, 1972 भाग 4 (ग) जी. एस. आर. 430 संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत क्रमांक एफ. 1 (4) एफ. डी. रूल्स/169 द्वारा राजस्थान सेवा नियम (संशोधन) नियम, 1971 नवीन नियम 35 (बी) नियम 35 के पश्चात् निर्माण करके सेवा नियमों में शामिल किये गये थे ?

(2) क्या उक्त नियम वर्तमान में भी प्रभावशील है ? यदि हां, तो 28 दिसम्बर, 1972 के पश्चात् राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी (नियुक्ति अधिकारी) के ध्यान में स्वतः कितने मामले ध्यान में आये अथवा लाये गये, उनमें कितने मामलों का निपटारा किया गया तथा कितने मामले शेष रहे अथवा खारिज किये गये ?

(3) उक्त नियमों के अन्तर्गत कितने मामले सेवारत रहते हुए कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार/नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत किये गये तथा उन पर समुचित विचार नहीं करने के कारण स्वेच्छा से या अनिवार्य सेवा निवृत्ति होने का विचाराधीन रहे ?

(4) सेवा निवृत्त कर्मचारी जो सेवा में रहते हुये भी अपने मामलों का निराकरण नहीं करवा सके, क्या उन पर अब विचार किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वांछित सूचना वर्ष 28-12-1972 से चाही गई है जिसे व्यावहारिक तौर पर उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

(3) वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना व्यावहारिक नहीं है। प्रकरण विशेष यदि ध्यान में लाया जाता है तो जांच की जा सकती है।

(4) जिन मामलों में कर्मचारियों ने सेवा में रहते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये और सेवा निवृत्ति तक जो प्रकरण निस्तारित नहीं हुए, वे सेवा निवृत्ति के बाद भी निस्तारित किये जा सकते हैं।

धौलपुर क्षेत्र में देवस्थान विभाग की सम्पत्तियां

520. श्री शिवराम (धौलपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

धौलपुर में देवस्थान विभाग की कौन-कौनसी सम्पत्ति है ? सरकार ने इसकी देखभाल के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

धौलपुर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 7 मन्दिर हैं व उनके साथ उनकी अचल संपदा के रूप में निजी मंदिर, मंदिर परिसर स्थित है। विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है। इनकी देखभाल के लिये निम्नानुसार कर्मचारियों के पद सृजित है : —

1.	निरीक्षक	1
2.	कनिष्ठ लिपिक	1

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

3. सेवागीर (प्रहरी) 5

इसके अतिरिक्त राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के 21 मंदिर है। इन मंदिरों की व्यवस्था संबंधित सुपुर्दगार द्वारा की जाती है और उनके द्वारा ही मंदिर से होने वाली आय प्राप्त की जाती है तथा व्यय भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था तत्कालीन रियासत के समय से चली आ रही है। विवरण परिशिष्ट-11 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट-1

धौलपुर स्थित देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर व उसकी सम्पत्ति का विवरण

क्र. संख्या	नाम मंदिर मय पता	संपत्ति का विवरण
(1)	मंदिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी छावनी धौलपुर	निज मंदिर, मंदिर परिसर
(2)	मंदिर श्री हनुमानजी, पुरानी छावनी धौलपुर	निज मंदिर, मंदिर परिसर
(3)	मंदिर श्री गंगाजी, पुरानी छावनी धौलपुर	निज मंदिर, मंदिर परिसर
(4)	मंदिर श्री राधा बिहारी जी, महलो के पास चिड़िया खाना, कोठी मोहल्ला	निज मंदिर, मंदिर परिसर
(5)	मंदिर श्री नृसिंह जी, ड्योढ़ी तोपखाना के पास, नृसिंह बाग	निज मंदिर, मंदिर परिसर
(6)	मंदिर श्री महादेवजी, बगिया, नृसिंह रोड़	निज मंदिर, मंदिर परिसर
(7)	मंदिर श्री हनुमानजी, किला शेरगढ़	निज मंदिर, मंदिर परिसर

परिशिष्ट-2

देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित राजकीय सुपुर्दगी मंदिरों की सूची

जिला—धौलपुर

क्रमांक	नाम मंदिर एवं संस्थान	पता	स्थान	जिला
1	2	3	4	5
1.	मंदिर श्री काली माईजी	मोहल्ला बजरिया	धौलपुर	धौलपुर
2.	मंदिर श्री हनुमान जी	कचहरी	धौलपुर	धौलपुर
3.	मंदिर श्री रघुनाथजी व हनुमान जी	गंगाबाई बगीची, पुराना शहर	धौलपुर	धौलपुर
4.	मंदिर श्री ब्रजमोहनजी	मोहल्ला चौपड़ा	धौलपुर	धौलपुर
5.	मंदिर श्री देवीजी	मौहल्ला चौपड़ा	धौलपुर	धौलपुर
6.	मंदिर श्री लाडले जगमोहनजी	मोहल्ला धूलकोट	धौलपुर	धौलपुर
7.	मंदिर श्री रंगाजी	भामा सा. की कोठी	धौलपुर	धौलपुर
8.	मंदिर श्री हनुमानजी	भामा सा. की कोठी	धौलपुर	धौलपुर
9.	मंदिर श्री देवीजीराज राजेश्वरीजी	यज्ञ शाला नृसिंह बाग	धौलपुर	धौलपुर
10.	मंदिर श्री मुरली मनोहरजी	मचकुण्ड	धौलपुर	धौलपुर
11.	मंदिर श्री मदन मोहनजी रानी गुरु	मचकुण्ड	धौलपुर	धौलपुर
12.	मंदिर श्री जगन्नाथजी	मचकुण्ड	धौलपुर	धौलपुर
13.	मंदिर श्री लाडले जगमोहनजी	मचकुण्ड	धौलपुर	धौलपुर
14.	मंदिर श्री मुरली मनोहरजी	खोड़	ग्राम खोड़ तह. धौलपुर	धौलपुर
15.	मंदिर श्री रघुनाथजी	तह. कार्यालय बसेड़ी	बसेड़ी	धौलपुर
16.	मंदिर श्री रामचन्द्रजी	बाड़ी	बाड़ी	धौलपुर
17.	श्री महादेवजी व हनुमानजी	गंगाबाई की बगीची पुराना शहर	धौलपुर	धौलपुर
18.	मंदिर श्री लाडले जगमोहनजी	महाराज बाग बाड़ी	बाड़ी	धौलपुर
19.	मंदिर श्री लाडले जगमोहनजी	तह. कार्यालय सेपऊ	सेपऊ	धौलपुर
20.	मंदिर श्री महादेवजी जगमोहनजी	नदी के पास	सेपऊ	धौलपुर
21.	मंदिर श्री रामचन्द्रजी	तह. कार्यालय राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	धौलपुर

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-623 का विवरण)

धौलपुर शहर की पुनर्गठित योजना में स्वीकृत कार्य

प्रपत्र "अ"

क्र.सं.	स्वीकृति का विवरण	मात्रा	स्थान	कार्य की वर्तमान स्थिति विशेष विवरण
1.	भूतल जलाशय	960 कि. लीटर	सागर पाडा धौलपुर	कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।
2.	फिल्टर प्लांट	9600 कि. लीटर प्रतिदिन	सागर पाडा धौलपुर	4/99 में निविदा आमंत्रित है।
3.	उच्च जलाशय	1100 कि. लीटर	पुराना शहर	कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।
4.	उच्च जलाशय	600 कि. लीटर	मित्तल कालोनी	5/99 में निविदा आमंत्रित है।
5.	उच्च जलाशय	400 कि. लीटर	जिरोली	5/99 में निविदा आमंत्रित है।
6.	विभिन्न साईज की पाईप लाईन का कार्य			
	(अ) राईजिंग मैन	10800 मीटर	1. सागरपाडा के जारजरीना 2. चम्बल से सागर पाडा 3. सागर पाडा से गुलाब बाग 4. गुलाब बाग से जिरोली 5. गुलाब बाग से मित्तल कालोनी 6. वाटर वर्क्स से महाराना	2000 मीटर पाईप लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।
	(ब) डिस्ट्रीब्यूशन मैन	32455 मीटर	धौलपुर शहर में विभिन्न मौहल्लों में	2600 मीटर पाईप लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।
7.	जमीन अवाप्ति का कार्य	12 बीघा	धौलपुर टोल टैक्स के पास	कार्य पूर्ण हो चुका है।
8.	सिविल वर्क 1. पम्प हाउस	1	सागर पाडा	तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही की जा रही है।
	2. अधि. अधि. कार्यालय	1	सागर पाडा	
	3. कनिष्ठ अभियंता कार्यालय	1	सागर पाडा	
	4. कर्मचारी आवास	2	सागर पाडा	

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-627 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1997 से मार्च 1999 तक अनुबन्ध पर रखे गये वाहन चालकों की सूचना

वाहन संख्या आर जे-27-सी-1507 :

क्र.सं.	नाम वाहन चालक	अवधि	हटाये जाने के कारण
1.	श्री मोईनुद्दीन (सेवा निवृत्त)	2-12-96 से 18-1-97	त्याग पत्र दिये जाने के कारण
2.	श्री अब्दुल सलील (सेवा निवृत्त)	15-2-97 से 31-3-97 तक 16-9-97 से 12-12-97 तक	
3.	श्री ताहिर हुसैन	24-2-97 से 12-9-97	
4.	श्री अब्दुल शकूर (सेवा निवृत्त)	1-4-97 से 1-5-97	
5.	श्री सतानन्द शर्मा	11-11-97 से 28-2-90	अनुबन्ध समाप्त होने के कारण।
6.	श्री बंशीलाल शर्मा (सेवा निवृत्त)	16-3-98 से 15-10-98	लगातार अनुपस्थित होने के कारण

वाहन संख्या आर जे-27-सी 1507 माह नवम्बर 1998 में जोधपुर स्थानान्तरित की गई।

वाहन संख्या आर जे-27-सी 1643 :

1.	श्री इसाक खां	1-1-97 से 23-6-97	अनुबन्ध समाप्त होने के कारण
2.	श्री समीम अहमद	23-7-97 से 2-9-97	लगातार अनुपस्थित रहने के कारण।
3.	श्री मोहम्मद सलीम	12-9-97 से 23-11-97	
4.	श्री हबीब खां	21-3-98 से 30-9-98	अनुबन्ध समाप्त होने के कारण
5.	श्री अब्दुल शकूर (सेवानिवृत्त)	15-10-98 से लगातार	

परिशिष्ट-अ

परिशिष्ट-5
(अतारांकित प्रश्न संख्या-630 का विवरण/सूचना)

क्र.सं.	मु. नं. ता कायमी धारा	नाम परिवादी	विवरण मुकदमा	नाम पता मुलजिमान	नतीजा
1	2	3	4	5	6
1.	14/90/18.2.90 धारा-341, 323, 34 भा. दं. स. थाना उनियारा	श्री तेजसिंह पुत्र हुनमान सिंह बड़वा नि. ककोड	मुलजिमान ने मुस्त. को रोककर मारपीट कर मजरूब किया	1. श्री हरक चन्द पुत्र फोजमल जैन 2. श्री शंकरलाल पुत्र रणजीत मल जैन 3. श्री महावीर पुत्र रणजीतमल जैन 4. श्री महावीर पुत्र रणजीत मल जैन सकनाय ककोड़ थारना बनेठा	चार्जशीट नं. 9 पेश कोर्ट 28.2.90, 23.2.90
2.	100/98/25.10.96 448, 435 भा.दं. स. थाना बनेठा	श्री बद्रीलाल पुत्र श्यो चन्दा खाती नि. ककोड	मुलजिमान ने मुस्त. के बाड़े में घुसकर आग लगा दी।	1. श्री हरक चन्द वगेरह 4 कस पुत्र फोजमल जैन	एफ. आर. न. 31 17.12.96, बसिगे अदम वकू सिविल नेचर
3.	26/97/13.4.97 341, 323, भा.दं.स. थाना बनेठा	श्री फकरूद्दीन पुत्र नसरूद्दीन मुसलमान नि: ककोड	मुलजिमान ने एक राय होकर मुस्त. को रोककर मकान में प्रवेश कर, लाठियों से मारपीट कर मजरूब किया व गाली गलोच की।	1. श्री छीतर पुत्र माधो खटीक नि. ककोड इस मुकदमें की एफ.आई.आर. श्री हरक चंद का नाम था, परन्तु तफतीश से इसके खिलाफ जुर्म नहीं पाया गया।	चार्जशीट नं. 24 7.6.97 पेश कोर्ट दिनांक 2.7.97

1	2	3	4	5	6
4.	59/97/17.8.97 341, 323 भा.दं.स. थाना बनेठा	श्री दुर्गालाल पुत्र धूली लाल ब्राह्मण नि. ककोड	मुलजिमानों ने एक राय होकर पोस्ट ऑफिस पर आकर मारपीट कर चोटे पहुँचायी।	1. मुकेश पुत्र मूलचन्द जैन 2. संदीप पुत्र मूलचंद जैन सकनाय ककोड इस मुकदमें की एफ.आई.आर. में श्री हरकचंद का नाम था, परन्तु तफतीश में इसके खिलाफ जुर्म साबित नहीं होने से नाम पृथक किया गया।	चार्ज शीट नं. 46 31.8.97 पेश कोर्ट दि. 19.9.97
5.	33/98/13.4.98 347, 323 354 भा. दं. स. 3 (1), (10) एससी/एसटी एक्ट थाना बनेठा	श्री मेवाराम पुत्र ग्यारसीलाल बैरवा नि. ककोड	मुलजिमान ने मुस्त. के मकान पर आकर थाप मुक्कों व लकड़ी से मारपीट की, मेरी माँ छुड़ाने आयी तो गाली गलोच, निकाली, जाति सूचक शब्द कहे, बेइज्जती की।	1. श्री हरक चंद वगेरह 3 कस	एफ. आर. नं. 35/12.8.98 अदम वकू झूठ
6.	18/96/7.3.96 धारा-147, 341, 323, 427, 336 भा. दं. स. थाना बनेठा	श्री बाबूलाल पुत्र रघुनाथ माली नि. कूसूलपुरा थाना मेहन्दवास	मुलजिमान ने एक राय होकर मुस्त. व ट्रक में बैठे अन्य लोगों के साथ मारपीट की व ट्रक के कांच तोड़कर नुकसान किया।	1. श्री हरक चन्द पुत्र फोजमल जैन नि. ककोड वगेरह 7 कस	चार्जशीट नं. 18 18.5.96 पेश कोर्ट 10.6.96

1	2	3	4	5	6
7.	78/98/29.7.98 147, 452, 323, भा. दं.स. व 3 (1), (10) एससी/एसटी एक्ट थाना बनेठा	श्री मेवाराम पुत्र ग्यारसी लाल बैरवा नि. ककोड	मुलजिमान ने एक राय होकर मुस्तगीस के घर आकर थाप मुक्को से मारपीट व डेढ चमार कहा।	1. श्री हरक चन्द पुत्र फोजमल जैन वगेरह 8 कस	एफ. आर. नं. 49 30.11.98 अदम वकू झूठ
8.	81/98/29.7.98 341, 323, भा.दं.स. थाना बनेठा	श्री खेमराज पुत्र बृजमोहन ब्राह्मण नि. ककोड	मुलजिमान ने मुस्तगीस को मकान से बाहर निकाल कर रोककर पकड़कर मारपीट कर चोटे पहुँचायी।	1. श्री हरक चंद जैन पुत्र फोजमल जैन नि. ककोड वगेरह 3 कस	चार्ज शीट नं. 50 31.8.98 पेश कोर्ट दि. 7.9.98
9.	83/98/30.7.98 147, 149, 324, 323 भा.दं.स. थाना बनेठा	श्री अनिल कुमार पुत्र शिवप्रसाद कुर्मी नि. ककोड	मुलजिमानों ने एक राय होकर मकान मुस्तगीस में प्रवेश कर लकड़ियों से मारपीट कर मजरूब किया।	1. श्री हरक चन्द जैन पुत्र फोजमल नि. ककोड वगेरह 5 कस	चार्जशीट नं. 47 23.8.98 पेश कोर्ट 7.9.98
10.	139/98/प. 7.12.98 147, 447, 435, 379, 504, 341 भा.दं.स. थाना बनेठा	श्री देवकीनंद पुत्र रूपनारायण शर्मा नि. ककोड	मुलजिमानों ने एक राय होकर मुस्तगीस के बाडे की किवाडी तोड़कर जानवर भगाकर सामान ले गये व चारे में आग लगा दी, व रिपोर्ट करने नहीं आने दिया।	1. सरपंच ग्राम पंचायत ककोड वगेरह 20-25 आदमी ग्रामी ककोड	एफ. आर. नं. 1 30.1.99, अदम वकु सिविल नेचर

1	2	3	4	5	6
11.	143/98/10.12.98 341, 323, 504, भा.दं.स. एवम् 3(1), (10) एससी/एसटी एक्ट थाना बनेठा	श्री भैरूलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति कोली नि. ककोड	मुलजिमानो ने मुस्तगीस को आम रास्ते में जाते हुए को रोकर मारपीट की व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।	1. श्री हरक चन्द पुत्र फोजमल जैन दि. 2.4.99 को गिरफ्तार किया जा चुका है। (मुकदर्मे का शीघ्र निस्तारण किया जावेगा।)	वृत्ताधिकारी उनियारा द्वारा तफ्तीश जारी है।
12.	9/99/22.1.99 341, 323 भा.दं.स. थाना बनेठा	श्री देवकीनंदन पुत्र रूपनारायण शर्मा नि. ककोड	मुलजिमान ने मुस्तगीस को रास्ता आम में रोककर थाप मुक्कों से मारपीट की।	1. श्री हरक चन्द पुत्र फोजमल जैन नि. ककोड	चार्जशीट नं. 13 25.2.99 पेश कोर्ट 27.2.99
13.	25/90/22.2.99 143, 341, 323 भा.दं.स., 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट थाना बनेठा	श्री शंकरलाल पुत्र कल्याण मल कोली नि. ककोड	मुलजिमानों ने एक राय होकर रास्ता आम में रोककर थाप मुक्को से मारपीट की व जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया।	1. श्री हरक चन्द जैन पुत्र फोजमल जैन नि. ककोड	वृत्ताधिकारी उनियारा द्वारा तफ्तीश जारी है।

"परिशिष्ट-क"

वर्तमान में पुलिस विभाग में हिन्दी प्रथम पास कार्यरत कुल 11 च. क्षे. कर्मचारी हैं जिनके नाम निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान
1	श्री भोपाल सिंह	जिला सीकर
2.	श्री रामदयाल	जिला सवाईमाधोपुर
3.	श्री मोहम्मद जाकिर	जिला बीकानेर
4.	श्री रमेशचन्द्र	जिला सवाईमाधोपुर
5.	श्री रतनलाल	जिला सवाईमाधोपुर
6.	श्री मोहन सिंह	जिला सिरोही
7.	श्री अचलदास	जिला जैसलमेर
8.	श्री भंवरलाल	पी.टी.एस.-खैरवाड़ा
9.	श्री मदन सिंह	प्रथम बटा. आर. ए. सी. जोधपुर
10.	श्री रामसिंह	जिला जयपुर ग्रामीण
11.	श्री भंवरलाल	पी.टी.एस. जोधपुर

इनके अतिरिक्त निम्नांकित 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ट लिपिक के पद पर उनके सम्मुख अंकित दिनांक को पदोन्नति दी गई है—

1. श्री रामदयाल सिंह दिनांक 12.2.85 जिला सवाई माधोपुर
2. श्री बनवारी लाल दिनांक 15.5.85 जिला झुन्झुनूं
3. श्री अहमद हसन दिनांक 18.5.85 जिला बीकानेर
4. श्री ओमप्रकाश दिनांक 15.5.82 जिला बीकानेर

परिशिष्ट-2

कार्यालय ग्राम पंचायत रामपुरा पं. स. आमेर-जयपुर

प्रस्ताव सं. 3 दिनांक—13.2.99

चरागाह ठारियावास की भूमि में अलाट न करने बाबत

सव समिति से निर्णय लिया गया कि चरागाह टारियावास की खसरा नं. 663, 664 भूमि को किसी भी व्यक्ति व संस्था को अलाट न किया जावे। श्री अरुण कुमार सिंघवी ने एक फर्जी ट्रस्ट आलोक चैरीटेबल के नाम से बताकर इस चरागाह भूमि को हड़पना चाहते हैं। जबकि इनके पास महेशपुरा ग्राम में 30 बीघा के आसपास है। अगर यह चरागाह भूमि किसी को भी अलाट की जावेगी तो जनता में आक्रोश होकर कुछ अनहोनी घटना कर सकती है। अतः श्रीमान् जिलाधीश महोदय श्री संभागीय आयुक्त महोदय, श्री आयुक्त महोदय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को निवेदन किया जावे कि चरागाह टालियावास की भूमि खं. नं. 663, 664 को किसी भी प्रकार किसी को भी अलाट न की जाकर चरागाह भूमि ही रहने दी जावे।

SD	SD	SD
हनुमान सहाय	हरिबल्लभ	प्रभाती लाल
SD	SD	SD
अर्जुन सिंह	किशनलाल	सत्यनारायण
SD		
वैध सीताराम		

ह.

सरपंच

ग्राम पंचायत, रामपुरा, डाबड़ी

पं. स. आमेर (जयपुर)

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-642 की प्रतियां)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री केदारनारायण पुत्र श्री हरसहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी खोमावास तह. जमवारामगढ़ जिला जयपुर ग्राम खेमावास में कामर्शियल बीजली या $17\frac{1}{2}$ हा.पा. कनेक्शन लेना चाहते हैं वह भूमि मकान स्वयं की है बिजली का कनेक्शन देने में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति दिखाई नहीं देती है।

ह.

सरपंच

परिशिष्ट-"क"

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण) रा.रा.वि. मण्डल जयपुर

क्रमांक/राराविम/अअ/ग्रामीण/जय/कार्य/फा. तिस/प्रे. 3811 दि. 26-3-99

श्रीमान कलक्टर महोदय,

जिलाधीश कार्यालय,

जयपुर।

विषय—सरपंच, ग्राम पंचायत नेबर के फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ—राजस्थान विधान सभा प्रश्न संख्या 1045 द्वारा श्री अमराराम सदस्य विधान सभा एवं ग्रामवासी खींवास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) राराविम, जमवारामगढ़ में केदार नारायण शर्मा पुत्र हरसहाय ग्राम खीवास ने एक आई.पी. (लघु उद्योग) के 7.5 एच.पी. विद्युत कनेक्शन हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 19.8.87 को आवेदित की थी जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत नेबर का एक प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न) के फेली राम हस्ताक्षरित जारी किया गया प्रस्तुत किया गया था। इस आधार पर विद्युत कनेक्शन जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में एक विधान सभा में उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त जारी प्रमाण पत्र के फर्जी होने की आशंका की गयी है।

उक्त प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) राराविम, जमवारामगढ़ को ग्राम से खीवास का प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र (प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त कनेक्शन को फर्जी प्रमाण पत्र के अनुसार जारी होना बताया है इसमें एक शपथ पत्र की फोटो प्रति भी लगी हुई है। (प्रति संलग्न) जिसमें श्री घासी राम मीणा पुत्र श्री भैंरूराम मीणा ग्राम सरजोती तहसील जमवारामगढ़ ने हस्ताक्षर कर लिखा है कि यह सरपंच ग्राम पंचायत के पद पर था।

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-647 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त
1	2	3	4	5
1.	रासीमावि, कोटपुतली	प्रधानाचार्य	01	8/98
		उपप्रधानाचार्य	01	7/98
		व्याख्याता	01	8/98
2.	रासीमावि, सुदुरपुराडाडा	व्याख्याता	05	10/98
		पु.अ.II ग्रेड	01	10/98
		व.लि.	02	10/98
		च.श्रे.क.	02	7/98
3.	रासीमावि, नारहेड़ा	व्याख्याता	02	6/98, 7/98
		प्र.शा.स.	01	12/97
		च.श्रे.क.	01	6/98
4.	रासीमावि, राजनोता	व्याख्याता	04	7/98, 8/98, 12/97 6/98
		अध्यापक	01	3/99
		व.लि.	01	12/97
5.	रासीमावि, दांतिल	व्याख्याता	01	3/99
		पु.अ. II ग्रेड	01	7/97
		व.लि.	02	12/96 से दोनों पद
		च.श्रे.क.	01	6/98
6.	रासीमावि, वनेठी	अध्यापक	02	2/99, 3/99
7.	रासीमावि, पवाना	व्याख्याता	04	7/97 से चारों पद
		पु.अ. II ग्रेड	01	7/99
		व.लि.	02	7/99 से दोनों पद
		च.श्रे.कर्म.	02	7/97 से दोनों पद
8.	रासीमावि, वड्डनगर	व्याख्याता	05	9/98 से पांचों पद
		व.लि.	01	9/98
		अध्यापक	02	3/99
		व.शा.शि.	01	9/98
		व.पु.अ.	01	9/98
9.	रासीमावि, प्रागपुरा	व.अ.	01	12/98
		व.लि.	02	6/98 से
		व.शा.शि.	01	9/98
		व.पु.अ.	01	6/98 से
10.	रावासीमावि, पावटा	व्याख्याता	01	10/98
		व.पु.अ.	01	7/98

1	2	3	4	5
		व.शा.शि.	01	9/98
11.	रावासीमावि, कोटपुतली	—	—	—
12.	रासीमावि, पावटा	—	—	—
13.	रामावि, गोनेडा	—	—	—
14.	रामावि, चिमनपुरा	—	—	—
15.	रामावि, टसकोला	अध्यापक	03	8/95, 6/95, 5/96
		व.लि.	01	9/96
		चश्रे.क.	01	2/99
16.	रामावि, कंवरपुरा	चश्रे.क.	01	5/98
17.	रामावि, भोनावास	—	—	—
18.	रामावि, छारदड़ा	अध्यापक	01	2/99
		चश्रे.क.	02	1/96, 7/98
19.	रामावि, पुरूषोत्तमपुरा	व.लि.	01	10/98
		चश्रे.क.	01	10/98
20.	रामावि, चूरी	अध्यापक	02	2/98, 10/97
		व.लि.	01	8/97
		चश्रे.क.	01	10/97
21.	रामावि, भैंसलाना	व.अ.	01	3/98
		व.लि.	01	3/98
22.	रामावि, शुक्लावास	शा.शि.	01	2/99
23.	रामावि, सांगटेड़ा	व.लि.	01	10/98
24.	रामावि, बनार	व.लि.	01	10/98
25.	रामावि, देवता	अध्यापक	03	2/99, 3/99
		व.लि.	01	2/98
26.	रामावि, भांकरी	अध्यापक	01	12/98
27.	राबामावि, बनेठा	व.अ.	02	3/99, 12/98
		व.लि.	01	12/98
28.	राबाउप्रावि, सांगटेड़ा	व.अ.	01	2/98
29.	राबाउप्रावि, गोनेड़ा	व.अ.	01	8/98
		अध्यापक	02	12/98, 3/99
30.	राबाउप्रावि, नारहेड़ा	व.अ.	01	12/98
31.	राबाउप्रावि, सुदरपुरढाढा	व.अ.	01	12/98
		अध्यापक	01	3/99
32.	राबाउप्रावि, दांतिल	अध्यापक	03	6/98, 2/99, 12/98
33.	राप्रावि, माजूकोट	व.अ.	01	12/98
34.	राउप्रावि, कालूहेड़ा	अध्यापक	01	3/99
35.	राउप्रावि, चुतुर्भुज	अध्यापक	01	3/99
36.	राउप्रावि, ढाढा	अध्यापक	01	2/99
37.	राउप्रावि, सुजातनगर	अध्यापक	01	3/99

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-656 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम कानूजा में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित एनिकटों की सूची

क्र.सं.	एनिकट का नाम	ग्राम	एनिकट निर्माण का वर्ष	कार्य की स्थिति
1.	कानूजा एनिकट	कानूजा	82-83	क्षतिग्रस्त
2.	नाकावाली एनिकट	कानूजा	88-89	क्षतिग्रस्त
3.	संतरौला एनिकट	कानूजा	88-89	क्षतिग्रस्त
4.	गोलियावाला एनिकट	कानूजा	87-88	क्षतिग्रस्त
5.	सनबोर एनिकट	कानूजा	87-88	क्षतिग्रस्त
6.	दूदोरिया एनिकट	कानूजा	88-89	क्षतिग्रस्त
7.	तिकली का नाका एनिकट	कानूजा	87-88	क्षतिग्रस्त
8.	सलपड़ा एनिकट	कानूजा	92-93	क्षतिग्रस्त नहीं है
9.	गुजरोवाला एनिकट	कानूजा	एन.ए.	क्षतिग्रस्त
10.	धामरताली एनिकट	कानूजा	82-83	क्षतिग्रस्त नहीं है

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट-"क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 660 की सूची)

भरतपुर दुग्ध संघ के हटाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनः सेवा में लेने एवं नहीं लिये जाने का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पद	दुग्ध संघ का नाम जहां पर सेवा में लिया गया	सेवा में नहीं लिये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	श्री ओ.पी. चौधरी	परि. अधिकारी		न्यायालय के निर्देशानुसार इन्हें नियुक्ति देने हेतु दुग्ध संघों को विचारार्थ आग्रह किया गया। परन्तु दुग्ध संघों से नियुक्ति देने की सहमति नहीं मिलने के कारण इन्हें नियुक्ति नहीं दी है। दुग्ध संघों की सहमति मिलने पर इन्हें नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है।
2.	श्री पहूप सिंह	सहा.परि.अधि.		मामला उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच में विचाराधीन है।
3.	श्री एके. पालीवाल	एई.ओ.	पाली	
4.	श्री रवीन्द्र कुमार	क. सहा.	चूरू	
5.	श्री कुंजीलाल	क. सहा/टाईपिस्ट	बीकानेर	
6.	श्री सत्येन्द्र सिंह	क.स.	चूरू	
7.	श्री मिश्रीलाल	क.स.	अजमेर	
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम प्रसार कार्यकर्ता	हनुमानगढ़	
9.	श्री ओमप्रकाश	" "	उदयपुर	
10.	श्री मेवाराम	" "	उदयपुर	
11.	श्री आर. के. द्विवेदी	एल. एस. एस.	रानीवाड़ा	
12.	श्री अशोक बाबू वर्मा	" "	रानीवाड़ा	

1	2	3	4	5
13.	श्री विजेन्द्र सिंह	"	"	कोटा
14.	श्रीदयाशंकर दीक्षित	"	"	भीलवाड़ा
15.	श्री मनमोहन सिंघल	"	"	भीलवाड़ा
16.	श्री हाकिम सिंह	ड्राईवर		हनुमानगढ़
17.	श्री रोशनलाल	ड्राईवर		सीकर
18.	श्री रामकिशन	ड्राईवर		कोटा
19.	श्री विजय पाण्डे	प्रयोगशाला सहा.		भीलवाड़ा
20.	श्री दिलीप कुमार	डेयरी वर्कर		उदयपुर
21.	श्री रामप्रकाश	"	"	भीलवाड़ा
22.	श्री उदयसिंह	"	"	पाली
23.	श्री अत्तर सिंह	द्वितीय		भीलवाड़ा
24.	श्री दिगम्बर सिंह	डेयरी वर्कर		जयपुर
25.	श्री महेन्द्र सिंह	"	"	बीकानेर
26.	श्री रेनवा राम	"	"	सीकर
27.	श्री अत्तर सिंह	प्रथम		जयपुर
28.	श्री राजेन्द्र सिंह	"	"	जोधपुर
29.	श्री महावीर सिंह	"	"	अलवर
30.	श्री ज्ञान सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		भीलवाड़ा
31.	श्री बच्चू सिंह	"	"	भीलवाड़ा
32.	श्री प्रकाश चन्द्र	"	"	अलवर
33.	श्री गिरराज सिंह	"	"	उदयपुर
34.	श्री राजकुमार	"	"	हनुमानगढ़
35.	श्री शिशुपाल सिंह	"	"	अजमेर
36.	श्री विजय सिंह	"	"	कोटा
37.	श्री विक्रय सिंह	"	"	जयपुर

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 664 की सूची/विवरण)

धौलपुर जिले में महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की सूची

परिशिष्ट-"अ"

क्रम संख्या	योजना का नाम	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
1.	किशोर बालिका योजना	600
2.	महिला स्वयं सहायता समूह	627
3.	महिला समूह	1056
4.	सामूहिक विवाह	123
		2406

परिशिष्ठ "ब"

निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, धौलपुर द्वारा गत दो वर्षों में प्रतिमाह किये गये दौरों का क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	माह का नाम	यात्रा दिवस	गांवों के नाम
1	2	3	4
1.	नवम्बर-दिसम्बर, 97	17	बाड़ी, सोहीकला, मनियां, बीजोली, खानपुर, विशनोदा, उमेरह, पुरानी, छावनी, बसेड़ी, मरैना, पंचगांव, कैंथरी, सेपऊ, संघावली, राजाखेड़ा, तगावली, महरिया, इंडोली, आंगई, लुहारी, सालपुर, बसईकोर
2.	जनवरी, 98	10	मांगरोल, मनिया, बसईकोर, मरैना, चिलाचोंद, बसईडांग, पुरानी छावनी, बसईनवाब, पिपरोआ, जापावली, सरानीखेड़ा, कंचनपुर, खाड़ी, तसीमो, करीमपुर, वरैहमोरी, राजाखेड़ा, रहरई, सरमथुरा, खेरली, जाटोली, सिंघावली
3.	फरवरी, 98	9	बसेड़ी, सलेमपुर, करीमपुर, सेंपऊ, चिलाचोंद, मांगई, बरेहमोरी, मांगरोल, वसईनवाब, सरमपुरा, वरोली, मनिया, पंचगांव, पुरानी छावनी, मरैना बाड़ी,
4.	मार्च, 98	9	राजाखेड़ा, मरैना, पचगांव, जेरेठ, मनिंया, बरोली, मत्सूरा, खानपुरमीणा, वाड़ी, वरेहमोरी, करीमपुर, सागरवाड़ा, बसेड़ी, थेरेली, बरई, वनौटा, मछरिया, बिजोली,
5.	अप्रैल, 98	6	चिलाचोंद, राजाखेड़ा, सिंघावली, करीमपुर, मांगरोल, खानपुर मीणा, मछरिया, बरौली, मत्सूरा, बोरेली, वसईनवाब, उमरेह, कुनकुटा
6.	मई, 98	10	जाटोली, खानपुरमीणा, मत्सूरा, बीजोली, आगंई, मनिया, मांगरोल, औडेला, मालोनीखुर्द, राजाखेड़ा, टाड़ा, महरिया, चिलाचोंद, सैंपऊ, कंचनपुर, तगावली, इन्द्रावली, गढ़ीसुक्खा, वरेहमोरी, रजौरा खुर्द, इब्राहिमपुर, भढ़ाभाऊ, पचगांव, मरैना, जाटोली
7.	जून, 98	9	बाड़ी, टोंटरी, तगावली, खेरली, सरमथुरा, इन्द्रावली, आगंई, कंचनपुर, चिलाचोंद, पुरानी छावनी, उमरेह, राजाखेड़ा, सिंघावली, पचगांव, राजौराखुर्द
8.	जुलाई, 98	9	लुहारी, जाटोली, विजोली, सिंगोरई, सादिकपुर, वरेहमोरी, मरैना, पुरैनी, पुरानी छावनी, ममोधन, बसेड़ी, सलेमपुर, उमरेह, बाड़ी, टोंटरी, अलीगढ़

1	2	3	4
9.	अगस्त, 98	6	ओदी, सरानीखेड़ा, गढ़ीसुक्ला, पुरानीछावनी, सैंपऊ, तगावली, पचगांव, कैंथरी, वसईनवाब, वरई, बाड़ी, दोपुरा, सरमथुरा, चन्द्रावली
10.	सितम्बर, 98	10	सहेड़ी, बाड़ी, सिमोरई, तसीमो, सैंपऊ, हिनौता, बसेड़ी, मनिया, मढ़ाभाऊ, दिहोली, सलेमपुर, मरैना, कंचनपुर, गढ़ीसुषा, उमरेह, कांसोटीखेड़ा, आगई, सरमथुरा, चंन्द्रावली, कुनकुटा, ओदी, राजाखेड़ा
11.	अक्टूबर, 98	9	सामलियापुरा, सरमथुरा, दिहोली, साड़ा, लुहारी, वरेहमोरी, राजाखेड़ा, सादिकपुर, सलेमपुर, बाड़ी, खेरली, विजोली
12.	नवम्बर, 98 15		डींगरपुर, बरेह, सादिकपुर, खेरली, पुरानी छावनी, वरेहमोरी, सोंहा, राजाखेड़ा, कांसोटी, बहबलपुर, जटोली, लुहारी, मनिया, दूकापुरा, मटसूरा, पिपरोम, चन्द्रावली।
13.	दिसम्बर, 98	15	भिलगवा, सरानीखेड़ा, मुढ़ाबुजुर्ग, नगला, भगत, मित्रापुरा खिड़ोरा, जारगा, साड़ा, दूकापुरा, लुहारी, डोंगरपुर, सादिक पुर, मढ़ाभाऊ, वसई, सामन्ता, जगरियापुरा, सरदारपुरा, सामरियापुरा, मरैना, वरेहमोरी, ममोधन, खिडोरा, बाड़ी, बसेड़ी, इन्द्रावली, साड़ा, दूकोपुरा, महरिया
14.	जनवरी, 99	10	टाड़ा, करीमपुर, खानपुरमीणा, बाड़ी, निधारा, जारगा, खिडोरा, सलेमपुर, डोगरपुर, सहजपुर, लुहारी, वरेहमोरी, दूकापुरा, मढ़ाभाऊ, मढ़ाबुजुर्ग, जगरियापुरा, सागरवाड़ा, बिझोली, बसेड़ी, बसईसामन्ता, सरदारपुरा, राजाखेड़ा
15.	फरवरी, 99	15	लुहारी, सांडा, दूकापुरा,बसईसामन्ता, सूरजपुरा, सोहा, बाड़ी जापावली, मनिया, टांडा, मांगरोल, जगरियापुरा, डोंगरपुर, वरेहमोरी, लुहारी, मढ़ाबुजुर्ग, खानपुरमीणा, बसेड़ी, सहजपुर, सरानीखेड़ा, नगला, भगत, मिर्जापुर, सैंपऊ, बसईनवाब
16.	मार्च, 98	15	बाड़ी, तालाबशाही, खानपुरमीणा, मनिया, बिलगवा, सूरजपुर बसई सामन्ता, बसेड़ी, लुहारी, बरेहमोरी, डोंगरपुर, सादिकपुर जगरियापुरा, पुरानी छावनी

उक्त दौरों के उपरान्त विभाग से 11523/- रुपये का यात्रा भत्ता प्राप्त किया।

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-665 का विवरण)

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

अनुलग्नक "1"

चित्तौड़गढ़ जिले में उच्च प्राथमिक एवं प्रवेशिका (माध्यमिक) विद्यालयों के रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	नाम संस्कृत विद्यालय	स्तर	रिक्त पदों का विवरण									
			प्र.अ.		II ग्रेड		III ग्रेड		मंत्रालयिक		च.श्रे.कर्म.	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	रा. प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, कारूण्डा	प्रवे	1	1	6	3	3	–	1	–	2	–
2.	रा. प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, गंगरार	प्रवे.	1	1	5	3	7	3	1	–	2	–
3.	राउप्रासंवि. भगवानपुरा	उप्रा.	—	1	–	7	–	–	–	–	–	–
4.	राउप्रासंवि. बस्सी	उप्रा.	—	—	1	–	5	1	–	–	–	–
5.	राउप्रासंवि. भूमालखेड़ा	उप्रा.	—	—	1	1	5	2	–	–	–	–
6.	राउप्रासंवि. राशपी	उप्रा.	—	—	1	1	7	1	–	–	1	1
7.	राउप्रासंवि. दलोट	उप्रा.	—	—	1	1	2	–	–	–	–	–